जिला आपदा प्रबंधन योजना

DISTRICT DISASTER MANAGEMENT PLAN
2026-2027

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जनपद उत्तरकाशी

संदेश

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

उत्तराखण्ड एक मध्य हिमालयी राज्य होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है। जनपद उत्तरकाशी जोन 4 व 5 में स्थित होने के कारण इन आपदाओं के प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। आपदायें आकस्मिक होती है। जिनसे जानमाल एवं सम्पत्ति का नुकसान होता है। इन आपदाओं के प्रभाव एवं इनसे होने वाले नुकसान को न्यून करने के लिय पूर्व तैयारियों की अत्यन्त आवश्यकता है।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत जनपद की समस्त संभावित आपदाओं से निपटने हेतु इस आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण किया गया है। जिससे आपदा के पिछले अनुभव एवं जनपद में विद्यमान भौतिक, मानवीय, विभागीय एवं संस्थागत संसाधनों के समावेश के साथ–साथ उन सभी सूचनाओं का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी आपदा का सामना करने के लिये आवश्यक होती है। साथ ही इस कार्ययोजना का मूल्यांकन हर वर्ष आने वाली नई समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए भी किया जाना होगा ताकि इसकी उपयोगिता बनी रहें।

आपदा प्रबन्धन के लिये उत्तम एवं प्रभावी यंत्र, ग्राम स्तरीय आपदा कार्यदल, समुदाय (संगठनों) का है, जिनका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में यथा–आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके लिये समुदाय (संगठनों) को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, जिससे मानवीकृत व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को एक व्याहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं अपने पूर्ववर्ती जिलाधिकारियों एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्ययोजना को संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र के समस्त अधिकारी एंव कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं।

शुभकामनाओं सहित,

जिला अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

प्राक्कथन

अपर जिलाधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

जनपद उत्तरकाशी सीमान्त जनपद है, यह जनपद हिमालय क्षेत्र के सर्वाधिक संवेदनशील जोन के अर्न्तगत है। इस जनपद से होकर प्रमुख केन्द्रीय आधात (Main Central Thrust) व प्रमुख सीमावर्ती आघात (Main Boundary Thrust) निकल रही है। जनपद में उत्तराखण्ड राज्य के चार धामों में से दो धाम गंगोत्री तथा यमुनोत्री स्थित है। माह मई से अक्टूबर में मध्य तक जनपद उत्तरकाशी के यमुनोत्री एवं गंगोत्री तीर्थ स्थलों में तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है तथा जून से अक्टूबर के मध्य मानसूनकाल भी रहता है। जिसके कारण सड़क दुर्घटनायें एवं भूस्खलन की घटनाओं की तीव्रता बढ़ जाती है।

इन आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन, निवारण एवं न्यूनीकरण हेतु जिला स्तरीय कार्ययोजना के साथ–साथ ब्लॉक व ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना एवं कार्यदलों का गठन किया जाना आवश्यक होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है, कि आपदाओं को रोका नही जा सकता है। परन्तु आपदा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं को समग्र जनसहभागिता, उत्तरदायित्व एवं उच्च कोटि के प्रबन्धन एवं उपायों के क्रियान्वयन द्वारा धीरे–धीरे नियंत्रित एवं न्यून किया जा सकता है।

बचाव एवं राहत कार्य की सफलता मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस योजना में समाहित सूचनाऍ एवं प्रावधान किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी प्रबंधन एवं त्वारित कार्यवाही में सहायक सिद्ध होंगे।

अपर जिला अधिकारी,
जनपद उत्तरकाशी।

प्रस्तावना

जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखण्ड की हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसके निर्माण तथा समायोजन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। 200 से 7000 मीटर की उंचाई वाला संसाधन सम्पन्न यह भू–भाग आपदाओं की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। इसी भू–भाग में स्थित जनपद उत्तरकाशी 3,30,086 जनसंख्या वाला जनपद है। जनपद में कुल 6 तहसीलें, 02 उप तहसील तथा 06 विकासखण्ड है।

प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों की तरह ही इस नैसर्गिक जनपद उत्तरकाशी में भी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि देखी गयी है और इस वृद्धि ने संवेदनशील क्षेत्र की तरफ विश्व के अनेकानेक विचारकों, वैज्ञानिकों, शौधकर्ताओं एवं बुद्धिजीवियों को सोचने पर मजबूर किया है। विगत शताब्दियों से हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन व भूकम्प ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज, पर्यावरण एवं विकास प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव डाला है। जनपद भूकम्प के दृष्टिगत जोन 4 व 5 में आता है।

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक संवेदनशीलता के चलते आपदा प्रबन्धन मंत्रालय का गठन किया गया है। इसके पीछे आपदाओं के न्यूनीकरण का मकसद ही प्रमुख है। यही वजह है कि गांव–गांव तक लोगों को आपदाओं के वक्त सचेत करने के लिए वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहें है। स्कूली पाठ्यक्रम में आपदा प्रबन्धन को शामिल किया गया है। युवाओं तथा महिलाओं के साथ पंचायतों को इस दिशा में सजग किया जा रहा है। अब यह जरूरी हो गया है, कि हम आपदाओं से नित्य जूझने की मानसिकता तैयार करें व अपनी जीवन शैली को भूकम्परोधी बनाये। हालांकि अभी तक के अनुभव बताते हैं कि जिन देशों ने आपदाओं के न्यूनीकरण की दिशा में कदम उठाये हैं। यहां पर आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने में सफलता पायी है। इस पक्ष को आत्मसात किए जाने के सरकारी प्रयासों के साथ आम आदमी को इसमें भागीदार बनना होगा। विकास की प्रक्रिया को सत्त्त जारी रखने के लिए हमें उन उपयों पर भी ध्यान देना होगा जिससे प्रकृति के साथ होन वाली छेड़छाड़ से बचा जा सके।

प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत कार्य की सफलता का मूल मंत्र कार्यरत अधिकारियों की सूझ–बूझ, निष्ठा, संवेदनशीलता, निर्णय व नेतृत्व क्षमता होगी। किन्तु फिर भी इस आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना की सूचनायें किसी भी आपदा के लिय अवश्य ही सहायक सिद्ध होगी।

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना, 2026

मार्गदर्शन

श्री प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरकाशी

पर्यवेक्षण

सुश्री मुक्ता मिश्र,

अपर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

शोध, सर्वेक्षण एवं संकलन

श्री शार्दुल गुसाईं

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, उत्तरकाशी

सहयोग एवं परामर्श

समस्त जनपदीय अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी

अद्यतन तिथि 14 मार्च, 2026

कार्ययोजना तैयारकर्ता

जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

विषय–सूची

क्र.स.	अध्याय	पृ.सं.
	अध्याय 01 – प्रस्तावना	
1	जनपद एक दृष्टि में	1–23
1.1	जनपद का ऐतिहासिक परिचय	
1.2	जनपद प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के उद्देश्य, विधिक आधार, क्रियान्वयन समीक्षा एवं रख–रखाव।	
1.3	आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य	
1.4	जनपद की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक–आर्थिक विवरण (जनगणना 2011)	
1.5	जलवायु एवं वर्षा	
1.6	भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति	
1.7	प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा	
1.8	खनिज संसाधन	
1.9	भूमि उपयोग एवं भूमि वर्गीकरण	
	अध्याय 02 – खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता आकलन	
2.1	जनपद का परिचय / विवरण	24–36
2.2	जनपद कि भौगौलिक स्थिती एंव जलवायु	
2.3	जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर	
2.4	जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स	
2.4.1	चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों एवं वाहनों का वर्षवार विवरण–	
2.5	जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण – भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र	
2.6	जनपद में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण	
2.7	पुर्नवासित एंव पुनर्वास हेतु प्रस्वावित ग्रामों का विवरण	
	अध्याय 03 – आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत व्यवस्थायें	
3.1	राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	37–62
3.2	राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	
3.3	जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना	
	अध्याय 04 – आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम एवं शमन उपाय	
4.1	आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य	63–68
4.2	पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं प्रमुख आपदाएं	
4.3	राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना	
4.4	राज्य के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना	
4.5	सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण’	
4.6	सभी विद्यालयों हेतु आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा कार्य	
4.7	सभी व्यावसायिक भवनों हेतु अग्निशमन एवं निकासी योजना	
4.8	नीति और शासन	

क्र.स.	अध्याय	पृ.सं.
	अध्याय 5 – आपदा तैयारी एवं तत्परता उपाय	
5.1	तैयारी उपायों का उद्देश्य	69–108
5.2	जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची	
5.3	राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र	
5.4	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र	
5.5	स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ	
5.6	आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान	
5.7	विकलांग व्यक्तियों की निकासी और प्रतिक्रिया	
5.8	विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन	
5.9	जनपद में इंसीडेंस रिस्पांस सिस्टम – आईआरएस को सक्रिय करना	
5.10	अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
5.11	लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन	
5.12	चेतावनी प्रणाली का परीक्षण	
5.13	जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र का परीक्षण	
5.14	मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण	
5.15	जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान	
5.16	स्वयं सेवी संस्थाएं और अन्य हितधारकों का समन्वय	
5.17	सामूहिक जन हानि प्रबन्धन	
5.18	राहत साग्रियों का विवरण	
5.19	आश्रय चिकित्सा राहत शिविर	
5.20	प्रारंभिक चेतावनी प्रणालीः आपातकालीन अलर्ट सिस्टम, सायरन, सैटेलाइट फोन, हेल्पलाइन एवं इमरजेंसी नंबर।	
5.21	विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी	
5.22	अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	
5.23	संचार तंत्रः दूरसंचार सेवाएँ, रेडियो एवं टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया।	
	अध्याय 06 – क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण	
6.1	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माणः दृष्टिकोण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य।	109–116
6.2	प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन–जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर	
6.3	मॉक ड्रिल का आयोजन एंव अपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा	
6.4	जनपद में पूर्व में आयोजित विभिन्न मॉक अभ्यासों का विवरण	
6.5	आपदा प्रबंधन कार्यों में जनपद स्तरीय अधिकारियों की प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता वृद्धि।	
6.6	जनपद में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास में से प्राप्त अनुभव प्राप्त सुझाव	
	अध्याय 07 – प्रतिक्रिया एवं राहत उपाय	
7.1	राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य	117–129
7.2	प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और त्वरित मूल्यांकन	
7.3	आपदाओं के स्तर	

क्र.स.	अध्याय	पृ.सं.
7.4	जिम्मेदारी निर्धारण मैट्रिक्स का विकास	
7.5	आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व	
7.6	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत इंसीडेंस रिस्पांस रिस्टम (आई. आर.एस) में नामित अधिकारियों का विवरण	
7.7	तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के इंसीडेंस रिस्पांस रिस्टम (आई.आर.एस) में नामित अधिकारियों का विवरण	
अध्याय 08 – आपदा पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन उपाय		
8.1	परिचय	130–132
8.2	पुनः निर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण	
8.3	पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व	
8.4	क्षति आंकलन प्रक्रिया	
8.5	लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य	
8.6	दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां	
अध्याय 09 – आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना हेतु वित्तीय व्यवस्था		
		133–138
9.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ	
9.2	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष	
9.3	राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ	
9.4	तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था	
9.5	अन्य वित्तीय विकल्प	
	अध्याय 10 – डीडीएमपी का मूल्यांकन, अद्यतन एवं रखरखाव	
10.1	परिचय	139–141
10.2	डीडीएमपी को रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी	
10.3	डीडीएमपी की उचित निगरानी और मूल्यांकन	
10.4	डीडीएमपी के लिए आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र	
10.5	डीडीएमपी के अद्यतनीकरण की अनुसूची	
10.6	डीडीएमए/एसडीएमए वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना	
10.7	मॉक ड्रिल का आयोजन	
10.8	निगरानी और अंतराल मूल्यांकन	
अध्याय 11 – डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र		
11.1	अंतर–विभागीय समन्वयः	142–143
11.2	विकासखण्ड स्तरीय समन्वय तंत्र	
11.3	जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली	
11.4	समुदाय के साथ समन्वय तंत्र	
11.5	स्वयं सेवी संस्थाएं, सामुदायिक आधारित संगठन, स्वयं सहायता समूह के साथ समन्वय तंत्र	

क्र.स.	अध्याय	पृ.सं.
11.6	अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय	
	अध्याय 12 – मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) एवं चैक लिस्ट	
12.1	पूर्व चेतावनी प्रबंधन	144–167
12.2	पूर्व चेतावनी मिलने पर निकासी	
12.3	जब कोई पूर्व चेतावनी न हो तो निकासी	
12.4	खोज और बचाव	
12.5	राहत कार्य	
12.6	आवश्यक सेवाओं की बहाली	
12.7	शव निपटान	
12.8	सूचना एवं मीडिया प्रबंधन	
12.9	वीआईपी विजिट प्रबंधन	
12.10	राहत शिविरों की स्थापना	
अनुलग्नक 1 से 12 तक		168–236

अध्याय 1

1. जनपद परिचय

विजन – प्राकृतिक आपदा में जनपद की स्थित गतिविधियों को तत्काल सामान्य करने की क्षमता का विकास करना एवं जनजीवन, आजीविका,परिसम्पत्तियों, पर्यावरण, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षति को न्यून करने की क्षमता को प्रशासनिक, स्थानीय स्तर पर विकसित करना।

उद्देश्य – भली–भांति परिभाषित कार्ययोजना के अभाव में प्राकृतिक आपदा के समय अफरा–तफरी का माहौल हो सकता है। अतः प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कार्य किये जाने हेतु एक सुनियोजित कार्ययोजना अति आवश्यक है। जिससे प्राकृतिक आपदा के समय विभिन्न राजकीय एवं निजी संस्थाओं के समन्वय एवं सहयोग से जन–धन की हानि को कम करते हुए कम से कम समय में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। इसे निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता हैः–

- विभिन्न सरकारी विभागों, कार्यदायी संस्थाओं को जिम्मेदारी सौंपना ।
- उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी प्रबन्धन।
- आपदा के समय विभिन्न सरकारी विभागों एवं राहत संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना एवं सांकेतिक भाषा का विकास करना।

नीति – जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को विकसित कर जनपद में जीवन, पर्यावरण एवं सम्पत्ति को बचाना, प्रभावित क्षेत्रों में शीघ्रतम राहत पहुंचाना तथा सामान्य स्थिति को जल्द से जल्द बहाल करना है। जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग जनता के सहयोग से किया जाना है।

विषय – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना निम्न बिन्दुओं को समाहित किया गया है–

- आपदाओं के रोकथाम अथवा उनके प्रभावों को कम किये जाने हेतु उपाय।
- विकास योजनाओं को आपदा न्यूनीकरण के अनुरूप एकीकरण करने के उपाय।
- आपदा तैयारी एवं क्षमता के विकास को आपदा की स्थिति में प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के उपाय।
- उपरोक्त तीन बिन्दुओं के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय विभागों की भूमिकायें/उत्तरदायित्व।

क्षेत्र – जनपद अन्तर्गत समस्त आपदा सम्भावित एवं प्रभावित ग्राम/विकासखण्ड।

सेंडाई फ्रेमवर्क – आपदा जोखिम न्यूनीकरण (2015–2030) के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क एक अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, जिसे 14 से 18 मार्च, 2015 के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सेंडाई, जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क के लिये क्रियान्वयकन हेतु निम्न 04 प्राथमिकतावार बिन्दु निम्नवत् है –

- आपदा जोखिम को समझना।
- आपदा जोखिम प्रबन्धन तंत्र को मजबूत करने के लिये आपदा प्रबन्धन प्रशासन को सुदृढ़ बनाना।
- आपदा प्रतिरोध में निवेश करना।
- प्रभावी प्रतिक्रिया के लिये रिकवरी, पुनर्वास और पुर्ननिर्माण में ठनपसक ठंबा ठमजजमत और आपदा तैयारियों को बढाना।

सेंडाई फ्रेमवर्क के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वैश्विक लक्ष्य – सेंडाई फ्रेमवर्क के परिणाम एवं उपरोक्त बिन्दुओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2030 तक के लिए निम्न सात वैश्विक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है–

- औसत वैश्विक मृत्यु दर को कम करना।
- वैश्विक रूप से आपदा प्रभावित लोगों की औसत संख्या को कम करना।
- सकल घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना।
- स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढॉचे और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान को कम करना।
- राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कमी की रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धी करना।
- उक्त फ्रेमवक के कार्यान्वयन के लिये अपने राष्ट्रीय कार्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त और सत्त समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के बीच अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- मल्टी–हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम एवं आपदा जोखिम की जानकारी तथा आंकलन की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धी करके लोगों की पहुॅच इन तक सुनिश्चित करना।

डी.डी.एम.ए.पी. में सेंडाई फ्रेमवर्क को **एकीकृत करना** – जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना, संडाई फ्रेमवर्क में व्यक्त किये गये मुख्य उद्‌देश्यों को सम्मिलित करता है तथा जनजीवन, व्यवसाय, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय, सम्पत्तियों को एकीकृत करता है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन – आपदा जोखिम न्यूनीकरण का उद्‌देश्य प्राकृतिक आपदा भूस्खलन/भूकम्प/बादल फटना/हिमस्खलन/शीतलहर/त्वरित बाढ/सूखा आदि से होने वाली क्षति को नैतिक सिद्धान्त से न्यून करना है। आपदा की गम्भीरता इस बात पर निर्भर करती है कि उस आपदा से समाज व पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है। आपदा प्रबन्धन को आपात स्थित के सभी मानवीय पक्षों से निपटने के लिये संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के संगठन और प्रबन्धन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

आपदाओं के स्तर – जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं पूर्व के घटित आपदाओं के दृष्टिगत भूस्खलन, बादल फटना, भूकम्प, हिमस्खलन/शीतलहर, त्वरित बाढ़, सूखा, आधी/तूफान एवं वनाग्नि आपदाओं की सम्भावना बनी रहती है। आपदा प्रबन्धन के विभिन्न्न स्तर पर इसकी योजना के मध्यनजर आपदा ग्रस्त क्षेत्र एवं स्थिति से निपटने के लिये उच्च स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति की आख्या 2001 के

अनुसार आपदाओं को तीन भागों क्रमशः L1, L2 एवं L3 में वर्गीकृत किया गया है। सामान्य अवधि में L0 का उपयोग किया जाना चाहिये।

- **L1-** घटित आपदा का वह स्तर जिसमें जनपद में उपलब्ध संसाधनों/क्षमता से आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन किया जाना सम्भव हो। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर सहायता हेतु तैयार रहेगा।
- **L2-** यह आपदा की स्थिति का प्रतीक है जिसमें जनपद में अन्य जनपदों एंव राज्य स्तर से सहायता की आवश्यकता होती है। जिसमें राज्य स्तर से अतिरिक्त संसाधनों एंव राज्य स्तरीय ऐजेन्सियों की तैनाती की जाती है एंव राज्य सरकार केन्द्रीय संसाधनों एंव ऐजेन्सियों को आवश्यकता पड़ने हेतु सर्तक किया जाता है।
- **L3-** यह बहुत बड़े स्तर की आपदा की स्थिति है, जिसके प्रभावों को जनपद एवं राज्य स्तर के उपलबध संसाधनों से प्रबन्धन किया जाना संभव नहीं होता है।
- आपदा के स्तर L0 से L3 का उल्लेख आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में नहीं किया गया है तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा सूचित करने का कोई प्रविधान नहीं है।

1.1. जनपद का ऐतिहासिक परिचय

प्रशासनिक ढांचा – जनपद का क्षेत्रफल 8016 वर्ग कि०मी० है। पूर्व से पश्चिम की लम्बाई 154 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक की लम्बाई 109 किमी है। जनपद में 04 परगना, 06 तहसीलें, 02 उप तहसीलें 06 विकास खण्ड, 508 ग्राम पंचायते तथा कुल ग्राम 707, राजस्व ग्राम 695, आबाद ग्राम 690, गैर आबाद ग्राम 05, आबाद वन ग्राम 22, गैर आबाद वन ग्राम 06 एवं 07 पुलिस थाने व 11 पुलिस चौकियां सृजित हैं।

जनपद का ऐतिहासिक परिचय– सीमान्त जनपद उत्तरकाशी उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर पश्चिम में हिमालय की गोद में बसा हुआ है तथा यह क्षेत्र प्राचीन भारती साहित्य में केदारखण्ड के नाम से विख्यात है। भटवाड़ी, तहसील के उत्तरी कोने से निकलने वाली जाड़ गंगा का उल्लेख पुराणों में जान्ह्वी के नाम से मिलता है। स्थान नाकुरी जो उत्तरकाशी से लगभग 10 कि0मी0 पर है एक प्रसिद्व स्थान है। पौराणिक काल में वर्णन है कि इसी स्थान पर परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुये अपनी माता रेणुका का वध किया था। रेणुका देवी इस स्थान की प्रमुख अराध्य देवी है। उत्तरकाशी के प्रसिद्व मन्दिर के प्रागंण में स्थित पांचवी शताब्दी के शक्ति माता के त्रिशूल पर राजा गणेश्वर एवं राजा गुहा की प्रशंसा में संस्कृत भाषा में लेख खुदे हुये है। स्कन्द पुराण के केदारखण्ड नामक अध्याय में भी उत्तरकाशी, भागीरथी एवं भिलंगना का वर्णन है। अलकनंदा के पश्चिम में देहरादून और रवॉई परगना को छोड़ते हुये सम्पूर्ण गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह के पास रहा जो कि टिहरी गढ़वाल के नाम से प्रसिद्व हुआ। सन् 1948 में यहां के शासन ने बागडोर संभाली। राजा नरेन्द्र शाह के जीवनकाल में ही राजा मानवेन्द्र शाह ने सन् 1948 में टिहरी गढ़वाल का शासन संभाला। भारत की आजादी के बाद सन् 1949 में टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी में सम्मिलित कर दिया गया। 24 फरवरी, 1960 को उत्तरकाशी एक अलग जिला बना।

जनपद उत्तरकाशी 30 डिग्री0 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट दक्षिणी तक और 77 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशान्तर 79 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद के उत्तरी भाग में तिब्बत, रूद्रप्रयाग–चमोली, पश्चिम में देहरादून, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश तथा दक्षिण में जनपद टिहरी गढ़वाल स्थित है। जनपद का अधिकांश भू–भाग हिमाच्छादित पर्वत शिखरों, नदियों तथा धार्मिक स्थलों एंव अपार वन सम्पदा से परिपूर्ण है, जनपद का पूरब से पश्चिम की लम्बाई 154 किमी0 तथा उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 109 किमी0 है। जनपद का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किमी0 है तथा उत्तराखण्ड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद का प्रथम स्थान है। जनपद सदा प्रवाहिनी बड़ी नदियों और छोटी नदियों के अतिरिक्त तालों के लिए प्रसिद्व है। बड़ी नदियों में भागीरथी, यमुना, केदारगंगा, जाड़गंगा, अस्सी, वरूणा, कमल तथा टौंस है, जबकि कनौड़ियागाड़, सोनगाड़, सुक्खीगाड़, इन्द्रावती गाड़, धनपतिगाड़, राणू की गाड़, गड्डूगाड, बर्नीगाड़, खूनीगाड़ आदि छोटी नदियां भी है। जनपद के प्रमुख ताल डोडीताल, नचिकेता ताल, सात ताल, सहस्त्रताल, केदारताल, सरूताल हैं।

1.2. जनपद प्रशासन एवं जिला आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के उद्देश्य, विधिक आधार, क्रियान्वयन समीक्षा एवं रख–रखाव।

जनपद उत्तरकाशी की आपदा प्रबंधन योजना का प्रमुख उद्देश्य आपदा जोखिमों को कम करना, जन–जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा प्रशासनिक एवं सामुदायिक स्तर पर समन्वित आपदा प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है। यह योजना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 31 के अंतर्गत तैयार की गई है, और इसका उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं, बल्कि निवारण, न्यूनीकरण, तैयारी और पुनर्वास को भी समाहित करता है। **मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है –**

1. जोखिम न्यूनीकरण	प्राकृतिक एवं मानव–जनित आपदाओं के संभावित प्रभाव को कम करने हेतु भौगोलिक, संरचनात्मक एवं सामाजिक उपायों का क्रियान्वयन करना।
2. संवेदनशीलता आकलन	जनपद के विभिन्न क्षेत्रों, अवसंरचनाओं एवं समुदायों की आपदा संवेदनशीलता का मूल्यांकन एवं जोखिम मानचित्रण तैयार करना।
3. तैयारी एवं प्रतिक्रिया	आपदा के दौरान त्वरित, प्रभावी एवं समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विभागीय योजनाएँ, आपदा नियंत्रण कक्ष और प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
4. संसाधन प्रबंधन	उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, सूचीकरण और कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।
5. समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन	"आपदा मित्र" एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण को जमीनी स्तर तक पहुँचाना।
6. पूर्व चेतावनी एवं संचार प्रणाली	समयबद्ध चेतावनी, सूचना प्रसारण और तकनीकी साधनों के माध्यम से जान–माल की हानि को न्यूनतम करना।
7. पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	प्रभावित जनसमुदाय को शीघ्र सामान्य जीवन में लौटाने के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास उपाय सुनिश्चित करना।

8.	**प्रशासनिक समन्वय**	सभी विभागों, निकायों एवं हितधारकों के मध्य आपदा प्रबंधन कार्यों में एकीकृत दिशा एवं समन्वय स्थापित करना।
9.	**नीति एवं प्रशिक्षण**	राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप विभागीय स्तर पर क्षमता विकास कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।
10.	**सतत समीक्षा एवं अद्यतन**	योजना को सजीव दस्तावेज के रूप में बनाए रखना ताकि नवीन अनुभवों, प्रौद्योगिकी और नीतियों के अनुरूप इसे अद्यतन किया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठन हेतु अधिकार का विधिक आधार

जिला आपदा प्रबंधन योजना डीडीएमपी की वैधानिक मान्यता और अधिकारिता आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 से प्राप्त होती है। यह अधिनियम केंद्र एवं राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद उत्तरकाशी में अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी द्वारा की जाती है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। योजना की तैयारी, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है।

संबंधित वैधानिक प्रावधान

- **धारा 31(1)** – प्रत्येक जिला प्राधिकरण अपने जनपद के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा, जिसमें आपदा की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्वास से संबंधित विस्तृत प्रावधान होंगे।
- **धारा 31(2)** – यह योजना जिला के सभी विभागों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों और एजेंसियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेगी।
- **धारा 31(4)** – तैयार योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। अनुमोदन के पश्चात् यह योजना विधिक रूप से लागू होगी।
- **धारा 31(6)** – सभी विभागों और एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने विभागीय कार्यों को जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप संचालित करें।
- **धारा 31(7)** –जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि योजना को प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाए और किसी प्रमुख आपदा के पश्चात् आवश्यक संशोधन सम्मिलित किए जाएँ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अधिकारिता – जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के गठन हेतु प्राप्त अधिकार निम्नवत् है –

- जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण, स्वीकृति एवं प्रकाशन।
- सभी विभागों, एजेंसियों एवं संस्थाओं को योजना के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना।
- आपात स्थिति में सभी संसाधनों, जनशक्ति एवं अवसंरचनाओं का नियंत्रण एवं पुनः आवंटन करने का अधिकार।
- राहत, बचाव एवं पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी, समीक्षा एवं मूल्यांकन।

- सामुदायिक भागीदारी एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन।
- वार्षिक समीक्षा एवं अद्यतन प्रक्रिया का संचालन।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रगति रिपोर्ट एवं सुझाव प्रेषित करना।

राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर से संबंध

- राष्ट्रीय स्तर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, नीतियों एवं मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाता है।
- राज्य स्तर जिला आपदा प्रबन्धन योजना को अनुमोदित करता है तथा तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा योजना का स्थानीयकरण कर जनपद की भौगोलिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप इसे लागू किया जाता है।

योजना की बाध्यता

- जिला आपदा प्रबंधन योजना कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है जो सभी विभागों, निकायों, संस्थाओं एवं निजी एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यों एवं योजनाओं को जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप संचालित करें।
- आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देश प्रशासनिक आदेश के समान प्रभावी होंगे।
- किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारीधविभाग के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

योजना की वैधानिक जिम्मेदारियाँ

तालिका 1.1

जिम्मेदारी	उत्तरदायी संस्था
योजना निर्माण एवं संशोधन	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तरकाशी
तकनीकी मार्गदर्शन	राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
विभागीय समन्वय	मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (विकास) एवं सभी विभागाध्यक्ष
आपात सूचना संचार	जिला आपदा परिचालन केन्द्र
समीक्षा एवं अनुमोदन	जिलाधिकारी / अध्यक्ष आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन एक बहु–आयामी एवं बहु–विभागीय प्रक्रिया है। इसमें केवल जिला प्रशासन ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों, अर्द्ध–सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों, मीडिया, निजी क्षेत्र और आम नागरिकों की भी समान भूमिका होती है। इसलिए "जिला आपदा प्रबंधन योजना – डीडीएमपी" का मूल सिद्धांत है — **"आपदा प्रबंधन, सबकी जिम्मेदारी।"** जनपद उत्तरकाशी में जिला आपदा प्रबन्धन योजना को प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित

की गई हैं ताकि आपदा की प्रत्येक स्थिति में समन्वित एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। मुख्य हिलधारकों की सूची (Annexure 1) में उपलब्ध है।

हितधारकों के बीच समन्वय

- सभी विभागों के नोडल अधिकारी को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से आपात स्थिति में एकीकृत किया जाता है।
- आपदा प्रबन्धन परिचालन केन्द्र सभी संचार हेतु केन्द्र बिंदु होता है।
- तहसील एवं ब्लॉक स्तर तक आपदा की स्थिति में सक्रिय कंट्रोल रूम की स्थापित रहता है।
- ग्राम स्तर पर तैनात कार्मिकों, विभागीय आपदा मित्र और स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से समुदाय को तत्काल सूचना और सहायता मिलती है।

सामुदायिक भागीदारी

- ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति गठित की जाती है जिसमें प्रधान, ग्राम सचिव, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, शिक्षक एवं स्थानीय स्वयंसेवक शामिल रहते हैं।
- "आपदा मित्र योजना" के तहत प्रशिक्षित स्वयंसेवक आपदा के दौरान प्राथमिक सहायता और राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना एक गतिशील, क्रियाशील और बहुउद्देशीय दस्तावेज है जिसका उद्देश्य केवल दिशा–निर्देश देना नहीं बल्कि प्रशासनिक, विभागीय एवं सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों का व्यावहारिक संचालन सुनिश्चित करना है।
- यह योजना तीनों चरणों यथा पूर्व आपदा, आपदा के दौरान और आपदा के बाद में उपयोग की जाती है। प्रत्येक चरण में यह दस्तावेज विभागीय कार्यों, निर्णय प्रक्रियाओं, संसाधन प्रबंधन और समन्वय व्यवस्था के लिए आधारभूत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

योजना के उपयोग के प्रमुख उद्देश्य

- आपदा जोखिमों को कम करने हेतु पूर्व तैयारी और संरचनात्मक/गैर–संरचनात्मक उपायों का क्रियान्वयन।
- आपदा के दौरान प्रशासनिक, तकनीकी और सामुदायिक स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के बीच कमांड एंड कंट्रोल को स्पष्ट करना।
- राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों को एकीकृत नीति के अंतर्गत संचालित करना।
- सभी हितधारकों को उनकी भूमिकाओं, संसाधनों और उत्तरदायित्वों की जानकारी प्रदान करना।
- राज्य एवं राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन ढाँचा सुदृढ़ बनाना।

योजना का उपयोग – तीनों चरणों में

(क) आपदा पूर्व चरण – इस चरण का मुख्य उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण, तैयारी और जागरूकता है।

- **मुख्य उपयोग** – संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, संसाधन सूची और आपात सम्पर्क सूची का अद्यतन, प्रशिक्षण, सिमुलेशन एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल का आयोजन, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन गतिविधियों का संचालन तथा सूचना संचार एवं चेतावनी प्रणाली की जाँच और परीक्षण करना है।

(ख) आपदा के दौरान –इस चरण में योजना का उद्देश्य त्वरित प्रतिक्रिया और राहत संचालन है।

- **मुख्य उपयोग** – इंसीडेन्ट कमांड सिस्टम का का सक्रियण, विभागीय आपातकालीन सहायता कार्य की तैनाती, खोज, बचाव एवं राहत वितरण और चिकित्सा सहायता का प्रबंधन, संसाधनों का पुनर्वितरण और आवागमन नियंत्रण तथा जिला आपदा परिचालन केन्द्र के माध्यम से रीयल–टाइम सूचना प्रवाह और मीडिया प्रबंधन

(ग) आपदा के पश्चात् –इस चरण में योजना का उपयोग पुनर्निर्माण और पुनर्वास हेतु किया जाता है।

- **मुख्य उपयोग** – क्षति आकलन रिपोर्ट तैयार करना, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं को लागू करना, प्रभावित परिवारों को राहत वितरण और सहायता प्रदान करना, "Build Back Better" सिद्धांत के अनुसार अवसंरचना पुनर्स्थापन तथा आपदा से मिली सीख के आधार पर योजना का सुधार और अद्यतन करना है।

विभागीय स्तर पर योजना का उपयोग

तालिका 1.2

विभाग	योजना के उपयोग का स्वरूप
राजस्व विभाग	राहत सामग्री वितरण, क्षति आकलन, मुआवजा प्रदान करना।
स्वास्थ्य विभाग	आपात चिकित्सा सेवाएँ, एम्बुलेंस प्रबंधन, प्राथमिक उपचार।
पुलिस विभाग	कानून व्यवस्था नियंत्रण, यातायात प्रबंधन, खोज एवं बचाव।
पीडब्लुडी, जल संस्थान, विद्युत विभाग	संपर्क मार्गों, पेयजल एवं बिजली आपूर्ति की शीघ्र बहाली।
शिक्षा विभाग	स्कूलों में आपदा शिक्षा, मॉक ड्रिल एवं अस्थायी राहत शिविर संचालन।
महिला सशक्तिरकण एवं बाल विकास	महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों की देखरेख और पोषण सहायता।
वन एवं अग्नि शमन विभाग	जंगल की आग, भूस्खलन एवं वन क्षेत्रों में राहत कार्य।
स्वयं सेवी संस्थाएं, आपदा मित्र, सामुदायिक आधारित संगठन	सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, प्राथमिक राहत, और मानव संसाधन सहयोग।

सामुदायिक स्तर पर योजना का उपयोग

- ग्राम स्तर पर ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति के माध्यम से आपदा पूर्व तैयारी,
- प्रशिक्षण, संसाधन सूचीकरण और सूचना प्रवाह प्रणाली का संचालन।
- आपदा मित्र, स्वयंसेवी समूह, युवकध्महिला मंगल दल राहत और निकासी में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- स्थानीय नेतृत्व (प्रधान, वार्ड सदस्य) के माध्यम से प्रशासनिक सूचना का शीघ्र प्रसार।
- लोक चेतना कार्यक्रमों, ग्राम सभाओं और विद्यालयों के माध्यम से जन–जागरूकता गतिविधियाँ।

प्रशासनिक उपयोग

- जिला आपदा प्रबन्धन योजना सन्दर्भ दस्तावेज के रूप में प्रत्येक विभाग और अधिकारी के पास रखा जाता है।
- जिला आपदा परिचालन केन्द्र के माध्यम से संकट के समय "एक्शन कार्ड" के अनुसार त्वरित कार्यवाही होती है।
- प्रशिक्षण और समीक्षा बैठकों के दौरान क्क्ड्च को मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- सभी विभागीय योजनाएँ जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप क्रमबद्ध की जाती हैं।

पूर्व चैतावनी संकेत एवं बिना चेतावनी वाली घटनाएं

आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है – समय पर चेतावनी और त्वरित सूचना प्रसारण। जनपद उत्तरकाशी जैसे आपदा–संवेदनशील जिले में पूर्व चेतावनी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, कुछ आपदाएँ जैसे भूकंप, बादल फटना आदि बिना किसी पूर्व चेतावनी के घटित होती है, जिनसे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था विकसित की है।

(क) चेतावनी का प्रवाह तंत्र

तालिका 1.3

स्रोत / संस्था	**सूचना प्राप्तकर्ता**	**माध्यम / प्रणाली**
IMD (Indian Meteorological Department)	SDMA / SEOC	Email, SMS Gateway, WhatsApp Alert
CWC (Central Water Commission)	Irrigation Dept / DDMA	Flood Bulletin, River Gauge Alerts
SDMA / SEOC Dehradun	DDMA / DEOC Uttarkashi	State level Early Warning System
DDMA / DEOC	SDMs / Tehsildar / Line Departments	Phone, wireless, email & WhatsApp
Tehsil Control Room	Gram Pradhan/ VDMC / Local Volunteers	Public Address System] Mobile Group
Community Level	Citizen, local media	Announcement, Miking WhatsApp Broadcast, social media

(ख) प्राथमिक सूचना संचार केंद्र

- **जिला आपदा** परिचालन **केन्द्र, मुख्यालय– कलेक्ट्रेट, उत्तरकाशी।**
  दूरभाष संख्याः 01374–222722 / 222126 / हेल्प लाइन नं0 1077
  कार्यः सभी आपदा सूचनाओं का संकलन, सत्यापन एवं प्रसारण।

- **सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) / तहसील कंट्रोल रूम**
  स्थानीय चेतावनी प्राप्त कर ग्रामों में प्रसारित करते हैं।

- **वैकल्पिक संचार माध्यम**

वायरलेस सेट, हैम रेडियो, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट लाइन, बीएसएनएल नेटवर्क, व्हाट्सएप एवं ई–मेल।

- **सूचना प्रसारण प्रणाली**

  ✓ एनआईसी / जिला आपदा परिचालन केन्द्र के माध्यम से से एसएमएस प्रसारण प्रणाली।
  ✓ सार्वजनिक उद्घोषणा एवं लाउडस्पीकर नेटवर्क, पुलिस वायरलेस संचार प्रणाली, • व्हाट्सएप
  ✓ आपदा अलर्ट समूह तथा सोशल मीडिया सत्यापन चैनल्स (आपदा प्रबनधन परिचालन केन्द्र सोशल मीडिया पेज)।
  ✓ स्थानीय रेडियो स्टेशन एवं केबल नेटवर्क के माध्यम से जन–सूचना प्रसारण

- **चेतावनी प्रणाली के मुख्य घटक**
  ✓ **अनुश्रवण** – मौसम, नदी जलस्तर, भू–स्खलन क्षेत्रों की सतत निगरानी।
  ✓ **मूल्यांकन** – प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर संभावित जोखिम क्षेत्रों की पहचान।
  ✓ **प्रसारण** – त्वरित एवं सटीक सूचना का सभी विभागों एवं समुदायों तक प्रसारण।
  ✓ **कार्यवाही** – चेतावनी प्राप्त होते ही प्रतिक्रिया दलों (एसडीआरएफ / एनडीआरएफ / पुलिस / स्वास्थ्य) को सक्रिय करना।

बिना चेतावनी वाली आपदाएं

कुछ आपदाएँ ऐसी होती हैं जो बिना किसी पूर्व चेतावनी के घटित होती हैं, जैसे भूकंप, बादल फटना, हिमस्खलन, आग, सड़क दुर्घटना, भवन ढहना आदि। ऐसी स्थितियों में त्वरित कार्यवाही ही जनहानि को रोकने का एकमात्र उपाय है।

(ग) त्वरित कार्यवाही तंत्र

तालिका 1.4

क्र.सं.	कार्यवाही	उत्तरदायी संस्था
1	घटना की प्राथमिक सूचना प्राप्त होते ही तहसील प्रशासन द्वारा जिला आपदा परिचालन केन्द्र को सूचित किया जाता है।	SDM / Tehsildar
2	जिला आपदा परिचालन केन्द्र सूचना की पुष्टि कर जिलाधिकारी (इंसीडेंट कमांडर) को अवगत कराता है।	DEOC
3	संबंधित विभागों (एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्नि शमन, पीडब्लुडी आदि) को तात्कालिक सक्रिय किया जाता है।	DDMA
4	प्रभावित क्षेत्र में खोज, बचाव एवं राहत कार्य प्रारंभ किया जाता है।	SDRF / NDRF / Police
5	अस्थायी राहत शिविर, चिकित्सा एवं भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है।	Revenue / Health / ICDS
6	सूचना का सत्यापन कर मीडिया एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा नियंत्रित रूप से प्रचार किया जाता है।	DPRO / DEOC
7	उच्चाधिकारियों एवं राज्य आपदा परिचालन केन्द्र को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।	DM / DDMA

(घ) समीक्षा प्रक्रिया

- **डेटा संकलन**: सभी विभागों और एजेंसियों से आपदा संबंधित गतिविधियों, अनुभवों और संसाधन जानकारी का संकलन।
- **प्रारंभिक विश्लेषण**: जिला आपदा परिचालन केन्द्र द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर योजना के उन भागों की पहचान जो संशोधन योग्य हैं।
- **समीक्षा बैठक**: जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी, स्वयं सेवी संस्था, सामुदायिक आधारित संगठनों और विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।
- **संशोधन एवं अनुमोदन**: समीक्षा में प्राप्त सुझावों और निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। संशोधित संस्करण को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रेषित किया जाता है।
- **प्रकाशन एवं वितरण**: अनुमोदन के पश्चात् डीडीएमपी के नए संस्करण को डिजिटल एवं मुद्रित रूप में सभी हितधारकों को वितरित किया जाता है।

आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को अद्यतन रखने हेतु एक स्पष्ट अद्यतन प्रक्रिया निर्धारित किया गया है :

तालिका 1.5

घटक	अद्यतन अंतराल	उत्तरदायी विभाग
विभागीय संपर्क सूची	हर 3 माह में	DEOC
संसाधन सूची	हर 6 माह में	Line Departments
आपदा मित्र एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के आंकड़े डेटा	हर 6 माह में	DPRO / CDO
जिला आपदा परिचालन केन्द्र सूचना प्रणाली	वर्ष में एक बार	DDMA / NIC
जोखिम मानचित्र	प्रत्येक 2 वर्ष में	SDMA / DDMA
एसओपी एवं नीतियाँ	आवश्यकता अनुसार	Concerned Departments

(ड) समीक्षा में शामिल प्रमुख बिंदु

- जनपद की आपदा संवेदनशीलता (Hazard & Vulnerability Pattern)
- विभागीय तैयारियाँ एवं SOPs की प्रभावशीलता
- प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल की समीक्षा
- सूचना संचार प्रणाली की कार्यक्षमता
- सामुदायिक भागीदारी और आपदा मित्रों का प्रदर्शन
- वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रावधानों की उपयोगिता

(च) अद्यतन संस्करण का अभिलेखीकरण

- ✓ प्रत्येक अद्यतन संस्करण को Version Number एवं Date of Revision के साथ अंकित किया जाता है।
- ✓ पुराने संस्करण को Archive Section में सुरक्षित रखा जाता है।
- ✓ नई प्रति का वितरण सभी विभागों, पुलिस थानों, ब्लॉकों एवं ग्राम पंचायतों तक किया जाता है।
- ✓ इलेक्ट्रॉनिक प्रति DDMA Uttarkashi की वेबसाइट / क्लाउड सर्वर पर अपलोड की जाती है।

(छ) निगरानी एवं अनुपालन

- ✓ योजना की समीक्षा एवं अद्यतन प्रक्रिया की निगरानी CDO / ADM (Disaster Management) द्वारा की जाती है।
- ✓ सभी विभागों को प्रत्येक तिमाही अपनी तैयारी की रिपोर्ट DEOC को भेजनी होती है।
- ✓ अनुपालन न करने वाले विभागों को क्क्ड। की बैठक में नोटिस जारी किया जा सकता है।

संशोधन एवं रखरखाव–

आपदा प्रबंधन योजना का महत्व तभी है जब यह समयानुकूल, प्रासंगिक और क्रियान्वयन योग्य बनी रहे। इसलिए, जिला प्रशासन द्वारा DDMP का नियमित संशोधन (Revision) और संगठित रखरखाव (Maintenance) किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना में सम्मिलित सभी डेटा, संपर्क विवरण, विभागीय SOPs, संसाधन सूचियाँ और चेतावनी प्रणाली अद्यतन रहें।

उद्देश्य

- ✓ योजना को बदलती परिस्थितियों और नए जोखिमों के अनुसार अद्यतन रखना।
- ✓ विभागीय, तकनीकी और सामुदायिक संरचनाओं के अनुरूप संशोधन करना।
- ✓ आपदा उपरांत प्राप्त अनुभवों और सिफारिशों को योजना में सम्मिलित करना।
- ✓ DDMP की सुलभता (Accessibility) और उपयोगिता (Usability) को बढ़ाना।
- ✓ सभी विभागों और हितधारकों के लिए नवीनतम प्रति उपलब्ध कराना।

- **संशोधन की आवृति**

तालिका 1.6

क्र.स.	संशोधन का प्रकार	अवधि
1. नियमित संशोधन	प्रत्येक वर्ष	DDMA / DEOC
2. विशेष संशोधन	बडी आपदा, नीति परिवर्तन या संरचनात्मक बदलाव के पश्चात्	District Magistrate / DDMA
3. विभागीय संशोधन	प्रत्येक 6 माह में	Line Departments / Nodal Officers

- **संशोधन की प्रक्रिया**
  - ✓ **सूचना एकत्रण:** सभी विभागों से नवीनतम डेटा, संसाधन और संपर्क सूची प्राप्त की जाती है।
  - ✓ **विश्लेषण एवं समीक्षा:** DEOC द्वारा प्रस्तुत जानकारी का DDMA बैठक में परीक्षण किया जाता है।

- ✓ **संशोधन प्रारूप तैयार करना:** आवश्यक बदलावों को Draft Revision में सम्मिलित किया जाता है।
- ✓ **अनुमोदन :** संशोधित प्रति को DDMA द्वारा अनुमोदित कर SDMA को भेजा जाता है।
- ✓ **प्रकाशन एवं वितरण:** अंतिम रूप से अनुमोदित योजना सभी विभागों, संस्थाओं और ग्राम स्तर तक वितरित की जाती है।

- **योजना का भंडारण एवं अभिलेखीकरण**

  - ✓ योजना की मुद्रित प्रति (Printed Copy) जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), सभी तहसील कार्यालयों और प्रमुख विभागों में रखी जाती है।
  - ✓ डिजिटल प्रति DDMA Uttarkashi की वेबसाइट और NIC क्लाउड सर्वर पर सुरक्षित रखी जाती है।
  - ✓ प्रत्येक संशोधित प्रति पर संस्करण संख्या (Version No.), संशोधन तिथि (Date of Revision) और अधिकृत हस्ताक्षर अंकित किए जाते हैं।

- **रखरखाव के उत्तरदायित्व**

तालिका 1.7

सम्बन्धित विभाग	प्रमुख जिम्मेदारी
District Emergency Operation Centre (DEOC)	DDMP की मूल प्रति का रखरखाव, संशोधन रिकॉर्ड का अभिलेखन, एवं सभी विभागों को प्रति वितरण।
Line Departments	विभागीय स्तर पर योजना की प्रति सुरक्षित रखना और संशोधन रिपोर्ट DEOC को भेजना।
DDMA (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)	संपूर्ण योजना के रखरखाव और निगरानी की सर्वोच्च इकाई।
NIC / IT Cell	डिजिटल डेटा का बैकअप और वेबसाइट पर अपलोडिंग।

- **प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास**

  हर संशोधन के बाद संबंधित अधिकारियों, विभागीय प्रतिनिधियों और आपदा मित्रों को योजना के नए संस्करण की जानकारी दी जाती है। DEOC द्वारा Orientation Workshop / Refresher Training आयोजित की जाती है ताकि सभी हितधारक अद्यतन प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

- **दस्तावेज नियंत्रण**

तालिका 1.8

घटक	विवरण
Version Number	नवीनतम अद्यतन संस्करण संख्या अंकित होगी (जैसे DDMP/UK/2025/V1)
Date of Issue	प्रकाशन तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज होगी
Approved By	जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, DDMA
Prepared By	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO)
Reviewed By	(Chief Development Officer / ADM)Disaster Management)
Distributed To	सभी विभाग, ब्लॉक, तहसील एवं पंचायतें

- **निगरानी और अनुपालन**

✓ DDMA प्रत्येक वर्ष Maintenance Audit करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विभागों में योजना की प्रति उपलब्ध और अद्यतन है।

✓ किसी विभाग में पुराना संस्करण पाए जाने पर DEOC द्वारा Update Advisory Notice जारी किया जाता है।

✓ सभी संशोधित और रखरखाव अभिलेखों को District Control Room Logbook में दर्ज किया जाता है।

1.3. आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य–

आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य– 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 3,30,086 है। जिसमें 3,05,781 ग्रामीण क्षेत्रों व 24,305 शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या में पुरूष जनसंख्या 1,68,597 व महिलाओं की जनसंख्या 1,61,489 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 80,567 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 3,512 है। जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 72.28 है। जनपद में प्रति वर्ग किमी0 जनसंख्या धनत्व 41. 17 है एवं स्त्री एवं पुरूष अनुपात 958:1000 है तथा साक्षरता दर 75.81 प्रतिशत है। वर्ष 2001–2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 12.38 प्रतिशत है। जनपद में कुल जनसंख्या के लगभग 4.5 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत एवं लगभग 16 प्रतिशत निजि व्यवसाय एवं मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं। जनपद में पशुपालन के अर्न्तगत मुख्य रूप से भेड़ पालन द्वारा ऊन प्राप्त कर कालीन बनाने का व्यवसाय किया जाता है। कृषि एवं उद्यान के अतिरिक्त जनपद में कालीन उत्पादक इकाईयां भी हैं।

कृषि एवं फसल चक्र– जनपद में कुल 46,635 है० क्षेत्रफल में कृषि की जाती हैं। इसके अतिरिक्त 7,531 है० क्षेत्रफल में बाग है। जो कि जनपद के क्षेत्रफल का लगभग 3.5 प्रतिशत है। जनपद की फसल सघनता लगभग 158 है। समस्त जोतों में लधु एवं सीमान्त कृषकों की जोत 84.2 प्रतिशत है। जनपद में जोतो का औसत आकार 0.6 हे० है। रवी की फसल के दौरान जनपद की मुख्य फसलें गेंहू,

सरसों, मसूर, एवं मटर हैं जबकि खरीफ फसल में धान, मंडवा सांवा आलू, उड़द, मक्का एवं सोयाबीन है। जनपद में नकदी फसलों के रूप में आलू, चौलाई तथा बेमौसमी फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है।

विद्युत उत्पादन– जनपद में प्रमुखतः भागीरथी नदी पर बाधं बनाकर मनेरी भाली प्रथम परियोजना तिलोथ विद्युत उत्पादन गृह को संचालित किया जाता है। परियोजना से 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मनेरी भाली द्वितीय चरण का जलाशय जोशियाड़ा में तथा विद्युत गृह जलाशाय से लगभग 35 कि0मी0 दूर धरासू में स्थित है, उक्त विद्युत गृह से 304 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त गंगोत्री धाम में विघुत व्यवस्था हेतु रूद्रगैरा/केदार गंगा लघु जल विघुत परियोजना संचालित है तथा हर्षिल, जानकीचट्टी, इस्तगाड तालुका, खापूकाड, चिलूडगाड लघु विघुत परियोजना संचालित है।

उद्योग– जनपद का प्रमुख उद्योग पशुपालन है। विशेषतः भेड़ पालन के द्वारा ऊन प्राप्त करके कालीन, ऊनी कपड़े आदि बनाये जाते हैं। जनपद में किसी प्रकार का लघु अथवा भारी उद्योग शून्य है। जनपद में पर्यटन व्यवसाय के माध्यम होम स्टे तथा होटलों के संचालन से आय सृजित होती हैं।

1.4. 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक/ आर्थिक विवरण–

आर्थिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक परिदृश्य– 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 3,30,086 है। जिसमें 3,05,781 ग्रामीण क्षेत्रों व 24,305 शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कुल जनसंख्या में पुरूष जनसंख्या 1,68,597 व महिलाओं की जनसंख्या 1,61,489 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 80,567 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 3,512 है। जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 72.28 है। जनपद में प्रति वर्ग किमी0 जनसंख्या धनत्व 41. 17 है एवं स्त्री एवं पुरूष अनुपात 958:1000 है तथा साक्षरता दर 75.81 प्रतिशत है। वर्ष 2001–2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 12.38 प्रतिशत है। जनपद में कुल जनसंख्या के लगभग 4.5 प्रतिशत लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत एवं लगभग 16 प्रतिशत निजि व्यवसाय एवं मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं। जनपद में पशुपालन के अर्न्तगत मुख्य रूप से भेड़ पालन द्वारा ऊन प्राप्त कर कालीन बनाने का व्यवसाय किया जाता है। कृषि एवं उद्यान के अतिरिक्त जनपद में कालीन उत्पादक इकाईयां भी हैं।

- **जनसांख्यिकी व सामाजिक–आर्थिक विवरण (2011)**

तालिका 1.9

1	जनपद उत्तरकाशी के सृजन की तिथि	24 फरवरी, 1960
2	क्षेत्रफल	8016 वर्ग किमी0
3	जनसंख्या (2011 की गणना के अनुसार)	3,30,086
4	महिलाएं	1,61,489
5	पुरूष	1,68,597
6	अनुसूचित जाति	80,567
7	अनुसूजित जन जाति	3,512
8	ग्रामीण जनसंख्या	3,05,781
9	शहरी जनसंख्या	56,575
10	स्त्री–पुरूष अनुपात	958:1000
11	जनसंख्या घनत्व	41.17 प्रति वर्ग किमी.
12	जनपद में सारक्षता	75.81 प्रतिशत
13	पुरूष सारक्षता	88.79 प्रतिशत
14	महिला सारक्षता	62.35 प्रतिशत
15	राजस्व ग्रामों की संख्या	(कुल ग्राम –707, राजस्व ग्राम –695, गैर आबाद ग्राम–5, आबाद ग्राम– 690
16	ग्राम पंचायतों की संख्या	508
17	न्याय पंचायतों की संख्या	36
18	विकास खण्ड	06 (भटवाड़ी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, नौगांव, पुरोला, मोरी)
19	क्षेत्र पंचायतों सदस्यों की संख्या	206
20	जिला पंचायतों सदस्यों की संख्या	25
21	परगने	04 (भटवाड़ी, डुण्डा, बडकोट, पुरोला)
22	तहसील / उप तहसील	(भटवाड़ी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, पुरोला, मोरी / उप तहसील जोशियाड़ा एवं धौन्तरी)
23	कानूनगो क्षेत्र	15
24	पटवारी क्षेत्र	96
25	नगरपालिका परिषद्	03
26	नगर पंचायत	03
27	पुलिस स्टेशन	07
28	पुलिस चौकियां	11
29	डाकघर	(1 मुख्य डाकघर, 12 उप डाकघर, 117 शाखा डाकघर)

1.5. जलवायु एवं वर्षा

अधिकतर प्रत्येक मौसम में वर्षा होती है, विगत 10 वर्षो में 595 मीमी० औसत वर्षा अभिलेख की गयी है। निम्नतम तापमान 3 डि०से० एवं अधिकतम 32 डि०से० औसत आंका गया है। कभी–कभी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक वर्षा एवं बादल फटने के कारण अचानक जलवृष्टि से भूस्खलन और नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाने से फसलें एवं कृषि भूमि प्रभावित हो जाती है।

भौतिक स्वरूप, नदियां एवं भू–उपयोगिता– जनपद में प्रवाहित प्रमुख नदियां भागीरथी, यमुना एवं टोन्स है। इसके अतिरिक्त अस्सी गंगा, जाडगंगा, वरूणनदी, इन्द्रावती, बडियार गाड़, बनाल गाड, कमल नदी रूपिन–सुपिन, जलकुर गाड़ एवं पातर नदी, हनुमान गंगा सहायक नदियां है। इन नदियों से जहां एक ओर जनपद की सम्पन्नता में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर वर्षा काल में नदियों के जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनपद में मैदानी क्षेत्रों की भांति जल प्लावन की स्थिति नहीं होती हैं किन्तु वर्षा काल में अतिवृष्टि/बादल फटने के कारण भू–स्खलन के साथ पर्वतीय क्षेत्रों की ढालदार जमीन से पानी एवं मिट्टी नदियों में गिरने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़नें एवं भू–स्खलन से पुल एवं मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। वर्ष 2012 एवं 2013 की मानसून अवधि में भारी वर्षा एवं अतिवृष्टि से तहसील भटवाडी में भागीरथी तथा उसकी सहायक नदियॉ यथा इन्द्रावती, अस्सीगंगा, पिलंगगाड, धरालीगाड व जाडगंगा में पानी के साथ–साथ भारी मात्रा में अत्यधिक मलवा/पत्थर आने से नदियों का तल सामान्य से 3–4 मीटर ऊपर उठ गया जिस कारण भागीरथी का प्रवाह कई बार परिवर्तित हो कर नदी क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न आबादी क्षेत्रों एवं उत्तरकाशी मुख्य शहर की ओर कटाव होने से नदी का जल तटबंध, भवन, दुकनों में कटाव एवं नदी तल के बढने से विभिन्न क्षेत्रों में जल रिसाव हुआ।

- **विश्लेषणात्मक टिप्पणी**
  - ✓ वर्षा की अनियमितता और तीव्रता में बढ़ोतरी जलवायु परिवर्तन का संकेत देती है।
  - ✓ भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएँ स्थानीय भूगोल, ढलान, एवं अनियंत्रित निर्माण कार्यों से भी जुड़ी हैं।
  - ✓ DDMA द्वारा जलवायु निगरानी (Climate Monitoring) हेतु IMD, Irrigation Department और SDRF के सहयोग से डेटा संकलन तंत्र सुदृढ़ किया गया है।
  - ✓ आपदा तैयारी योजनाओं में अब Rainfall Early Warning Indicators को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

1.6. भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति–

जनपद उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य के उत्तर–पश्चिमी भाग में स्थित है। यह जनपद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होने के कारण प्राकृतिक विविधता और भौगोलिक जटिलता से युक्त है। जनपद का मुख्यालय उत्तरकाशी नगर है, जो भागीरथी नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 1,158 मीटर की ऊँचाई पर अवस्थित है।

- **भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति**

तालिका 1.10

भौगोलिक तत्व	**विवरण**
अक्षांशीय विस्तार (Latitude)	30° 27' N से 31° 28' E
देशांतर विस्तार (Longitude)	77° 49' E से 79° 24' E
औसत ऊँचाई (Altitude)	600 मीटर से 6,000 मीटर तक
क्षेत्रफल (Area)	लगभग 8,016 वर्ग कि.मी.
सीमाएँ	उत्तर – तिब्बत (चीन) दक्षिण – टिहरी गढ़वाल पूर्व – चमोली पश्चिम – देहरादून

- **स्थलाकृति –**

जनपद उत्तरकाशी की स्थलाकृति पूर्णतः पर्वतीय है, जिसमें ऊँचे–ऊँचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, हिमाच्छादित चोटियाँ, और विस्तृत नदी तंत्र विद्यमान हैं। जनपद को स्थलाकृतिक रूप से तीन भागों में बाँटा जा सकता है —

- **स्थलाकृति क्षेत्रो का विवरण**

तालिका 1.11

क्षेत्र	**ऊँचाई सीमा**	**मुख्य विशेषताएँ**
उच्च हिमालयी क्षेत्र	3,000 – 6,000 मीटर	स्थायी हिमरेखाएँ, ग्लेशियर (गंगोत्री, केदारनाथ), नेलांग, जाड़ूंग घाटियाँ, सीमांत क्षेत्र
मध्य हिमालयी क्षेत्र	1,500 – 3,000 मीटर	गढ़वाल की प्रमुख घाटियाँ, कृषि भूमि, मानव बस्तियाँ, वनाच्छादित क्षेत्र
निम्न पर्वतीय क्षेत्र	600–1,500 मीटर	चिन्यालीसौड़, भटवाड़ी, बड़कोट जैसे क्षेत्र, जहाँ नदी घाटियाँ और कृषि प्रमुख हैं

- **पर्वत श्रृंखलाएँ एवं चोटियाँ**

जनपद उत्तरकाशी में हिमालय की अनेक प्रसिद्ध पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, जैसे–

✓ गंगोत्री पर्वत श्रृंखला गंगोत्री ग्लेशियर एवं भागीरथी की उत्पत्ति स्थल।
✓ जादूंग एवं नेलांग घाटियाँ – उच्च पर्वतीय सीमा क्षेत्र।
✓ बंदरपूँछ (6,316 मी0), शिवलिंग (6,543 मी.), थलाय सागर, सत्युग्रह पर्वत — प्रमुख चोटियाँ।इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊँचाई और ढलान विविध होने से यहाँ भूस्खलन एवं हिमस्खलन का खतरा अधिक रहता है।

- **नदी तंत्र**

जनपद की जीवन रेखा भागीरथी नदी है, जिसका उद्‌गम गंगोत्री ग्लेशियर (गौमुख) से होता है।

अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ हैं —

- ✓ अस्सी गंगा (उद्‌गम– उकालपाखी),
- ✓ धर्मगंगा (जाड़ गंगा),
- ✓ जाडगंगा
- ✓ यमुना नदी का प्रारंभिक प्रवाह क्षेत्र (बड़कोट क्षेत्र में)

ये नदियाँ जनपद की कृषि, सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन की मुख्य स्रोत हैं। किन्तु वर्षा ऋतु में यही नदियाँ बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन जाती हैं।

- **भूमि उपयोग**

तालिका 1.12

भूमि श्रेणी	**अनुमानित प्रतिशत**	**विवरण**
वन क्षेत्र	लगभग 65	घने वन, रिजर्व व संरक्षित वन क्षेत्र
कृषि भूमि	लगभग 15	घाटियों व मध्यम ढालों पर
चारागाह एवं बंजर भूमि	लगभग 10	ऊँचाई वाले क्षेत्रों में
निर्मित क्षेत्र	लगभग 5	नगर एवं कस्बों के आसपास
अन्य क्षेत्र	लगभग 5	स्थायी हिमरेखाएँ और ग्लेशियर

- **स्थलाकृति एवं आपदा संवेदनशीलता**

तालिका 1.13

स्थलाकृतिक तत्व	**संभावित आपदा जोखिम**
तीव्र ढाल वाले क्षेत्र	भूस्खलन, मलबा प्रवाह
नदी घाटियाँ	बाढ़, कटाव, बादल फटना
हिमनाद क्षेत्र	हिमस्खलन, GLOF
वनों के समीप ढाल	वनाग्नि, मिट्टी क्षरण
बसावट क्षेत्र	सड़क क्षति, भवन धंसान
स्थलाकृतिक तत्व	संभावित आपदा जोखिम
तीव्र ढाल वाले क्षेत्र	भूस्खलन, मलबा प्रवाह

- **जनपद उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति एवं स्थलाकृति अत्यंत जटिल, विविधतापूर्ण और संवेदनशील है।**

उच्च पर्वत, गहरी घाटियाँ, हिमनदों की उपस्थिति और तीव्र ढलानों के कारण यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाला है।

1.7. प्राकृतिक संसाधन एवं वन संपदा–

जनपद उत्तरकाशी प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। यहाँ के विस्तृत वन क्षेत्र, पर्वतीय जलधाराएँ, औषधीय पौधों से भरे बुग्याल, और हिमनद न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि स्थानीय जीवन, कृषि, पशुपालन और पर्यटन के लिए आधारशिला हैं। इन संसाधनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय दृष्टि से नहीं, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण (क्पेंजमत त्पेा त्मकनबजपवद द्द क्त्त्) के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।

वन विभाग जनपद की वन संपदा के प्रबंधन, संरक्षण, पुनरुत्पादन एवं आपदा नियंत्रण में प्रमुख भूमिका निभाता है। आपदा के दौरान वन विभाग का योगदान वनाग्नि नियंत्रण, सड़क एवं मार्गों की सफाई, तथा राहत दलों के संचालन में भी महत्वपूर्ण है।

- ✓ **जल–स्रोत संरक्षण**: वन मिट्टी को बाँधकर वर्षा जल को भूगर्भ में संचित करते हैं।
- ✓ **भू–स्खलन नियंत्रण**: पेड़ों की जड़ें भूमि को स्थिर रखकर मलबा बहाव रोकती हैं।
- ✓ **जैव विविधता का संरक्षण**: दुर्लभ वनस्पति एवं जीव–जंतुओं के आवास का कार्य।
- ✓ **जलवायु संतुलन**: ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन अवशोषण द्वारा पर्यावरणीय संतुलन।
- ✓ **आजीविका स्रोत**: ग्रामीण जनता के लिए लकड़ी, चारा, ईंधन, जड़ी–बूटी और मधुमक्खी पालन का प्रमुख स्रोत।

- **वनों का विवरण**

तालिका 1.14

वन प्रकार	प्रमुख क्षेत्र	मुख्य वनस्पति
उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन	भटवाड़ी, चिन्यालीसौड़ क्षेत्र	साल, शीशम, पाईन
समशीतोष्ण वन	नौगाँव, बड़कोट, डुंडा	देवदार, बाँज, बुरांश, तुन
उच्च हिमालयी वन	हर्षिल, गंगोत्री, जाड़ूंग	बुग्याल, जड़ी–बूटियाँ, बर्च
झाड़ीदार वन	ऊँचाई वाले शुष्क क्षेत्र	जुनिपर, हिमालयी विलो
वन प्रकार	प्रमुख क्षेत्र	मुख्य वनस्पति
उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन	भटवाड़ी, चिन्यालीसौड़ क्षेत्र	साल, शीशम, पाईन

- ✓ **देवदार–** निर्माण, फर्नीचर और औषधीय उपयोग।
- ✓ **चिर –** रेजिन, ईंधन एवं कागज उद्योग के लिए।
- ✓ **औषधीय पौधे –**जड़ी–बूटियाँ जैसे अतीस, कुटकी, जतामांसी, कर्पूरकाचरी, सालम पनजा आदि।
- ✓ **बुग्याल–** ग्रीष्मकालीन चारागाह, पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

जनपद में जैव विविधता की असाधारण संपदा है –यहाँ अनेक दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे:

- ✓ **पशु**: हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला भालू, घुरल, मोनाल।
- ✓ **पक्षी**: हिमालयन मोनाल (राज्य पक्षी), काला सारस, नीली चिड़िया।
- ✓ वनस्पतियाँरू बुरांश, देवदार, चीर, बांज, औषधीय घासें।

1.8. खनिज संसाधन–

जनपद उत्तरकाशी मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ की भौगोलिक संरचना ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, शेल, स्लेट, और चूना पत्थर जैसी चट्टानों से निर्मित है। यद्यपि यह क्षेत्र औद्योगिक खनिज उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध नहीं है, किन्तु स्थानीय निर्माण, सड़क निर्माण, और भवन सामग्री के रूप में उपयोग होने वाले छोटे खनिज (Minor Minerals) यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।

- **प्रमुख खनिज संसाधन**

तालिका 1.15

क्र.स.	खनिज का नाम	प्रमुख क्षेत्रध्स्थान	उपयोग
1	चूना पत्थर	भटवाड़ी, डुंडा, नौगाँव क्षेत्र	निर्माण, सीमेंट और कृषि हेतु
2	शेल	चिन्यालीसौड़ व आसपास की घाटियाँ	सड़क निर्माण, ईंट निर्माण
3	क्वार्ट्ज	भिलंगना घाटी व बड़कोट क्षेत्र	पत्थर, कांच और सजावटी वस्तुएँ
4	स्लेट	नौगाँव, पुरोला क्षेत्र	छत निर्माण, फर्श एवं शिल्प कार्य
5	रेत, बजरी, पत्थर	भागीरथी, असी गंगा के तटवर्ती क्षेत्र	भवन निर्माण, सड़क कार्य, पुल निर्माण
6	ग्नाइस एवं ग्रेनाइट	ऊँचाई वाले क्षेत्र (डुंडा ब्लॉक)	सिविल कार्य, सजावटी पत्थर

- ✓ स्थानीय निर्माण कार्यों (सड़क, भवन, पुल आदि) में प्रमुख उपयोग।
- ✓ पेयजल और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु सामग्री की आपूर्ति।
- ✓ सीमित मात्रा में सजावटी पत्थर (क्मबवतंजपअम ैजवदम) के रूप में उपयोग।
- ✓ ग्रामीण स्तर पर रेत–बजरी खनन से आजीविका में सहयोग।

खनिज संपदा के दोहन और पर्यावरणीय संतुलन के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु जनपद में खनन कार्य खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और उत्तराखंड खनिज नीति के अंतर्गत नियंत्रित किए जाते हैं।

- **जोखिमों का विवरण**

तालिका 1.6

जोखिम	विवरण
भूस्खलन (स्ंदकेसपकम)	ढालों पर अत्यधिक खुदाई से भूमि अस्थिर हो जाती है।
नदी कटाव	रेत–बजरी निकासी से नदी के प्रवाह में परिवर्तन।
जल–प्रदूषण	खनन से उत्पन्न गाद नदी जल गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
सड़क क्षति/ ट्रैफिक दुर्घटनाएँ	अवैध खनन वाहन संचालन से जोखिम।

- ✓ नदी आधारित खनन केवल वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए।
- ✓ नदी आधारित खनन केवल वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए।
- ✓ खनन क्षेत्र के लिए सीमांकन और ई–ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई है।
- ✓ खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय अनुमति अनिवार्य है।
- ✓ खनन क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं।
- ✓ पुनर्वनीकरण एवं भूमि पुनर्स्थापन कार्य नियमित रूप से कराए जा रहे हैं।
- ✓ अवैध खनन की स्थिति में द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है।

- **खनन कार्यों का संचालन निम्नलिखित नीतियों एवं अधिनियमों के तहत किया जाता है —**

- ✓ Mines and Minerals (Development and Regulation) Act] 1957
- ✓ Mineral Concession Rules, 1960
- ✓ Environment (Protection) Act, 1986
- ✓ Uttarakhand Minor Mineral Concession Rules, 2021
- ✓ District Survey Report (DSR) के आधार पर अनुमति और निगरानी।
- ✓ खनन से जुड़े डेटा का DDMA द्वारा उपयोग किया जाता है।
- ✓ नदी तल की गहराई और प्रवाह दिशा की निगरानी हेतु
- ✓ भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान हेतु
- ✓ सड़क एवं पुल निर्माण में सामग्री उपलब्धता निर्धारण हेतु
- ✓ अवैध खनन से उत्पन्न संभावित आपदा जोखिम की रोकथाम हेतु।

जनपद उत्तरकाशी में खनिज संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, परंतु इनका वैज्ञानिक और नियंत्रित दोहन स्थानीय विकास एवं आपदा प्रबंधन दोनों के लिए आवश्यक है। अवैध और अति–खनन से न केवल पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित होता है बल्कि यह आपदा जोखिमों को भी बढ़ाता है

1.9. भूमि उपयोग एवं भूमि वर्गीकरण–

तहसीलवार अद्यावधिक र–57 के आंकड़े व अन्य विवरण ।																
क0 सं0	तहसील	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	गैर आबाद ग्रामों की संख्या	आबाद ग्रामों की संख्या	ग्राम का भौगौलिक क्षेत्रफल	राजस्व अभिलेखों मे दर्ज		क्षेत्र जिन पर पानी की बाढ़ का प्रभाव होता है	क्षेत्र जिनमें कृषि अनिश्चित हों	राजस्व ग्राम का अद्यावधिक पूर्ण कृषिमय/कुल कृषित क्षेत्रफल			वर्तमान में कुल खसरा नम्बर	खतौनी खातों की संख्या		अनुमानित कृषिमय क्षेत्रफल
						सिविल सोयम वन	अन्य वन			सिंचित क्षेत्रफल	असिंचित क्षेत्रफल	योग		भाग–1	भाग–2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	भटवाड़ी	50	2	48	9989.847	718.206	0.000	264.688	6406.593	51.785	2548.575	2600.360	173793	4515	181	2600
2	जोशियाड़ा	54	0	54	5396.205	2786.695	0.000	208.300	659.879	437.656	1303.675	1741.331	148445	7148	176	1741
3	डुण्डा	104	2	102	9377.237	545.218	232.565	184.984	4219.462	841.284	3353.724	4195.008	284744	9237	38	4195
4	धौन्तरी	26	0	26	2396.636	192.060	43.045	36.835	1049.367	409.857	665.472	1075.329	91006	2981	42	1075
5	मोरी	69	0	69	10899.040	357.119	0.000	286.527	7036.449	378.446	2840.499	3218.945	146224	3032	1	3219
6	सांकरी	23	0	23	7348.256	177.233	0.000	85.014	4924.015	53.000	2108.994	2161.994	82337	1819	0	2162
7	पुरोला	81	0	81	8475.877	411.353	0.000	100.955	4326.968	1053.433	2583.168	3636.601	195633	8009	110	3637
8	बर्नीगाड़	65	0	65	11248.935	0.000	478.107	176.195	6351.818	329.457	3913.358	4242.815	190645	3618	44	4243
9	बड़कोट	118	0	118	13785.838	0.000	374.672	400.881	6225.186	416.993	6368.106	6785.099	387853	9627	883	6785
10	चिन्यालीसौड़	105	1	104	12564.731	630.089	53.790	324.082	6428.101	745.834	4382.835	5128.669	346699	8085	123	5129
जनपद उत्तरकाशी कुल योग–		**695**	**5**	**690**	**91482.602**	**5817.973**	**1182.179**	**2068.461**	**47627.838**	**4717.745**	**30068.406**	**34786.151**	**2047379**	**58071**	**1598**	**34786**

नोट– जनपद में कुल 06 तहसील, 02 उप तहसील एवं 06 विकास खण्डों में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या–695, गैर आबाद ग्रामों की संख्या–5, आबाद ग्रामों की संख्या–690, निरीक्षक क्षेत्र 15, कुल राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र 96 तथा कुल 36 न्याय पंचायतें

2.1. खतरों, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम आकलन

जनपद प्रोफाईल–उत्तरकाशी एक सीमान्त जनपद है, यह जनपद हिमालय क्षेत्र के सर्वाधिक संवेदनशील भूकम्पीय जोन के अर्न्तगत है। इस जनपद से होकर प्रमुख केन्द्रीय आधात (मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट) व प्रमुख सीमावर्ती आधात (मेन बाउंड्री थ्रस्ट) होकर गुजरती हैं। वर्ष 1991 में जनपद की तहसील भटवाडी अर्न्तगत ग्राम अगोड़ा में भूकम्प का केन्द्र बिन्दु था। इससे जन–धन की व्यापक हानि हुयी थी, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4 थी। जनपद उत्तरकाशी सिसमिक जोन 4 एवं 5 के अर्न्तगत है, इसके अतिरिक्त जनपद में वर्ष 1978, 1998 एवं 2012 व 2013 में बाढ से क्षति हुयी थी। वर्ष 2003 में मोरी विकास खण्ड के अर्न्तगत खूनीगाड़ में आयी बाढ़ व फफराला नामक स्थान पर भीषण भूस्खलन हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2003 में उत्तरकाशी मुख्यालय की उत्तर दिशा की ओर स्थित वरूणावत पर्वत भूस्खलन से उत्तरकाशी मुख्यालय पर शासकीय एवं निजि सम्पतियों की बड़े पैमाने पर क्षति हुई। वर्ष 2004 में यमुनोत्री धाम में कलिन्दी पर्वत व गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी नामक स्थान के भूस्खलनों से जन–धन की क्षति हुई। वर्ष 2019 में मोरी तहसील के आराकोट, माकुडी, टिकोची, मोण्डा, दुचाणु, झोटाडी, गोकुल, चिवां, डगोली, बरनाली, किराणु, सनैल, आदि ग्रामों में अतिवृष्टि/बाढ़ से व्यापक हानि हुयी। वर्ष 2022 में द्रौपदी का ड़ाण्डा में पर्वतारोहण दल के 29 सदस्य बर्फ कि बाढ़ (।अंसंदबीम) आने के कारण मारे गये। वर्ष 2025 में विकासखण्ड भटवाड़ी अन्तर्गत बादल फटने के कारण धराली एवं हर्षिल में 04 लोगों की मृत्यु एवं 52 लोग लापता हुये है इसके अतिरिक्त धराली एवं हर्षिल क्षेत्र में आवासीय एवं व्यवसायिक भवन पूर्ण से क्षतिग्रस्त हुये है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे पुल एवं सडकों को भारी नुकसान हुया है। इसी प्रकार विकास खण्ड मोरी एंव विकास खण्ड भटवाड़ी में वज्रपात के कारण सैकड़ों मवेशी व कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पडी। आगे भी उन आपदाओं की सम्भावना असन्न है। अतः जनपद में इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जा रही है जिसे विशेष रूप से सम्भावित आपदाओं के प्रभावों का न्यूनीकरण किया जा सके। अन्य सभी मानचित्र (Annexure 2) में उपलब्ध है।

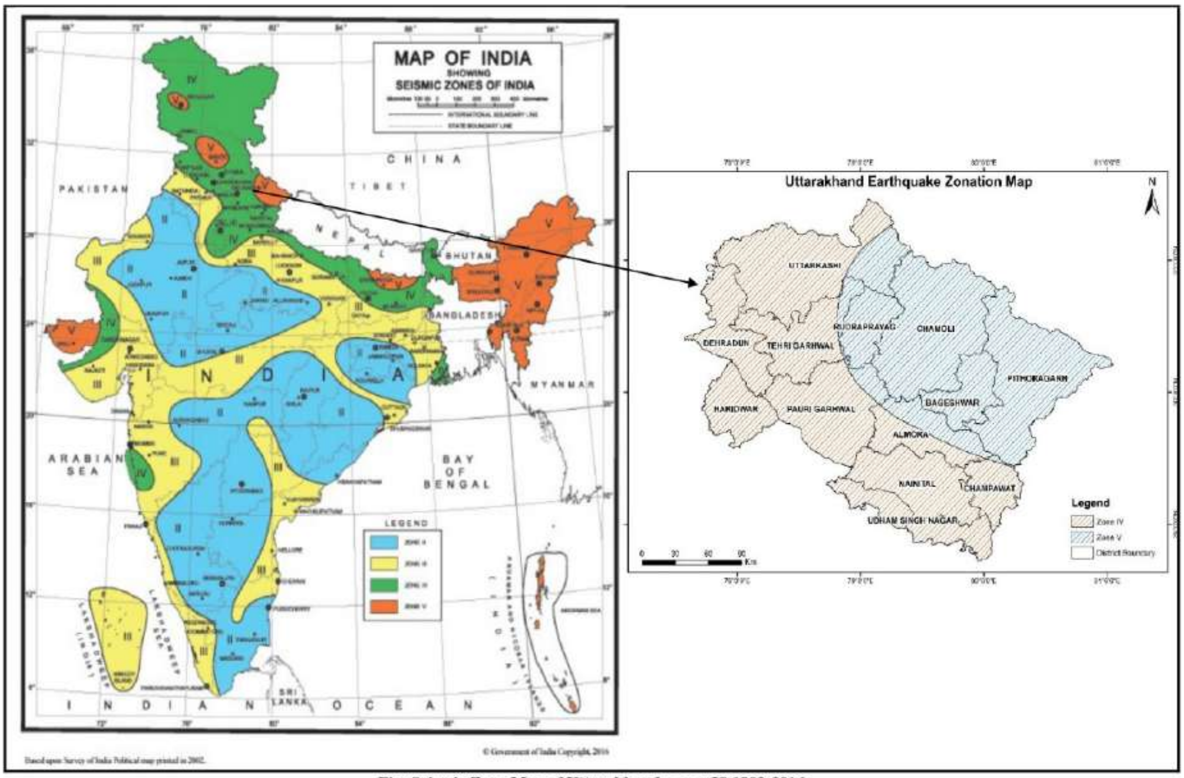

Fig: Seismic Zone Map of Uttarakhand as per IS 1893:2016

2.2. जनपद की भौगौलिक स्थिति एंव जलवायु

यह अनुभाग जनपद उत्तरकाशी की स्थलाकृति (Physiography) एवं जलवायु (Climate) का समग्र विवरण प्रस्तुत करता है। जनपद की ऊँचाई, ढलान, जल प्रवाह और जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की आपदा संभावनाओं पर पड़ता है, इसलिए यह अध्याय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (क्त्त्) की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनपद उत्तरकाशी हिमालय पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है, जहाँ स्थलाकृति अत्यंत विविध और जटिल है। यहाँ की ऊँचाई 600 मीटर से लेकर 6,000 मीटर तक परिवर्तित होती है। यह भौगोलिक विविधता जलवायु, वनस्पति, कृषि और मानव बसावट के स्वरूप को प्रभावित करती है।

- **मुख्य स्थलाकृतिक क्षेत्र**

तालिका 2.1

क्षेत्र	ऊँचाई सीमा (मीटर में)	मुख्य विशेषताएँ	संभावित आपदा जोखिम
उच्च हिमालयी क्षेत्र	3,000 – 6,000	स्थायी हिमरेखाएँ, ग्लेशियर, नेलांग, जादूंग घाटियाँ	हिमस्खलन (Avalanche), GLOF
मध्य हिमालयी क्षेत्र	1,500 – 3,000	वनाच्छादित क्षेत्र, बुग्याल, कृषि भूमि	भूस्खलन, मलबा प्रवाह
निम्न पर्वतीय क्षेत्र	600 – 1,500	घाटियाँ, कस्बे, सड़क नेटवर्क	त्वारित बाढ, सड़क क्षति

- **जलवायु / भौगोलिक तत्व**

तालिका 2.2

जलवायु / भौगोलिक तत्व	संभावित आपदा	विवरण
असमान वर्षा एवं तीव्र ढालें	भूस्खलन, मलबा प्रवाह	मानसून में बार–बार
बादल फटना	फ्लैश फ्लड, बाढ़	गंगोत्री, अस्सी गंगा, भटवाड़ी क्षेत्र
हिमवर्षा एवं हिमनद	हिमस्खलन, GLOF	उच्च पर्वतीय क्षेत्र
शुष्क ऋतु	वनाग्नि	दक्षिणी ढालों पर सामान्य
तापमान में उतार–चढ़ाव	कृषि हानि	फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव

- **IMD, Irrigation Department के सहयोग से Automatic Weather Stations (AWS) और Rain Gauge Network सक्रिय हैं।**
  - ✓ वर्षा आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है।
  - ✓ भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों का GIS Mapping किया गया है।
  - ✓ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल सामुदायिक अनुकूलन पर कार्य प्रगति पर है।
  - ✓ ऊँचाई एवं भौगोलिक विविधता उत्तरकाशी को बनाती है।
  - ✓ हाल के वर्षों में वर्षा पैटर्न में असमानता बढ़ी है।
  - ✓ स्थानीय जलवायु परिवर्तन संकेतक — जैसे तापमान वृद्धि, वर्षा की आवृत्ति में कमी, और हिमस्खलन घटनाओं में वृद्धि — दर्ज किए गए हैं।
  - ✓ जलवायु अनुकूलन योजनाओं में Eco, Restoration, Catchment Treatment, और Forest Fire Prevention को प्राथमिकता दी गई है।

2.3. जनपद में विभिन्न सम्भावित आपदाओं हेतु वार्षिक कैलेंडर

घटना / आपदा	सम्भावित माह											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
भूकंप												
वर्षा / भू–स्खलन												
वनाग्नि												
अग्निकाड												
बर्फवारी												
तूफान												
ओलावृष्टि												
वज्रपात												

2.4. जनपद में पिछली आपदाओं का मैट्रिक्स

उत्तरकाशी जनपद कई प्रकार के खतरों की से घिरा रहता है इसलिए इनसे निपटने का दृष्टिकोण बहुआयामी होना आवश्यक है। यह जनपद पूर्व में निम्नलिखित खतरों से प्रभावित हुआ है और भविष्य में भी इनके प्रभाव में आने की संभावना है:

- **भूकम्प, बाढ**

तालिका 2.3

दिनांक	प्रभावित स्थान	तीव्रता	क्षति
10, अगस्त, 1978	भटवाडी तहसील, जनपद मुख्यालय	6.8	मृत्यु–768 मृत्यु घायल –5066
बाढ़			
दिनांक	**प्रभावित स्थान**	**क्षति**	
20, अक्टूबर, 1991	भटवाडी तहसील, उत्तरकाशी	06–यात्रियों की मृत्यु तथा व्यापक राजकीय / व्यक्तिगत क्षति।	

* **भूस्खलन,**

तालिका 2.4

दिनांक	प्रभावित स्थान	क्षति
20, सितंबर, 2003	जनपद मुख्यालय पर स्थित वरूणावर्त पर्वत के ऊपरी भाग में भूस्खलन होने से भूस्खलन का मलवा बस स्टैड/इन्द्रा कॉलोनी आदि स्थानों पर मलवा आया	जनपद उत्तरकाशी बाजार में व्यवसायिक/आवासीय भवनों को व्यापक नुकसान हुआ।

* **अतिवृष्टि/बाढ़**

तालिका 2.5

दिनांक	प्रभावित स्थान	क्षति
03 एवं 04 अगस्त, 2012	तहसील भटवाडी अन्तर्गत अस्सीगंगा घाटी, गंगोरी, जिला मुख्यालय	मृतक– 35, घायल– 20, प्रभावित प्रभावित कृषि भूमि–71.288 है0, एक SHP बहा, व्यापक राजकीय/व्यक्तिगत क्षति।
15 एंव 16 जून, 2013	तहसील भटवाडी एंव डुण्डा	मृतक–11, लापता–13, घायल–25, ग्राम प्रभावित ग्राम– 483, प्रभावित परिवार–18325, प्रभावित जनसंख्या– 75003, प्रभावित कृषि भूमि –683.528 है0, भवन हानि– 1178 निवासीय/93 व्यवसायिक, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित आन्तरिक कुल 128 मार्ग अवरूद्ध हुये तथा विघुत/पेयजल व्यवस्था बााधित रही।
18 एंव 19 अगस्त, 2019	तहसील मोरी	मृतक–19, घायल–13, लापता–01, प्रभावित परिवार–1870, प्रभावित कृषि भूमि–40.26 हेक्टेयर, भवन हानि–132 (कच्चे/पक्के), पशु हानि–10 (छोटे/बडे), पेयजल योजनायें प्रभावित–19, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ग्रामीण मोटर मार्ग अवरूद्ध रहें एवं 04 पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये।
18 जुलाई, 2021	भटवाडी तहसील के माण्डों, कंकराडी, निराकोट, थलन, तिलोथ।	मृतक–03, घायल–03, प्रभावित परिवार–29, पुल क्षतिग्रस्त–03
05 अगस्त, 2025	तहसील भटवाड़ी के ग्राम धराली एवं हर्षिल में	मृतक–04 घायल–19, लापता–52 प्रभावित परिवार–116

- **हिमस्खलन / ट्रेकिंग**

तालिका 2.6

दिनांक	प्रभावित स्थान	क्षति
04 अक्टूबर, 2022	भटवाडी तहसील के द्रोपती का डांण्डा शिखर	मृतक–29, घायल –05, लापता–01
04 जून, 2024	तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत सिल्ला–कुशकल्याण – सहस्त्रताल	मृतक 09, रेस्क्यू 13

- **सुरंग दुर्धटना**

तालिका 2.7

दिनांक	प्रभावित स्थान	क्षति
12 नवंबर, 2023	यमुनोत्री रा0रा0 संख्या 134 के स्थान सिलक्यारा को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के कारण 41 मजदूर 18 दिनों तक फंसे रहे।	41 फंसे लोग, टनल परियोजना क्षति।

✓ अन्य विस्तृत विवरण (Annexure 3) में उपलब्ध है।

- **मानसून काल के दृष्टिगत तहसीलवार नदी–नालों के किनारे स्थित संवेदनशील भवनों का विवरण–**

तहसील	भटवाड़ी	जोशियाडा	डुण्डा	धौन्तरी	चिन्यालीसौड़	बडकोट	पुरोला	मोरी	योग
चिन्हित भवन	89	54	68	13	29	68	111	09	411

2.5. जनपद में प्रमुख संभावित आपदाओं हेतु संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण–भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र

भूकंप– जनपद उत्तरकाशी जोन 4 व 5 में स्थित होने के कारण भूंकप हेतु अत्यन्त संवेदनशील है। जनपद से होकर प्रमुख केन्द्रीय आधात (मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट) व प्रमुख सीमावर्ती आधात (मेन बाउंड्री थ्रस्ट) होकर गुजरती है।

- **संभावित खतरे**

तालिका 2.8

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	मनेरी भाली परियोजना फेस–1 व मनेरी भली परियोजना फेस–2	जनपद का भटवाड़ी तहसील जोन अ एंव अप में होने के कारण तहसील भटवाड़ी के समस्त ग्राम। मनेरी भाली परियोजना के नीचे बसे गांवों/क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं जिसमें सिरोर, स्यूडा, तिलोथ, मांडो, उत्तरकाशी बाजार, जोशियाड़ा, ज्ञानसू, मातली प्रमुख हैं।	मानचित्र 2.1 में उत्तराखंड में भूकंप के दृष्टिगत जनपद उत्तरकाशी कि संवेदनशीलता की स्थिति दर्शायी गयी है। भूकंप से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन एंव पशु हानि ➢ सड़क मार्गो की क्षति ➢ संचार व्यवस्थाओं की क्षति ➢ पेयजल/विधुत लाईनों की क्षति ➢ विधुत परियोजनाओं की क्षति
2	उच्च हिमालयी ग्लेश्यिर क्षेत्र/झील	नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति।	नदियों के किनारे बसे गांवों/क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति होने पर निम्नलिखित जोखिम संभावित है। फसल क्षति पेयजल कि कठिनाई पशु–चारे की समस्या जल जनित बीमारियों का प्रसार यातायात में रूकावट एवं कठिनाई शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव

- **वर्षा/भूस्खलन–** जनपद की भौगोलिक स्थिति अत्यन्त ही संवेदनशील है। भू–गर्भीय हलचल एवं उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनपद के समस्त क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है।

- **संभावित खतरे**

तालिका 2.9

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	गंगोत्री, यमुनोत्री, एवं धरासू–बड़कोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्र चिन्हित हैं।	धरासू बैण्ड के पास, रतूडीसेरा, बन्दरकोट, नेताला, औगी, स्वारीगाड, हेल्गूगाड, सुनगर, डबरानी, सुक्की मोड़ धरासू बैण्ड के पास, ओरछा बैण्ड, (डाण्डागांव), किसाला, सिंलाई बैण्ड, पाली गाड, ओजरी (डबरकोट),	जनपद में वर्षा/भूस्खलन के दृष्टिगत संवेदनशीलता स्थिति दर्शायी गयी है। वर्षा/भूस्खलन से इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ सड़क मार्गो की क्षति ➢ संचार व्यवस्थाओं की क्षति ➢ पेयजल लाईनों की क्षति ➢ विधुत परियोजनाओं की क्षति

तालिका 2.10

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
2	राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त पुरोला–मोरी –सांकरी मोटर मार्ग, मोरी–त्यूणी–विकासनगर मोटर ग्रामीण मार्गों पर भी भू–स्खलन प्रभावित क्षेत्र चिन्हित हैं।	जरमोला धार, फफराला खडड, हलारा, नैटवाड, खूनीगाड	ग्रामीण मार्ग क्षतिग्रस्त होने से उपरोक्त सम्भावित जोखिमों के अतिरिक्त निम्नलिखित जोखिम सम्भावित है। ➢ फसल नुकसान ➢ पेयजल की कठिनाई ➢ पशु–चारे की समस्या ➢ राशन सप्लाई का बाधित होना ➢ स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रभाव पड़ना ➢ शिक्षण एंव अन्य संस्थाओं पर प्रभाव

2.6. जनपद में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण

वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत 29 ग्राम एवं 120 भवन तथा 240 परिवार भूस्खलन प्रभावित है। अन्य सभी विवरण (Annexure 4) में उपलब्ध है।

- **जनपद में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गो के अत्यधिक संवेदनशील स्थानों का विवरण–**

तालिका 2.9

मार्ग	अत्यधिक संवेदनशील स्थान	संख्या
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग–108 (34)	धरासू बैण्ड के पास, रतूडीसेरा, बन्दरकोट, नेताला, औगी, स्वारीगाड, हेल्गूगाड, सुनगर, डबरानी, सुक्की मोड़,नलूणा	**11**
धरासू–बडकोट–जानकीचट्टी यमुनोत्री मार्ग–94 (134)	धरासू बैण्ड के पास, ओरछा बैण्ड, (डाण्डागांव), किसाला, सिंलाई बैण्ड, पाली गाड, ओजरी (डबरकोट),	**07**
	योग	**18**

- **गंगोत्री/यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्गों में भूस्खलन प्रभावित अन्य स्थानों का विवरण–**

तालिका 2.10

तहसील	मार्ग	भूस्खलन संभावित क्षेत्र	संवेदनशील स्थलों की संख्या
भटवाडी	गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग–108 (34)	गंगोरी, हिना, भाटुकीसौड, लालढांग, बिशनपुर, सैंज, मल्ला, भटवाडी, चडेथी, थिरांग, गंगनानी, झाला के पास, हर्षिल आर्मी गेट के पास, धराली (खीरगाड)	**21**
डुण्डा व चिन्यालीसौड		नगुण, थाना धरासू, धरासू बैंण्ड, नालूपानी, सैंणी, संगोटी, नाकुरी	
	धरासू–बडकोट राष्ट्रीय राजमार्ग	फेडी, कल्याणी, सिल्क्यारा बैण्ड	**03**
बडकोट	यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग	अगलाड पुल, मरोड, डामटा, रिखाऊखड्ड, चामी, बिल्ला, तुनाल्का, छटांगा, बाडिया, जंगलचट्टी, असनोलगाड	**11**
पुरोला व मोरी	पुरोला–मोरी–सांकरी एवं मोरी–त्यूनी–विकासनगर मोटर मार्ग	जरमोला धार, फफराला खडड, हलारा, नैटवाड, खूनीगाड	**05**
		योग	**40**

- **धरासू–गंगोत्री व धरासू–यमुनोत्री राजमार्ग मे चिन्हित भूस्खलन संवेदनशील स्थलों का विवरण–**

तालिका 2.10

Sl.No.	Name of the slide/ new or reactivated slide	Latitude/ Longitude	Elevation	TS Nos.	Type of slide
Land slide incidences along NH-108/34 (Dharasu to Gangotri)					
1	Raturi Sera (New slide)	N 30°44"22.6"/	±1035m	53J/6	Debris slide
2	Bandarkot (New slide)	N 30°44"33"/	±1120m	53J/6	Rock cum debris
3	Naitala slide (New slide)	N 30°44"33.1"/	±1249m	53J/6	Rock cum debris
4	Aungi slide (Reactivated slide)	N 30°44"48.7"/	±1340m	53J/10	Rock cum debris
5	Laldang slide (New slide)	N 30°45"17.3"/	±1355m	53J/9	Rock cum Debris
6	Bishanpur slide (New slide)	N 30°45"20.5"/	±1392m	53J/9	Rock cum Debris
7	Lata slide (New slide)	N 30°46"35.5"/	±1498m	53J/9	Debris slide
8	Mallaslide-1 (Reactivated slide)	N 30°46"43.4"/	±1515m	53J/9	Debris slide
9	Mallaslide-2 (Reactivated slide)	N 30°46"59.2"/	±1534m	53J/9	Rock cum debris
10	Mallaslide-3 (New slide)	N 30°47"16.9"/	±1564m	53J/9	Debris slide
11	Bhatwari slide (Reactivated slide)	N 30°48"44.3"/	±1610m	53J/9	Rock cum debris
12	Chadethi slide (Reactivated slide)	N 30°48"49.0"/	±1610m	53J/9	Rock cum debris
13	Helgu slide (New slide)	N 30°52"05.8"/	±1800m	53J/9	Debris slide
14	Sunagar slide-1 (New slide)	N 30°53"06.3"/	±1850m	53J/9	Debris slide
15	Sunagar slide-2 (New slide)	N 30°53"37.8"/	±1880m	53J/9	Debris slide
16	Gangnani slide (New slide)	N 30°54"03.7"/	±1850m	53J/9	Rock cum
17	Sukhi Top (Reactivated slide)	N 30°59"49.4"/	±2510m	53J/9	Debris slide
Land slide incidences along NH-94/134 (Dharasu to Yamnotri)					
18	Dharasu Bend slide (New slide)	N 30°37"29.4"/	±998m	53J/6	Rock cum debris
19	Pheri slide (New slide)	N 30°37"43.4"/	±1135m	53J/6	Rock cum debris
20	Kalyanislide (New slide)	N 30°38"38.3"/	±1139m	53J/6	Debris slide
21	Kharadi slide (Reactivated slide)	N 30°50"53"/	±1382m	53J/5	Debris slide
22	Pali slide	N 30°53"23.9"/	±1622m	53J/5	Rock cum Debris
23	Silai Tok slide (New slide)	N 30°53"38.7"/	±1644m	53J/5	Debris slide
24	Wajiri Slide (Nw slide)	N 30°53"55.7"/	±1713m	53J/5	Rock cum Debris
25	Wariya slide-1 (Reactivated slide)	N 30°55"41.1"/	±2034m	53J/5	Debris slide
26	Wariya slide-2 (Reactivated slide)	N 30°55"51.2"/	±2070m	53J/5	Debris slide
27	Asnol slide (New slide)	N 30°57"29.6"/	±2297m	53J/5	Debris slide

- **वनाग्नि/अग्निकांड–** जनपद में स्थित वन भूमि एवं मौसमी स्थितियां वनाग्नि के लिए परिस्थिति बनाती हैं। वनाग्नि के सबसे प्रमुख कारणों में सम्मिलित हैं–
  - ✓ **मौसमीय स्थिति–** माह मार्च से जून तक जनपद में शुष्क मौसम बना रहता है, जिसमें सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं।
  - ✓ **प्राकृतिक स्थिति–** जनपद उत्तरकाशी की वन सम्पदा में कई वनस्पतियां जैसे कि चीड़, कैल, बांज, बुरांस तथा झाडियां आदि सम्मिलित हैं जोकि सूखे मौसम में बहुत आसानी से जलती हैं
  - ✓ **प्राकृतिक स्थिति–** जनपद उत्तरकाशी की वन सम्पदा में कई वनस्पतियां जैसे कि चीड़, कैल, बांज, बुरांस तथा झाडियां आदि सम्मिलित हैं जोकि सूखे मौसम में बहुत आसानी से जलती हैं

- **वनाग्नि/अग्निकांड संभावित खतरे**

तालिका 2.12

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	जनपद के समस्त विकासखण्ड वनाग्नि हेतु संवेदनशील हैं। 1– जैव विविधता का हानि 2– हवा प्रदूषण 3– स्वास्थ्य जोखिम 4– आर्थिक हानि 5– मृदा क्षरण	उत्तरकाशी वन प्रभाग, अपर यमुना वन प्रभाग, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, गोविन्द वन्य जीव बिहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला	जनपद में वनाग्नि के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन एवं पशु हानि ➢ भवनों एवं गौशाला की क्षति ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ बहुमूल्य वन्य सम्पदा की हानि ➢ पर्यावरण की हानि ➢ पशु चारे की हानि
2	मानवीय भूल से घरों में लगने वाली आग	विकासखण्ड भटवाड़ी, मोरी एवं पुरोला में लकड़ी से निर्मित आवासीय भवन होने से	जनपद में मानवीय भूल के कारण घरों में लगने वाली आग से निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन एवं पशु हानि ➢ भवनों का क्षतिग्रस्त होना ➢ आर्थिक नुकसान

- **वनाग्नि संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण**

ऐसे वन क्षेत्र जहां विगत कुछ वर्षो से वनाग्नि की घटनाओं की पुनरावृति होती रही हो अथवा एक ही अग्निकाल में कई बार अग्नि घटनायें घटित हुई हो, का विवरण निम्नवत है–

तालिका 2.13

क्..सं.	प्रभाग का नाम	क्षेत्रफल है0 में	स्थल का विवरण
1	उत्तरकाशी वन प्रभाग	5908	गवांणा, निसमोर, महीडांडा, डुण्डा, धनारी, रानुकीगाड, रनाड़ी, सिंगोट, खुरमोला, दशगी दिचली, ब्रहमखाल, बड़ेथी, चिन्यालीसौड़, धरासू, दिलसौड़, बाडागड्डी, जामक, निराकोट, सिरोर क्षेत्र
2	अपर यमुना वन प्रभाग	4062	नन्दगॉव क्षेत्र, पटांगनी, पत्थरगाड ब्लाक, बड़कोट, बिगराड़ी, कन्सेरू, कुनिन्डा क्षेत्र, खाटल, गोडर, देवराना, मोल्डा क्षेत्र, कुथनौर, बजरी एवं पाली क्षेत्र
3	टौन्स वन प्रभाग, पुरोला	9944.33	पुरोला, जरमोला, जाखधार क्षेत्र, नानई, वैनोल, मौताड़, उडाटा, लूना, भंकवाड़, कांगी, आराकोट, वानपुर
4	गोविन्द वन्य जीव बिहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला	—	समरोड़, हडवाडी, नूराणू ,पुजेली, सेवा, जापुर, मिलधार, सिलाला, रूपिन, नैटवाड़, टाटका, उनानी, सावड़ी, मनोरा, जखोल, सांकरी, हल्टाड़ी, देवस, कलाप, पुर्ति, ढाटमीर, सांकरी, सिंरगा

- **वर्ष 2018 से वनाग्नि दुर्घटनाओं का विवरण एंव प्रभावित क्षेत्रफल**

तालिका 2.14

क.सं.	वर्ष	अग्नि दुर्घटना की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (है0 में)
1	2018	179	161.1
2	2019	171	119.92
3	2020	39	26.60
4	2021	36	31.85
5	2022	240	204.45
6	2023	20	7.59
7	2024	276	233.35
8	2025	22	19.00

- **तूफान / ओलावृष्टि / वज्रपात–**

तूफान / ओलावृष्टि / वज्रपात प्राकृतिक आपदा है। जनपद उत्तरकाशी कि भौगोलिक स्थिति उक्त हेतु अनुकूल है। तूफान / ओलावृष्टि / वज्रपात की घटनायें वातावरणीय परिस्थितियों से जनित हैं, जिससे फसलों, पेड़–पौधों, पशु एंव जन हानि और संपत्ति के नुकसान कि संभावना बनी रहती है। तूफान / ओलावृष्टि / वज्रपात प्रायः उन क्षेत्रों में घटित होता है जहां उच्च उष्णता, उच्च आबादी क्षेत्र और विशेष आबादी संरचनाएं होती हैं।

तालिका 2.15

क्र.स.	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक क्षति पहुंचती है। वज्रपात (आकाशीय बिजली) के कारण जन व पशु हानि तथा बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी क्षति होती है।	भटवाड़ी, जनपद मुख्यालय, डुण्डा, चिन्यालिसौड़, बड़कोट, पुरोला। हर्षिल घाटी, दयारा क्षेत्र, चिन्यालीसौड़, डुण्डा, पुरोला एंव मोरी क्षेत्रों के उच्च हिमालयी घास के मैदान।	जनपद में तूफान / ओलावृष्टि / वज्रपात के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित हैं। ➢ संभावित जन एवं पशु हानि ➢ भवनों का क्षतिग्रस्त होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ बिजली से संचालित उपकरणों की क्षति

- **मानव–वन्यजीव संघर्ष**

मानव और वन्यजीव दोनों ही जंगल पर निर्भर हैं। वर्तमान समय में मानव– वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। पशुओं के निवास क्षेत्रों की कमी, वनाग्नि तथा अन्य छोटे जंगली जानवरों की संख्या में कमी व परिस्थितिकीय असन्तुलन के कारण वन्य जीवों और मानव के बीच संघर्ष हो रहा है। जंगली पशुओं के लिए खाने की कमी हो जाने से उन्हें अन्य स्थानों की तलाश करनी पड़ती है, जिससे उनका प्राकृतिक आवास खतरे में पड़ जाता है। खेती, उद्यान, और अन्य विकास कार्यों के लिए जंगल कटते जा रहे हैं। पशुओं के हमले से लोग घायल हो सकते हैं, साथ ही मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। अन्य मामलों में पशुओं के साथ सघर्ष के कारण मानव जीवन पर बड़े हानिकारक प्रभाव पड रहे है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे है।

- मानव–वन्यजीव संघर्ष

तालिका 2.16

क्र0 स0	संभावित खतरे	संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	मानव–वन्यजीव सघर्ष एक मानव जनित आपदा है, जिससे दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।	जनपद के समस्त विकासखण्डों के वन क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले समस्त ग्राम	मानव–पशु सघर्ष के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित मानव/पशुहानि ➢ फसलों का नुकसान ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति ➢ आर्थिक जोखिम ➢ आजीविका प्रभावित

- मानव–वन्यजीव सघर्ष (पालतू पशुओं के सम्बन्ध में) की वर्षवार घटनाओं का विवरण

तालिका 2.17

क्र.स.	वर्ष	वन प्रभागवार घटनाओं की संख्या				
		उत्तरकाशी वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग	टौन्स वन प्रभाग	गोविन्द पशु विहार	कुल घटनायें
1	2019—20	—	—	34	44	78
2	2020—21	410	106	71	29	616
3	2021—22	330	210	130	14	684
4	2022—23	503	271	106	47	927
5	2023—24	252	37	00	00	272
6	2024—25	205	186	61	23	475
7	2025—26			123	30	

- मानव–वन्यजीव सघर्ष (मानव क्षति के सम्बन्ध में) की वर्षवार घटनाओं का विवरण

तालिका 2.18

क्र.स.	वर्ष	वन प्रभागवार घटनाओं की संख्या				
		उत्तरकाशी वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग	टौन्स वन प्रभाग	गोविन्द पशु विहार	कुल घटनायें
1	2019—20	—	03	01	04	08
2	2020—21	16	01	06	01	24
3	2021—22	16	05	00	03	24
4	2022—23	12	02	00	03	17
5	2023—24	04	00	00	00	03
6	2024—25	01	02	02	01	06
				05	00	

- **बर्फबारी / हिमस्खलन**

जनपद का अधिकांश भू–भाग मध्यम एंव उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पड़ता है। जनपद कि सीमा चीन के साथ मिलती है जिस कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों वर्षभर भारत तिब्बत सीमा पुलिस एवं भारतीय सेना तैनात रहती है। साथ ही जनपद में साहसिक खेलों कि गतिविधियां भी संचालित कि जाती है एंव हिमस्खलन होने से ट्रैकिंग पर गये जाने वाले दलों के साथ खतरा बना रहता है। इन खतरों के अलावा बर्फबारी स्थानीय आबादी, वन्य जीव, और पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।

तालिका 2.19

क्र0 स0	संभावित खतरे	जनपद के संवेदनशील क्षेत्र	जोखिम
1	बर्फबारी / हिमस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जो हिमशृंग या हिम के टुकड़ों के अचानक गिरने के कारण होती है।	भटवाड़ी, मोरी	जनपद में बर्फबारी / हिमस्खलन के कारण निम्नलिखित जोखिम संभावित है। ➢ संभावित जन हानि ➢ समुदाय एवं ट्रैकिंग व्यवसाय का प्रभावित होना ➢ वन्यजीवों की हानि ➢ पर्यावरणीय क्षति

- **जनपद में ट्रैकिंग के दौरान हिमस्खलन व स्वास्थ्य से हुयी दुघर्टनाओं का विवरण**

वर्ष 2009 से 2025 तक ट्रैकिंग के दौरान हिमस्खलन व स्वास्थ्यगत कारणों से हुयी दुर्घटना में 94 ट्रेकरों की मृत्यु हुयी। अन्य टैकिंग घटनाओं का विवरण (Annexure–5) में उपलब्ध है।

2.7. पुर्नवासित एंव पुनर्वास हेतु प्रस्वावित ग्रामों का विवरण–

तालिका 2.20

क्र.स.	तहसील	ग्राम	परिवारों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (लाख रू0 में)
1	भटवाड़ी	भटवाड़ी	49	230.39
2		माण्डों	04	16.75
3		थलन	02	8.50
4		बग्यालगांव	01	4.25
5		कंकराडी	04	17.00
6	डुण्डा	अस्तल	30	125.10
7		छमरौली	05	21.25
8		औल्या	06	25.50
9		गैवला भण्डारस्यूं	06	25.50
10		नगल	01	4.25
11		जुणगा	17	74.25
12	चिन्यालीसौड़	कान्सी	15	61.5
13		बडेथी	94	313.40
14		भूयारा	03	12.30
15	बडकोट	कफनौल	20	90.00
		कुल योग	**257**	**1029.94**

- **आपदा प्रबंधन हेतु** Authority, Tools, Technology , Methodology

तालिका 2.21

क्र. सं.	कार्य / जिम्मेदारी	(अधिकार)	(उपकरण)	(प्रौद्योगिकी)	(कार्यप्रणाली)
1	जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण	DDMA / जिला प्रशासन	कंप्यूटर, दस्तावेज	GIS Mapping, MIS	डेटा संग्रह, विश्लेषण एवं अनुमोदन
2	आपातकालीन संचालन	जिला आपदा नियंत्रण कक्ष	कंट्रोल रूम, वायरलेस	VHF, CCTV, Internet	24×7 निगरानी एवं सूचना प्रबंधन
3	संचार एवं समन्वय	पुलिस / प्रशासन / EOC	मोबाइल, वायरलेस, सैटेलाइट फोन	Communication System	त्वरित सूचना आदान–प्रदान
4	खोज एवं बचाव	SDRF / NDRF / पुलिस	रेस्क्यू किट, नाव, एम्बुलेंस	GPS, Drone	घटनास्थल पर त्वरित कार्रवाई
5	राहत सामग्री प्रबंधन	जिला प्रशासन / आपूर्ति विभाग	गोदाम, वाहन, राहत किट	Inventory System, GPS	आवश्यकता अनुसार वितरण
6	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा	स्वास्थ्य विभाग	दवाइयाँ, एम्बुलेंस	Telemedicine	प्राथमिक उपचार एवं रेफरल
7	निकासी	प्रशासन / पुलिस	वाहन, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली	GPS Tracking	सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण
8	आश्रय प्रबंधन	DDMA / रेडक्रॉस	तंबू, कंबल, खाद्य सामग्री	Shelter Management System	राहत शिविर संचालन
9	जल एवं स्वच्छता	जल संस्थान / स्वच्छता विभाग	पानी टैंकर, सफाई उपकरण	Water Quality Testing	सुरक्षित जल आपूर्ति
10	ऊर्जा एवं विद्युत आपूर्ति	UPCL / बिजली विभाग	जनरेटर, लाइन उपकरण	Smart Grid	विद्युत बहाली
11	सड़क एवं परिवहन	PWD / BRO	मशीनरी, श्रब्ठ	GIS Mapping	मार्ग बहाली
12	सूचना एवं मीडिया प्रबंधन	सूचना विभाग	कैमरा, कंप्यूटर	Social Media, Website	सूचना प्रसार
13	स्वयंसेवक प्रबंधन	DDMA / Apda Mitra	प्रशिक्षण किट	Mobile App	स्वयंसेवकों की तैनाती
14	निगरानी एवं मूल्यांकन	जिला प्रशासन	रिपोर्ट, निरीक्षण उपकरण	MIS	समीक्षा एवं सुधार
15	पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	जिला प्रशासन / SDRF	निर्माण सामग्री	GIS Planning	पुनर्वास योजना

अध्याय–03

आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत व्यवस्था।

3.1 राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन संगठनात्मक संरचना–

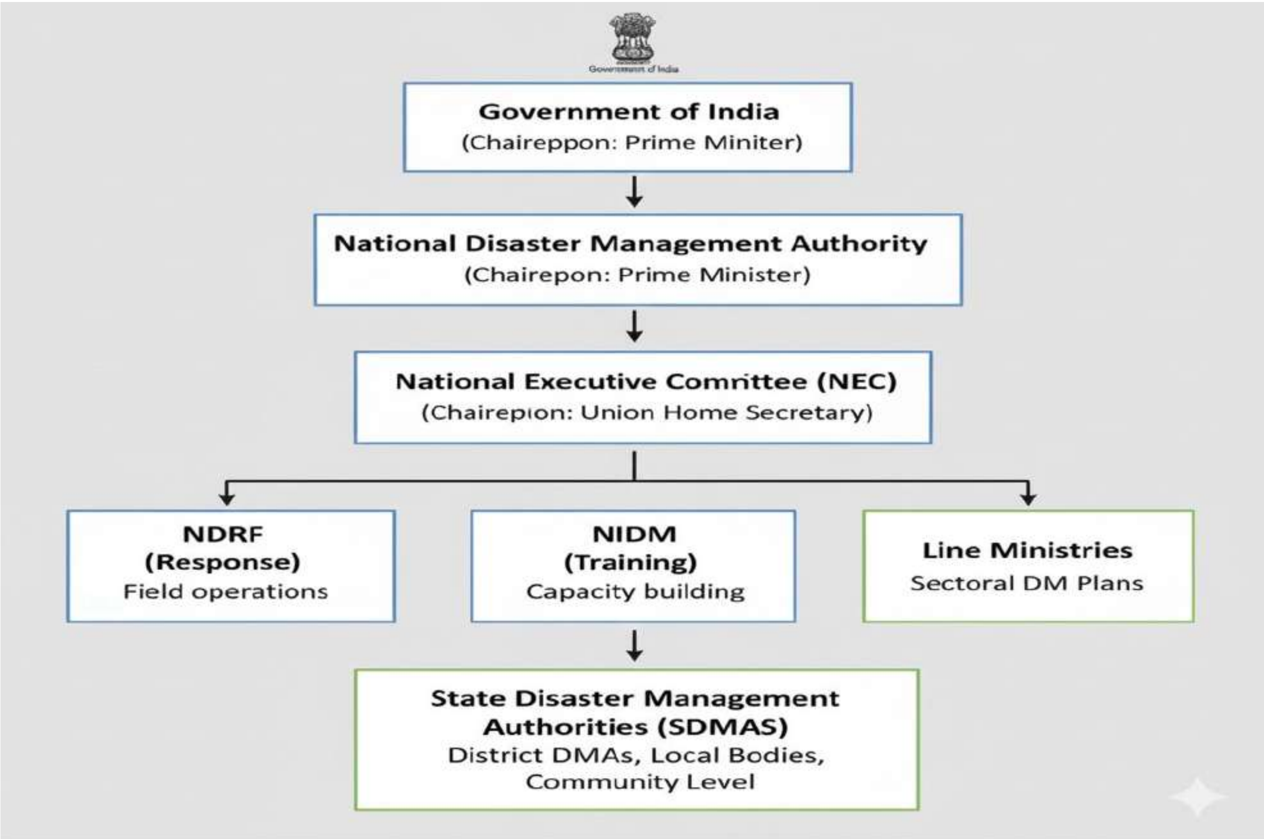

- **भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना (राष्ट्रीय स्तर)**

तालिका–3.1

क्र.सं.	स्तर / निकाय	संस्थान / प्राधिकरण	मुख्य कार्य / उत्तरदायित्व
1	शीर्ष स्तर	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में)	आापदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियाँ, दिशा–निर्देश एवं योजनाएँ तैयार करता है, मंत्रालयों, राज्यों एवं अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।
2	कार्यकारी स्तर	राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) (केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में)	NDMA की नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करता है; राष्ट्रीय योजना तैयार करता है; विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के बीच आपदा प्रतिक्रिया का समन्वय करता है।
3	परिचालन / प्रतिक्रिया स्तर	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) (गृह मंत्रालय के अधीन)	देशभर में आपदाओं के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्यों हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित, बहु–कौशल बल।
4	तकनीकी / परामर्श स्तर	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)	आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण का कार्य करता है।
5	विभागीय / मंत्रालय स्तर	संबंधित मंत्रालय (जैसे जल संसाधन, स्वास्थ्य आदि)	अपने–अपने क्षेत्रों के लिए क्षेत्र–विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करते हैं एवं शमन व पुनर्वास उपायों का समन्वय करते हैं।

क्र.सं.	स्तर/निकाय	संस्थान/प्राधिकरण	मुख्य कार्य/उत्तरदायित्व
6	समन्वय एवं संसाधन जुटाव	गृह मंत्रालय (MHA)–आपदा प्रबंधन प्रभाग	राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन नीति, समन्वय एवं प्रतिक्रिया का नोडल मंत्रालय।
7	सहायता एवं वित्तीय तंत्र	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF)	आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं शमन कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
8	प्रारंभिक चेतावनी एवं तकनीकी समर्थन	भारतीय मौसम विभाग (IMD), केंद्रीय जल आयोग (CWC), INCOIS, NRSC, GSI, ISRO आदि।	विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु वैज्ञानिक निगरानी, खतरे का पूर्वानुमान एवं प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करते हैं।

3.2 राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना–

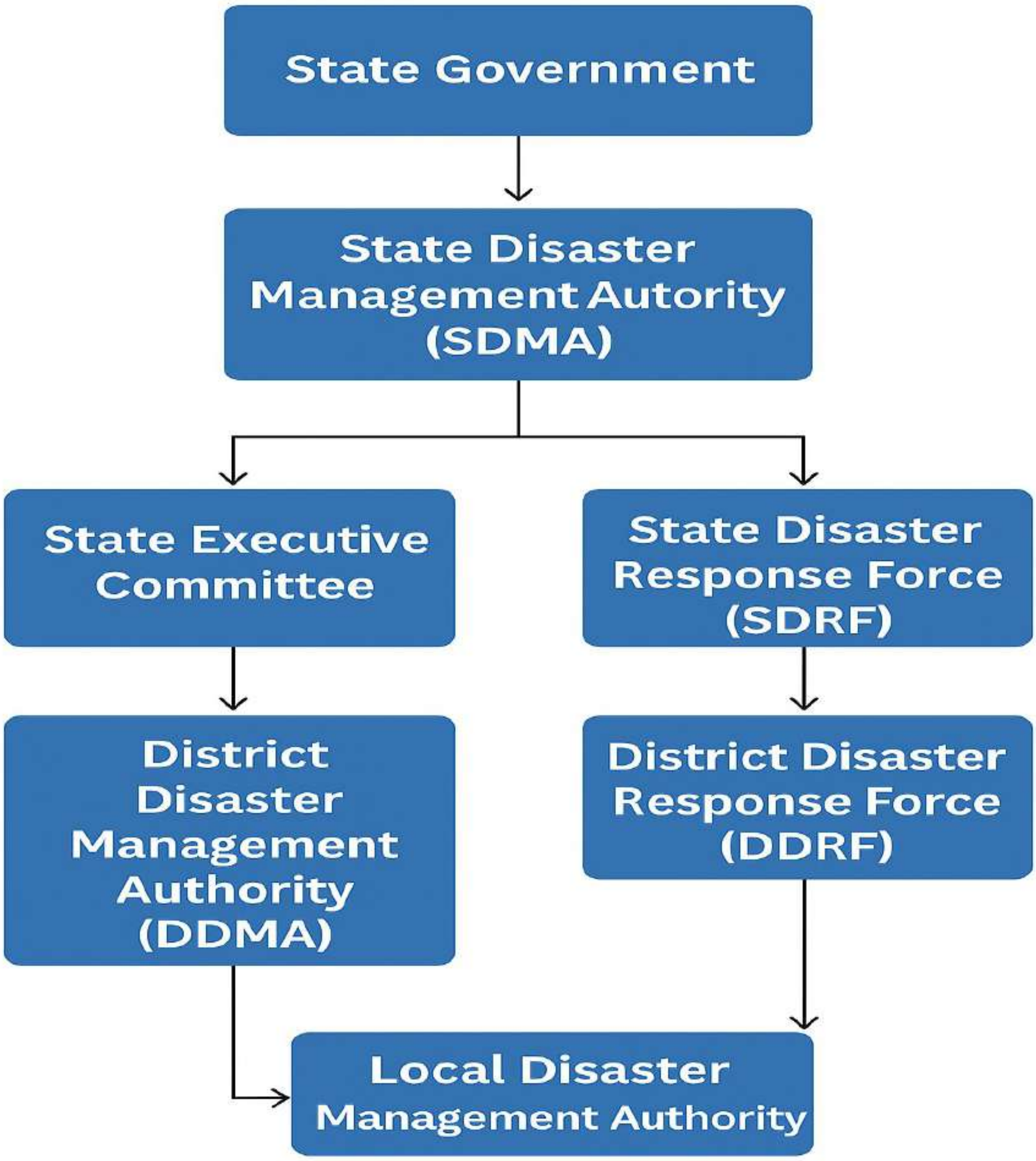

3.2.1 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में की गई है। यह निकाय राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों, योजनाओं और कार्यों का संचालन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदाओं से होने वाले जोखिमों को कम करना, जन–जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, तथा राज्य में आपदा प्रबंधन की एकीकृत व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

- **संरचना**

तालिका–3.2

पद	विवरण
अध्यक्ष	राज्य के मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष	राज्य सरकार द्वारा नामित (यदि आवश्यक समझा जाए)
सदस्य	अधिकतम 8 सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार नामित करती है
सदस्य सचिव	राज्य सरकार द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी
विशेष आमंत्रित सदस्य	विशेष आमंत्रित सदस्य

- SDMA **के प्रमुख कार्य एवं दायित्व**

✓ **राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण**– राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु दीर्घकालिक नीति बनाना।

✓ राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, अनुमोदन देना एवं समय–समय पर अद्यतन करना।

✓ **विभागीय योजनाओं का समन्वय–** राज्य के सभी विभागों और एजेंसियों के बीच आपदा प्रबंधन कार्यों का समन्वय स्थापित करना।

✓ **जिला प्राधिकरणों का मार्गदर्शन–** जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (DDMA) को दिशा–निर्देश देना और उनके कार्यों की निगरानी करना।

✓ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को प्रोत्साहन देना।

✓ **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण –** प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवकों और जनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

✓ **जन–जागरूकता –** लोगों को आपदाओं से संबंधित जोखिमों और उनके बचाव उपायों के बारे में जागरूक करना।

✓ **संसाधन प्रबंधन–** आपदा के समय मानव संसाधन, उपकरण, वित्तीय सहायता आदि का कुशल प्रबंधन करना।

✓ **राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों का समन्वय–** आपदा की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच त्वरित कार्रवाई और सहयोग सुनिश्चित करना।

✓ **अनुसंधान और नवाचार** – आपदा जोखिम कम करने हेतु आधुनिक तकनीक, ळप्ै आधारित योजना, और वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देना।

- **उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उदाहरण**

  - ✓ **अध्यक्ष–** माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
  - ✓ **उपाध्यक्ष–** मुख्य सचिव, उत्तराखंड (नामित)
  - ✓ **सदस्य–** प्रमुख सचिव (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन), पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य), प्रमुख सचिव (लोक निर्माण), प्रमुख सचिव (वन), प्रमुख सचिव (जल संसाधन) आदि
  - ✓ **सदस्य सचिव–** सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग
  - ✓ **सहायक इकाई–** उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) का सचिवालय, देहरादून।

- SDMA **के अंतर्गत प्रमुख इकाइयाँ–**

(क) राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (State Emergency Operation Centre)
- ✓ 24×7 कार्यरत नियंत्रण कक्ष
- ✓ राज्य भर से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण
- ✓ निर्णय लेने के लिए प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराना

(ख) राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)
- ✓ आपदा के समय राहत, बचाव और निकासी कार्यों में तैनात
- ✓ आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस

(ग) राज्य योजना एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ
- ✓ आपदा प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन, अध्ययन एवं अनुसंधान कार्य करना

- SDMA **की भूमिका आपदा के विभिन्न चरणों में**

तालिका–3.3

चरण	SDMA **की भूमिका**
पूर्व आपदा	जोखिम मूल्यांकन, योजना निर्माण, जन–जागरूकता और प्रशिक्षण
आपदा के दौरान	राहत और बचाव कार्यों का समन्वय, संसाधनों का आवंटन
आपदा के पश्चात	पुनर्वास, पुनर्निर्माण और क्षति का मूल्यांकन

3.2.2 राज्य कार्यकारी समिति– राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee – SEC) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत किया गया है। यह समिति राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होती है। यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority& SDMA) की नीतियों और दिशा–निर्देशों को लागू करने वाला मुख्य कार्यकारी निकाय है। राज्य कार्यकारी समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें चार सदस्य होते हैं, जिन्हें राज्य सरकार नामित करती है। आमतौर पर ये सदस्य राज्य के प्रमुख विभागों जैसे–गृह, वित्त, स्वास्थ्य, सिंचाई, लोक निर्माण, वन, और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। समिति में एक सदस्य सचिव भी होता है, जो सामान्यतः राजस्व विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग से होता है। राज्य कार्यकारी समिति का प्रमुख उद्देश्य राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समन्वय, दिशा और निगरानी सुनिश्चित करना है। यह समिति राज्य के विभिन्न विभागों, जिला

प्रशासन, और अन्य एजेंसियों के बीच आपदा से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है, ताकि राहत, बचाव, पुनर्वास और जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित कार्य कुशलता से किए जा सकें।

यह समिति राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करती है और उसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है। इस योजना में राज्य के सभी विभागों, एजेंसियों और जिलों के आपदा प्रबंधन उपायों का एकीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह समिति समय–समय पर इन योजनाओं की समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार संशोधन के सुझाव भी देती है। आपदा की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह समिति राज्य आपात संचालन केंद्र के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों का तत्काल संचालन करती है। आपदा के समय यह समिति सभी संबंधित विभागों को त्वरित निर्देश जारी करती है, राहत एवं बचाव दलों की तैनाती सुनिश्चित करती है और संसाधनों का उचित वितरण करवाती है।

समिति राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली विभागीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का भी पर्यवेक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी विभागों की योजनाएँ राज्य की समग्र आपदा प्रबंधन रणनीति के अनुरूप हों। वित्तीय दृष्टि से भी राज्य कार्यकारी समिति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यह समिति राज्य आपदा प्रबंधन कोष के उचित उपयोग की निगरानी करती है और आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता के लिए अनुशंसा भेजती है। राज्य कार्यकारी समिति केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य राज्यों के साथ निरंतर सूचना एवं सहयोग का आदान–प्रदान करती है। आपदा की स्थिति, राहत कार्यों की प्रगति और पुनर्वास की स्थिति से संबंधित रिपोर्टें नियमित रूप से राज्य सरकार और को प्रेषित की जाती हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, राज्य कार्यकारी समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार द्वारा की जाती है। समिति में राजस्व सचिव (आपदा प्रबंधन), स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। यह समिति राज्य आपात संचालन केंद्र, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर राज्यव्यापी आपदा प्रबंधन तंत्र को सुचारू रूप से संचालित करती है। राज्य कार्यकारी समिति समय–समय पर राज्य में आयोजित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, जन–जागरूकता कार्यक्रमों, और जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों की समीक्षा करती है और आवश्यक नीतिगत सुधारों का सुझाव देती है।

3.2.3 आपदा प्रतिक्रिया बल–

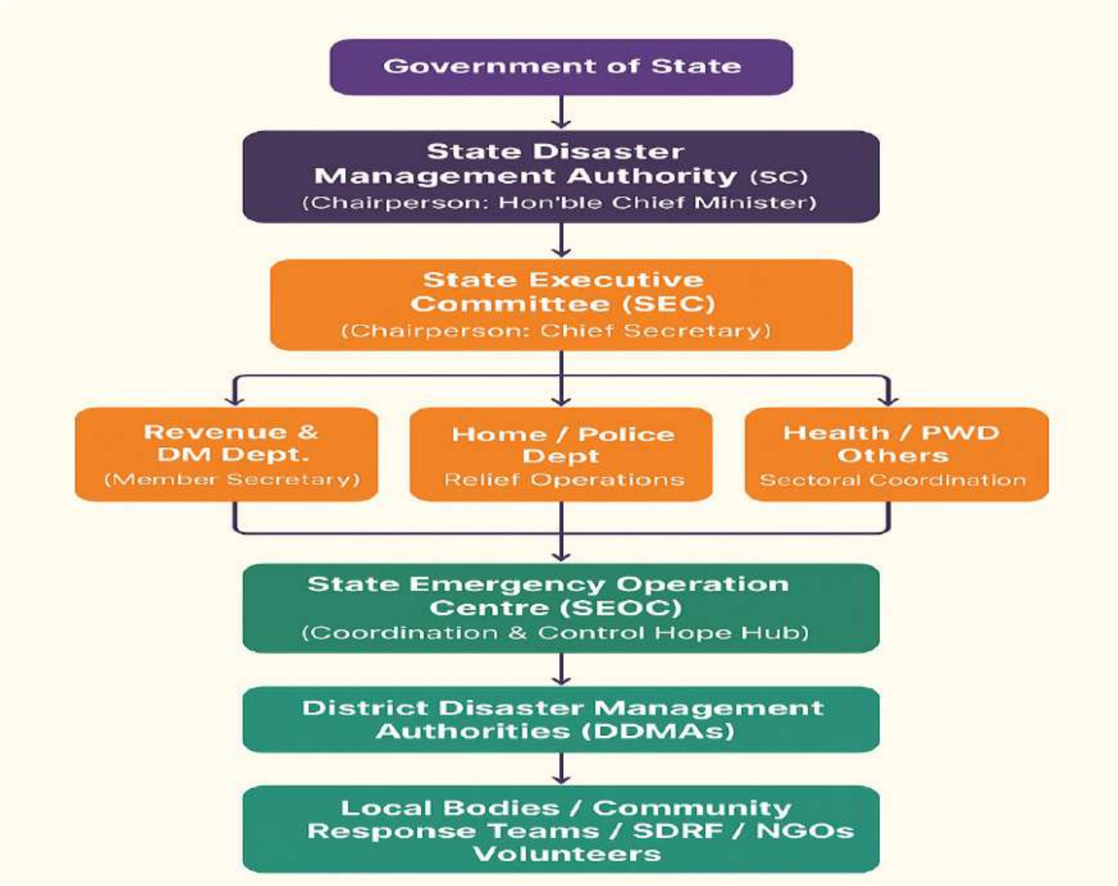

-

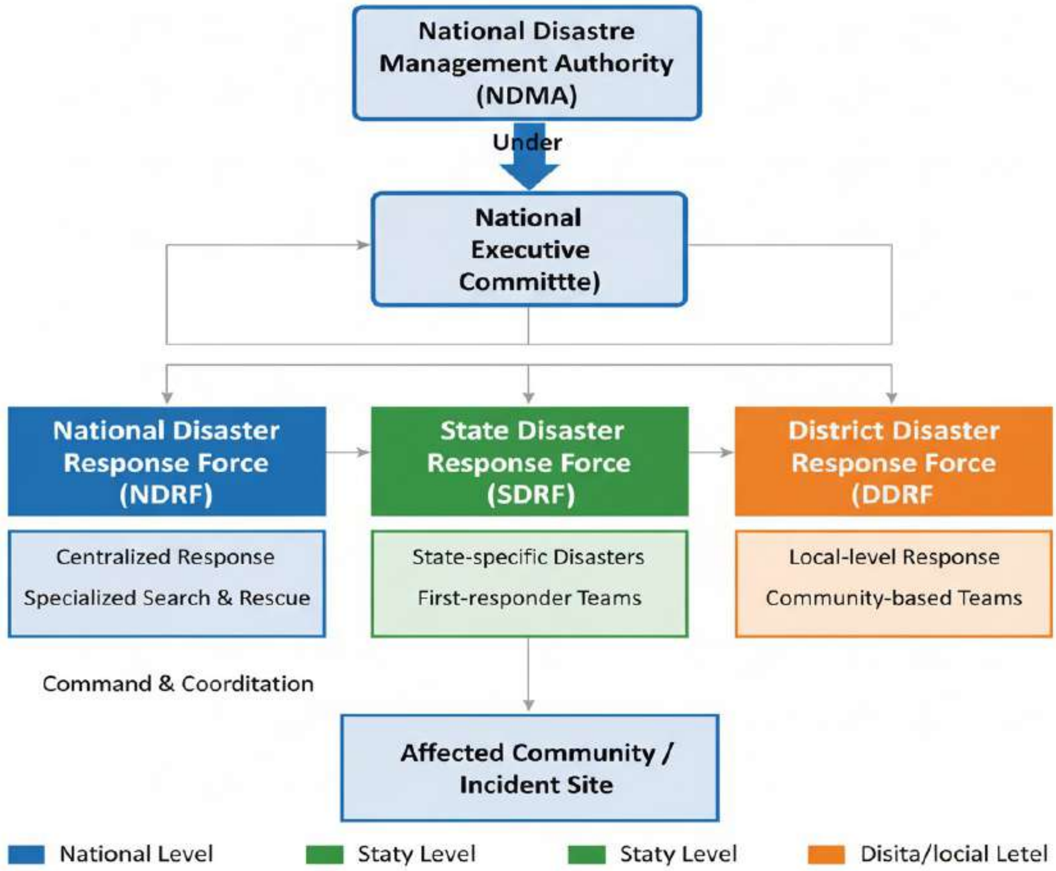

- **आपदा प्रतिक्रिया बल**
  - ✓ **राष्ट्रीय स्तर – राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल**
  - ✓ **गठन वर्ष–** 2006, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत
  - ✓ **नियंत्रण–** गृह मंत्रालय
  - ✓ **मुख्यालय–** नई दिल्ली
  - ✓ **संरचना–** कुल 12 बटालियन (विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF, SSB से ली गई)
  - ✓ प्रत्येक बटालियन में लगभग 1,149 जवान।
  - ✓ विशेष प्रशिक्षण—भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाओं से निपटने हेतु।
- **मुख्य कार्य–**
  - ✓ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की आपदाओं में खोज और बचाव कार्य।
  - ✓ राज्य बलों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - ✓ मॉक ड्रिल, जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ।
  - ✓ **राज्य स्तर– राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल**
  - ✓ **गठन–** राज्य सरकारों द्वारा, NDRF के मॉडल पर।
  - ✓ **नियंत्रण–** राज्य का गृह या आपदा प्रबंधन विभाग।
  - ✓ **मुख्य उद्देश्य–** राज्य में आपदा के समय प्रारंभिक प्रतिक्रिया और राहत कार्य करना।
  - ✓ **संरचना–**राज्य के संवेदनशील जिलों में SDRF की यूनिटें तैनात।
  - ✓ स्थानीय भूगोल (पर्वतीय, नदीय, मैदानी) के अनुसार विशेष प्रशिक्षण।
- **कार्य–**
  - ✓ खोज, बचाव और राहत कार्य।
  - ✓ राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय।
  - ✓ DDRF और जिला प्रशासन को प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन देना।
- **जिला स्तर– जिला आपदा प्रतिक्रिया बल**
  - ✓ **गठन–** जिला प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार के निर्देशानुसार।
  - ✓ **नियंत्रण–** जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate/DDMA के अध्यक्ष)।
  - ✓ **संरचना–** पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, और स्वयंसेवक (Apda Mitra, NCC, NYKS आदि) से मिलकर।
  - ✓ स्थानीय युवाओं एवं समुदाय के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे प्रारंभिक प्रतिक्रिया दे सकें।
- **मुख्य कार्य**
  - आपदा के पहले राहत एवं बचाव कार्यों में तत्काल प्रतिक्रिया।
  - SDRF या NDRF के पहुँचने से पहले घटनास्थल पर प्रारंभिक नियंत्रण।
  - प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी और राहत शिविर प्रबंधन।
  - ग्राम स्तर पर आपदा जागरूकता अभियान एवं मॉक ड्रिल का आयोजन।

3.2.4 राज्य संकट प्रबंधन समूह

राज्य संकट प्रबंधन समूह (SCMG) एक उच्च–स्तरीय समन्वयक निकाय है, जिसे राज्य स्तर पर आपदा की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने, संसाधनों के कुशल उपयोग और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित किया जाता है। यह समूह राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन के सभी चरणों– तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response), राहत (Relief), पुनर्वास (Rehabilitation) और पुनर्निर्माण (Reconstruction)–में सहयोग प्रदान करता है।

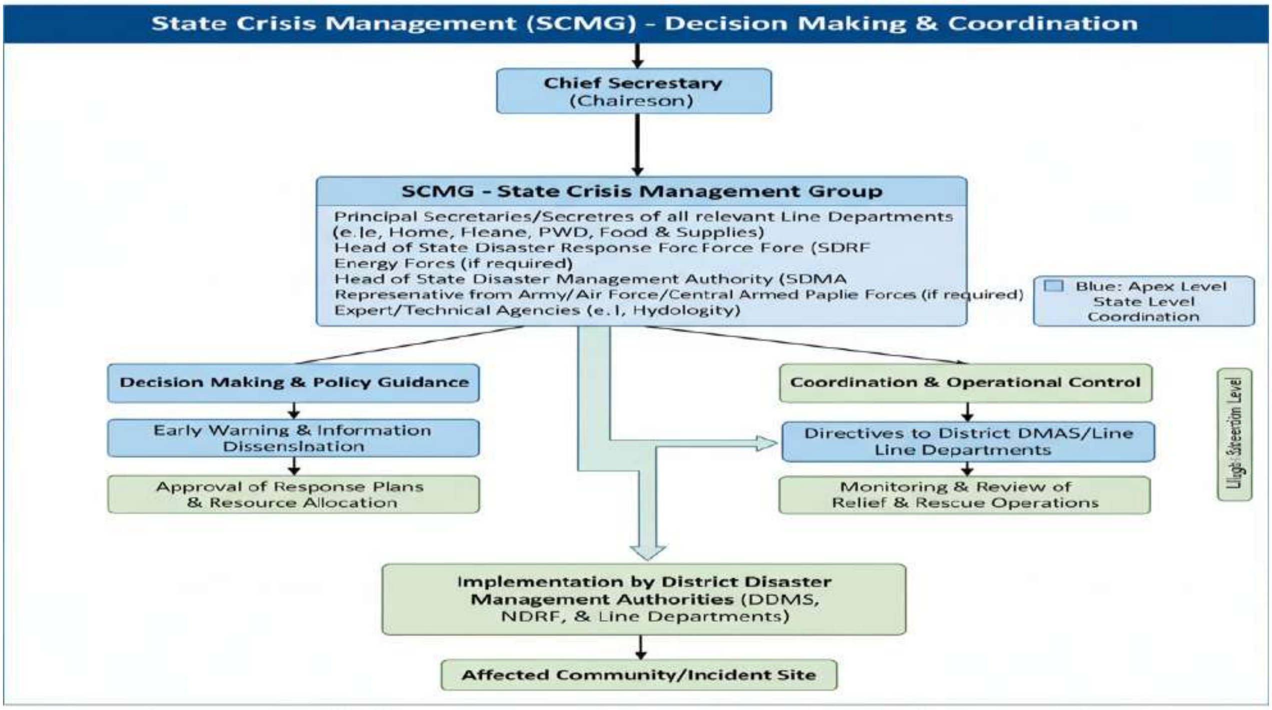

- **मुख्य संरचना**
  - ✓ मुख्यमंत्री / मुख्य सचिव–अध्यक्ष
  - ✓ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के सदस्य सचिव
  - ✓ गृह विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, ग्रामीण विकास, और सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
  - ✓ राज्य आपदा प्रबंधन विभाग / आपदा प्रबंधन सचिवालय के प्रतिनिधि
  - ✓ आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बलों, NDRF/SDRF और प्रमुख तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि
- **मुख्य कार्य**
  - ✓ आपदा प्रतिक्रिया का संचालन (Disaster Response Coordination)–आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना।
  - ✓ राज्य के सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
  - ✓ राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और दिशा–निर्देश देना।
- **संसाधन प्रबंधन**
  - ✓ आपदा से निपटने हेतु उपलब्ध संसाधनों–मानवबल, उपकरण, वित्तीय सहायता, और परिवहन — का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।
  - ✓ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधनों की मांग केंद्र या अन्य राज्यों से करना।

- **सूचना और संचार प्रणाली** (Information-Communication)
  - ✓ राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र (State EOC) से निरंतर संपर्क बनाए रखना।
  - ✓ मीडिया और जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जनता को सटीक जानकारी प्रदान करना।

- **नीति निर्माण और मूल्यांकन** (Policy & Evaluation)
  - ✓ आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा और सुधार के लिए सिफारिशें देना।
  - ✓ राहत कार्यों और पुनर्वास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

- **कार्य प्रणाली** (Mode of Operation)
  - ✓ यह समूह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित बैठकें आयोजित करता है, और आपदा के समय दैनिक आधार पर बैठकें कर सकता है।
  - ✓ समूह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को अपनी रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करता है।
  - ✓ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (State EOC) SCMG के निर्देशन में कार्य करता है।

3.2.5 राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष/उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) और राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष (SEOC) राज्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ (Backbone) माने जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है राज्य में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में त्वरित सूचना संचार, समन्वित प्रतिक्रिया, राहत कार्यों का संचालन, संसाधनों की उपलब्धता, तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय सुनिश्चित करना।

- **मुख्य संरचना** (Composition)–
  - ✓ मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव–अध्यक्ष
  - ✓ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के सदस्य सचिव
  - ✓ गृह विभाग, स्वास्थ्य, पुलिस, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, ग्रामीण विकास, और सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारी
  - ✓ राज्य आपदा प्रबंधन विभाग/आपदा प्रबंधन सचिवालय के प्रतिनिधि
  - ✓ आवश्यकता पड़ने पर सशस्त्र बलों, NDRF / SDRF, और प्रमुख तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि

- **मुख्य कार्य**

1- आपदा प्रतिक्रिया का संचालन

- ✓ आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेना।
- ✓ राज्य के सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- ✓ राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी और दिशा–निर्देश देना।

2. संसाधन प्रबंधन

- ✓ आपदा से निपटने हेतु उपलब्ध संसाधनों–मानवबल, उपकरण, वित्तीय सहायता, और परिवहन–का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना।
- ✓ आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधनों की मांग केंद्र या अन्य राज्यों से करना।

3. सूचना और संचार प्रणाली

- ✓ राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र (State EOC) से निरंतर संपर्क बनाए रखना।
- ✓ मीडिया और जनसंचार माध्यमों के माध्यम से जनता को सटीक जानकारी प्रदान करना।

4. नीति निर्माण और मूल्यांकन

- ✓ आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा और सुधार के लिए सिफारिशें देना।
- ✓ राहत कार्यों और पुनर्वास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

5. कार्य प्रणाली

- ✓ यह समूह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित बैठकें आयोजित करता है, और आपदा के समय दैनिक आधार पर बैठकें कर सकता है।
- ✓ समूह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट और सुझाव प्रस्तुत करता है।
- ✓ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के निर्देशन में कार्य करता है।

3.3 जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना

जनपद में संभावित आपदाओं के शमन, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी तथा तत्पर राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 की धारा 25 के अंतर्गत राज्य द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम– 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। जनपद में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के सहयोग एवं समन्वय हेतु आपदा प्रबंधन कार्यों को संपादित करने हेतु जनपद, तहसील व ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियों एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन दलों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(4) के अंतर्गत अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में प्राधिकरण के कार्यों के सुचारु संचालन में आपदा प्रबंधन के विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वयन हेतु आपदा प्रबंधन से संबन्धित कार्यों के संचालन हेतु अपर जिलाधिकारी को जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद में आपदा प्रबंधन कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य द्वारा जनपद आपदा प्रबंधन अधिकारी नियुक्त किया गया हैं तथा आपातकालीन कार्यों के संचालन हेतु कलैक्ट्रट परिसर में ही जिला आपातकालीन केंद्र स्थापित किया गया है ।

जिला एवं तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन संगठनात्मक संरचना

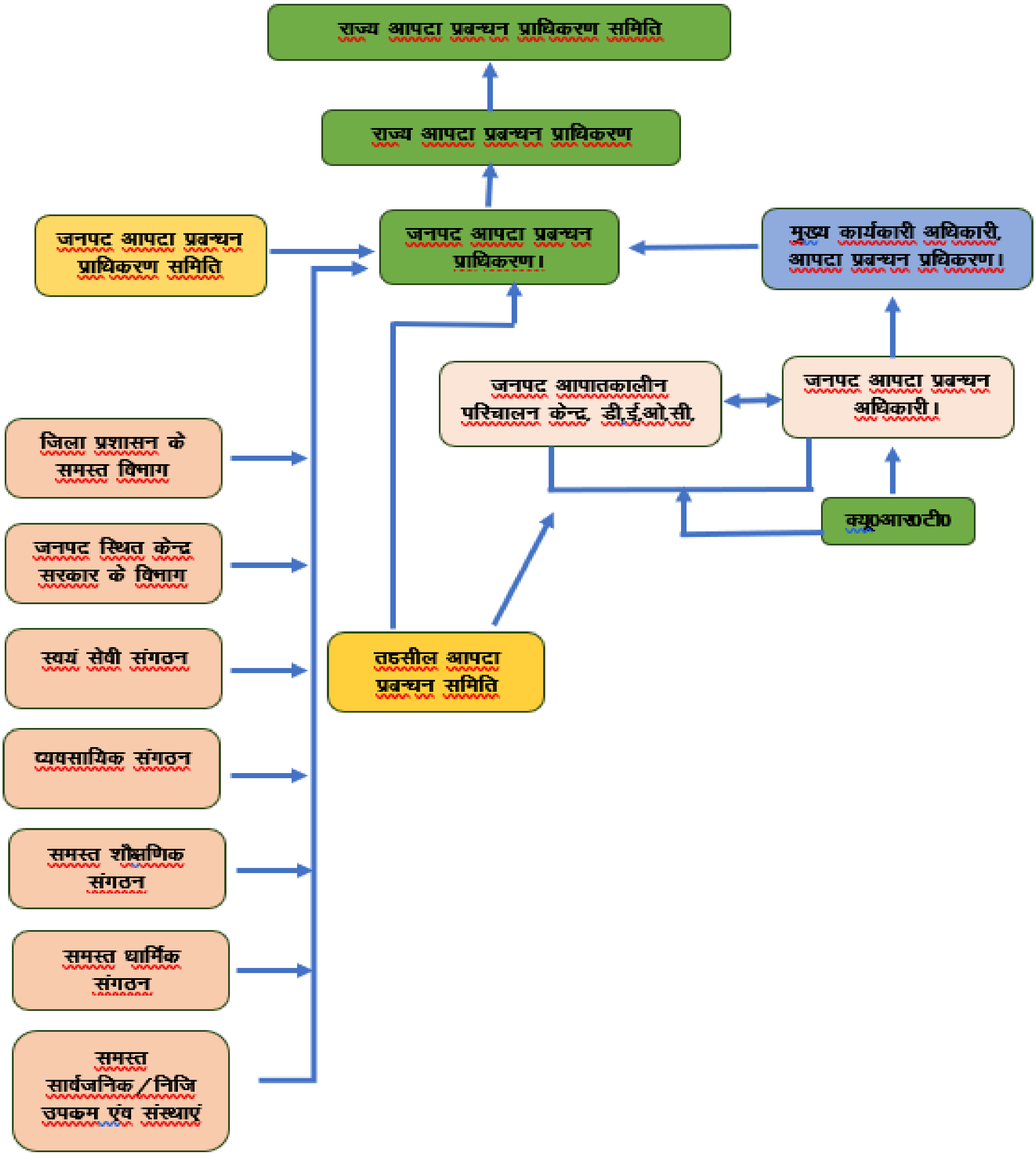

- **जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना एंव दायित्व–**

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 के प्राविधानों के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जनपद में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नप्रकार अधिसूचित है

जनपद आपदा प्रबंधन की संरचना एंव दायित्व

तालिका–3.4

क्र.सं	पदनाम	फोन नं0		
		कार्यालय	आवास	मोबाइल
1	जिला मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष	01374–222280	222101	9412077500
2	जिला पंचायत अध्यक्ष, सह अध्यक्ष	01374–222158	222317	
3	पुलिस अधीक्षक, सदस्य	01374–222116	222102	9411112733
4	मुख्य विकास अधिकारी, सदस्य	01374–222724		9410510500
5	अपर जिला मजिस्ट्रेट सदस्य एवं मुख्य अधीशासी अधिकारी	01374–222166	223547	7579474740
6	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य	01374–222106	224747	9412394912
7	अधीशासी अभियंता, प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0 सदस्य	01374–222108	222228	7830291398

- **जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्य–**
  आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दायित्वः–

✓ जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निश्चित समय अवधि में बैठक कर जनपद के आपदा प्रबंधन कार्यों को सम्पन्न करना।
✓ जनपद आपदा प्रबंधन कार्य योजना तैयार कर इसे नियमित अध्यतन रखना।
✓ जनपद मे आपदा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और आपदा निवारण एवं शमन हेतु जिला स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
✓ राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मोचन के उपायों का जनपद स्तर पर सभी विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाना सुनिश्चित करना।
✓ जनपद स्तर और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उचित एवं आवश्यक निर्देश देना।
✓ जनपद एवं स्थानीय स्तर पर आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना।
✓ जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
✓ जनपद स्तर पर विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वन को मॉनिटर करना।
✓ जनपद स्तर की योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण एवं शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
✓ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति मे मोचन के लिए क्षमताओं का पुनर्वलोकन करना एवं और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबन्धित विभागों या प्राधिकारियों को निर्देश देना।
✓ आपदा संबन्धित पूर्व तैयारियों का पुनर्विलोकन करना एवं जहां आपदा या आपदा की आशंका हो वहाँ प्रभावी रूप से मोचन की तैयारियों को अपेक्षित स्तर तक लाने के निर्देश देना।
✓ जनपद के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वैछिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं समन्वयन करना।

- ✓ आपदा निवारण एवं शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- ✓ जनता को पूर्व–चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना करना एवं उसका पुनर्विलोकन करना।
- ✓ यह सुनिश्चित करना की जनपद स्तर पर सभी विभाग और स्थानीय प्राधिकारी मोचन योजना के अनुसरण मे अपने विभागों की मोचन योजना तैयार करें।
- ✓ जनपद की सीमा के अंदर सभी संबन्धित विभागों को किसी संभावित आपदा की आशंका पर मोचन के उपाय करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना।
- ✓ जनपद स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और आपदा प्रबंधन मे लगे हुए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना और उनके कार्यों का समन्वयन करना।
- ✓ जनपद के किसी क्षेत्र में संनिर्माण की जांच करना तथा अधिकथित मानकों के पालन हेतु संबन्धित प्राधिकारी को सलाह एवं निर्देश देना।
- ✓ ऐसे भवनों एवं स्थानों की पहचान करना जिनका किसी आपदा की आशंका या घटना की स्थिति मे राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सके। एसे भवनों और स्थानों में स्वच्छता एंव आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ✓ राहत संचय और बचाव सामग्री की अल्प सूचना पर उपलब्ध करने की व्यवस्था करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर राज्य प्राधिकरण को सूचना देना।
- ✓ जनपद में प्रारम्भिक स्तर पर कार्यरत स्वैछिक, सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करना।
- ✓ संचार प्रणालियों की दुरुस्तता का ध्यान रखना, राज्य सरकार या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए दिये गए आवश्यक अनुदेशों का पालन करना।
- ✓ जिले के सभी शासकीय एवं गैर शासकीय विधालयों एवं उनमे पदस्त प्रभारी अधिकारीयों के नाम एवं संपर्क नंबरों की अधतन सूची एवं उनके संसाधनो की सूची जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास अनिवार्य रूप से रखना।
- ✓ जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति एवं विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी एवं उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सूची अध्यतन करना ।

- **तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–** जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद उत्तरकाशी की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया गया है।

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

तालिका–3.5

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0 सिंचाई	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका / पंचायत	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

- **तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति के कार्य–** उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी–
  - ✓ तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
  - ✓ आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
  - ✓ आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
  - ✓ आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
  - ✓ आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
  - ✓ यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुरूप हों।
  - ✓ ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
  - ✓ आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
  - ✓ आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
  - ✓ नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
  - ✓ यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

- **आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ –** आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के कार्यालयादेश संख्या 5045/XIV–168 (2004) दिनांक 04.09.2006 के द्वारा जनपद में अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए निम्न प्रकार जनपद आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ (District Hazard Safety Unit) का गठन किया गया है, जो जनपद भूकम्प व अन्य आपदाओं से सुरक्षा के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत आदेशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी व आपदा सुरक्षा के परिपेक्ष्य में जनपद की विशिष्टता आवश्यकता/संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपने सुझाव प्रदान करेगी।

तालिका–3.6

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	संयोजक
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सदस्य
3	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	सदस्य
4	अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम, उत्तरकाशी	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	सदस्य
6	जिला खान अधिकारी, उत्तरकाशी	सदस्य

Table 3.6: District Hazard Safety Unit

- **आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0) –** जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुँच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वास्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

- **तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल –** जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT) का निम्नप्रकार से गठन किया जाता है:–

- **तहसील भटवाड़ी–**

नोडल अधिकारी–	उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
सहायक नोडल अधिकारी–	तहसीलदार भटवाड़ी।
सदस्य–	पुलिस उपाधीक्षक/थानाध्यक्ष, उत्तरकाशी/थानाध्यक्ष, मनेरी ।
सदस्य –	खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी।
सदस्य–	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तरकाशी।
सदस्य–	पूर्ति निरीक्षक, उत्तरकाशी/झाला/नेताला

जिसके अन्तर्गत थाना मनेरी, हर्षिल एवं थाना कोतवाली के पुलिस कर्मी/सेना हर्षिल/बी0आर0ओ0 72 आर0सी0सी/एस0डी0आर0एफ0 दल भटवाडी एवं उत्तरकाशी/अग्शिमन केन्द्र उत्तरकाशी/राहत – बचाव दल भटवाडी/उत्तरकाशी/एन0डी0आर0एफ0/एन0आई0एम0 एवं यथा आवश्यक आई0टी0बी0पी0 36वीं वाहिनी, महिडाण्डा एवं अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

- **तहसील डुण्डा/चिन्यालीसौड़–**

नोडल अधिकारी– उप जिलाधिकारी, डुण्डा
सहायक नोडल अधिकारी– तहसीलदार डुण्डा/चिन्यालीसौड़
सदस्य– थानाध्यक्ष, धरासू
सदस्य– खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा/चिन्यालीसौड़
सदस्य– चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र/सामु0स्वा0 केन्द्र, डुण्डा/चिन्यालीसौड़
सदस्य– पूर्ति निरीक्षक, डुण्डा/चिन्यालीसौड़

जिसके अन्तर्गत थाना धरासू के पुलिस कर्मी/बी0आर0ओ0 1442 बी0सी0सी/एस0डी0आर0एफ0 दल उत्तरकाशी, चिन्यालीसौड़/अग्शिमन केन्द्र उत्तरकाशी, चिन्यालीसौड़/राहत बचाव दल चिन्यालीसौड/एन0डी0आर0एफ0/यथा आवश्यक अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों, आई0टी0बी0पी0 12 वीं वाहिनी, मातली एवं अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों का सहयोग लिया जायेगा।

- **तहसील बड़कोट–**

नोडल अधिकारी– उप जिलाधिकारी, बड़कोट।
सहायक नोडल अधिकारी– तहसीलदार, बड़कोट।
सदस्य– पुलिस उपाधीक्षक/थानाध्यक्ष, बड़कोट।
सदस्य – खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव।
सदस्य– चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, नौगांव/बडकोट।
सदस्य– पूर्ति निरीक्षक, बड़कोट/नौगांव

जिसके अन्तर्गत थाना बडकोट के पुलिस कर्मी/एस0डी0आर0एफ0 बडकोट, जानकीचट्टी/अग्शिमन केन्द्र बडकोट/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट/लोक निर्माण विभाग बडकोट/राहत बचाव दल बडकोट/यथावश्यक एन0डी0आर0एफ0/अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों, आई0टी0बी0पी0 12 वीं वाहिनी, मातली का सहयोग लिया जायेगा।

- **तहसील पुरोला/मोरी–**

नोडल अधिकारी– उप जिलाधिकारी, पुरोला।
सहायक नोडल अधिकारी– तहसीलदारपुरोला/मोरी।
सदस्य – खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला/मोरी
सदस्य– चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र, सामु0स्वा0 केन्द्र, पुरोला/मोरी
सदस्य – थानाध्यक्ष, पुरोला
सदस्य– पूर्ति निरीक्षक, पुरोला/मोरी

जिसके अन्तर्गत थाना पुरोला, मोरी के पुलिस कर्मी/एस0डी0आर0एफ0 मोरी/अग्शिमन केन्द्र पुरोला, मोरी/राहत बचाव दल पुरोला/एन0डी0आर0एफ0/यथा आवश्यक अवकाश प्राप्त सैनिक कर्मियों आई0टी0बी0पी0 12 वीं वाहिनी, मातली का सहयोग लिया जायेगा।

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति– जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये

जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

तालिका–3.7

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रधानाचार्य, प्रा0वि0 / उ0प्रा0वि0 / जू0हा0 / इण्टर	सदस्य
5	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह / महिला मं0 दल / यु0मं0 दल	सदस्य
6	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8	ए0एन0एम0 / आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10	ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि / भूतपूर्व सैनिक	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में **तत्काल प्रभाव** से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

- ✓ ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
- ✓ तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
- ✓ अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

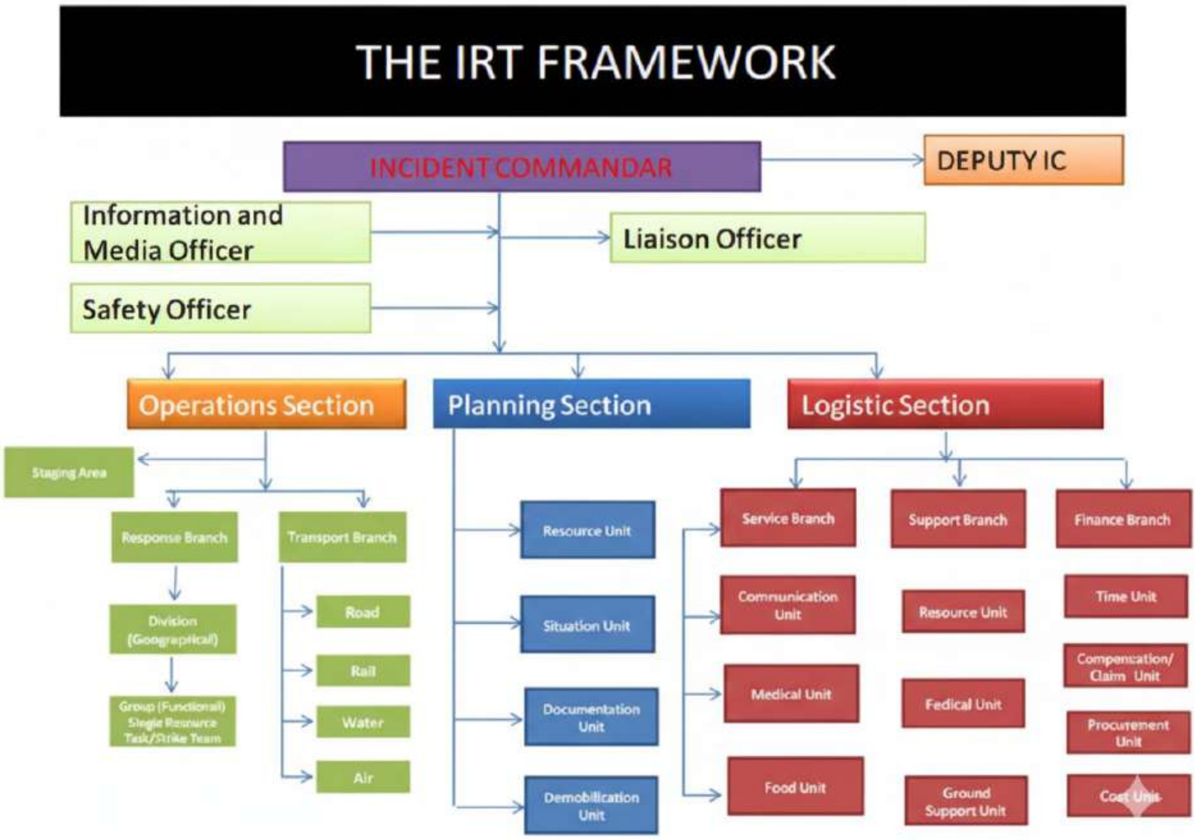

3.3.1 जनपद में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)

जनपद में संभावित आपदाओं के प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राहत बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों को सम्पन्न करने हेतु इंसिडेंट रिस्पौंस टीम का गठन किया गया है। अतः किसी आपदा के घटित होने पर सम्बन्धित तहसील एवं जनपद स्तरीय इंसिडेंट रिस्पौंस टीम क्रियाशील किया जाएगा। विस्तृत विवरण (Annexure–6) में उपलब्ध है।

3.3.2 जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना और जिले में उपलब्ध सुविधाएँ

1. पृष्ठभूमि एवं स्थापना

उत्तरकाशी जनपद भौगोलिक दृष्टि से राज्य का सबसे संवेदनशील और आपदा–प्रवण क्षेत्र है – जहाँ भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, हिमस्खलन,सड़क अवरोध, जंगल की आग और चारधाम मार्ग की आपात स्थितियाँ बार–बार घटित होती हैं। इन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय, समन्वय, और राहत कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) की स्थापना की गई।

- **स्थापना वर्ष–** लगभग वर्ष 2008–09 के बाद राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में SEOC के अनुरूप DEOC की स्थापना के आदेश के तहत।
- **स्थान–**
  - ✓ कलेक्ट्रेट भवन, उत्तरकाशी, जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के भीतर।
  - ✓ भवन पूर्णतः सुरक्षित, भूकंप प्रतिरोधी एवं संचार–समर्थ संरचना से युक्त।
- **नियंत्रण एवं संचालन–**
  - ✓ **जिलाधिकारी–** प्रमुख नियंत्रक अधिकारी।
  - ✓ **जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी–** नोडल अधिकारी व प्रभारी।
  - ✓ **24×7 संचालन:** चौबीसों घंटे प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा निरंतर संचालन।

2. उद्देश्य एवं कार्य का लक्ष्य है–

"आपदा की स्थिति में सूचना, निर्णय और कार्यान्वयन की पूरी श्रृंखला को एक केंद्रीकृत, समन्वित और त्वरित प्रणाली में परिवर्तित करना।"

मुख्य कार्य–

- **आपदा पूर्व**
  - ✓ जोखिम क्षेत्रों की पहचान, संवेदनशील मानचित्र तैयार करना।
  - ✓ सभी विभागों से संसाधन सूची (Resource Inventory) एकत्र कर डिजिटल रूप में संग्रहित करना।
  - ✓ मौसम चेतावनियाँ, अलर्ट और एडवाइजरी जारी करना।
  - ✓ मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
  - ✓ SDRF/DDRF एवं विभागीय नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय बैठकें।

- **आपदा के दौरान**
  - ✓ आपदा की सूचना का त्वरित प्राप्ति, सत्यापन और विश्लेषण।
  - ✓ स्थिति रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी व राज्य नियंत्रण कक्ष को भेजना।
  - ✓ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए ैक्त्थ्/क्क्त्थ्, पुलिस, स्वास्थ्य और च्ॅक् आदि को सक्रिय करना।
  - ✓ मीडिया, प्रशासन और जनता के बीच समुचित सूचना प्रवाह सुनिश्चित करना।
  - ✓ संचार नेटवर्क बाधित होने की स्थिति में VHF/Wireless के माध्यम से संपर्क बनाए रखना।

- **आपदा के बाद**
  - ✓ क्षति आकलन रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित करना।
  - ✓ पुनर्वास कार्यों की मॉनिटरिंग और समन्वय।
  - ✓ सीखे गए सबक (स्मेवदे स्मंतदज) का दस्तावेज़ीकरण और आगामी सुधार योजना बनाना।

संगठनात्मक संरचना

तालिका–3.7

पदनाम	भूमिका/दायित्व
जिलाधिकारी	Incident Commander/ Overall Incharge
मुख्य विकास अधिकारी	Planning / Coordination Support
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी	DEOC In-charge/Information Management
Nodal Officers (विभागीय)	विभाग–वार स्थिति एवं संसाधन जानकारी
संचार प्रभारी	सूचना, Wireless, IP, Internet संचार नियंत्रण
डेटा विश्लेषक	रिपोर्टिंग, GIS मैपिंग एवं वैंइवंतक अद्यतन
ऑपरेटर	कॉल रिसेप्शन, एंट्री, लॉग रखरखाव
SDRF/DDRF टीम समन्वयक	राहत दलों की सूचना व कार्य समन्वय
वाहन एवं लॉजिस्टिक प्रभारी	रेस्क्यू/राहत वाहन संचालन, संसाधन आपूर्ति

उपलब्ध प्रमुख सुविधाएँ

तालिका–3.7

क्र.सं.	सुविधा का नाम	उपयोगिता
1	24×7 Control Room	आपदा सूचना प्राप्ति व प्रतिक्रिया हेतु सतत कार्यरत।
2	VHF Wireless Network	सभी तहसीलों, थानों, SDRF/DDRF से सीधे संपर्क हेतु।
3	Satellite Phone@IP Phone	संचार विफल होने पर वैकल्पिक साधन।
4	GIS Mapping-Digital Dashboard	संवेदनशील क्षेत्र, राहत शिविर, मार्गों की स्थिति का दृश्यांकन।
5	Video Conferencing Facility	SEOC/SDMA से प्रत्यक्ष समन्वय हेतु।
6	CCTV, IP Surveillance system	चारधाम मार्ग, पुलों व भीड़–नियंत्रण स्थलों की लाइव निगरानी।
7	Automatic Weather&River Level Monitoring	मौसम एवं जलस्तर अलर्ट हेतु।
8	Automatic Weather&River Level Monitoring	मौसम एवं जलस्तर अलर्ट हेतु।
9	Power Backup (DG Set, Solar)	24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति।
10	Resource Inventory&Relief Store List	मानव संसाधन, वाहन, मेडिकल सामग्री व उपकरणों का डिजिटल डाटा।
11	Public Information Display, Alert System	आम नागरिकों हेतु सूचना प्रसारण।

3. जिला उत्तरकाशी में आपातकालीन संचार नेटवर्क

DEOC उत्तरकाशी का नेटवर्क सभी तहसीलों, ब्लॉकों, SDRF, DDRF, पुलिस, और स्वास्थ्य विभागों से एकीकृत (Integrated Communication Grid) के रूप में जुड़ा हुआ है।

- **संचार चैनल–**
  - ✓ IP Based System
  - ✓ VHF@HF Wireless
  - ✓ Internet& Email Alerts
  - ✓ SMS Gateway@ WhatsApp Official Group
  - ✓ Satellite Communication (In case of network collapse)

4– संसाधन एवं प्रतिक्रिया तंत्र

- **प्रमुख तैनात बल–**
  - ✓ SDRF Unit – Uttarkashi: जिला आपातकालीन केंद्र से सीधा समन्वय।
  - ✓ District Disaster Response Force (DDRF)
  - ✓ स्थानीय प्रशिक्षित दल जो प्रारंभिक राहत कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया देता है।
  - ✓ Fire Service, Health, Police, PWD, Jal Sansthan, Electricity & NGOs का समन्वित योगदान।

- **वाहन एवं उपकरण–**
  - ✓ Search & Rescue वाहन
  - ✓ Ambulance
  - ✓ Inflatable Boat, Rope Rescue Kits,Stretchers, Life Jackets, Fire Equipment
  - ✓ Drone Camera (Monitoring हेतु)

5– चारधाम यात्रा एवं विशेष आपदा निगरानी

DEOC उत्तरकाशी हर वर्ष चारधाम यात्रा सीजन (मई से अक्टूबर) में विशेष नियंत्रण कक्ष के रूप में भी कार्य करता है–

- ✓ यात्रा मार्गों की CCTV निगरानी
- ✓ यात्रियों की सुरक्षा सूचना
- ✓ SDRF/DDRF के साथ संयुक्त कंट्रोल रूम संचालन
- ✓ मौसम व मार्ग स्थिति रिपोर्ट जारी करना

6– जिला में सहायक सुविधाएँ

- ✓ तहसील स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष (Tehsil Level EOCs)
- ✓ बड़कोट, पुरोला, मोरी, डुंडा, भटवाड़ी।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग का 108 आपात सेवा नेटवर्क।
- ✓ फायर सर्विस स्टेशन– उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरोला, नौगांव।
- ✓ NGO और स्वयंसेवी संगठन– रेडक्रॉस, आपदा मित्र, NIM, और सिविल डिफेंस।

9– तकनीकी एवं डिजिटल सशक्तिकरण

- ✓ Uttarkashi Smart Disaster Dashboard:
- ✓ GIS आधारित लाइव डेटा मॉनिटरिंग प्रणाली।
- ✓ IP Surveillance Integration with Police Control Room-
- ✓ SMS Based Early Warning System-
- ✓ AI-enabled Risk Analytics (प्रयोगात्मक चरण में)।

10– निष्कर्ष

जनपद उत्तरकाशी का आपातकालीन परिचालन केन्द्र, जिला प्रशासन की आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और सूचना समन्वय प्रणाली का हृदय है। यह केंद्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव जीवन, संपत्ति, और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा का सबसे विश्वसनीय आधार भी है।

3.3.3– जनपद में विभिन्न आपदाओं के रोकथाम हेतु समितियों का गठन–

वनाग्नि धटनाओं के निदान जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां – प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्रामीण विकास के शासनादेश सं0–1766 / एफ0आर0डी0सी0 / 2002 दिनांक, 11.1.2002 में निर्गत निर्देशो के अनुसार वनाग्नि घटनाओं के निदान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति व ब्लाक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समिति का गठन का प्राविधान है। इन समितियों के संयोजक सदस्य क्रमशः प्रभागीय वनाधिकारी तथा सहायक वन संरक्षक होंगे।

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष और संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	जिले के अन्य प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी	सदस्य
5	समस्त परगनाधिकारी	सदस्य
6	जिलाधिकारी द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखते हो	सदस्य

तालिका–3.8

ब्लाक स्तरीय समितियों के अध्यक्ष व संयोजक के अलावा निम्न सदस्य हैं–

तालिका–3.9

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2	उप प्रभागीय वनाधिकारी	संयोजक
3	खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
4	मुख्यालय के सम्बन्धित थानों के थानाध्यक्ष	सदस्य
5	परगनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो नायब तहसीलदार से कम न हो	सदस्य
6	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो ग्राम प्रधान	सदस्य
7	ब्लाक प्रमुख द्वारा नामित दो सामाजिक कार्यकर्ता जो पर्यावरण मे रूचि रखते हो	सदस्य

जिला स्तरीय बैठकों में सभी सम्बन्धित विभागों के जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निश्चित किये गये हैं। विभाग के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्षेत्र/भौगोलिक क्षेत्र में अग्निशमन का दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा। पुलिस विभाग/अग्निशमन की सहायता समय – समय पर आवश्कतानुसार वनाग्निशमन हेतु ली जायेगी।

- **वन पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर समिति का गठन–** वन पचांयत के स्तर पर प्रत्येक गांव में वनाग्नि अवरोधक समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

तालिका–3.10

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	वन सरपंच/ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्र का वन दरोगा	संयोजक
4	संबंधित क्षेत्र का वन रक्षक	सदस्य
5	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
6	उप प्रधान	सदस्य
7	महिला/युवक मंगल दल	सदस्य

- **उक्त समितियों के कार्य एवं दायित्व निम्नवत् हैं**
  - ✓ जनपद में उपलब्ध संचार, यातायात प्रचार सामग्री व अन्य उपकरणों को चिन्हित करके आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाना।
  - ✓ सिविल वनों में सुरक्षा हेतु वन विभाग के अतिरिक्त राजस्व विभाग एवं ग्राम प्रधानों की भूमिका तय करके उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करना।

- ✓ लोक निर्माण विभाग की सड़कों को पक्का करते समय श्रमिकों को सर्तकता बरतने हेतु संबंधित विभाग के कर्मचारियों व श्रमिकों को प्रशिक्षित कर उनका सहयोग प्राप्त करना।
- ✓ वनों में अग्नि दुर्घटना का अनुश्रवण किया जाना– वनों की अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा के लिए अन्य ऐसी समस्त कार्यवाही करना जिसे समिति आवश्यक समझे।
- ✓ अग्निशमन हेतु विशेष संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में शासन को रिपोर्ट प्रेषित करना–समिति द्वारा सामान्यतया माह अप्रैल से जून तक की अवधि में प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जायेगी विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन बैठक का आयोजन भी किया जायेगा।

3.3.4 संकट प्रबन्धन समुह

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग के कार्यालयादेश संख्या 5045/XIV–168 (2004) दिनांक 04. 09.2006 के द्वारा जनपद में अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की भूकम्प सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए निम्न प्रकार जनपद आपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो जनपद भूकम्प व अन्य आपदाओं से सुरक्षा के दृष्टिगत समय–समय पर निर्गत आदेशों का जनपद स्तर पर अनुपालन करना सुनिश्चित करेगी व आपदा सुरक्षा के परिपेक्ष्य में जनपद की विशिष्टता आवश्यकता/संवेदनशीलता के दृष्टिगत अपने सुझाव प्रदान करेगी।

तालिका–3.11

क्र.सं	पदनाम	कार्यभार
1	अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	संयोजक
2	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सदस्य
3	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	सदस्य
4	अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम, उत्तरकाशी	सदस्य
5	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	सदस्य
6	भूतत्व एवं खनिकर्म अधिकारी, उत्तरकाशी	सदस्य

3.3.5– आपदा त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0)–

जनपद में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में तत्काल खोज एवं बचाव हेतु 04 सदस्यीय त्वारित कार्यवाही दल (क्यू0आर0टी0) का गठन किया गया है जिसका मुख्य उदेश्य किसी घटना के घटित होने पर ससमय मौके पर मय उपकरणों एवं वाहन के साथ पहुॅच कर राहत एवं खोज बचाव कार्य हेतु समन्वय तथा वास्तुस्थिति से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।

3.3.6– तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात् तत्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद उत्तरकाशी की समस्त तहसीलों में तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :–

तहसील स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति

तालिका–3.12

1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0 सिंचाई	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

3.3.7 तहसील में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली –

उपरोक्त तहसील स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति, संबन्धित तहसीलों में निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन करेंगी –

- ✓ तहसील स्तर पर आपदाओं के जोखिम एवं संवेदनशीलता का निर्धारण कर ब्लॉक स्तर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
- ✓ आपदा संभावित ग्राम में स्थानीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
- ✓ आपदा संभावित ग्राम में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन एवं समन्वयन प्रदान करना।
- ✓ आपदा संभावित ग्राम में मॉक–ड्रिल का आयोजन करना।
- ✓ आपदा के दौरान जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वयन में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन करना।
- ✓ यह सुनिश्चित करना कि रोकथाम, न्यूनीकरण और तैयारी की गतिविधियां जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुरूप हों।
- ✓ ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं, निजी संस्थाओं व स्वंयसेवकों के सहयोग से सामुदायिक प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।
- ✓ आपदा प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करना।
- ✓ आपातकालीन स्थितियों से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को अवगत कराना।
- ✓ नियोजन व विकास प्रक्रिया में समुदाय को संलग्न करना।
- ✓ यह सुनिश्चित करना कि ब्लॉक स्तर पर नगरपालिका, नगर पंचायत एवं अन्य स्थानीय निकाय अपनी स्वंय की न्यूनीकरण रणनीतियां विकसित करें ।

3.3.8 तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल –

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् विभिन्न आपदाओं से दौरान खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण व विभागीय समन्वयन किये जाने तथा आपदा के पश्चात तात्कालिक व दीर्घकालिक राहत कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील स्तर पर त्वरित कार्यवाही दल (Quick Response Team (QRT) का निम्नप्रकार से गठन किया जाता है :–

तहसील स्तरीय त्वरित कार्यवाही दल

तालिका–3.13

1	उप जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	तहसीलदार	सदस्य
4	तहसील अन्तर्गत थानाध्यक्ष	सदस्य
5	तहसील अन्तर्गत चिकित्साधिकारी	सदस्य
6	तहसील अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य
7	तहसील अन्तर्गत अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
8	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0, लो0नि0वि0	सदस्य
9	तहसील अन्तर्गत सहा0अभि0 सिंचाई	सदस्य
10	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, जल संस्थान	सदस्य
11	तहसील अन्तर्गत सहायक अभियंता, पेयजल निगम	सदस्य
12	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, विद्युत विभाग	सदस्य
13	तहसील अन्तर्गत एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0	सदस्य
14	तहसील अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
15	तहसील अन्तर्गत पूर्ति निरीक्षक, जि0पूर्ति0वि0	सदस्य
16	तहसील अन्तर्गत अधि0अधि0, नगर पालिका/पंचायत	सदस्य
17	तहसील अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य
18	तहसील अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

3.3.9– ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति–

जनपद की आपदाओं की प्रति संवेदनशीलता तथा विभीषिका के दृष्टिगत् आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुंसगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं से पूर्व किये गये जाने वाले न्यूनीकरण उपायों, रोकथाम, पूर्व तैयारी, आपदा के समय खोज व बचाव कार्यो, सूचना हस्तान्तरण, ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का निर्माण किये जाने, ग्राम स्तर पर खोज व बचाव दलों को गठित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम स्तर पर ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

तालिका–3.14

1	ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2	राजस्व उपनिरीक्षक	सह–अध्यक्ष
3	ग्राम विकास अधिकारी	सदस्य
4	प्रधानाचार्य, प्रा0वि0/उ0प्रा0वि0/जू0हा0/इण्टर	सदस्य
5	अध्यक्ष, महिला स्वंय सहायता समूह/महिला मं0 दल/यु0मं0 दल	सदस्य
6	सरपंच वन पंचायत	सदस्य
7	आंगनबाड़ी कार्यकर्ती	सदस्य
8	ए0एन0एम0/आशा कार्यकर्ती	सदस्य
9	ग्राम प्रहरी	सदस्य
10	ग्राम स्तरीय स्वंय सेवी संगठनों के प्रतिनिधि/भूतपूर्व सैनिक	सदस्य

ग्राम स्तरीय आपदा प्रबन्धन समितियॉ प्रत्येक माह कि निश्चित तिथि को आवश्यक रूप से बैठक करेंगी तथा गांव की आपदाओं के प्रति खतरों को चिन्हित कर, खतरों से निपटने हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करेगी। यह समिति गांव की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनायें तैयार कर तहसील कार्यालय में उपलब्ध करायेंगी। ग्राम स्तर पर युवाओं को शामिल करते हुये खोज व बचाव दलों का गठन करेगी। किसी भी आपदा से पूर्व आपदा पूर्व तैयारी के अर्न्तगत गांव को आपदाओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय करेगी तथा आपदा के समय खोज व बचाव तथा आपदा पश्चात राहत व पुर्नवास कार्यो में प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। यह समिति आपदा के पश्चात ग्राम स्तर पर हुयी क्षति का आंकलन करेगी तथा राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से क्षति की सूचना तहसील स्तर पर उपलब्ध करायेगी। यह समिति किसी भी आपदा की सूचना सम्बन्धित तहसील अथवा जिला आपातकालीन परिचलान केन्द्र को देगी तथा राहत व बचाव दलों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उक्त दल के साथ संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से निम्न कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित करेंगे :–

- ✓ ग्राम स्तरीय क्षति आंकलन।
- ✓ तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय को सूचनाओं का प्रेषण।
- ✓ अवस्थापना संबंधी यथा–बिजली, पानी, सड़क, पुल, राजकीय सम्पत्ति की क्षति की प्राथमिक सूचना।

अध्याय–04

आपदा जोखिम न्यूनीकरण

4.1. आपदा जोखिम न्यूनीकरण का तात्पर्य–

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (2) (ट) तथा धारा 32 (क)(I) में अधिकथित प्रावधानों अनुसार, जनपद में विद्यमान खतरों तथा संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु योजनबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन के प्रत्येक हितग्राहियों द्वारा कार्य किया जाएगा। योजना मे आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन कार्यो का तात्पर्य, अध्याय 2 में चिन्हित खतरों को गैर संरचनात्मक तथा संरचनात्मक उपायों द्वारा समाप्त करना अथवा उनके प्रभाव को न्यून करना है।

सैन्डाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु 04 विशिष्ट प्राथमिकताऐं तय की गई हैं:–

- **➢आपदा जोखिम के बारे में समझदारी विकसित करना**
- **➢आपदा जोखिम प्रबधन हेतु प्रशासकीय तंत्र का क्षमता वृद्धि**
- **➢आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश**
- **➢प्रभावी आपदा क्रया, पुनःस्थापन, पुनर्निर्माण हेतु पूर्व तैयारी कार्यों को बढावा देना।**

4.2. पर्यावरणीय संवेदनशीलता, (भूस्खलन और सड़क अवरूद्ध, त्वरित बाढ़/जल भराव, भूकंप, वनाग्नि, बाढ़, बादल फटना, सड़क दुर्घटनाएँ, हिमपात)

जनपद उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि यह संपूर्ण रूप से हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र मुख्यतः भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, जंगल की आग, हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता है। जनपद का अधिकांश भाग नदियों, घाटियों, तीव्र ढालों और भूस्खलन–प्रवण मार्गों से होकर गुजरता है, जिससे यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यधिक जोखिमग्रस्त (भ्पही त्पेा ूवदम) बन जाता है।

खतरे के लिए विशिष्ट रोकथाम और न्यूनीकरण शमन उपाय–

- ✓ राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी सुझाव/निर्देश/गाइड लाइन का जनपद में प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु स्थायी कार्यालीन व्यवस्था–आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्र एवं राज्य द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों तथा गाइड लाइन पर कार्यवाही एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराने हेतु जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित जनपद आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का विकास एंव अघतन करना।
- ✓ विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को जनपद के आपदा जोखिम मानकों के अनुरूप विकसित करना।
- ✓ जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभागीय योजनाओं का खतरों के परिप्रेक्ष्य मे ंजिले के संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका को चिन्हित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता तथा समय सीमा तय करना।

- ✓ विभागीय योजनाओं के आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एकीकरण के लिए लगातार मॉनिट्रिंग एवं विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला प्राधिकरण द्वारा अनुपालन सुंनिष्चित करवाना।

4.2.1– संरचनात्मक उपायों–

जनपद के संभावित आपदाओं को न्यून अथवा समाप्त करने हेतु लघु तथा दीर्घ अवधि की संरचना निर्माण से संबन्धित विकास परियोजनाओं को संचालित कर संभावित आपदा से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति को कम करने की योजना तथा वर्तमान में संचालित परियोजनाओं को जनपद में संभावित आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण तथा शमन की दृष्टि से अनुकूल बनाया जाना शामिल है।

4.2.2– गैर संरचनात्मक उपायों–

के अंतर्गत आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित नीतिगत निर्णयों को समुदाय स्तर पर लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, आपदा प्रबंधन से संबन्धित समस्त नियमोंध्सुरक्षा कोड का कड़ाई से पालन करने हेतु आवश्यक अनुश्रवण विधि स्थापित करना, विभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न शासकीय एवं गैर शासकीय अमले एवं संस्थाओं का प्रशिक्षण एवं शिक्षा के माध्यम से क्षमता वृद्धि एवं प्रचार–प्रसार एवं अन्य साधनों से जन जागरूकता शामिल है।

4.3. राज्य व केंद्र सरकार के विभाग तथा स्थानीय निकायों का विभागीय आपदा प्रबंधन योजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 (XVII) तथा धारा 32 के अंतर्गत जनपद के सभी शासकीय विभाग, जनपद स्थित केंद्र शासन के विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रतिक्रिया योजना सहित विभागीय व जनपद स्तरीय आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तैयार करना। अधिनियम अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी :–

- ✓ जनपद आपदा प्रबंधन योजना में प्रस्तावित आपदा निरोधी एवं शमन उपायों, क्षमतावृद्धि एवं पूर्व तैयारी कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करने हेतु विभागीय बजट में प्रावधान तथा कार्ययोजना।
- ✓ विभाग के कार्यक्षेत्र से संबन्धित जिले में आकस्मिक स्थितियों का विवरण।
- ✓ आकस्मिक स्थिति प्रतिक्रिया योजना।
- ✓ आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानव संसाधन, उपकरण एवं अधोसंरचना का विवरण।
- ✓ आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा गठित टीमों का विवरण एवं संपर्क नम्बर।
- ✓ आकस्मिक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ✓ विभाग के नियंत्रण की जानकारी रखना।
- ✓ अन्य विभागों/संस्थाओं आदि से आपदा प्रबंधन कार्यों हेतु समन्वय कर योजना विकसित करना।

4.4. राज्य के नियंत्राधीन समस्त अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना

NDMA द्वारा जारी Guidelines on Management of Hospital Safety 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार जनपद प्रशासन के नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सालयों द्वारा अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त अस्पतालों में लागू करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना। मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने नियंत्रण मे कार्यरत समस्त चिकित्सायों के आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन रखने तथा योजना अनुसार पूर्व तैयारी, शमन एवं राहत बचाव से संबन्धित कार्यवाहियां सुनिश्चित करने हेतु अवगत कराना।

4.5. सामुदायिक भागीदारी और क्षमता निर्माण

आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति स्थानीय नागरिक ही होता है। इसलिए समुदाय को सशक्त बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण करना आपदा प्रबंधन की सबसे प्रभावी रणनीति मानी जाती है। उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय और भौगोलिक रूप से संवेदनशील जनपद में सामुदायिक भागीदारी आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रमुख आधार है। स्थानीय समुदायों को आपदा मित्र योजना, ग्राम आपदा प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), एनएसएस, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। इन कार्यक्रमों के तहत लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, खोज एवं बचाव, आपातकालीन संचार, और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। स्कूलों में आपदा शिक्षा, मॉक ड्रिल और सुरक्षा क्लब के माध्यम से बच्चों में भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के सहयोग से उत्तरकाशी जिले में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्राम स्तर की आपदा प्रतिक्रिया योजनाएँ, और स्थानीय चेतावनी प्रणालियाँ लागू की जा रही हैं। SDRF, NDRF तथा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) द्वारा विशेष रूप से खोज एवं बचाव, पर्वतीय राहत और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन प्रयासों से स्थानीय नागरिकों में आत्मनिर्भरता और त्वरित प्रतिक्रिया की भावना विकसित हुई है, जिससे आपदा के समय राहत और पुनर्वास कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होती है। सामुदायिक भागीदारी से न केवल आपदा जोखिम कम होता है, बल्कि यह एक स्थायी और लचीली (resilient) समाज व्यवस्था की नींव रखती है। जब प्रत्येक नागरिक, संस्था और पंचायत आपदा तैयारी का सक्रिय भाग बनती है, तो उत्तरकाशी जैसे संवेदनशील जिले को "आपदा–सहिष्णु जिला" के रूप में विकसित करना संभव हो जाता है।

4.6. समस्त विद्यालयों का विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एवं विद्यालय सुरक्षा से संबन्धित कार्य–

NDMA द्वारा जारी School Safety Policy 2016 में सुझावित प्रारूप अनुसार समस्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा उपायों को जनपद के समस्त विद्यालयों में लागू करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर जन जागरूकता, प्रशिक्षण तथा मॉक ड्रिल का आयोजन एवं अन्य संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य सुनिश्चित करना।

Guideline for School Disaster Preparedness

- **School Disaster Management Plan**

1. **Formation of School Disaster Management Committee**
   Members: CRC, Trustee, Principal, Vice principal, BEO, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, students, and other Departmental officers.
2. **Orientation program for SDMC, School teachers & Students.**
3. **Formation of School Disaster Management Teams**
   Detail of Teams:
   (a) Early warning & Communication
   (b) Search & Rescue
   (c) First Aid
   (d) Evacuation Team
   (e) Awareness Generation Team
   Members: Trustee, Principal, Vice principal, Physical Teacher, Peon, School Bus/Van/Auto driver, Sanitation worker, Clerk, One or Two Parents, One or Two students.
4. **Mapping Exercises:**
   (a) Hazard, Risk & Vulnerability mapping of school
   (b) Resource mapping of school
   (c) Evacuation mapping of school
5. **Resources availability in school**
6. **Emergency contact details**
7. **Training for SDMTs**
8. **Awareness Generation related activities:**
   (a) Drawing competition & exhibitions on disasters
   (b) Essay competition
   (c) Vorkuta sprdha (Speech)
   (d) Debate
   (e) Rally
   (f) Play/Street play
   (g) Do's & Don'ts painting about Earthquake, Flood, Road Accident, Fire, Industrial Accident etc. on main wall of school
   (h) Do's & Don'ts speaking by students in morning/ Noon pray of school.

9. **Mock Drill**

विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना– विस्तृत प्रारूप **(Annexure–7)** में उपलब्ध है।

भूकम्प एवं अन्य आपदा/दुर्घटना हेतु चेक लिस्ट

क्र.सं.	सूची	हॉ/नही	टिप्पणी
1	क्या गलियारे और सीढ़ीयॉ आने–जाने में बाधा रहित हैं ?		
2	क्या स्कूल में आपातकालीन बिजली की व्यवस्था है ?		
3	क्या पंखे और बिजली के उपकरण पूर्ण रूप से दीवारों व छतों में लगे हैं ?		
4	क्या कहीं पे बिजली की तारें खुली तो नहीं हैं ?		
5	क्या सभी कक्षाओं के दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं ?		
6	क्या खिड़की और बालकनी ढके हैं ?		
7	क्या विद्यालय में बाहर निकलने के न्यूनतम दो रास्ते हैं ?		
8	क्या विद्यालय से बाहर निकलने के सारे रास्ते बाधा रहित हैं ?		
9	क्या आग से सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है ?		

10	क्या आग बुझाने वाला उपकरण (थ्पतम म्गजपदहनपेीमत) कार्य करने की स्थिति में है ?		
11	क्या आग बुझाने हेतु रेत की थैली पर्याप्त मात्रा में है ?		
12	क्या विद्यालय में जल भण्डारण की सुविधा उपलब्ध है ?		
13	क्या विद्यालय में पानी के पाइप हैं ?		
14	क्या विद्यालय में पानी का पंप है ?		
15	क्या प्रत्येक मंजिल पर पानी व शौचालय की सुविधा उपलब्ध है ?		
16	क्या सीढ़ीयॉ हमेशा प्रयोग में लायी जाती हैं या कुछ मार्ग बंद किये हैं ?		
17	विद्यालय भवन की आयु ?		
18	क्या विद्यालय भवनों में दरारें हैं ?		
19	क्या दरारें मरम्मत योग्य हैं ?		
20	विद्यालय से बाहर सड़क पर यातायात की स्थिति क्या है ?		
21	क्या चेतावनी साईन बोर्ड लगे हैं ?		
22	क्या विद्यालय परिसर के अन्दर किसी भी प्राकर की हाई टेंशन लाईन/बिजली के पोल/पेड़/ट्रांसफार्मर लगे हैं ?		
23	क्या विद्यालय भवन से सटा हुआ या समीप कोई बहुमंजिली भवन है ?		

4.7. समस्त व्यवसायी भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का अग्निशमन एवं निकासी योजना

(Fire Exit and Evacuation Plan)– जिला विकास प्राधिकरण में दिये गए प्रावधानों के अंतर्गत जिले के समस्त व्यवसायिक भवनों, मॉल, सिनेमा हाल, थियेटर, स्टेडियम आदि का फायर निकासी योजना बनाया जाना तथा इस योजना अनुसार निश्चित समयावधि मे पूर्व तैयारी एवं समय–समय पर माक ड्रिल का कराया जाना सुनिश्चित किया जाना।

4.8. निति और शासन

आपदा प्रबंधन में नीति और शासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिशा, संसाधन, और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है जिससे आपदाओं के प्रति समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए वर्ष 2005 में ''आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act, 2005)'' लागू किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर संस्थाओं की स्थापना की गई– जैसे ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)'', ''राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)'' और ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)''। उत्तराखण्ड राज्य में ''उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA)'' आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों, योजनाओं और दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)'' गठित है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया की दिशा में कार्य करता है। शासन स्तर पर आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया है ताकि हर विभाग– जैसे लोक निर्माण, जल संस्थान, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि आदि—अपने–अपने क्षेत्र में आपदा–संवेदनशील योजनाओं को प्राथमिकता दे सके।

नीति निर्माण के अंतर्गत राज्य सरकार ने ''राज्य आपदा प्रबंधन नीति'', ''राज्य कार्ययोजना (State Disaster Management Plan), और ''जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP)'' जैसी रणनीतिक योजनाएँ तैयार की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आपदा जोखिमों की पहचान करना, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना, और त्वरित राहत एवं पुनर्वास प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है। शासन स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही, और त्वरित निर्णय–प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ''ई–गवर्नेंस'', ''आईटी–आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम'', और ''स्मार्ट कंट्रोल रूम्स'' जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, स्थानीय निकायों– ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों और सामुदायिक संगठनों–को भी नीतिगत प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार, उत्तराखण्ड में नीति और शासन के माध्यम से आपदा प्रबंधन को एक ''संवेदनशील, सहभागी और सतत विकास'' की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है, जहाँ सरकार और जनता मिलकर "आपदा सुरक्षित समाज" के निर्माण की दिशा में कार्यरत हैं।

अध्याय–5

तैयारी के उपाय

5.1. तैयारी उपायों का उद्देश्य–

1. जोखिम की पहचान एवं मूल्यांकन

- ✓ संभावित आपदाओं (भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आग, हिमस्खलन आदि) के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
- ✓ जनसंख्या, संपत्ति, और संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना।

2. संगठनात्मक ढाँचा विकसित करना

- ✓ जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समितियाँ गठित करना।
- ✓ नियंत्रण कक्ष (EOC/DEOC) को सशक्त करना और त्वरित संचार व्यवस्था सुनिश्चित करना।

3. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

- ✓ आपदा मित्र, स्वयंसेवक, राजस्व कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, SDRF/NDRF आदि का नियमित प्रशिक्षण।
- ✓ स्कूलों, कॉलेजों, और समुदायों में Mock Drill कराकर व्यावहारिक अभ्यास।

4. प्रारंभिक चेतावनी एवं संचार प्रणाली

- ✓ मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग आदि से समय पर सूचना प्राप्त करना।
- ✓ सूचना का तेज और सटीक प्रसारण जिला प्रशासन से जनता तक सुनिश्चित करना।

5. आपातकालीन योजना तैयार करना

- ✓ District Disaster Management Plan (DDMP), Village Disaster Management Plan (VDMP) तैयार करना।
- ✓ Response, Relief और Recovery की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित करना।

6. महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना–

- ✓ रेस्क्यू उपकरण, दवाइयाँ, टॉर्च, रस्सी, नाव, ट्रक, JCB, जनरेटर आदि की सूची तैयार रखना।
- ✓ आवश्यक वस्तुओं का पूर्व–भंडारण (Pre-positioning) संवेदनशील स्थानों पर करना।

7. जनजागरूकता एवं समुदाय की भागीदारी

- ✓ पोस्टर, रैली, वर्कशॉप, आपदा मित्र अभियान, विद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से जन–जागरूकता।
- ✓ ग्राम स्तर पर "आपदा उत्तरदायी समूह" (Disaster Response Group) का गठन।

8. अभ्यास एवं परीक्षण

- ✓ नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित कर सभी विभागों की तत्परता जाँचना।
- ✓ Gap Analysis के माध्यम से प्रणाली की कमजोरियाँ पहचानकर सुधार।

9. अंतर–विभागीय समन्वय

✓ सभी विभागों के बीच संपर्क, सूचना और संसाधन साझा करने की व्यवस्था।

✓ EOC के माध्यम से नियंत्रण और एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।

10. स्वास्थ्य एवं आपात चिकित्सा तैयारी

✓ अस्पतालों में Disaster Ward,Blood Bank और Ambulance System तैयार रखना।

✓ Rapid Response Medical Teams की तैनाती और सूची अद्यतन रखना।

तैयारी का उद्देश्य केवल उपकरण जुटाना नहीं, बल्कि एक ऐसी संवेदनशील, प्रशिक्षित और संगठित समाज व्यवस्था बनाना है जो हर परिस्थिति में संयम और क्षमता के साथ प्रतिक्रिया दे सके।

5.2. जनपद सामान्य तैयारी जांच सूची

यह सूची जिला स्तर पर आपदा पूर्व की जाने वाली तैयारियों का एक मानक मार्गदर्शक है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपदा आने से पहले सभी विभाग, संस्थाएँ और समुदाय अपनी भूमिकाओं, संसाधनों और संचार तंत्र के साथ तैयार हों।

प्रशासनिक तैयारी

तालिका–5.1

क्र.	कार्य का विवरण	उत्तरदायी विभागध्अधिकारी	स्थिति / टिप्पणियाँ
1	जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) का 24×7 संचालन	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी	सक्रिय / समीक्षा शेष
2	नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर सक्रिय एवं प्रचारित	सूचना विभाग / DEOC	
3	आपदा नियंत्रण योजना का अद्यतन (DDMP/VDMP)	जिला प्रशासन / DDMO	
4	विभागीय संपर्क सूची का सत्यापन एवं अपडेट	समस्त विभागाध्यक्ष	
5	रात्रि आपातकालीन ड्यूटी चार्ट तैयार	उप जिलाधिकारी	
6	सभी राजस्व क्षेत्रीय अधिकारियों को तैनाती निर्देश	।क्डध्ैक्ड	

स्वास्थ्य विभाग की तैयारी

तालिका–5.2

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	जिला अस्पताल एवं CHC/PHC में आपदा वार्ड की व्यवस्था	मुख्य चिकित्साधिकारी	
2	आपात दवाइयों एवं जीवन रक्षक औषधियों का पर्याप्त भंडारण	CMO / Pharmacist	
3	Ambulance एवं Mobile Medical Unit की तत्परता	CMO / 108 सेवा	
4	Rapid Response Medical Team का गठन	CMO	
5	Blood Bank ,oa Oxygen Cylinder की उपलब्धता की जाँच	Medical Superintendent	

पुलिस एवं सुरक्षा व्यवस्था

तालिका–5.3

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	पुलिस नियंत्रण कक्ष का 24 घंटे संचालन	SP / CO	
2	आपदा प्रभावित क्षेत्र हेतु विशेष गश्ती दल	SHO Concerned	
3	यातायात नियंत्रण एवं मार्ग अवरोध हटाने की तैयारी	Traffic Police	
4	भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस बल की योजना	SP / SDM	
5	SDRF/NDRF को सूचना प्रेषण प्रणाली	DEOC / Police Control Room	

लोक निर्माण विभाग की तैयारी

तालिका–5.4

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	संवेदनशील मार्गों का निरीक्षण एवं रिपोर्ट	अधिशासी अभियंता	
2	वैकल्पिक मार्गों की पहचान एवं चिन्हांकन	PWD / BRO	
3	मलबा हटाने हेतु श्रब्ठ / Loader की उपलब्धता	Executive Engineer	
4	पुल, सड़क एवं भवनों की संरचनात्मक स्थिति की जाँच	AE / JE	
5	जनपद मुख्यालय से रिमोट एरिया के सम्पर्क मार्ग सुनिश्चित	PWD / RWD	

विधुत विभाग

तालिका–5.5

क्र.सं.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	सभी फीडर एवं ट्रांसफार्मर का निरीक्षण	अधिशासी अभियंता	
2	बैकअप जनरेटर की कार्यशीलता जाँच	Electrical Engineer	
3	आपदा के समय प्राथमिकता आपूर्ति हेतु योजना	UPCL	
4	Control Room से समन्वय हेतु 24 घंटे ऑपरेटर	UPCL	

जल संस्थान एवं जल निगम

तालिका–5.6

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	पेयजल स्रोतों एवं पाइपलाइन की जाँच	Jal Sansthan / Nigam	
2	जलाशयों की क्षमता एवं शुद्धता परीक्षण	AE (Water)	
3	वैकल्पिक जलापूर्ति स्रोतों की पहचान	Jal Sansthan	
4	पानी के टैंकर / स्टोरेज टैंक तैयार रखना	Jal Nigam	

अग्निशमन एवं नागरिक सुरक्षा

तालिका–5.7

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	Fire Tender एवं उपकरण की जाँच	Chief Fire Officer	
2	Critical स्थलों का निरीक्षण (Petrol Pump, Hospital आदि)	Fire Department	
3	Rescue Equipment (Hydraulic Cutter, Rope, Extinguisher) का परीक्षण	Fire Unit Incharge	
4	Fire Station से संपर्क व्यवस्था एवं वायरलेस सेट की कार्यशीलता	Fire Officer	

आपूर्ति, परिवहन एवं खाद्य विभाग–

तालिका–5.8

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	खाद्यान्न, केरोसिन, गैस का पर्याप्त भंडारण	DSO / Supply Officer	
2	आपात परिवहन हेतु वाहन सूची तैयार	Transport Officer	
3	LPG Agency / Petrol Pump से समन्वय	Supply Department	

सामुदायिक तैयारी एवं स्वयंसेवी संगठन–

- ✓ ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति सक्रिय करना ग्राम पंचायत / VDO
- ✓ आपदा मित्र, NCC, NSS रेडक्रॉस स्वयंसेवकों की तैनाती सूची DDMO / NGO
- ✓ Mock Drill का आयोजन एवं रिपोर्ट तैयार करना DDMO / SDM
- ✓ समुदाय को आपातकालीन नंबरों की जानकारी देना PRD / NGO

संचार व्यवस्था

तालिका–5.9

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	वायरलेस सेट एवं सैटेलाइट फोन की कार्यशीलता जाँच	DEOC / Police	
2	इंटरनेट / फोन नेटवर्क का वैकल्पिक प्रबंध	BSNL / NIC	
3	Control Room से सूचना का प्रसारण प्रणाली परीक्षण	Information Officer	

समीक्षा एवं रिपोंटिग प्रणाली–

तालिका–5.10

क्र.स.	कार्य	उत्तरदायी अधिकारी	टिप्पणियाँ
1	सभी विभागों से साप्ताहिक तैयारी रिपोर्ट प्राप्त करना	DDMO / ADM	
2	समीक्षा बैठक आयोजित कर सुधार बिंदु दर्ज करना	DM / SDM	
3	Gap Analysis एवं Best Practices संकलित करना	DEOC	

निष्कर्ष

जिला सामान्य तैयारी जाँच सूची प्रशासन को यह सुनिश्चित करने में सहायता करती है कि सभी विभाग आपदा के प्रति सजग, समन्वित और कार्यात्मक हैं। यह Zero Hour Preparedness की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

5.3. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र का परिचय

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) राज्य स्तर पर आपदा की स्थिति में निगरानी, समन्वय, सूचना प्रसारण और राहत कार्यों के नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया है। यह केंद्र उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) के अधीन कार्य करता है और राज्य सचिवालय, देहरादून में स्थित है। SEOC का उद्देश्य राज्य में आपदा की स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना, तथा जिला स्तर पर DEOC को तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना है।

मुख्य उद्देश्य

1. राज्य में आपदा की स्थिति की निरंतर निगरानी करना।
2. प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त कर उसे संबंधित जिलों को प्रेषित करना।
3. राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में अंतर–विभागीय समन्वय स्थापित करना।
4. सभी जिलों से प्राप्त स्थिति रिपोर्टों का विश्लेषण करना।
5. राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

स्थान–

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र,
आई0टी0पार्क, देहरादून में स्थित है।
यह केंद्र 24×7 कार्यरत है और आधुनिक संचार प्रणाली से सुसज्जित है।

संगठनात्मक संरचना

तालिका–5.11

क्र.स.	पदनाम	भूमिका/दायित्व
1	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	राज्य आपदा प्रबंधन संचालन समिति के अध्यक्ष, नीति निर्माण एवं निर्णय।
2	राहत आयुक्त/सचिव (आपदा प्रबंधन)	राज्य स्तर पर राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की देखरेख।
3	अपर राहत आयुक्त	संचालनात्मक कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण।
4	EOC प्रभारी अधिकारी	केंद्र के दैनिक संचालन एवं रिपोर्टिंग का दायित्व।
5	ड्यूटी ऑफिसर (24×7)	जिलों से रिपोर्ट प्राप्त कर उच्च अधिकारियों को अवगत कराना।
6	आईटीध्संचार अधिकारी	संचार व्यवस्था, डाटा प्रबंधन एवं तकनीकी समर्थन।
7	सहायक कर्मचारी /डाटा एंट्री ऑपरेटर	अभिलेख, रिपोर्ट, कॉल लॉग का संधारण।

मुख्य कार्य

- ✓ आपदा पूर्व चेतावनी प्राप्त कर जिलों तक प्रसारित करना।
- ✓ स्थिति की समीक्षा एवं राहत कार्यों की प्रगति की निगरानी।
- ✓ जिला एवं विभागीय EOC के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।
- ✓ सभी राहत एवं बचाव एजेंसियों के कार्यों का समन्वय।
- ✓ मीडिया एवं जनसंपर्क के माध्यम से सत्यापित सूचना का प्रसारण।
- ✓ आपदा के बाद क्षति आकलन एवं रिपोर्टिंग।
- ✓ सभी गतिविधियों का अभिलेखीकरण (Documentation)।

प्रौद्योगिकीय संरचना

- ✓ 24×7 कॉल सेंटर और टोल–फ्री नंबर (1070)
- ✓ Video Conferencing System
- ✓ GIS आधारित Decision Support System (DSS)
- ✓ Real-Time Early Warning System
- ✓ Satellite Communication (SATCOM)
- ✓ HF/VHF Wireless Network
- ✓ Integrated Disaster Management Information System (IDMIS)

रिपोर्टिंग एवं संचार प्रणाली

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र
↓
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र
↓
राज्य राहत आयुक्त / मुख्य सचिव / USDMA
↓
राष्ट्रीय आपातकालीन परिचालन केंद्र (NEOC), नई दिल्ली

- ✓ प्रत्येक जिला अपने DEOC के माध्यम से प्रतिदिन Situation Report (SITREP) भेजता है।
- ✓ आपदा की स्थिति में Hourly Updates भी SEOC को भेजी जाती हैं।
- ✓ SEOC से प्राप्त जानकारी राज्य सरकार, मीडिया एवं जनसामान्य तक प्रसारित की जाती है।

संचालन के चरण

तालिका–5.12

चरण	गतिविधि
आपदा पूर्व	स्थिति की निगरानी, चेतावनी जारी करना, Mock Drill, संसाधन सूची अपडेट।
आपदा के दौरान	राहत एवं बचाव कार्यों का समन्वय, स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
आपदा उपरांत	क्षति आकलन, राहत वितरण, रिपोर्टिंग एवं समीक्षा।

निष्कर्ष

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली का मुख्य नियंत्रण बिंदु (Command Centre) है। यह राज्य, जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच त्वरित सूचना और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करता है। इसकी सक्रियता और तत्परता राज्य की आपदा प्रतिक्रिया क्षमता (Disaster Response Capacity) को सशक्त बनाती है।

5.4. जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (District Emergency Operation Centre - DEOC) जनपद स्तर पर आपदा की स्थिति में निगरानी, नियंत्रण, समन्वय एवं सूचना के आदान–प्रदान का प्रमुख नोडल केंद्र है। यह केंद्र 24×7 कार्यरत रहता है तथा आपात स्थिति के दौरान विभिन्न विभागों के मध्य त्वरित और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करता है।

स्थान एवं संरचना

- **स्थान:** कलेक्ट्रेट परिसर, उत्तरकाशी
- **नोडल अधिकारी:** जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
- **संचालन प्रभारी:** जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी / DEOC प्रभारी
- **सहायक कर्मी:** कंप्यूटर ऑपरेटर, कॉल अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, मैसेंजर आदि

प्रमुख दायित्व एवं कार्य

- आपदा की सूचना प्राप्त करना, उसका सत्यापन करना एवं उच्च स्तर पर (SEOC /राज्य सरकार) प्रेषित करना।
- राहत एवं बचाव कार्यों हेतु संबंधित विभागों एवं एजेंसियों से त्वरित समन्वय स्थापित करना।
- राहत सामग्री, जनशक्ति, वाहनों तथा उपकरणों की उपलब्धता की अद्यतन सूची तैयार रखना।
- घटना स्थल से प्राप्त सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण कर निर्णय हेतु जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना।
- मीडिया तथा जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा प्रमाणित सूचना का प्रसारण सुनिश्चित करना।
- राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को नियमित स्थिति रिपोर्ट (Situation Report – SITREP) भेजना।
- आपदा के दौरान Incident Response System (IRS) के अंतर्गत सभी क्रियाओं की मॉनिटरिंग करना।

उपलब्ध सुविधाएं एवं उपकरण

तालिका–5.13

क्र.स.	सुविधा/उपकरण	विवरण
1	24×7 नियंत्रण कक्ष	आपात स्थिति में सतत कार्यशील
2	संचार साधन	VHF सेट, सैटेलाइट फोन, वायरलेस, टेलीफोन, इंटरनेट
3	ऊर्जा बैकअप	जनरेटर, UPS, सौर ऊर्जा प्रणाली
4	डेटा प्रबंधन प्रणाली	कंप्यूटर, GIS आधारित संसाधन डेटाबेस, लॉगबुक
5	निगरानी प्रणाली	CCTV आधारित निगरानी एवं मॉनिटरिंग
6	मानचित्र एवं दस्तावेज	जनपद मानचित्र, आपदा जोखिम मानचित्र, संपर्क सूची आदि

कार्यप्रणाली

- ✓ **आपदा सूचना प्राप्ति:** सूचना मिलते ही DEOC तुरन्त अलर्ट मोड में लाया जाता है।
- ✓ **सूचना प्रसारण:** संबंधित विभागों (SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य, च्ॅक्ए बिजली, जल संस्थान, आदि) को सूचना प्रसारित की जाती है।
- ✓ **समन्वय एवं नियंत्रण:** राहत एवं बचाव दलों को निर्देश प्रदान कर त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।
- ✓ **सूचना अद्यतन:** प्रत्येक क्रियाविधि की सूचना क्म्ब् लॉगबुक एवं इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में दर्ज की जाती है।
- ✓ **रिपोर्टिंग:** प्रतिघंटा या आवश्यकता अनुसार स्थिति रिपोर्ट (SITREP) राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को प्रेषित की जाती है।

समन्वय एजेंसियाँ

DEOC निम्नलिखित विभागों एवं एजेंसियों के साथ सीधा समन्वय बनाए रखता है:

- ✓ जिला पुलिस
- ✓ स्वास्थ्य विभाग
- ✓ लोक निर्माण विभाग (PWD)
- ✓ विद्युत विभाग

- ✓ जल संस्थान एवं जल निगम
- ✓ शिक्षा विभाग
- ✓ SDRF / NDRF / अग्निशमन विभाग
- ✓ परिवहन एवं संचार विभाग
- ✓ नगर निकाय एवं ग्राम पंचायतें

रिकॉर्ड संधारण–

DEOC में निम्न अभिलेख सदैव अद्यतन रखे जाते हैं –

- ✓ संपर्क निर्देशिका (Control Room Directory)
- ✓ संसाधन सूची (Inventory Register)
- ✓ आपदा लॉगबुक (Incident Log Book)
- ✓ दैनिक रिपोर्ट (Daily Report Register)
- ✓ आपदा स्थिति रिपोर्ट (SITREP)

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र संचालन हेतु उत्तरदायी अधिकारी एंव कर्मचारी–

तालिका–5.14

क्र.सं	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	दूरभाष
1	सुश्री मुक्ता मिश्र	प्रभारी अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी	7579474740
2	श्री शार्दुल गुसांई	जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	9997871927
3	श्री राकेश रावत	सहायक लेखाकार	8979062256
3	श्री जय प्रकाश सिंह पंवार	सहायक कन्सलटेंट	8979890007
4	श्री आकाश चौहान	कनिष्ठ अभियंन्ता	7830395935
5	श्री मस्तान भण्डारी	मास्टर ट्रेनर	7534802714
3	श्री केदार सिंह नेगी	ड्यूटी प्रभारी	9412139903
4	श्री सर्वेश व्यास	ड्यूटी प्रभारी	8006827950
5	श्री विजय बरमोडा	ड्यूटी प्रभारी	7579000773
6	श्री अरविन्द सिंह रावत	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	9456582337
7	श्री दलबीर सिंह राणा	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	7310645941
8	श्री सोनपाल सिंह राणा	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर	7017859042

Phone: + 91 - 1374 - 222722, 222126, 1077 (Toll free),
FAX: + 91 - 1374 - 222722 (Off)
Mobile.: + 917500337269 (Idea)
Mobile.: + 917252887587 (Vodafone)
Mobile.: + 917310913129 (Airtel}
Mail Id: ddmauttarkashi@gmail.com
website: www.ddmauttarkashi.in
Website Link: http://uttarkashi.nic.in > Departments Disaster Management District Disaster Management Authority(DDMA)

5.5. स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ–

आपदा प्रबंधन के सभी चरणों—तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास—में स्थानीय प्रशासन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन सभी एजेंसियों का समन्वित प्रयास ही त्वरित एवं प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करता है।

स्थानीय प्रशासन की भूमिका

स्थानीय प्रशासन आपदा की स्थिति में प्रथम प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होती है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी राहत, बचाव, पुनर्वास एवं सामान्य स्थिति बहाली तक सभी गतिविधियों का समन्वय करना है।

मुख्य दायित्व

- ✓ प्रभावित क्षेत्र का त्वरित आकलन कर राहत एवं बचाव दलों की तैनाती करना।
- ✓ राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल, PWD आदि विभागों के समन्वय से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- ✓ आश्रय स्थलों की स्थापना एवं भोजन, जल, स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- ✓ राहत सामग्री एवं संसाधनों के वितरण की निगरानी करना।
- ✓ ग्राम पंचायतों, नगर निकायों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ना।
- ✓ आपदा के दौरान संचार प्रणाली को सक्रिय एवं पारदर्शी बनाए रखना।
- ✓ राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को नियमित स्थिति रिपोर्ट भेजना।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल

- ✓ SDRF राज्य स्तर पर गठित एक विशेषीकृत बल है, जिसका उद्देश्य आपदा के समय त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम देना है।

SDRF की भूमिका:

- ✓ भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आगजनी, भवन ध्वंस, सड़क दुर्घटनाओं आदि में राहत एवं बचाव कार्य।
- ✓ जिला प्रशासन के अनुरोध पर त्वरित तैनाती।
- ✓ प्रशिक्षित गोताखोर, पर्वतारोही, और चिकित्सा कर्मियों के साथ विशेष ऑपरेशन संचालित करना।
- ✓ सामुदायिक प्रशिक्षण (Apda Mitra / Mock Drills) में सहयोग देना।
- ✓ आधुनिक उपकरणों जैसे – हाइड्रॉलिक कटर, स्ट्रेचर, लाइफ जैकेट, मोटर बोट, रेस्क्यू रोप्स, संचार यंत्र आदि का उपयोग।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल

- ✓ NDRF, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अधीन कार्यरत एक विशेष बल है। यह बल आपदा की स्थिति में राज्य एवं जिला प्रशासन को तकनीकी एवं मानवीय सहायता प्रदान करता है।

NDRF **की भूमिका**:

- ✓ बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव कार्यों में तैनाती।
- ✓ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल एवं परमाणु (CBRN) आपदाओं में विशेषज्ञ सहायता।
- ✓ SDRF एवं स्थानीय प्रशासन को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
- ✓ प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में सहयोग देना।

उत्तराखण्ड हेतु NDRF तैनाती विवरण

- ✓ **बटालियन:** NDRF 15वीं बटालियन
- ✓ **स्थान:** गदरपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड
- ✓ **नोडल एजेंसी:** NDMA, भारत सरकार
- ✓ **तैनाती:** राज्य सरकार / SEOC के अनुरोध पर जिला प्रशासन को सहायता हेतु भेजी जाती है।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

- ✓ SDRF एवं NDRF द्वारा नियमित मॉक ड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- ✓ Apda Mitra, NSS, NCC, होमगार्ड एवं स्कूली विद्यार्थियों को आपदा प्रतिक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ✓ DEOC द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर सभी विभागों को भेजा जाता है।

5.6. आपदा प्रतिक्रिया में शामिल हितधारकों की पहचान–

आपदा की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न विभागों, संस्थानों, संगठनों, स्वयंसेवी समूहों तथा समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक होती है। हितधारकों की सटीक पहचान एवं उनकी भूमिकाओं का स्पष्ट निर्धारण आपदा प्रबंधन प्रणाली की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख हितधारक

तालिका–5.15

क्र.स.	हितधारक/विभाग	प्रमुख भूमिका एवं जिम्मेदारी
1	जिलाधिकारी	Incident Commander के रूप में समग्र नियंत्रण एवं समन्वय, राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी।
2	पुलिस विभाग	कानून–व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, लापता व्यक्तियों की खोज।
3	राजस्व विभाग	क्षति आकलन, राहत सामग्री वितरण, पुनर्वास कार्य, मृतकों के परिजनों को अनुदान।
4	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधा, महामारी नियंत्रण।
5	लोक निर्माण विभाग	सड़कों, पुलों एवं भवनों की क्षति का आकलन एवं पुनर्निर्माण कार्य।
6	जल संस्थान / जल निगम	पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत।
7	विद्युत विभाग	विद्युत आपूर्ति की बहाली, तारों एवं ट्रांसफार्मरों की मरम्मत।
8	नगर निकाय / ग्राम पंचायतें	राहत शिविरों की स्थापना, स्वच्छता एवं जल निकासी व्यवस्था।

क्र.स.	हितधारक/विभाग	प्रमुख भूमिका एवं जिम्मेदारी
9	SDRF / NDRF / अग्निशमन विभाग	राहत एवं बचाव कार्य, फंसे हुए लोगों की निकासी, खोज अभियान।
10	शिक्षा विभाग	विद्यालयों को अस्थायी राहत शिविर / नियंत्रण केंद्र के रूप में उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में जागरूकता।
11	परिवहन विभाग	राहत सामग्री एवं कर्मियों का आवागमन, वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था।
12	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	मीडिया समन्वय, सही सूचना का प्रसारण, अफवाह नियंत्रण।
13	वन विभाग	पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन ध्‍ वनाग्नि नियंत्रण में सहयोग।
14	पशुपालन विभाग	पशुधन की सुरक्षा, पशु चिकित्सा एवं चारे की व्यवस्था।
15	जल संसाधन / सिंचाई विभाग	तटबंधों की निगरानी, नदी जलस्तर की सूचना।
16	स्वयंसेवी संगठन	राहत वितरण, समुदाय सहायता, जनजागरूकता अभियान।
17	Apda Mitra स्वयंसेवक	प्रारंभिक सूचना संप्रेषण, सामुदायिक रेस्क्यू, फील्ड समर्थन।
18	NCC / NSS / स्काउट / गाइड / होमगार्ड	राहत शिविर संचालन, जनसहयोग, अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना।
19	मीडिया संस्थान	सत्यापित सूचना का प्रसार, जनजागरूकता एवं संचार सहयोग।
20	सामुदायिक प्रतिनिधि / PRI सदस्य	ग्राम स्तर पर राहत कार्यों में सहयोग एवं सूचना संप्रेषण।

हितधारकों की भूमिका का समन्वय–

- ✓ DEOC सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच सूचना व संसाधन समन्वय का केंद्र होता है।
- ✓ Incident Response System (IRS) के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के अधिकारी को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी जाती है।
- ✓ SDRF / NDRF तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन लॉजिस्टिक एवं समन्वय समर्थन देता है।
- ✓ NGOs / Apda Mitra / PRI प्रतिनिधि समुदाय स्तर पर कार्य करते हुए राहत कार्यों को जमीनी स्तर तक पहुँचाते हैं।

सामुदायिक सहभागिता

- ✓ ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) एवं वार्ड आपदा प्रबंधन समिति (WDMC) स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहती हैं।
- ✓ Apda Mitra स्वयंसेवक एवं महिला मंगल दल / युवक मंगल दल प्रथम प्रतिक्रिया दल के रूप में कार्य करते हैं।
- ✓ सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, प्रारंभिक उपचार एवं रेस्क्यू प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किया जाता है।

5.7. विकलांग व्यक्तियों की निकासी (Evacuation) और प्रतिक्रिया (Response)

आपदा के दौरान जनहानि को न्यूनतम करने तथा प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने हेतु सुनियोजित विस्थापन (Evacuation) एवं प्रभावी प्रतिक्रिया (Response) आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं सामुदायिक संगठनों की समन्वित भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उद्देश्य

- ✓ प्रभावित अथवा संभावित जोखिम क्षेत्र से लोगों का सुरक्षित विस्थापन सुनिश्चित करना।
- ✓ राहत एवं बचाव दलों की त्वरित तैनाती द्वारा मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा।
- ✓ राहत शिविरों में आवश्यक सुविधाएँ (भोजन, जल, स्वास्थ्य, आश्रय) उपलब्ध कराना।
- ✓ आपदा के बाद सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली।

विस्थापन (Evacuation) प्रक्रिया

(क) पूर्व–तैयारी चरण (Pre-Disaster Stage)

- ✓ जोखिम क्षेत्रों (Risk Zones) की पहचान एवं नक्शे पर चिह्नांकन।
- ✓ सुरक्षित स्थलों (Safe Shelters) का चयन एवं सूची तैयार करना।
- ✓ ग्राम एवं वार्ड स्तर पर Evacuation Route डंचे तैयार कराना।
- ✓ स्थानीय जनता, Apda Mitra स्वयंसेवक, PRI एवं NGO को विस्थापन योजना से अवगत कराना।
- ✓ नियमित मॉक ड्रिल आयोजित कर व्यवहारिक अभ्यास कराना।

(ख) आपदा के समय (During Disaster)

- ✓ DEOC द्वारा प्रभावित क्षेत्र में त्वरित सूचना प्रसारित की जाती है।
- ✓ पुलिस, SDRF एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाता है।
- ✓ वशेष ध्यान बच्चों, वृद्धों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों की प्राथमिक निकासी।
- ✓ वाहनों, नौकाओं, स्ट्रेचरों एवं अन्य परिवहन साधनों की व्यवस्था।
- ✓ सुरक्षित मार्गों पर यातायात एवं भीड़ प्रबंधन हेतु पुलिस की तैनाती।

(ग) आपदा के बाद (Post-Evacuation Stage)

- ✓ राहत शिविरों में आवास, पेयजल, भोजन, चिकित्सीय सहायता एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ✓ विस्थापित लोगों की गणना एवं पंजीकरण।
- ✓ परिवार से बिछड़े व्यक्तियों की पहचान एवं पुनर्मिलन प्रक्रिया।
- ✓ प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों की निगरानी एवं क्षति आकलन प्रारंभ करना।

प्रतिक्रिया (Response) प्रक्रिया–

(क) प्राथमिक सूचना एवं अलर्ट तंत्र:

- ✓ DEOC द्वारा प्राप्त सूचना पर तत्काल संबंधित विभागों एवं जनता को चेतावनी जारी की जाती है।
- ✓ वायरलेस, सायरन, मोबाइल SMS, व्हाट्सएप ग्रुप, एवं माइकिंग के माध्यम से चेतावनी प्रसारित की जाती है।

(ख) त्वरित कार्रवाई (Immediate Response):

- ✓ SDRF/NDRF एवं स्थानीय रेस्क्यू टीमों को घटनास्थल पर रवाना किया जाता है।
- ✓ घायलों को प्राथमिक उपचार एवं एम्बुलेंस सेवा द्वारा अस्पताल भेजा जाता है।
- ✓ प्रभावित क्षेत्र में पुलिस, फायर सर्विस एवं प्रशासन द्वारा समन्वित रेस्क्यू ऑपरेशन।

- ✓ विद्युत आपूर्ति, संचार एवं यातायात व्यवस्था की बहाली हेतु संबंधित विभाग सक्रिय।

(ग) समन्वय एवं नियंत्रण:

- ✓ सभी गतिविधियों का नियंत्रण जिलाधिकारी (Incident Commander) द्वारा DEOC के माध्यम से किया जाता है।
- ✓ राहत एवं बचाव की प्रत्येक सूचना लॉगबुक एवं डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाती है।
- ✓ SEOC को स्थिति रिपोर्ट (SITREP) नियमित रूप से भेजी जाती है।

विशेष प्रावधान – संवेदनशील समूहों हेतु

- ✓ वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए पृथक सहायता केंद्र एवं वाहन की व्यवस्था।
- ✓ राहत शिविरों में प्राथमिक चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- ✓ सुरक्षित जल एवं स्वच्छता सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।

सामुदायिक सहयोग एवं प्रशिक्षण

- ✓ ग्राम आपदा प्रबंधन समिति, युवक/महिला मंगल दल एवं Apda Mitra स्वयंसेवक स्थानीय स्तर पर विस्थापन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- ✓ SDRF एवं जिला प्रशासन द्वारा वर्ष में न्यूनतम दो सामुदायिक म्अंबनंजपवद क्तपससे आयोजित की जाती हैं।

5.8. विभिन्न कार्यों के लिए टीमों का गठन

आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों / कर्मचारियों की विशिष्ट टीमों का गठन किया जाता है। प्रत्येक टीम को एक निश्चित कार्य, क्षेत्र और अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि कार्यों का त्वरित और समन्वित निष्पादन हो सके।

उद्देश्य

- ✓ राहत एवं बचाव कार्यों को व्यवस्थित एवं चरणबद्ध ढंग से संचालित करना।
- ✓ प्रत्येक टीम को उसकी भूमिका, दायित्व एवं रिपोर्टिंग प्रणाली से अवगत कराना।
- ✓ कार्यों में दोहराव या भ्रम से बचना और जिम्मेदारी तय करना।

टीमों का वर्गीकरण

तालिका–5.16

क्र.स.	टीम का नाम	प्रमुख अधिकारी	प्रमुख कार्य / दायित्व
1	चेतावनी एवं सूचना प्रसारण टीम	जिला सूचना अधिकारी / DEOC प्रभारी	चेतावनी संदेश, मीडिया समन्वय, सूचना का त्वरित प्रसारण।
2	खोज एवं बचाव दल	SDRF / पुलिस / फायर सर्विस प्रभारी	फंसे हुए व्यक्तियों की खोज, निकासी, प्राथमिक उपचार।
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य दल	मुख्य चिकित्साधिकारी	घायलों की चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा, राहत शिविरों में स्वास्थ्य सुविधा।
4	राहत सामग्री वितरण टीम	जिला आपूर्ति अधिकारी / तहसीलदार	राहत सामग्री का वितरण, स्टॉक पंजीकरण, पारदर्शी वितरण प्रणाली।

क्र.स.	टीम का नाम	प्रमुख अधिकारी	प्रमुख कार्य / दायित्व
5	भोजन एवं पेयजल व्यवस्था टीम	जल संस्थान / जल निगम / खाद्य विभाग	भोजन, पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
6	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी टीम	NIC प्रभारी / दूरसंचार विभाग	क्म्ब् संचार व्यवस्था, इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, VHF संचालन।
7	यातायात एवं परिवहन टीम	ARTO / पुलिस विभाग	राहत सामग्री, रेस्क्यू टीमों व संसाधनों का आवागमन।
8	विद्युत एवं ऊर्जा पुनर्बहाली टीम	अधिशासी अभियंता, UPCL	विद्युत आपूर्ति बहाल करना, क्षति ग्रस्त लाइनों की मरम्मत।
9	पुनर्वास एवं क्षति आकलन टीम	SDM / राजस्व अधिकारी	जनहानि एवं संपत्ति क्षति का सर्वेक्षण, पुनर्वास रिपोर्ट तैयार करना।
10	स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन टीम	EO नगर पालिका / ग्राम पंचायत सचिव	राहत शिविरों व प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करना।
11	सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था टीम	पुलिस अधीक्षक / कोतवाल	भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी।
12	सामुदायिक सहभागिता एवं जनजागरूकता टीम	DPRO / NGO / Apda डपजतं	सामुदायिक सहयोग, जागरूकता, प्रशिक्षण एवं राहत शिविरों में जनसंपर्क।
13	मीडिया समन्वय टीम	जिला सूचना अधिकारी	मीडिया ब्रीफिंग, सत्यापित सूचना का प्रकाशन एवं अफवाह नियंत्रण।
14	पशु चिकित्सा एवं पशुधन सुरक्षा टीम	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	पशुओं की सुरक्षा, दवाई, चारा एवं पशु शिविरों की स्थापना।
15	महिला एवं बाल संरक्षण टीम	DSWO / ICDS अधिकारी	राहत शिविरों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल।

रिपोर्टिंग प्रणाली

- ✓ सभी टीम प्रभारी अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट DEOC को प्रेषित करेंगे।
- ✓ DEOC सभी रिपोर्टों का संकलन कर जिलाधिकारी (Incident Commander) को प्रस्तुत करेगा।
- ✓ प्रत्येक टीम का दैनिक लॉग एवं स्थिति रिपोर्ट (SITREP) DEOC में संधारित किया जाएगा।

टीम गठन के सिद्धांत

- ✓ प्रत्येक टीम में संबंधित विभागों के प्रशिक्षित कर्मचारी शामिल होंगे।
- ✓ टीमों को वर्ष में कम से कम दो बार प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल में सम्मिलित किया जाएगा।
- ✓ टीमों की अद्यतन सूची (नाम, मोबाइल नंबर, पदनाम) DEOC में रखी जाएगी।
- ✓ आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त या वैकल्पिक टीमों का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

उत्तरकाशी जनपद हेतु विशेष प्रावधान

- ✓ पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में अलग से ब्लॉक / तहसील स्तर पर माइक्रो रेस्पॉन्स टीम्स गठित की जाएंगी।
- ✓ SDRF / पुलिस / राजस्व / स्वास्थ्य / PWD के समन्वय से संयुक्त राहत दल (Joint Response Teams) कार्य करेंगे।
- ✓ ग्राम आपदा प्रबंधन समितियाँ (VDMCs) एवं Apda Mitra स्वयंसेवक इन टीमों को सामुदायिक स्तर पर सहयोग प्रदान करेंगे।

5.9. जनपद में IRS (Incident Response System) को सक्रिय करना

परिचय

आपदा की स्थिति में Incident Response System (IRS) एक मानकीकृत प्रणाली है, जो आपदा प्रतिक्रिया कार्यों को सुव्यवस्थित, समन्वित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए विकसित की गई है। यह प्रणाली भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा NDMA द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित है। IRS का उद्देश्य विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर कमांड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना है।

IRS के प्रमुख घटक (Major Components of IRS)

- Incident Commander (IC)–

आपदा प्रतिक्रिया का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जिलाधिकारी (District Magistrate) को आमतौर पर Incident Commander नामित किया जाता है। यह व्यक्ति संपूर्ण राहत, बचाव एवं पुनर्वास गतिविधियों का संचालन और नियंत्रण करता है।

- Operations Section (**कार्यान्वयन प्रभाग**)

इस सेक्शन का प्रमुख Operations Section Chief (OSC) होता है। कार्यान्वयन स्तर पर रेस्क्यू, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, और सप्लाई से जुड़ी गतिविधियाँ संचालित करता है। पुलिस, SDRF, फायर सर्विस, स्वास्थ्य, परिवहन आदि विभाग इस सेक्शन से संबद्ध रहते हैं।

- Planning Section (**योजना प्रभाग**) –

प्रमुख अधिकारी: Planning Section Chief (PSC)

जिम्मेदारी: डेटा एकत्र करना, स्थिति का आकलन, संसाधनों की उपलब्धता, और कार्ययोजना (Incident Action Plan - IAP) तैयार करना। इसमें राजस्व विभाग, NIC, सूचना विभाग, भू–अभिलेख, और तकनीकी इकाइयाँ शामिल रहती हैं।

- Logistics Section (**सुविधा एवं संसाधन प्रभाग**)

प्रमुख अधिकारी Logistics Section Chief (LSC)

जिम्मेदारी: राहत सामग्री, वाहन, उपकरण, संचार साधन, और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसमें परिवहन, पेयजल, विद्युत, PWD, और आपूर्ति विभाग सम्मिलित होते हैं।

Finance & Administration Section (वित्त एवं प्रशासन प्रभाग)

प्रमुख अधिकारी: Finance Section Chief (**FSC**)

जिम्मेदारी: व्यय का लेखा–जोखा, खरीद प्रक्रिया, भुगतान, और प्रशासनिक सहायता। इसमें कोषागार, लेखा, वित्त एवं योजना विभाग सम्मिलित होते हैं।

IRS के मुख्य उद्देश्य (Objectives of IRS Implementation)

- ✓ आपदा प्रतिक्रिया को एकीकृत कमांड के तहत संचालित करना।
- ✓ संसाधनों का सर्वोत्तम एवं समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना।
- ✓ विभागीय समन्वय एवं संचार में एकरूपता लाना।
- ✓ जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण और उत्तरदायित्व तय करना।
- ✓ मॉक ड्रिल एवं वास्तविक आपदा में त्वरित, संगठित प्रतिक्रिया देना।

उत्तरकाशी जनपद में IRS संरचना

तालिका–5.17

क्र.स.	पदनाम	अधिकारी / विभाग	भूमिका
1	Incident Commander	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी	संपूर्ण आपदा प्रतिक्रिया का नेतृत्व
2	Deputy Incident Commander	मुख्य विकास अधिकारी / ADM	Incident Commander का सहयोग
3	Operations Section Chief	पुलिस अधीक्षक / SDM	रेस्क्यू, राहत और फील्ड ऑपरेशन की कमान
4	Planning Section Chief	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी / NIC अधिकारी	डेटा संकलन, सिचुएशन रिपोर्ट, IAP तैयार करना
5	Logistics Section Chief	अधिशासी अभियंता, PWD / जल संस्थान / परिवहन अधिकारी	संसाधन, वाहन, संचार एवं राहत सामग्री उपलब्ध कराना
6	Finance Section Chief	कोषाधिकारी / वित्त अधिकारी	वित्तीय सहायता, भुगतान एवं रिकॉर्ड संधारण
7	Public Information Officer	जिला सूचना अधिकारी	मीडिया समन्वय एवं सूचना प्रसारण
8	Safety Officer	फायर सर्विस / SDRF अधिकारी	रेस्क्यू टीमों की सुरक्षा एवं जोखिम मूल्यांकन
9	Liaison Officer	DPRO / NGO समन्वयक	बाहरी एजेंसियों और एनजीओ से समन्वय

- **IRS की कार्यप्रणाली**
  - ✓ DEOC से सूचना प्राप्त होते ही Incident Commander सक्रिय हो जाएगा।
  - ✓ Incident Response Plan (IRP) तैयार किया जाएगा।
  - ✓ संबंधित सेक्शन प्रमुखों को उनकी जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएँगी।
  - ✓ संसाधनों की तैनातीए राहत दलों की प्रस्थान सूची और रिपोर्टिंग समय निर्धारित किया जाएगा।
  - ✓ DEOC सभी सेक्शन से स्थिति रिपोर्ट प्राप्त कर State EOC को अग्रेषित करेगा।

- **प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल**
  - ✓ सभी IRS पदाधिकारियों को NDMA /SDMA /ATI Nainital / DDMA Uttarkashi द्वारा नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  - ✓ वार्षिक मॉक ड्रिल में IRS प्रणाली की कार्यक्षमता का परीक्षण किया जाएगा।
  - ✓ Apda Mitra एवं स्थानीय स्वयंसेवकों को भी IRS प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा ताकि जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया मजबूत हो सके।

- **समीक्षा एवं अद्यतन**
  - ✓ IRS की संरचना एवं जिम्मेदार अधिकारियों की सूची प्रत्येक वर्ष अद्यतन की जाएगी।
  - ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा इसकी अर्धवार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

5.10. अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

आपदा की स्थिति में स्थानीय संसाधन सीमित होने पर राज्यए केंद्रीय सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी संस्थानों, एनजीओ, और सामुदायिक संगठनों से शीघ्र एवं संगठित सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों से समन्वितए पारदर्शी एवं प्रभावी सहायता तंत्र स्थापित करना है।

सहायता प्राप्ति की प्रक्रिया

- **प्राथमिक मूल्यांकन**

  घटना के तुरंत बाद DEOC द्वारा क्षति एवं आवश्यकताओं का प्रारंभिक आकलन तैयार किया जाता है। रिपोर्ट जिलाधिकारी (Incident Commander) को भेजी जाती है।

- **अनुरोध की स्वीकृति**

  जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की समीक्षा की जाती है। यदि संसाधन अपर्याप्त होंए तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को सहायता हेतु अनुरोध प्रेषित किया जाता है।

- **राज्य से सहायता का अनुरोध**

  अनुरोध फॉर्मेट–SEOC/IRS/REQ–1 में भेजा जाता है। इसमें आवश्यक संसाधनों की श्रेणी, संख्याए उपयोग का उद्देश्य और तैनाती स्थान स्पष्ट रूप से अंकित होता है।

- **केंद्र एवं अन्य बाहरी एजेंसियों से सहायता**

  यदि राज्य स्तर पर भी संसाधन सीमित होंए तो SEOC के माध्यम से NDMA, MHA (Crisis Management Cell), NDRF, रक्षा मंत्रालय या अन्य एजेंसियों से सहायता मांगी जाती है। विशेष परिस्थितियों में सेनाए ITBP, BSF, CISF, BRO, GREF आदि बलों की तैनाती की जाती है।

- **संचार एवं समन्वय**

  सभी सहायता अनुरोध DEOC → SEOC → संबंधित एजेंसी के माध्यम से भेजे जाते हैं। DEOC प्रत्येक अनुरोध की स्थिति रिपोर्ट (Request Tracking Report) रखता है।

- **सहायता प्राप्त होने पर कार्यवाही**

संसाधनों एवं दलों के आगमन पर उन्हें Incident Commander द्वारा उचित सेक्शन (Operations /Logistics) को सौंपा जाता है। उनकी गतिविधियों का समन्वय संबंधित सेक्शन प्रमुखों द्वारा किया जाता है।

- **वापसी एवं प्रतिवेदन**

कार्य पूर्ण होने पर प्रत्येक बाहरी एजेंसी को समीक्षा बैठक में आमंत्रित किया जाता है। उनकी सेवाओं का विवरण DEOC के Post-Incident Report में दर्ज किया जाता है।

सहयोगी एजेंसियों की सूची

तालिका–5.17

क्र.स.	एजेंसी / संगठन	सहायता का प्रकार	समन्वय विभाग
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)	खोज एवं बचाव कार्य	पुलिस विभाग / DDMA
2	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)	विशेष तकनीकी रेस्क्यू एवं मेडिकल सहायता	SEOC / NDMA
3	भारतीय सेना / ITBP / BRO	पुल निर्माण, राहत परिवहन, दूरस्थ पहुँच	गृह मंत्रालय / रक्षा मंत्रालय
4	भारतीय वायुसेना	हवाई निकासी, राहत सामग्री का हवाई वितरण	राज्य सरकार / रक्षा मंत्रालय
5	भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)	आपातकालीन संचार सुविधा, VHF नेटवर्क समर्थन	NIC / संचार विभाग
6	PWD, Jal Sansthan, UPCL	सड़क, पेयजल, विद्युत पुनर्बहाली	जिला प्रशासन
7	स्वास्थ्य विभाग / CMO Office	एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, राहत शिविर स्वास्थ्य सुविधा	स्वास्थ्य विभाग
8	NGOs / रेडक्रॉस / आपदा मित्र / NCC / NSS	राहत शिविर प्रबंधन, जनजागरूकता, वितरण कार्य	DPRO / DDMA
9	UN Agencies / Private Sector / PSU	लॉजिस्टिक, दान, CSR सहायता	जिला प्रशासन / SEOC
10	मीडिया संस्थान (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक)	सूचना प्रसारण, जनजागरूकता	सूचना विभाग (DIO)

- **उत्तरकाशी जिले में विशेष प्रावधान**

✓ ITBP उत्तरकाशी एवं Nehru Institute of Mountaineering को पर्वतीय एवं भूस्खलन क्षेत्रों के लिए प्राथमिक सहायता एजेंसियों में शामिल किया गया है।

✓ आपदा मित्र स्वयंसेवक को राहत शिविर संचालन और स्थानीय संचार सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

✓ BRO और PWD को दूरस्थ सड़कों की त्वरित बहाली के लिए रेडी रिस्पॉन्स टीम के रूप में रखा गया है।

✓ हेलीकॉप्टर सेवा (Heli Service) हेतु समन्वय DEOC – SEOC – Civil Aviation Department के माध्यम से किया जाएगा।

- **रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग**

✓ सभी प्राप्त सहायता की जानकारी Resource Tracking Sheet (Form DEOC/RES/05) में दर्ज की जाएगी।

✓ प्रत्येक एजेंसी की भागीदारी की समीक्षा DDMA बैठक में की जाएगी।
✓ DEOC मासिक आधार पर सहायता संबंधी विवरण SEOC को प्रेषित करेगा।

- **निष्कर्ष**

इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों की सहायता को समयबद्ध, समन्वित और जवाबदेह तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रणाली उत्तरकाशी जनपद के आपदा प्रबंधन ढांचे को अधिक सक्षम, पारदर्शी और टिकाऊ बनाती है।

5.11. लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की जांच और प्रमाणन

आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपकरण, मशीनरी, वाहन, संचार साधन, और भंडारित सामग्री (Stock / Inventory) कितनी अच्छी स्थिति में और कितनी शीघ्र उपलब्ध हैं। इस खंड का उद्देश्य सभी लॉजिस्टिक संसाधनों की नियमित जाँच, रखरखाव, सत्यापन और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया को स्थापित करना है।

- **प्रमुख घटक**

✓ **वाहन एवं परिवहन साधन** (Transport Vehicles and Means) राहत सामग्री, रेस्क्यू टीमों और मेडिकल यूनिटों के आवागमन हेतु। जैसे: ट्रक, जीप, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर, हेली सेवा, नौकाएं आदि।
✓ **आपदा उपकरण** (**Disaster Response Equipment**) रेस्क्यू, कटिंग, लिफ्टिंग, फायरफाइटिंग, कम्युनिकेशन और मेडिकल किट्स। जैसे: हाइड्रोलिक कटर, फायर सिलिंडर, स्ट्रेचर, रेस्क्यू रोप, सर्च लाइट आदि।
✓ **भंडारित राहत सामग्री** (**Relief Stock / Inventory**) टेंट, ट्रॉली, कंबल, तिरपाल, दवाइयाँ, फूड पैकेट, ड्रिंकिंग वाटर आदि। सभी सामग्रियाँ DEOC एवं ब्लॉक स्तर पर सुरक्षित रखी जाती हैं।
✓ **संचार उपकरण** (Communication Equipment) VHF सेट, वायरलेस, मोबाइल सेट, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट डोंगल आदि।
✓ **तकनीकी उपकरण** (**Technical Equipment**) DG सेट, GPS, ड्रोन, CCTV मॉनिटरिंग यूनिट, डेटा लॉगर आदि।

निरीक्षण एवं जाँच प्रक्रिया

तालिका–5.18

क्र.स.	कार्य विवरण	जिम्मेदार अधिकारी / विभाग	आवृत्ति (Frequency)
1	सभी आपदा उपकरणों की भौतिक जाँच	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी / तहसीलदार	त्रैमासिक
2	वाहनों एवं परिवहन साधनों की फिटनेस रिपोर्ट	ARTO / PWD / SDRF	प्रत्येक 6 माह में
3	राहत सामग्री के स्टॉक की गणना एवं सत्यापन	आपूर्ति विभाग / गोदाम प्रभारी	अर्धवार्षिक
4	संचार उपकरणों की कार्यप्रणाली की जाँच	NIC / पुलिस वायरलेस शाखा	मासिक
5	विद्युत जनरेटर, DG सेट एवं बैकअप की जांच	विद्युत विभाग / DEOC	मासिक
6	फायर फाइटिंग उपकरणों का परीक्षण	फायर सर्विस विभाग	मासिक

7	दवाइयों एवं मेडिकल किट की वैधता जाँच	CMO कार्यालय	मासिक
8	क्षतिग्रस्त या अप्रयुक्त उपकरणों का तिस्थापन	संबंधित विभाग	आवश्यकता अनुसार

- **भंडार अभिलेख प्रणाली**

✓ प्रत्येक विभाग अपने भंडार रजिस्टर (Stock Register) में निम्न जानकारी दर्ज करेगा
✓ वस्तु का नाम
✓ मात्रा
✓ प्राप्ति की तिथि
✓ स्थिति (सक्रिय/ निष्क्रिय)
✓ उपयोग की आवृत्ति
✓ अंतिम निरीक्षण की तिथि

- **DEOC में सभी विभागों का संयुक्त डिजिटल इन्वेंटरी रजिस्टर रखा जाएगा।**
- **DEOC द्वारा रिसोर्स मैपिंग पोर्टल पर सभी उपकरणों और भंडार की अद्यतन जानकारी अपलोड की जाएगी।**
- **उपकरणों की जाँच के बाद सत्यापन रिपोर्ट (Verification Report Form DEOC/LOG/11) तैयार की जाएगी।**

- **रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग**

✓ निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही DEOC को भेजी जाएगी।
✓ DEOC मासिक बैठक में "लॉजिस्टिक स्थिति रिपोर्ट" (Logistics Status Report) प्रस्तुत करेगा।
✓ जिन उपकरणों की स्थिति असंतोषजनक पाई जाती है, उन्हें तत्काल रिपेयर /रिप्लेसमेंट हेतु प्रस्तावित किया जाएगा।
✓ DDMA प्रत्येक छह माह में लॉजिस्टिक सिस्टम की समीक्षा करेगा।

- **निष्कर्ष**

लॉजिस्टिक्स, उपकरणों और भंडार की समय–समय पर जाँच एवं परीक्षण आपदा प्रतिक्रिया की तत्परता का मूल आधार है। इस प्रक्रिया से उत्तरकाशी जनपद में संसाधनों की विश्वसनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तत्काल, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया (Prompt and Coordinated Response) दी जा सके।

5.12. चेतावनी प्रणाली का परीक्षण

पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System and EWS) आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिसके माध्यम से आपदा की संभावित स्थिति की सूचना समय रहते संबंधित विभागों, समुदायों तथा नागरिकों तक पहुँचाई जाती है। इस प्रणाली का नियमित परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी संचार माध्यम, उपकरण और प्रक्रिया वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रभावी रूप से कार्य करें।

- **मुख्य उद्देश्य**
  पूर्व चेतावनी प्रणाली के परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

- ✓ सभी संचार उपकरणों (वायरलेस, सैटेलाइट फोन, VHF सेट, मोबाइल अलर्ट सिस्टम, सायरन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम आदि) की कार्य क्षमता की जाँच करना।
- ✓ आपदा सूचना का जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक त्वरित प्रसारण सुनिश्चित करना।
- ✓ विभागों के बीच संचार चौनलों की पारस्परिक समन्वय क्षमता का परीक्षण करना।
- ✓ चेतावनी जारी होने के बाद प्रशासनिक प्रतिक्रिया और जन–सहभागिता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- ✓ संभावित त्रुटियों की पहचान कर समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।

- **परीक्षण की प्रक्रिया**

➢ **मासिक परीक्षण**

प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि पर जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) द्वारा सभी उपलब्ध चेतावनी उपकरणों का परीक्षण किया जाता है। इसमें वायरलेस सेट, सायरन सिस्टम, सैटेलाइट फोन, और दूरसंचार साधनों की कार्यप्रणाली की जांच शामिल है।

➢ **अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल**

वर्ष में दो बार (पूर्व मानसून और उत्तर मानसून अवधि में) जिला स्तर पर एक समग्र मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है, जिसमें संचार तंत्र, सूचना प्रवाह, प्रतिक्रिया टीमों और राहत तंत्र की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाता है।

➢ **ग्राम स्तर पर परीक्षण**

ग्राम पंचायत स्तर पर वार्ड सदस्य, आपदा मित्र, ASHA, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संगठन मिलकर स्थानीय सायरन, माइक या ढोल बजाकर चेतावनी संकेत प्रणाली का परीक्षण करते हैं।

➢ **रिकॉर्ड संधारण**

प्रत्येक परीक्षण की तिथि, समय, परिणाम, प्राप्त प्रतिक्रियाएं एवं किसी भी तकनीकी खराबी का विवरण DEOC में एक रजिस्टर (Warning System Test Log Book) में दर्ज किया जाता है।

➢ **सुधारात्मक कार्यवाही**

यदि किसी परीक्षण के दौरान किसी उपकरण, संचार माध्यम या प्रक्रिया में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो संबंधित विभाग (जैसे—दूरसंचार, पुलिस, SDRF, विद्युत, राजस्व, सूचना विभाग आदि) द्वारा तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और रिपोर्ट DEOC को भेजी जाती है।

➢ **संपर्क एवं संलग्न विभाग**

- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) – समग्र समन्वय व निगरानी।

- ✓ राजस्व एवं पुलिस विभाग–स्थानीय स्तर पर सूचना प्रसार एवं प्रतिक्रिया नियंत्रण।
- ✓ दूरसंचार विभाग / NIC तकनीकी संचार प्रणाली की जाँच और रखरखाव।
- ✓ SDRF / अग्निशमन विभाग – आपात सूचना प्राप्त होने पर त्वरित प्रतिक्रिया।
- ✓ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPRO) – जनसम्पर्क माध्यमों द्वारा चेतावनी सूचना का प्रसार।
- ✓ विद्युत विभाग (UPCL) – आपातकाल में पावर बैकअप व बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ ग्राम पंचायतें और स्थानीय निकाय – समुदाय तक चेतावनी सूचना पहुँचाना।

➢ **समन्वय और निगरानी**

पूर्व चेतावनी प्रणाली के परीक्षण की निगरानी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (DDMO) द्वारा की जाती है। संपूर्ण रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) को मासिक एवं अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है, जिससे राज्य स्तर पर चेतावनी तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

➢ **निष्कर्ष**

पूर्व चेतावनी प्रणाली का नियमित परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि आपदा के समय सूचना का प्रवाह तेज, सटीक और विश्वसनीय हो।इससे प्रशासनिक तैयारियों में मजबूती आती है और समुदायों की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ती है। सिस्टम की सतत जाँच और सुधार से उत्तरकाशी जनपद में आपदा प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम किया जा सकता है और जन–धन की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है।

5.13. जनपद आपातकालीन संचालन केंद्र

जिला आपातकालीन संचालन केंद्र आपदा प्रबंधन व्यवस्था का मुख्य नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र है। यह केंद्र आपदा की स्थिति में सूचना संग्रह, विश्लेषण, निर्णय, समन्वय एवं राहत कार्यों की निगरानी का प्रमुख माध्यम होता है। इसलिए DEOC की कार्यप्रणाली, तकनीकी संसाधनों और संचार उपकरणों का नियमित परीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसी भी आपदा के समय यह केंद्र पूर्णतः सक्रिय और कार्यक्षम स्थिति में रहे।

- **मुख्य उद्देश्य**

- ✓ यह सुनिश्चित करना कि DEOC के सभी संचार साधन (वायरलेस, सैटेलाइट फोन, इंटरनेट, VHF, मोबाइल नेटवर्क आदि) सुचारु रूप से कार्य कर रहे हों।
- ✓ विद्युत आपूर्ति, बैकअप सिस्टम (जनरेटर, UPS आदि) और सर्वर उपकरणों की तकनीकी स्थिति की जाँच करना।
- ✓ सॉफ्टवेयर, डेटा प्रबंधन प्रणाली, CCTV मॉनिटरिंग और GIS आधारित मैपिंग सिस्टम की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना।
- ✓ कर्मचारियों की तत्परता, ड्यूटी चार्ट, और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन करना।
- ✓ किसी भी तकनीकी या संचालनात्मक त्रुटि की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

- **परीक्षण प्रक्रिया**

✓ **दैनिक परीक्षण–** प्रत्येक कार्य दिवस में क्म्ब्ड प्रभारी द्वारा वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम, CCTV मॉनिटरिंग और पावर सप्लाई की सामान्य कार्यप्रणाली की जाँच की जाती है।

✓ **साप्ताहिक निरीक्षण**–सप्ताह में एक बार DEOC के सभी उपकरणों, अलार्म सिस्टम, जनरेटर, UPS, सायरन, और रिकॉर्डिंग सिस्टम का संपूर्ण निरीक्षण किया जाता है।

✓ **मासिक तकनीकी परीक्षण–** महीने में एक बार तकनीकी टीम द्वारा संपूर्ण प्रणाली का परीक्षण किया जाता है जिसमें सर्वर, नेटवर्क कनेक्टिविटी, डेटा बैकअप और GIS प्लेटफॉर्म की स्थिति की समीक्षा की जाती है।

✓ **अर्धवार्षिक कार्यप्रणाली मूल्यांकन–** वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल के माध्यम से क्म्ब्ड की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाता है जिसमें सूचना प्राप्ति से लेकर आदेश निर्गमन, फील्ड टीम समन्वय और रिपोर्टिंग प्रक्रिया तक सभी चरणों का अभ्यास किया जाता है।

✓ **रिकॉर्ड संधारण**–सभी परीक्षणों का विवरण DEOC की "System Inspection Register" में तिथि, समय, निरीक्षक का नाम, स्थिति एवं टिप्पणियों सहित दर्ज किया जाता है।

✓ **सुधारात्मक कार्यवाही**–परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों या तकनीकी समस्याओं की रिपोर्ट तैयार कर संबंधित विभाग (IT, विद्युत, संचार, SDRF, राजस्व आदि) को भेजी जाती है, ताकि समय पर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्न विभाग एवं दायित्व

तालिका–5.19

विभाग / संस्था	प्रमुख दायित्व
DDMA / DEOC कार्यालय	समग्र परीक्षण की योजना, निगरानी और अभिलेख संधारण
NIC / IT विभाग	नेटवर्क, सर्वर और डाटा प्रबंधन प्रणाली की जाँच
विद्युत विभाग (UPCL)	पावर सप्लाई और बैकअप सिस्टम की कार्यक्षमता सुनिश्चित करना
दूरसंचार विभाग	वायरलेस, सैटेलाइट फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का परीक्षण
SDRF / पुलिस विभाग	सूचना प्राप्ति और त्वरित प्रतिक्रिया की जाँच
राजस्व विभाग	प्रशासनिक समन्वय और रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण

- **निगरानी एवं रिपोर्टिंग**

DEOC के परीक्षण की नियमित निगरानी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी (क्क्डव्) द्वारा की जाती है। प्रत्येक माह की रिपोर्ट जिलाधिकारी / अध्यक्ष, DDMA उत्तरकाशी को प्रस्तुत की जाती है।राज्य स्तर पर SEOC (State Emergency Operation Centre) को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जाती है ताकि राज्य स्तरीय मूल्यांकन और तकनीकी सहायता प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष (Conclusion):

✓ DEOC के नियमित परीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में संचार, समन्वय और प्रतिक्रिया प्रणाली निर्बाध रूप से कार्य करे।

✓ यह प्रक्रिया जिला प्रशासन की तत्परता को मजबूत बनाती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य समय पर प्रारंभ किए जा सकें और आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।

5.14. मौसमी आपदाओं से बचाव के लिए सुरक्षा ढांचे और सुविधाओं का निरीक्षण

उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ वर्ष भर विभिन्न मौसमी आपदाएँ — जैसे भूस्खलन, बाढ़, अतिवृष्टि, हिमपात, शीतलहर, ओलावृष्टि, और पर्वतीय मार्गों में अवरोध कृ घटित होती रहती हैं। इन परिस्थितियों से निपटने हेतु जनपद में निर्मित सुरक्षा ढाँचे (protective structures) एवं सुविधाएँ (infrastructures) जैसे तटबंध, रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज चौनल, पुल, सड़कों की ढलान सुरक्षा, जल निकासी व्यवस्था, बर्फ पिघलने की प्रणाली आदि का नियमित परीक्षण आवश्यक है, ताकि समय रहते मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण किया जा सके।

- **मुख्य उद्देश्य**
  - ✓ मौसमी आपदाओं से बचाव हेतु बनाए गए सभी सुरक्षा ढाँचों की तकनीकी स्थिति का मूल्यांकन करना।
  - ✓ नदियों एवं नालों में बने तटबंधों, गेबियन वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स आदि की मजबूती की जाँच करना।
  - ✓ वर्षा ऋतु से पूर्व जल निकासी, नालों की सफाई, एवं ढलानों की सुरक्षा कार्यों की समीक्षा करना।
  - ✓ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राहत शिविरों, आश्रय स्थलों एवं सामुदायिक भवनों की उपयोगिताऔर सुरक्षा की जाँच करना।
  - ✓ संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों (Risk Zones) की पहचान कर संबंधित विभागों को आवश्यक सुधार कार्यों हेतु निर्देशित करना।

- **परीक्षण प्रक्रिया**
  - ✓ **पूर्व–मानसून निरीक्षण** –मई–जून माह में सभी प्रमुख विभाग (PWD, जल संस्थान, सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, नगर निकाय, आदि) द्वारा संयुक्त रूप से भूस्खलन संभावित स्थलों, सड़कों, पुलों और नालों का निरीक्षण किया जाता है।
  - ✓ **मॉनसून अवधि में निगरानी**–जुलाई से सितंबर तक संवेदनशील स्थलों की साप्ताहिक निगरानी की जाती है। किसी भी ढाँचे में दरार, कटाव या जलजमाव की स्थिति मिलने पर तुरंत सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।
  - ✓ **हिमपात एवं शीतकालीन समीक्षा**–उच्च हिमालयी क्षेत्रों (जैसे हर्षिल, नेलांग, मोरी, बड़कोट क्षेत्र) में बर्फ हटाने की व्यवस्था, सड़क किनारे गार्डरेल्स और संकेत पट्टिकाओं की स्थिति की जाँच की जाती है।
  - ✓ **भवनों एवं शरण स्थलों का परीक्षण**–विद्यालयों, सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों एवं राहत शिविर स्थलों की संरचनात्मक सुरक्षा (structural safety) की जाँच की जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया जा सके।
  - ✓ **अभिलेख संधारण**– सभी निरीक्षणों का विवरण विभागीय निरीक्षण पुस्तिका में अंकित किया जाता है। रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को प्रस्तुत की जाती है तथा क्म्ब में डिजिटल अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जाती है।

संलग्न विभाग एवं उनकी भूमिकाएँ

तालिका–5.20

विभाग / संस्था	प्रमुख दायित्व
लोक निर्माण विभाग	सड़कों, पुलों और ढलानों की सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण
सिंचाई विभाग	तटबंध, नाले और जल निकासी चौनलों की जाँच
जल संस्थान / पेयजल विभाग	जल निकासी और पाइपलाइन नेटवर्क की समीक्षा
नगर पालिका / ग्राम पंचायतें	स्थानीय सफाई, जल निकासी और अस्थायी आश्रय स्थलों की तैयारी
DDMA / DEOC	निरीक्षणों का समन्वय, रिपोर्ट संकलन और फॉलो–अप
राजस्व एवं SDRF विभाग	जोखिम क्षेत्रों की निगरानी एवं आपातकालीन कार्रवाई

- **रिपोर्टिंग एवं फॉलो–अप**
  - ✓ प्रत्येक निरीक्षण के बाद संबंधित विभाग द्वारा विस्तृत रिपोर्ट DEOC, उत्तरकाशी को भेजी जाती है।
  - ✓ DDMA इन रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक समीक्षा बैठक (Annual Preparedness Review) आयोजित करता है।
  - ✓ अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में त्वरित मरम्मत कार्यों हेतु राज्य आपातकालीन निधि (State Disaster Response Fund – SDRF) से धन आवंटन की अनुशंसा की जाती है।
- **निष्कर्ष**

  मौसमी आपदाओं से पूर्व सुरक्षा ढाँचों और सुविधाओं की नियमित जाँच जनपद की आपदा–तैयारी को सुदृढ़ बनाती है। इससे न केवल अवसंरचना को क्षति से बचाया जा सकता है, बल्कि मानव जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। नियमित निरीक्षण, समय पर मरम्मत और विभागीय समन्वय के माध्यम से उत्तरकाशी जनपद को "आपदा–प्रतिरोधी जिला (Disaster Resilient District)" बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

5.15. जनपद में त्वरित प्रतिक्रिया दलों की पहचान–

परिचय

आपदा के समय प्रारंभिक "स्वर्णिम घण्टे" (Golden Hours) जीवन–रक्षा एवं राहत कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन क्षणों में यदि प्रशिक्षित एवं सुसंगठित टीम तुरंत कार्य आरंभ करे, तो जन–हानि व संपत्ति–हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (RRTs) का गठन किया गया है। ये टीमें भूकंप, भूस्खलन, बादल–फट, बाढ़, अग्निकांड, सड़क दुर्घटनाओं आदि सभी प्रकार की आपदाओं में तत्काल कार्यवाही करती हैं।

- **मुख्य उद्देश्य**
  - ✓ किसी भी आपदा की स्थिति में न्यूनतम समय में प्रभावी प्रारंभिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
  - ✓ मानव–जीवन की रक्षा, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाने की व्यवस्था करना।
  - ✓ संचार, मार्ग एवं बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं की बहाली में त्वरित कार्यवाही करना।

✓ विभागों के बीच समन्वय और नेतृत्व व्यवस्था (IRS Structure) को सक्रिय बनाए रखना।

✓ राहत कार्यों के दौरान सामुदायिक सहभागिता एवं स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना।

- **टीमों की पहचान एवं वर्गीकरण**

(क) प्राथमिक प्रतिक्रिया टीमें – ये टीमें घटना–स्थल पर सर्वप्रथम पहुँचती हैं और प्राथमिक राहत, खोज–बचाव, तथा सूचना संप्रेषण का कार्य करती हैं। मुख्य विभागरू पुलिस, अग्निशमन,ैक्त्थ्छक्त्थ्, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग।

(ख) सहायक प्रतिक्रिया टीमें–ये टीमें प्राथमिक टीमों को तकनीकी, सामग्री एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान करती हैं। मुख्य विभाग: विद्युत, जल संस्थान, शिक्षा, पशुपालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व।

(ग) सामुदायिक प्रतिक्रिया टीमें– ग्राम, वार्ड या ब्लॉक स्तर पर गठित ये टीमें स्थानीय स्तर पर प्रारंभिक सहायता, निकासी (Evacuation) एवं सूचना प्रसारण में सहायक होती हैं। मुख्य इकाइयाँ: आपदा मित्र, स्वयंसेवक, एनएसएस/एनसीसी छात्र, ग्राम प्रहरी, महिला मंगल दल।

विभागवार त्वरित प्रतिक्रिया टीमें

तालिका–5.20

क्र.सं.	विभाग / संस्था	टीम प्रकार	मुख्य कार्य / उत्तरदायित्व
1	पुलिस विभाग	सुरक्षा एवं निकासी टीम	भीड़ नियंत्रण, मार्ग सुरक्षा, लोगों की निकासी में सहयोग
2	अग्निशमन विभाग	अग्निशमन टीम	आगजनी या ढही भवनों में बचाव कार्य
3	स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सीय सहायता टीम	प्राथमिक उपचार, घायलों का स्थल पर उपचार एवं अस्पताल भेजना
4	लोक निर्माण विभाग	मार्ग बहाली टीम	सड़कों की सफाई, भूस्खलन हटाना, आवागमन पुनर्स्थापित करना
5	विद्युत विभाग	विद्युत पुनर्स्थापन टीम	बिजली लाइन मरम्मत, सुरक्षा जाँच, वितरण पुनः सक्रिय करना
6	जल संस्थान	जलापूर्ति टीम	पेयजल व्यवस्था सुधारना, स्रोतों की सफाई
7	राजस्व विभाग	राहत वितरण टीम	क्षति आकलन, राहत सामग्री वितरण
8	SDRF / NDRF	विशेष बचाव दल	ऊँचाई या खतरे वाले क्षेत्रों में तकनीकी बचाव
9	शिक्षा विभाग	छात्र सुरक्षा टीम	विद्यालयों में निकासी अभ्यास एवं बच्चों की सुरक्षा
10	पंचायत / नगर निकाय	सामुदायिक सहयोग टीम	स्थानीय संसाधनों की सक्रियता एवं लॉजिस्टिक सहयोग

- **प्रशिक्षण एवं अभ्यास–**

✓ प्रत्येक टीम सदस्य को आपदा प्रतिक्रिया, पहली सहायता, खोज एवं बचाव का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

✓ वार्षिक मॉक ड्रिल आयोजित कर प्रतिक्रिया तैयारी का मूल्यांकन किया जाता है।

✓ प्रशिक्षण डाटा और संपर्क सूची (DEOC द्वारा) प्रत्येक छः महीने में अपडेट की जाती है।

- ✓ प्रशिक्षण में NIM उत्तरकाशी, SDRF कैम्प गदरपुर, रेड क्रॉस और आपदा मित्र स्वयंसेवक संलग्न होते हैं।

- **संचार तंत्र**
  - ✓ सभी टीमों का DEOC से VHF, वायरलेस या मोबाइल नेटवर्क द्वारा सीधा संपर्क रखा जाता है।
  - ✓ प्रत्येक टीम में एक नोडल अधिकारी (Team Leader) नामित किया गया है जो DEOC को तत्काल रिपोर्ट करता है।
  - ✓ आपदा के समय सभी टीमें IRS संरचना के अनुसार Incident Commander (जिलाधिकारी) के अधीन कार्य करती हैं।

- **निगरानी एवं समीक्षा**
  - ✓ प्रत्येक टीम की त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें उपकरणों, जनशक्ति एवं संसाधनों की समीक्षा की जाती है।
  - ✓ DEOC के द्वारा सभी टीमों का वार्षिक ऑडिट किया जाता है ताकि तत्परता स्थिति सुनिश्चित रहे।
  - ✓ किसी घटना के बाद After Action Review (AAR) के माध्यम से टीमों के कार्य का मूल्यांकन कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

- **निष्कर्ष**

  त्वरित प्रतिक्रिया टीमें जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की रीढ़ हैं। इनके निरंतर प्रशिक्षण, सामान्य अभ्यास और समन्वित कार्यवाही से जनपद उत्तरकाशी आपदा के किसी भी रूप का सामना त्वरित तथा प्रभावी रूप से कर सकता है।

5.16. गैर–सरकारी संगठनों (NGOS) और अन्य हितधारकों का समन्वय–

परिचय

आपदा प्रबंधन केवल सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह साझा सामाजिक उत्तरदायित्व (Collective Social Responsibility) है। जनपद उत्तरकाशी जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में, गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), स्वयंसेवी समूहों, धार्मिक संस्थाओं, औद्योगिक इकाइयों तथा सामुदायिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएँ राहत, बचाव, पुनर्वास, जन–जागरूकता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में प्रशासन के सहयोगी के रूप में कार्य करती हैं।

- **मुख्य उद्देश्य**
  - ✓ गैर–सरकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों की क्षमताओं का उपयोग कर आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना।
  - ✓ राहत, बचाव, पुनर्वास और जागरूकता अभियानों में सरकारी तंत्र के साथ सहयोगी ढांचा तैयार करना।
  - ✓ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर त्वरित सहायता, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र और मनो–सामाजिक समर्थन उपलब्ध कराना।
  - ✓ प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल, और जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

NGOs एवं हितधारकों की भूमिका

तालिका–5.21

क्र.सं.	संस्था/ संगठन का प्रकार	मुख्य कार्य /भूमिका
1	स्थानीय NGOs	राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सहायता, अस्थायी शिविर प्रबंधन, जल एवं स्वच्छता व्यवस्था
2	अंतरराष्ट्रीय NGOs / एजेंसियाँ (UNDP,Red Cross, UNICEF आदि)	तकनीकी सहयोग, क्षमता निर्माण, आपदा–पूर्व तैयारी एवं पुनर्वास कार्यक्रम
3	धार्मिक /सामाजिक संस्थाएँ	भोजन, वस्त्र एवं आश्रय व्यवस्था में सहायताय जन–मनोवैज्ञानिक परामर्श
4	शैक्षणिक संस्थान (NIM,ITI, GIC आदि)	स्वयंसेवक प्रशिक्षण, जन–जागरूकता अभियान, युवा सहभागिता
5	औद्योगिक /निजी क्षेत्र (CSR के माध्यम से)	वित्तीय सहायता, आपदा उपकरण, सामग्री आपूर्ति, राहत शिविरों को सहायता
6	महिला समूह /स्वयं सहायता समूह (SHGs)	स्थानीय स्तर पर महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, पोषण, मनोवैज्ञानिक सहयोग
7	आपदा मित्र/ स्वयंसेवक नेटवर्क	प्राथमिक प्रतिक्रिया, सूचना प्रसारण, निकासी में सहयोग

- **समन्वय प्रणाली**
  - ✓ जिला प्रशासन द्वारा गैर–सरकारी संगठनों का एक समन्वय तंत्र स्थापित किया गया है, जो DEOC के माध्यम से संचालित होता है।
  - ✓ प्रत्येक NGO को नोडल विभाग या अधिकारी आवंटित किया गया है ताकि राहत वितरण में दोहराव या विलंब न हो।
  - ✓ आपदा के समय सभी NGOs को DEOC द्वारा जारी सिंगल कमांड और रिपोर्टिंग सिस्टम (Unified Command System) के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य है।
  - ✓ जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष NGO समन्वय बैठक” आयोजित की जाती है जिसमें योजनाएँ, संसाधन एवं तैयारी पर चर्चा की जाती है।
- **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण**
  - ✓ उत्तरकाशी द्वारा NGOs, स्वयंसेवकों एवं आपदा मित्रों के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
  - ✓ प्रशिक्षण विषयों में — प्राथमिक उपचार, खोज–बचाव, मनोवैज्ञानिक सहयोग, राहत शिविर संचालन, और संचार प्रणाली का उपयोग शामिल है।
  - ✓ प्रशिक्षण के पश्चात सभी प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और ID कार्ड जारी किए जाते हैं ताकि DEOC से उन्हें पहचानकर बुलाया जा सके।
  - ✓ NGOs को अपने स्वयंसेवकों की सूची, संसाधनों और उपकरणों की जानकारी हर छः महीने में DDMA को उपलब्ध करानी होती है।

- **सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली**
  - ✓ आपदा की स्थिति में प्रत्येक छळव को अपने गतिविधि क्षेत्र की दैनिक प्रगति रिपोर्ट (Daily Situation Report) DEOC को भेजनी होती है।
  - ✓ DEOC द्वारा इन रिपोर्टों को संकलित कर SEOC (राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र) को प्रेषित किया जाता है।
  - ✓ NGOs द्वारा की गई सहायता, वितरण और जन–सेवाओं का रिकॉर्ड पारदर्शिता हेतु DEOC पोर्टल पर अपडेट किया जाता है।
  - ✓ निरंतर समीक्षा एवं मान्यता
  - ✓ जिला प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष कार्यकुशल छळवे को प्रशस्ति पत्र एवं मान्यता प्रदान की जाती है।
  - ✓ किसी भी NGO की निष्क्रियता या अव्यवस्था पाए जाने पर उसे छळव पंजीकरण सूची से हटाया जा सकता है।
  - ✓ DDMA की समीक्षा बैठक में प्रत्येक NGO से Annual Activity Report प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।
- **निष्कर्ष–**

  गैर–सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से जनपद उत्तरकाशी की आपदा प्रबंधन प्रणाली और अधिक सशक्त एवं सहभागी बनती है। इनके सहयोग से प्रशासनिक प्रतिक्रिया और सामुदायिक सहायता के बीच एक प्रभावी समन्वय स्थापित होता है, जो उत्तरकाशी को एक Resilient District (लचीला जिला) बनने की दिशा में अग्रसर करता है।

5.17. हानि प्रबंधन

आपदा की स्थिति में अचानक बड़ी संख्या में घायल या मृत व्यक्ति सामने आ सकते हैं। ऐसे समय में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, SDRF, और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर त्वरित, समन्वित एवं संवेदनशील कार्रवाई करनी होती है। जनपद उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय एवं संवेदनशील क्षेत्र में, भूकंप, भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाएँ, बादल फटना, भवन ढहना एवं बस हादसे जैसी घटनाओं में Mass Casualty की संभावना रहती है। इसलिए जिला प्रशासन द्वारा हानि प्रबंधन प्रणाली (Mass Casualty Management System & MCMS) को सुदृढ़ किया गया है, जिससे आपदा के समय चिकित्सा सहायता, निकासी और मृतकों की पहचान शीघ्र हो सके।

- **मुख्य उद्देश्य**
  - ✓ बड़ी संख्या में घायलों एवं मृतकों के कुशल प्रबंधन हेतु समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  - ✓ राहत एवं बचाव दलों को प्रशिक्षित कर Golden Hour के भीतर जीवन रक्षा सुनिश्चित करना।
  - ✓ अस्पतालों, एम्बुलेंस नेटवर्क एवं रक्त बैंकों की पूर्व तैयारी को बनाए रखना।
  - ✓ मृतकों की पहचान, परिजनों को सूचना एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
  - ✓ घटनास्थल पर ट्रायेज सिस्टम (Triage System) लागू करना ताकि प्राथमिकता के आधार पर उपचार हो सके।
- **कार्रवाई की संरचना**

  त्वरित सूचना एवं सक्रियण– जैसे ही बड़ी दुर्घटना या आपदा की सूचना मिलती है, DEOC तुरंत जिला अस्पताल, CHC, PHC और निजी अस्पतालों को सतर्क करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा Mass

Casualty Alert जारी किया जाता है। Ambulance Command System (108 सेवा) को सक्रिय कर नजदीकी टीमों को घटनास्थल की ओर भेजा जाता है।

घटनास्थल पर त्वरित चिकित्सा व्यवस्था– SDRF/NDRF एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलकर घटनास्थल पर मेडिकल ट्रायेज जोन स्थापित किया जाता है। घायलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है लाल टैग (Critical): त्वरित शल्य चिकित्सा या ICU की आवश्यकता। पीला टैग (Moderate): सामान्य चिकित्सा सहायता आवश्यक। हरा टैग (Minor): प्राथमिक उपचार के बाद भेजा जा सकता है। काला टैग (Deceased): मृत व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक अलग क्षेत्र में ले जाया जाता है।

चिकित्सा संस्थानों की तैयारी

- ✓ जिला अस्पताल, CHC, PHC, और निजी अस्पतालों में आपदा के समय आपातकालीन वार्ड (Emergency Ward) सक्रिय किए जाते हैं।
- ✓ अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था, दवाओं का स्टॉक, सर्जिकल किट, एवं प्लास्टिक बॉडी बैग्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
- ✓ रक्त बैंक / ब्लड डोनर नेटवर्क सक्रिय किया जाता है, जिसमें स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जाती है।
- ✓ अस्पताल प्रशासन द्वारा घायलों की सूची और स्थिति रिपोर्ट क्म्ब् को हर 2 घंटे में भेजी जाती है।

निकासी एवं परिवहन व्यवस्था

- ✓ 108 एम्बुलेंस सेवा, SDRF वाहन, पुलिस वाहन, और स्थानीय परिवहन साधनों को एकीकृत कर Evacuation Plan सक्रिय किया जाता है।
- ✓ सड़क बाधित होने की स्थिति में हेलीकॉप्टर निकासी (Air Evacuation) की व्यवस्था SDRF / भारतीय वायुसेना के सहयोग से की जाती है।
- ✓ DEOC के नियंत्रण में Medical Coordination Cell कार्य करता है, जो सभी परिवहन और अस्पताल आवंटन का रिकॉर्ड रखता है।

मृतकों का प्रबंधन

- ✓ मृतकों की पहचान हेतु पुलिस, राजस्व विभाग, और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम कार्य करती है।
- ✓ फोटोग्राफ, उंगलियों के निशान, वस्त्र आदि के आधार पर पहचान प्रक्रिया की जाती है।
- ✓ पहचान होने पर परिजनों को सूचना देकर सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जाती है।
- ✓ यदि पहचान न हो सके तो पोस्टमार्टम एवं क्छ। सैंपल लेकर रिकॉर्ड DEOC को सौंपा जाता है।

मनो–सामाजिक सहयोग

- ✓ आपदा के बाद प्रभावित परिवारों एवं बचावकर्मियों को मानसिक तनाव कम करने हेतु काउंसलिंग टीम भेजी जाती है।
- ✓ इसमें सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, तथा NGOs की सहायता ली जाती है।

सहभागी विभाग / संस्थाएँ–

तालिका–5.22

क्र.सं.	विभाग / संस्था	भूमिका / उत्तरदायित्व
1	स्वास्थ्य विभाग	Mass Casualty Response योजना का संचालन
2	पुलिस विभाग	पहचान, पोस्टमार्टम, रिकॉर्ड संधारण
3	SDRF / NDRF	घायलों को निकालना, ट्रायेज क्षेत्र की स्थापना
4	DEOC (DDMA)	समन्वय, सूचना एवं लॉजिस्टिक सहायता
5	परिवहन विभाग	एम्बुलेंस और वाहन व्यवस्था
6	रेड क्रॉस / NGOs	प्राथमिक चिकित्सा, भोजन, रक्तदान एवं सहायता
7	स्थानीय प्रशासन	अस्थायी शिविर, मृतकों के परिवार को सहयोग

संसाधन एवं तैयारी

- ✓ जिला अस्पताल और प्रमुख CHC में Mass Casualty Handling Kits उपलब्ध रखे जाते हैं।
- ✓ प्रत्येक चिकित्सालय में आपातकालीन संपर्क सूची, रक्त समूह सूची और ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता रिपोर्ट रखी जाती है।
- ✓ मासिक मॉक ड्रिल्स द्वारा अस्पतालों की प्रतिक्रिया समय का परीक्षण किया जाता है।
- ✓ वाहनों, स्ट्रेचर, प्राथमिक उपचार सामग्री, और शव प्रबंधन बैग्स की गिनती DEOC के रिकॉर्ड में रखी जाती है।

निष्कर्ष

Mass Casualty Management किसी भी आपदा की स्थिति में जीवन रक्षा का केंद्रीय तंत्र है। जिला उत्तरकाशी में प्रशासनिक, चिकित्सीय और स्वयंसेवी तंत्र के समन्वित प्रयासों से एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है जिससे किसी भी बड़ी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित, मानवीय और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके।

5.18. राहत, भोजन और पानी

किसी भी आपदा के बाद प्रभावित जनसमुदाय के लिए राहत (Relief), भोजन (Food Supply) तथा पेयजल (Drinking Water) की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जनपद उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जिले में, भूकंप, भूस्खलन, बादल–फटना, बाढ़, सड़क अवरोध या भारी हिमपात की स्थिति में गाँवों का संपर्क टूट सकता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और राहत कार्यों का व्यवस्थित प्रबंधन प्रशासन की प्राथमिकता बन जाता है। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक सशक्त राहत वितरण एवं जलदृभोजन आपूर्ति प्रबंधन तंत्र विकसित किया है, जो DEOC (District Emergency Operation Center) के नियंत्रण में कार्य करता है।

मुख्य उद्देश्य

- ✓ प्रभावित व्यक्तियों को समय पर भोजन, स्वच्छ पानी और आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराना।
- ✓ अस्थायी राहत शिविरों का संचालन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुरक्षा बनाए रखना।
- ✓ राहत सामग्री के समान वितरण, पारदर्शिता और निगरानी को सुनिश्चित करना।
- ✓ भोजन एवं पानी की गुणवत्ता, मात्रा और आपूर्ति श्रृंखला का नियमित परीक्षण करना।

- ✓ स्थानीय समुदाय, NGOs और स्वयंसेवकों के सहयोग से राहत कार्यों का क्रियान्वयन।

राहत सामग्री का भंडारण एवं उपलब्धता

- ✓ जनपद में सभी तहसीलों, ब्लॉकों एवं प्रमुख बाजार क्षेत्रों में पूर्व से राहत सामग्री का भंडारण किया जाता है।
- ✓ इन भंडारों में शामिल वस्तुएँ हैं – टेंट, तिरपाल, कंबल, चादरें, चप्पलें, सोलर लालटेन प्राथमिक चिकित्सा किट, स्वच्छता किट, आवश्यक औषधियाँ शिशु आहार एवं महिलाओं हेतु स्वास्थ्य सामग्री भंडारण केंद्रों की सूची DEOC द्वारा अद्यतन रखी जाती है।

राहत शिविरों की स्थापना–

- ✓ राहत शिविरों का चयन पूर्व–चिह्नित सुरक्षित स्थलों (विद्यालय, सामुदायिक भवन, पंचायत घर आदि) पर किया जाता है।
- ✓ प्रत्येक शिविर में निम्नलिखित सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं—स्वच्छ पेयजल एवं भोजन अस्थायी शौचालय प्राथमिक चिकित्सा एवं चिकित्सा सहायता केंद्र बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था
- ✓ प्रत्येक राहत शिविर में एक शिविर प्रभारी (Camp In-Charge) नामित किया जाता है जो DEOC को दैनिक रिपोर्ट देता है।

भोजन व्यवस्था

भोजन आपूर्ति एवं वितरण

- ✓ राहत शिविरों में भोजन आपूर्ति का दायित्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और रेड क्रॉस स्थानीय NGOs के सहयोग से निभाया जाता है।
- ✓ प्रशासनिक आदेशानुसार भोजन वितरण में प्राथमिकता दी जाती है—बच्चे एवं गर्भवती महिलाएँ, वृद्ध एवं दिव्यांग व्यक्ति, गंभीर रूप से प्रभावित परिवार भोजन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता हेतु लॉगबुक एवं वितरण पंजी रखा जाता है।

भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता

- ✓ भोजन तैयार करते समय स्वच्छ जल, स्वच्छ रसोई और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन अनिवार्य है।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।
- ✓ नाशवान वस्तुओं के लिए कोल्ड स्टोरेज या शीघ्र वितरण प्रणाली लागू की जाती है।

पेयजल व्यवस्था (पेयजल आपूर्ति)

- ✓ पेयजल आपूर्ति का दायित्व जल संस्थान / पेयजल निगम के अधीन रहता है।
- ✓ राहत शिविरों में टैंकर, हैंडपंप, या जलशुद्धिकरण यंत्र (Water Purifiers / RO Units) की व्यवस्था की जाती है।
- ✓ जल स्रोतों की सुरक्षा हेतु क्लोरीनेशन एवं पानी की गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है।

जल गुणवत्ता निगरानी

- ✓ स्वास्थ्य विभाग एवं जल संस्थान के संयुक्त दल द्वारा नियमित रूप से जल नमूने एकत्र किए जाते हैं।

- ✓ Portable Water Testing Kits का उपयोग कर क्लोरीन स्तर और पीने योग्य मानक (IS 10500) की पुष्टि की जाती है।

निगरानी एवं समन्वय

तालिका—5.23

क्र.सं.	विभाग / संस्था	उत्तरदायित्व
1	जिला प्रशासन / DEOC	राहत वितरण का समग्र समन्वय
2	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	राशन, खाद्यान्न और LPG आपूर्ति
3	जल संस्थान / पेयजल निगम	पेयजल व्यवस्था और गुणवत्ता परीक्षण
4	स्वास्थ्य विभाग	जल जनित रोगों की रोकथाम, स्वच्छता निगरानी
5	नगर निकाय / ग्राम पंचायतें	राहत शिविरों की सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
6	रेड क्रॉस / NGOs	भोजन वितरण, राहत सामग्री और स्वयंसेवक सहयोग
7	पुलिस विभाग	शिविरों की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखना

पारदर्शिता एवं रिपोर्टिंग प्रणाली

- ✓ सभी राहत शिविरों से दैनिक रिपोर्ट DEOC को प्रेषित की जाती है।
- ✓ रिपोर्ट में भोजन—पानी की उपलब्धता, लाभार्थियों की संख्या, शिकायतें और आवश्यकताएँ दर्ज की जाती हैं।
- ✓ DDMA द्वारा राहत कार्यों का साप्ताहिक मूल्यांकन (Relief Audit) किया जाता है ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

सामुदायिक सहभागिता

- ✓ स्थानीय स्वयंसेवक, महिला मंगल दल, युवा मंडल और आपदा मित्र राहत कार्यों में सक्रिय सहयोग देते हैं।
- ✓ ग्राम स्तर पर स्थानीय राहत समिति गठित की जाती है जो भोजन और पानी की वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता रखती है।

निष्कर्ष—

राहत, भोजन एवं पानी आपदा प्रतिक्रिया का सबसे संवेदनशील और आवश्यक भाग है। जनपद उत्तरकाशी में DEOC के नेतृत्व में विभिन्न विभागों, NGOs और समुदायों के समन्वित प्रयासों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी आपदा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति भूखा या बिना पानी के न रहे और सभी को समय पर सुरक्षित, स्वच्छ एवं पर्याप्त राहत सहायता प्राप्त हो सके।

5.19. आश्रय / चिकित्सा / राहत शिविर

आपदा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएँ राहत एवं पुनर्वास कार्यों की रीढ़ होती हैं। किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के उपरांत प्रभावित जनसंख्या को त्वरित चिकित्सा सहायता, रोग नियंत्रण एवं मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आपातकालीन स्वास्थ्य एवं राहत शिविरों की स्थापना की जाती है।

उद्देश्य

- ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में घायल, बीमार एवं मानसिक रूप से आहत व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- ✓ संक्रामक रोगों की रोकथाम, जलजनित बीमारियों के नियंत्रण और स्वच्छता बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना।
- ✓ गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, वृद्धजनों एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था करना।
- ✓ प्राथमिक उपचार से लेकर आवश्यकतानुसार रेफरल अस्पतालों तक मरीजों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना।
- ✓ आपदा के पश्चात दीर्घकालिक स्वास्थ्य निगरानी एवं पुनर्वास योजनाओं को लागू करना।
- ✓ समुदाय में स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानसिक संतुलन के प्रति जागरूकता फैलाना।

जिम्मेदार विभाग एवं सहयोगी एजेंसियाँ

तालिका–5.24

विभाग/एजेंसी	भूमिका /कार्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	स्वास्थ्य सेवाओं की समन्वय एवं निगरानी
जिला अस्पताल / CHC / PHC	प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा दलों की तैनाती, दवा वितरण
SDRF / NDRF / रेडक्रॉस सोसाइटी	प्राथमिक उपचार, बचाव दलों के लिए मेडिकल सहायता
आयुष विभाग	वैकल्पिक औषधि एवं मानसिक स्वास्थ्य परामर्श
नगर निकाय / जल संस्थान	स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता व्यवस्था
एनजीओ / स्वयंसेवी संगठन	जनजागरूकता, राहत सामग्री वितरण एवं सहयोगी चिकित्सा सहायता

प्रमुख कार्यवाही

- ✓ **चिकित्सा दलों की तैनाती:** प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी जाए। 24×7 कार्यरत आपातकालीन चिकित्सा सहायता टीम गठित हो।
- ✓ **आपातकालीन शिविर की स्थापना:** सुरक्षित एवं सुलभ स्थान पर अस्थायी स्वास्थ्य शिविर स्थापित किए जाएँ। प्रत्येक शिविर में प्राथमिक उपचार किट, दवा भंडार, पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था हो।
- ✓ **औषधि एवं उपकरण प्रबंधन:** एम्बुलेंस, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार सामग्री एवं रक्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। दवाओं का स्टॉक जिला औषधि भंडार में पूर्व से रखा जाए।

- ✓ **रोग नियंत्रण एवं स्वच्छता:** जलजनित और संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु क्लोरीन टैबलेट वितरण। प्रभावित क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- ✓ **मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** आपदा से प्रभावित परिवारों को काउंसलिंग, तनाव प्रबंधन और सहायता सेवा उपलब्ध कराई जाए। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष सहायता केंद्र स्थापित हों।

- ✓ **रोग निगरानी प्रणाली:** IDSP (Integrated Disease Surveillance Program) के अंतर्गत बीमारियों की रिपोर्टिंग प्रणाली सक्रिय की जाए। किसी भी संक्रामक रोग की जानकारी तत्काल DEOC को भेजी जाए।
- ✓ **स्वास्थ्य शिविर का प्रलेखन:** प्रत्येक शिविर का नाम, स्थान, अवधि, चिकित्सक दल, मरीजों की संख्या, उपचार प्रकार आदि का विवरण दैनिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाए। समस्त डेटा DEOC को भेजा जाए और राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा किया जाए।
- ✓ **जनजागरूकता गतिविधियाँ:** समुदाय को स्वच्छता, जल शुद्धिकरण, पोषण एवं रोग–निवारण के प्रति शिक्षित किया जाए। स्थानीय आँगनबाड़ी, आशा एवं ।छड कार्यकर्ताओं को सामुदायिक शिक्षा में शामिल किया जाए।

आवश्यक संसाधन

- ✓ एम्बुलेंस एवं मोबाइल मेडिकल वैन
- ✓ आवश्यक दवाइयाँ, वैक्सीन, क्लोरीन टैबलेट
- ✓ प्राथमिक उपचार किट एवं फर्स्ट–एड बॉक्स
- ✓ चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ
- ✓ जनरेटर, टेंट, प्रकाश व्यवस्था
- ✓ भोजन एवं पेयजल की सुविधा

निगरानी एवं रिपोर्टिंग

- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन शिविर की स्थिति रिपोर्ट तैयार कर DEOC को भेजी जाएगी।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिविरों का फील्ड निरीक्षण किया जाएगा।
- ✓ सभी रिपोर्ट राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष (SEOC) को अग्रेषित की जाएँगी।

5.20. प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आपातकालीन अलर्ट सिस्टम, सायरन, सैटेलाईट फोन हेल्पलाइन और इमरजेंसी नंबर)

आपदा की स्थिति में सूचना का त्वरित संचार ही प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यों की कुंजी होता है। सूचना के संप्रेषण में विलंब होने पर हानि की मात्रा कई गुना बढ़ सकती है। इस कारण जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों को एकीकृत कर "प्रारंभिक चेतावनी एवं आपात संचार प्रणाली (Emergency Alert System)" विकसित की गई है, जिससे समय रहते जनसमुदाय, विभागों एवं राहत बलों तक सूचना पहुँच सके।

उद्देश्य

- ✓ आपदा संभावित क्षेत्रों में समयपूर्व चेतावनी प्रदान करना।
- ✓ संचार प्रणाली के माध्यम से विभागों, पुलिस, स्वास्थ्य, फायर एवं SDRF/NDRF तक तत्काल सूचना पहुँचाना।
- ✓ दूरस्थ/पर्वतीय क्षेत्रों में वैकल्पिक संचार व्यवस्था (Satellite / VHF) सक्रिय रखना।
- ✓ आपदा के दौरान जनता को हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना।
- ✓ राज्य एवं राष्ट्रीय आपात सूचना तंत्र के साथ डेटा एकीकरण (Integration) सुनिश्चित करना।

5.21. विकलांग व्यक्तियों के लिए तैयारी और निकासी

आपदा के समय दिव्यांगजन सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों में आते हैं। अतः उनके लिए विशेष तैयारी, सहायता तंत्र एवं पुनर्वास की व्यवस्थाएँ जिला आपदा प्रबंधन योजना का अभिन्न अंग हैं। जनपद उत्तरकाशी में इस दिशा में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं –

डेटा बेस का संकलन: प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान एवं उनकी श्रेणीवार (दृष्टि, श्रवण, शारीरिक, मानसिक आदि) सूची तैयार की गई है। यह जानकारी DEOC और तहसील आपदा प्रबंधन कार्यालय में अद्यतन रखी जाती है।

सामुदायिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण: दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार एवं संचार साधनों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। Apda Mitra ,oa Anganwadi/ASHA कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है कि वे आपदा के दौरान दिव्यांगजनों की सहायता कर सकें।

निकासी एवं राहत केंद्रों में विशेष व्यवस्था: राहत शिविरों में रैम्प, रेलिंग, व्हीलचेयर, ब्रेल संकेतक एवं श्रवण सहायता उपकरण की व्यवस्था की जाती है।शौचालय एवं विश्राम स्थल दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुसार बनाए जाते हैं।

पूर्व चेतावनी संचार व्यवस्था: SMS, कॉल अलर्ट, लाउडस्पीकर एवं स्थानीय स्वयंसेवकों के माध्यम से सुलभ संचार व्यवस्था की जाती है ताकि दिव्यांगजनों तक जानकारी समय पर पहुँचे।

मानसिक एवं सामाजिक सहयोग: आपदा के बाद दिव्यांगजनों को परामर्श (Counselling) एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रमों के माध्यम से मानसिक सहारा दिया जाता है।

सहायक उपकरणों की आपूर्ति: जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि उपकरण पुनः उपलब्ध कराए जाते हैं।

रोजगार एवं पुर्नस्थापन: पुनर्वास के चरण में दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ा जाता है।

स्थायी पुनर्वास: आवासीय पुनर्वास योजनाओं में दिव्यांग परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। ग्राम स्तर पर "सुलभ आपदा प्रबंधन समिति" का गठन किया गया है ताकि उनकी सुरक्षा और पुर्नस्थापना सुनिश्चित हो सके।

संलग्न विभाग / संस्थाएँ

तालिका–5.25

क्र.स.	विभाग / संस्था	उत्तरदायित्व
1	समाज कल्याण विभाग	दिव्यांगजनों की पहचान, सहायता उपकरण वितरण
2	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	राहत एवं पुनर्वास समन्वय
3	स्वास्थ्य विभाग	चिकित्सा सहायता एवं फिजियोथेरेपी
4	शिक्षा विभाग / Samagra Shiksha	विशेष विद्यालय एवं मनोवैज्ञानिक सहायता
5	NGOs / CBOs	सामुदायिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम

ASHA , Apda Mitra Volunteers के माध्यम से door to door sensitization Accessible Emergency Shelters की पहचान एवं सुधार Mock Drills में दिव्यांगजनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।

5.22. अन्य एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन को त्वरित राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों के लिए विभिन्न राज्य, केंद्र, सैन्य एवं गैर–सरकारी एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राहत कार्यों में समन्वय, पारदर्शिता एवं दक्षता सुनिश्चित करना है।

स्थिति का आकलनः

- ✓ आपदा घटित होते ही DEOC (District Emergency Operation Centre) से घटना की जानकारी संकलित की जाती है।
- ✓ क्षेत्रीय अधिकारी (SDM / Tehsildar / Incident Commander) द्वारा त्वरित प्रारंभिक रिपोर्ट (Initial Damage Report) तैयार की जाती है।

सहायता की आवश्यकता निर्धारणः

- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (क्क्ड।) द्वारा संसाधन की उपलब्धता व आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाता है।
- ✓ आवश्यकता अनुसार बाहरी सहायता की श्रेणी (मानव संसाधन, उपकरण, चिकित्सा, संचार, परिवहन, इत्यादि) निर्धारित की जाती है।

सहायता की आवश्यकता निर्धारण

तालिका–5.26

क्र.स.	सहायता का प्रकार	संबंधित एजेंसी / विभाग	प्रक्रिया / माध्यम
1	राहत व बचाव बल	SDRF / NDRF / सेना	DEOC से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SEOC) को औपचारिक अनुरोध
2	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता	स्वास्थ्य विभाग / रेडक्रॉस / NGOs	जिला चिकित्साधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र जारी
3	संचार एवं तकनीकी सहायता	BSNL, NIC, Police Redio	जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा त्वरित समन्वय
4	भोजन, पानी एवं आवश्यक वस्तुएँ	खाद्य आपूर्ति विभाग / नागरिक आपूर्ति निगम	जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से
5	सड़क, पुल एवं बिजली बहाली कार्य	PWD, UJVNL, Jal Sansthan, Power Dept	संबंधित विभागों के माध्यम से पुनःस्थापन अनुरोध
6	स्वयंसेवी संस्थाएँ / NGOs	रेडक्रॉस, अपदा मित्र, NSS, NCC	समन्वय बैठक एवं DEOC से निर्देशानुसार तैनाती

- ✓ DEOC उत्तरकाशी सभी एजेंसियों के बीच मुख्य समन्वय केंद्र (Nodal Point) के रूप में कार्य करता है।
- ✓ SEOC, SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं NGOs के साथ 24×7 संपर्क व्यवस्था बनाए रखी जाती है।
- ✓ Incident Response System (IRS) के अंतर्गत Incident Commander द्वारा सभी अनुरोधों को अनुमोदित किया जाता है।

- ✓ राहत शिविरों एवं फील्ड यूनिट्स के माध्यम से प्राप्त सहायता की निगरानी, वितरण एवं रिपोर्टिंग की जाती है।
- ✓ प्राप्त सहायता का लेखा–जोखा (Record Keeping) एवं प्रलेखन (Documentation) किया जाता है।
- ✓ सभी सहयोगी एजेंसियों को धन्यवाद पत्र एवं Feedback Report प्रेषित की जाती है।
- ✓ उपयोग की गई सामग्रियों की ऑडिट एवं समीक्षा रिपोर्ट क्क्ड। को सौंपी जाती है।
- ✓ अनुभव के आधार पर सहयोगी एजेंसियों का अद्यतन डाटाबेस तैयार किया जाता है।

प्रमुख सहयोगी एजेंसियाँ

तालिका–5.27

क्र.स.	एजेंसी / संगठन	भूमिका
1	SDRF / NDRF / Army	राहत एवं बचाव कार्य
2	Health & Medical Department	प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा प्रबंधन
3	PWD / Jal Sansthan / Electricity Dept-	आधारभूत संरचना की बहाली
4	Social Welfare / NGOs / Red Cross	राहत सामग्री वितरण
5	Apda Mitra Volunteers	सामुदायिक सहायता एवं सूचना संचार
6	SEOC / DDMA	नीति समन्वय एवं प्रशासनिक आदेश

- ✓ SEOC और DDMA के बीच रियल–टाइम डेटा साझा प्रणाली (Real-time Coordination) लागू।
- ✓ SDRF, NDRF, स्वास्थ्य विभाग और NGOs के साथ पूर्व–सहमति MOU व्यवस्था।
- ✓ हर वर्ष डवबा क्तपसस के माध्यम से Inter-Agency Coordination Mechanism का परीक्षण।

5.23. संचार तंत्र– (दूरसंचार सेवा, रेडियो और टेलीविजन इंटरनेट और सोशल मीडिया)

आपदा की स्थिति में सूचना का त्वरित और सटीक संप्रेषण सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। संचार तंत्र (Communication Network) जिला आपदा प्रबंधन की रीढ़ के समान है, क्योंकि इसके माध्यम से राहत, बचाव, समन्वय और पूर्व चेतावनी (Early Warning) प्रणाली प्रभावी रूप से संचालित होती है।

मुख्य सेवा प्रदाताः

- ✓ जनपद में प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता हैं BSNL, Jio, Airtel, VI आदि।
- ✓ दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में BSNL के टॉवर एवं VSAT आधारित संचार उपलब्ध हैं।

आपात संचार नेटवर्क

- ✓ जिला नियंत्रण कक्ष (DEOC) में Dedicated Landline (01374–222722 ६ 222126 ६1077) उपलब्ध है।
- ✓ SEOC एवं राज्य सरकार से Video Conference Link स्थापित है।
- ✓ Critical Areas में Wireless Set Communication के माध्यम से संपर्क बनाए रखा जाता है।

Satellite Communication

- ✓ भटवाड़ी, हर्षिल, नेलांग जैसे क्षेत्रों में आपात स्थिति हेतु SATCOM Units (ISRO आधारित) की स्थापना की गई है।
- ✓ All India Radio (AIR), उत्तरकाशी केंद्र द्वारा आपातकालीन सूचना एवं मौसम चेतावनी का प्रसारण किया जाता है।
- ✓ Doordarshan एवं News Channels को DEOC द्वारा नियमित अपडेट भेजे जाते हैं।

- ✓ स्थानीय स्तर पर Community Radio Network (FM 90-8 MHz) का उपयोग जनजागरूकता एवं चेतावनी संदेशों के लिए किया जाता है।
- ✓ सभी प्रमुख Internet Service Providers (BSNL, Jio Fiber, Airtel) जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर सक्रिय हैं।
- ✓ District EOC Portal, DDMA Website एवं NIC Email Network से रिपोर्टिंग और डेटा साझाकरण किया जाता है।
- ✓ आपदा के समय Google Form / Online Incident Report System का प्रयोग किया जाता है।
- ✓ जनपद प्रशासन द्वारा आधिकारिक Twitter, Facebook, Instagram ,WhatsApp Channels के माध्यम से चेतावनी, राहत सूचना और आवश्यक अपडेट साझा किए जाते हैं।
- ✓ Apda Mitra WhatsApp Groups, Tehsil Coordination Groups, तथा Police Media Groups के माध्यम से ground- level information sharing किया जाता है।
- ✓ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम DEOC में कार्यरत है, जो गलत सूचना (Misinformation) पर नजर रखती है और सत्यापन के बाद ही सूचना प्रसारित करती है।

प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन

- ✓ सभी संचार ऑपरेटरों, पुलिस वायरलेस कर्मियों एवं क्म्ब्ह स्टाफ को समय–समय पर
- ✓ Communication Protocol & Message Logging का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ✓ Mock Drill के दौरान Two-Way Radio Communication –Mobile Backup Systems का परीक्षण किया जाता है।
- ✓ आपातकालीन स्थिति में वैकल्पिक संचार माध्यम जैसे HAM Radio, Satellite Phone का उपयोग किया जाता है।

आपदा के दौरान संचार का प्रयोग

तालिका–5.31

संचार माध्यम	**उपयोग / उद्देश्य**	**नियंत्रण केंद्र**
मोबाइल नेटवर्क	सूचना प्रसारण एवं राहत समन्वय	DEOC, Police Control Room
रेडियो	जन–जागरूकता एवं चेतावनी	AIR / FM स्टेशन
टेलीविजन	राज्यस्तरीय अपडेट	Doordarshan / News Channels
इंटरनेट	रिपोर्टिंग व डेटा साझा करना	NIC/DDMA Portal
सोशल मीडिया	त्वरित सूचना व सामुदायिक संवाद	DEOC / DM Office
सैटेलाइट फोन	नेटवर्क विफलता के समय आपात संचार	SEOC / DM Office
पुलिस वायरलेस	प्रशासनिक संचार	SP Office / DEOC

अधिकतम उपयोग

- ✓ सभी तहसीलों में Backup Wireless Communication System कार्यरत।
- ✓ DEOC WhatsApp Broadcast System के माध्यम से सभी विभागों तक त्वरित सूचना पहुँचाना।
- ✓ Early Warning Message Format (EWMF) के तहत SMS Alerts का मानकीकरण।
- ✓ Community Radio Programmes द्वारा जनजागरूकता प्रसारण।

अध्याय 6

क्षमता विकास एंव प्रशिक्षण

6.1 प्रशिक्षण और क्षमत निर्माण दृष्टिकोण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य–

आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन, विभागीय अधिकारियों, स्थानीय निकायों तथा समुदाय को आपदाओं की रोकथाम, तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों में सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्तर कृ जिला, विकासखण्ड और ग्राम कृ पर कार्यरत व्यक्ति को अपनी भूमिका, जिम्मेदारियाँ और आपदा के समय की प्राथमिक कार्यप्रणाली की पूर्ण जानकारी हो।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर विशेष बल दिया जाएगा:

- ✓ आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों एवं नीतियों की समझ
- ✓ आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया की प्रक्रिया (त्मेचवदेम डमबींदपेउ)
- ✓ प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव ैमंतबी ंदक त्मेबनम) प्रशिक्षण
- ✓ आपदा के बाद पुनर्वास एवं राहत वितरण प्रक्रिया
- ✓ जोखिम मूल्यांकन, चेतावनी प्रणाली, और संचार नेटवर्क की जानकारी
- ✓ समुदाय की भागीदारी और जनजागरूकता का संवर्धन

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई जाएगी कि यह न केवल सरकारी कर्मियों तक सीमित रहे, बल्कि विद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, और Apda Mitra जैसे स्वयंसेवकों को भी सम्मिलित करे।

6.2.1 सरकारी अधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण–

आपदा प्रबंधन में सरकारी अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रत्येक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के सभी चरणों कृ तैयारी (Preparedness), प्रतिक्रिया (Response), पुनर्वास (Recovery) एवं शमन (Mitigation) कृ में दक्ष बनाया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

- ✓ आपदा प्रबंधन के सिद्धांत एवं कानूनी ढांचा – आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों की जानकारी।
- ✓ आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (Incident Response System – IRS) का अभ्यास एवं भूमिका निर्धारण।
- ✓ विभागीय भूमिका एवं समन्वय तंत्र – आपदा की स्थिति में विभागों के बीच प्रभावी तालमेल।
- ✓ जोखिम पहचान एवं न्यूनीकरण उपाय – विभागीय योजनाओं में जोखिम घटाने के उपायों का समावेश।
- ✓ आपातकालीन संचार एवं सूचना प्रसार प्रणाली का संचालन।
- ✓ राहत एवं पुनर्वास कार्यों का समन्वय – संसाधनों का प्रभावी उपयोग।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA), NIDM (National Institute of Disaster Management), एवं DDMA के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला, विकासखण्ड और तहसील स्तर के सभी प्रमुख अधिकारी कृ जैसे SDM, BDO, SHO, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, विद्युत, राजस्व, वन, पशुपालन, और परिवहन विभागों के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। सभी प्रशिक्षित

अधिकारियों का डेटाबेस जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) में संधारित किया जाएगा, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

6.2.2 सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जन जागरूकता गतिविधियां

आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला समुदाय स्वयं होता है। इसलिए ग्राम स्तर पर लोगों की क्षमता बढ़ाने, जागरूकता फैलाने तथा स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु नियमित प्रशिक्षण और गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी।इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञान हो कि आपदा की स्थिति में क्या करना है, कहाँ संपर्क करना है, और अपनी एवं दूसरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है। सामुदायिक स्तर पर निम्नलिखित प्रमुख प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता गतिविधियाँ की जाएँगी—

- ✓ ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह (SHG) और Apda Mitra को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण।
- ✓ विद्यालय स्तर पर छात्रों एवं शिक्षकों को School Safety Programme के अंतर्गत आपदा सुरक्षा अभ्यास (Mock Drill) का प्रशिक्षण।
- ✓ समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन टीमों (CBDMT) का गठन एवं उनका सशक्तिकरण।
- ✓ जनजागरूकता रैली, कार्यशाला, पोस्टर, पंपलेट एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से सूचना प्रसार।
- ✓ स्थानीय संसाधनों की सूची (Resource Mapping) तैयार करना — जैसे प्राथमिक उपचार किट, रस्सियाँ, ट्रॉली, पानी के स्रोत आदि।
- ✓ आपातकालीन चेतावनी प्रणाली की जानकारी और उसका उपयोग सिखाना।
- ✓ महिला एवं युवा समूहों को सशक्त बनाना ताकि वे आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इन सभी गतिविधियों की निगरानी संबंधित विकासखण्ड अधिकारी (BDO) द्वारा की जाएगी और रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को प्रेषित की जाएगी।

6.2 प्रस्तावित क्षमता विकास एवं जन—जागरूकता हेतु वार्षिक कैलेंडर

आपदा प्रबंधन में निरंतरता और तैयारियों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण एवं जन—जागरूकता कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेंडर (Annual Calendar) तैयार किया जाएगा। इस कैलेंडर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिला, विकासखण्ड और ग्राम स्तर पर प्रत्येक विभाग, संस्था और समुदाय को वर्ष भर में नियमित रूप से प्रशिक्षण, अभ्यास (Mock Drill), और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। यह कैलेंडर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा सभी संबंधित विभागों, विद्यालयों, अस्पतालों, और स्थानीय निकायों के समन्वय से तैयार किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न जनपद स्तरीय अधिकारीयों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास

जनपद में आपदा प्रबंधन पूर्व—तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण के कार्य, राहत एवं बचाव कार्य तथा आपदा पुनःस्थापन के कार्यों को संपन्न करने तथा जनपद आपदा प्रबंधन योजना को लागू करने में जनपद के आपदा प्रबंधन हितधारकों जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारी/कर्मचारी, स्वयं सेवी संगठन आदि का प्रशिक्षण जिला, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है—

जनपद में प्रशिक्षण कार्यक्रम वार्षिक कैलेंडर

तालिका–6.1

क्र.सं.	विषय	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
बुनियादी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला					
1	**आपदा प्रबंधन बुनियादी प्रशिक्षण**	जिला सभागार	जिला प्रशासन एवं केंद्र शासन के जिले में स्थित विभागों के नोडल अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य	एक दिवसीय	सुविधानुसार
2	**आपदा प्रबंधन कार्यशाला**		स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि, व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि आदि		नवम्बर द्वितीय सप्ताह
3	**इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम**		जनपद IRS दल	दो दिवसीय	अप्रैल

विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम–

तालिका–6.2

क्र.सं.	विषय	प्रशिक्षण संचालित करने वाला विभाग	प्रस्तावित स्थल	सम्मिलित होने वाले विभाग	अवधि	प्रस्तावित समय
1	इमरजेंसी रेस्पोंस सिस्टम	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण। / ब्लॉक आपदा प्रबंधन समिति	तहसील मुख्यालय	तहसील मुख्यालय दल	दो दिवसीय	मार्च
2	बाढ़ खोज एवं बचाव तकनीक	एस0डी0आर0एफ0 / आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।	तहसील मुख्यालय	आपदा मित्र एंव स्थानीय खोज एवं बचाव दल	एक दिवसीय	जून
3	प्राथमिक उपचार	रेड क्रॉस/ आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।	आपदा संभावित क्षेत्र	स्थानीय दल एवं वॉलंटियर	एक दिवसीय	जून
4	अग्नि दुर्घटना से बचाव	फॉयर सर्विस/वन विभाग।	जिला मुख्यालय	जिला होम गार्ड बल/नगर पालिक/ पुलिस विभाग/वन विभाग	एक दिवसीय	फरवरी
5	भूकंप रोधी निर्माण तकनीक	लोक निर्माण विभाग	जिला मुख्यालय	भवन एवं ब्रिज निर्माण एजेंसी	दो दिवसीय	जुलाई

प्रमुख बिंदुः

- ✓ कैलेंडर में निर्धारित सभी प्रशिक्षण और कार्यक्रमों की रिपोर्ट DDMA को भेजी जाएगी।
- ✓ प्रत्येक कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सीखे गए अनुभवों और सुधार के बिंदुओं को संकलित किया जाएगा।
- ✓ यह कैलेंडर हर वर्ष जनवरी माह में अद्यतन (update) किया जाएगा।

6.3 मॉक ड्रिल का आयोजन एवं आपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा–

आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया के लिए नियमित मॉक ड्रिल (Mock Drill) का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। मॉक ड्रिल से विभिन्न विभागों, संस्थाओं, और समुदायों की तैयारियों का परीक्षण होता है तथा उनकी प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संबंधित विभाग, स्कूल, अस्पताल, और स्थानीय संस्थाएँ अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समय पर और प्रभावी ढंग से निभा सकें।

मॉकड्रिल हेतु अपेक्षित कार्यवाही एवं समीक्षा– जनपद के संभावित आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा की जाने वाली आपेक्षित कार्यवाही निम्ननुसार होगी।

तालिका–6.3

बाढ़			अग्नि दुर्घटना		
क्र.सं.	**दल**	**अपेक्षित कार्यवाही**	**क्र. सं.**	**दल**	**अपेक्षित कार्यवाही**
1	चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल	जन सामान्य को उचित एवं प्रभावशाली रूप से चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।	1	स्थानीय दल	100, 101 एवं 1077 पर सूचित करने का प्रदर्शन
2	चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम	चिकित्सा कैंप तथा इसमे आवश्यक उपचार, दवाई व अन्य सामाग्री का प्रदर्शन। घायलो का चिन्हिकरण, पंजीयनएवं चिकित्सीय परिवहन सहायता का प्रदर्शन।	2	वाटर सप्लाई टास्क फोर्स	फायर नियंत्रण हेतु जल की स्थानीय स्तर पर अबाधित आपूर्ती का प्रदर्शन।
3	सिविल डिफेन्स टास्क फोर्स	आपदाग्रस्त क्षेत्र मे काम कर रही सभी एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित कर राहत, बचाव, मलबा हटाना, चिकित्सा आदि के स्थापन मे सहयोग का प्रदर्शन।	3	खोज एवं बचाव टास्क फोर्स	आपदा में फसें लोगों के सुरक्षित निष्क्रमण का प्रदर्शन
4	पशु चिकित्सा राहत स्ट्राइक टीम	आपदा क्षेत्र मे पशु चिकित्सा राहत हेतु मेडिकल जांच केंद्र, रिलीफ कैंप,पंजीयन,चिकित्सीय परिवहन सहायता एवं समुचित उपचार, दवाई आदि उपलब्ध कराने का प्रदर्शन।	4	चिकित्सा राहत व्यवस्था	प्रभावित लोगों को सही तकनीक का प्रदर्शन करते हुए प्राथमिक चिकित्सा तथा गंभीर घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजने का प्रदर्शन
5	रोगी परिवहन व्यवस्था स्ट्राइक टीम	आपदा क्षेत्र मे घायलो एवं अति घायलो का नजदीक अस्पतालो, कैंपो एवं अन्य मुख्य चिकित्सीय संस्थानो तक परिवहन का प्रदर्शन।	5	पॉवर सप्लाई व्यवस्था स्ट्राइक फोर्स	पॉवर सप्लाई व्यवस्था बंद तथा चालू करने का प्रदर्शन

तालिका–6.4

भूकंप		
क्र.सं.	**दल**	**अपेक्षित कार्यवाही**
1	**चेतावनी प्रसारण तहसील स्तरीय स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
2	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन

भूकंप		
क्र.सं.	दल	अपेक्षित कार्यवाही
		घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
3	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।
4	**चिकित्सा प्रबंधन**	अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित करना एवं घायलो कात्वरित इलाज का प्रदर्शन। सीपीआर का प्रदर्शन। बेंडेजिंग की विधियाँ।
5	**अग्नि शमन**	अग्नि शमन का प्रदर्शन
6	**मलबा निष्कर्मण**	मलबा हटाने का प्रदर्शन
7	**कानून व्यवस्था**	कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशों का प्रदर्शन
8	**चेतावनी प्रसारण स्थानीय दल**	भूकम्प के बाद आफ्टर शॉक संबन्धित चेतावनी प्रसारण का प्रदर्शन।
9	**खोज बचाव**	क्षतिग्रस्त भवनों मे फंसे लोगो चिंहांकन एवं खोज एवं बचाव ट्राइएज (घायलो की अवस्था के अनुसार वर्गीकरण) का प्रदर्शन घायलों के परिवहन की तकनीकी प्रदर्शन।
10	**आबादी निष्क्रमण**	आबादी को सुरक्षित स्थलो तक जाने हेतु प्रेरित एवं काउंसलिंग करने का प्रदर्शन।

मॉक ड्रिल के उद्देश्य:

- ✓ जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।
- ✓ विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय और संचार तंत्र की समीक्षा करना।
- ✓ स्थानीय स्तर पर संसाधनों, उपकरणों, और मानवबल की तत्परता का मूल्यांकन।
- ✓ समुदाय को आपदा प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं से परिचित कराना।
- ✓ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक अनुभव (hands on experience) प्रदान करना।

मॉक ड्रिल के आयोजन की प्रक्रिया:

पूर्व योजना (Pre-Planning):

- ✓ DDMA द्वारा वार्षिक ड्रिल कैलेंडर के अनुसार तिथि और स्थान निर्धारित किए जाएंगे।
- ✓ सभी संबंधित विभागों को पहले से सूचना दी जाएगी।
- ✓ ड्रिल से पहले table&top eÛercise आयोजित की जाएगी ताकि सभी की भूमिकाएँ स्पष्ट हों।

ड्रिल का संचालन (Execution):

- ✓ ड्रिल निर्धारित परिदृश्य (जैसे भूकंप, बाढ़, अग्निकांड, भूस्खलन आदि) के अनुसार की जाएगी।
- ✓ सभी संबंधित विभाग (पुलिस, स्वास्थ्य, फायर, SDRF, शिक्षा, राजस्व आदि) अपनी भूमिका निभाएंगे।
- ✓ समय, प्रतिक्रिया, संचार, और संसाधनों के उपयोग का परीक्षण किया जाएगा।

ड्रिल के बाद की कार्यवाही (Post-Drill Actions):

- ✓ सभी प्रतिभागी विभागों से प्रतिक्रिया रिपोर्ट (Feedback Report) प्राप्त की जाएगी।
- ✓ कमियों और सुधार की आवश्यकता वाले बिंदुओं की पहचान की जाएगी।
- ✓ एक समीक्षा बैठक (Evaluation Meeting) आयोजित की जाएगी।
- ✓ एक विस्तृत After Action Report (AAR) तैयार की जाएगी और DDMA को प्रेषित की जाएगी।

समीक्षा एवं अनुवर्ती कार्यवाही:

- ✓ समीक्षा के दौरान प्राप्त सुझावों को आगामी प्रशिक्षण एवं योजना निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा।
- ✓ संबंधित विभागों को उनके सुधारात्मक कार्यों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- ✓ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों और कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.4 जनपद में पूर्व में आयोजित विभिन्न मॉक अभ्यासों का विवरण

जनपद में पूर्व में आयोजित विभिन्न मॉक अभ्यासों का विवरण– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक निरन्तर की जाती जनपद में आई0आर0एस0 का गठन किया गया है तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों को उनके कर्तव्यों से अवगत कराया गया है। विभागीय समन्वय के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर समय–समय पर आपदा मॉक अभ्यास एवं प्रशिक्षणक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, मॉक अभ्यास से सम्बन्धी विवरण (Annexure–8) में उपलब्ध है।

जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास में प्राप्त सुझाव–

- ✓ उपलब्ध संसाधनों की सूची तथा रख–रखाव अपडेट रखा जाना आवश्यक है।
- ✓ आपदा के समय वाहनों को उचित स्थान पर पार्किंग करने की व्यवस्था चिन्हित किया जाना।
- ✓ पुलिस वायरलेस सिस्टम में अलग–अलग चैनल आवंटित होने चाहिए।
- ✓ इन्सीडेट कमाण्डर द्वारा की गयी मांग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ✓ टास्क फोर्स के डिस्पेच में कम से कम समय लगना चाहिये।
- ✓ राहत–बचाव कार्यो में पूर्व से प्राथमिकताओं का निर्धारण होना चाहिये।

भूकम्प मॉक अभ्यास से प्राप्त अनुभव–

- ✓ जनपद में उपलब्ध संसाधनों की कार्यक्षमता, सुदृढिकरण तथा रख–रखाव का अनुभव तथा उक्त संसाधनों के सफल संचालन/उपयोग का अनुभव का प्राप्त होना।
- ✓ सभी विभागों के बीच आपसी तालमेल बढा है एवं टीम भावना का विकास हुआ है।
- ✓ भूकम्प के समय सफल राहत–बचाव हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित इंसीडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) अनुरूप नामित अधिकारियों एवं समन्व्यक अधिकारियों को अपने कर्त्वयो का स्पष्ट ज्ञान होना।
- ✓ आई0टी0बी0पी0 का मुख्य बल के रूप में कार्य किया जाना।

6.5 आपदा प्रबंधन कार्यों में संलग्न जनपद स्तरीय अधिकारीयों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता वृद्धि

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) उत्तरकाशी द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अधिकारियों और स्थानीय समुदाय को आपदा पूर्व तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास कार्यों में दक्ष बनाना तथा विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करना है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में Incident Response System IRS, Emergency Operation Centre ¼EOC½ Management, GIS आधारित योजना निर्माण, अर्ली वार्निंग सिस्टम, तथा Community-Based

Disaster Management (CBDM) जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2025 में Community-Based Disaster Management (CBDM) Phase-II, प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुआ है, जो वर्तमान में विकासखंड स्तर पर क्रमशः संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम में विकासखंड अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ, आशा बहुएँ, एवं अन्य स्थानीय कार्मिक सक्रिय रूप से प्रतिभाग कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य ग्राम एवं समुदाय स्तर पर आपदा प्रबंधन की प्राथमिक क्षमता (First Response Capacity) को सशक्त बनाना तथा स्थानीय जनजागरूकता एवं सहभागिता को बढ़ावा देना है।

प्रशिक्षणों का सारांश (Summary of Trainings Conducted):

तालिका–6.5

क्र. सं.	प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण विषय	प्रतिभागी विभाग अधिकारी	प्रशिक्षण आयोजित करने वाली संस्था	प्रमुख परिणाम / निष्कर्ष
1	20.02.2023	Incident Response System (IRS)	राजस्व, पुलिस, PWD, स्वास्थ्य	DDMA एवं NIDM	आपदा स्थिति में निर्णय–प्रक्रिया में सुधार।
2	05.04.2023	Emergency Operations Centre (EOC) Management	सभी जिला स्तरीय अधिकारी	DDMA व SDRF	आपात सूचना प्रवाह और समन्वय क्षमता में वृद्धि।
3	18.07.2023	Flood & Landslide Response	राजस्व, SDRF, लोक निर्माण	SDRF प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	त्वरित प्रतिक्रिया दलों की दक्षता में सुधार।
4	12.09.2023	Earthquake Preparedness	शिक्षा, स्वास्थ्य, PWD	DDMA एवं NDRF	संरचनात्मक सुरक्षा और निकासी अभ्यास पर जोर।
5	23.01.2024	Disaster Data Management	सभी विभाग	DDMA एवं NIC	डाटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार।
6	17.04.2024	Community&Based Disaster Management (CBDM) Phase-I	विकास, पंचायत, शिक्षा	DDMA एवं NGO साझेदारी	सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि।
7	28.10.2025	Community&Based Disaster Management (CBDM) Phase-II	विकासखंड अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं आशा बहुएँ	DDMA, SDRF, FIRE, FOREST, DDA, HEALTH	समुदाय स्तर पर आपदा तैयारी और समन्वय क्षमता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण जारी है।

प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रमुख लाभ

- ✓ अधिकारियों एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों की आपदा प्रबंधन दक्षता में निरंतर सुधार।
- ✓ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आशा बहुओं की सहभागिता से समुदाय स्तर पर जागरूकता और तैयारी में वृद्धि।
- ✓ विकासखंड एवं ग्राम स्तर पर स्थानीय संसाधनों के उपयोग की समझ में सुधार।
- ✓ प्रशिक्षण के परिणामों को ग्राम आपदा प्रबंधन योजनाओं में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जारी।
- ✓ आपदा पूर्व चेतावनी एवं त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए स्थानीय समन्वय नेटवर्क मजबूत हुआ।

6.6 जनपद में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास में से प्राप्त अनुभव प्राप्त सुझाव

जिला उत्तरकाशी में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय मॉक ड्रिलों में सक्रिय भागीदारी की गई है। इन अभ्यासों का उद्देश्य आपदा की वास्तविक स्थिति में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, SDRF, NDRF, अग्निशमन, एवं अन्य विभागों के बीच समन्वय एवं तत्परता की जाँच करना रहा। इन मॉक ड्रिलों से अनेक महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुभव (Practical Learnings) प्राप्त हुए, जिन्होंने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं (DDMP) को सुदृढ़ करने में सहायक भूमिका निभाई है।

मॉक ड्रिल से प्राप्त प्रमुख अनुभव

- ✓ इन्सिडेंट कमांड सिस्टम (ICS) की भूमिका स्पष्ट हुई और विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियाँ व्यावहारिक रूप से समझ में आईं।
- ✓ विभागीय संचार चौनलों (Wireless, WhatsApp, VHF, Ham Radio) की उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया।
- ✓ फील्ड स्तर पर Search-Rescue टीमों की तैनाती समय में सुधार हुआ।
- ✓ स्थानीय प्रशासन एवं समुदाय के मध्य बेहतर समन्वय विकसित हुआ।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपात चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार हेतु SOP पुनर्परिभाषित की गई।
- ✓ ग्राम स्तर पर चेतावनी प्रसारण एवं निकासी अभ्यासों को नियमित रूप से करने की आवश्यकता पहचानी गई।

सुझाव

- ✓ सभी विभागों के लिए अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल (Bi-Annual Mock Drills) अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएँ।
- ✓ प्रत्येक मॉक ड्रिल के पश्चात After Action Report (AAR) तैयार कर DDMA को प्रस्तुत की जाए।
- ✓ ग्राम स्तर पर Community Mock Drills का आयोजन कर जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- ✓ मॉक ड्रिल के दौरान पाई गई कमियों को विभागीय Preparedness Plans में सम्मिलित किया जाए।
- ✓ SDRF और NDRF द्वारा स्थानीय कर्मियों को Search, Rescue व Evacuation तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए।

अध्याय–7

प्रतिक्रिया एंव राहत उपाय

7.1 राहत, बचाव एवं प्रतिक्रिया कार्यों के मुख्य उद्देश्य

आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य प्रभावित जनजीवन की सुरक्षा, हानि की न्यूनता तथा सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करना है। प्रतिक्रिया एवं राहत कार्यों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- ✓ आपदा की स्थिति में त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- ✓ जीवन, संपत्ति एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना।
- ✓ प्रभावित जनसंख्या को तात्कालिक राहत एवं आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- ✓ सभी विभागों एवं एजेंसियों के बीच समुचित समन्वय स्थापित करना।
- ✓ आवश्यक सेवाओं (बिजली, जल, संचार, परिवहन, स्वास्थ्य आदि) की शीघ्र पुनर्बहाली सुनिश्चित करना।

7.2 प्रतिक्रिया योजना (बहु–आपदा प्रबंधन), तैयारी और त्वरित मूल्यांकन

आपदा के तुरंत उपरांत जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभिक आकलन दल (Rapid Assessment Teams) गठित किए जाते हैं, जो प्रभावित क्षेत्रों में जाकर –

- ✓ जनहानि एवं पशुहानि,
- ✓ बुनियादी ढाँचों (सड़क, पुल, जलापूर्ति, विद्युत आदि) की क्षति,
- ✓ राहत एवं पुनर्वास की तात्कालिक आवश्यकताओं का आकलन करते हैं।
- ✓ संग्रहित सूचना को एकीकृत प्रारूप में संकलित कर जिला आपात संचालन केंद्र (EOC) को प्रेषित किया जाता है।

7.2.1 क्षति और आवश्यकताओं का त्वरित मूल्यांकन

आपदा की स्थिति में प्रारंभिक 24–48 घंटों के भीतर त्वरित मूल्यांकन (Quick Assessment) अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि प्रभावित क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर राहत एवं बचाव कार्यों की प्राथमिकता तय की जा सके।

उद्देश्य:

- ✓ प्रभावित क्षेत्र में क्षति (Damage) का शीघ्र आकलन करना
- ✓ प्रभावित जनसंख्या एवं उनकी तत्काल आवश्यकताओं (Needs) की पहचान
- ✓ राहत एवं संसाधनों का त्वरित एवं प्रभावी आवंटन
- ✓ निर्णय लेने में जिला प्रशासन की सहायता

मूल्यांकन के प्रमुख घटक

- ✓ मानव क्षति
- ✓ मृतकों की संख्या
- ✓ घायल व्यक्तियों की संख्या
- ✓ लापता व्यक्ति
- ✓ विस्थापित

भौतिक क्षति

- ✓ आवासीय भवन (पूरी तरह/आंशिक क्षति)
- ✓ सरकारी भवन (स्कूल, अस्पताल, कार्यालय)
- ✓ सड़क, पुल, विद्युत एवं जल आपूर्ति
- ✓ संचार व्यवस्था

आजीविका पर प्रभाव

- ✓ कृषि भूमि की क्षति
- ✓ पशुधन हानि
- ✓ स्थानीय व्यवसाय/दुकानें

महत्वपूर्ण सेवाएं

- ✓ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति
- ✓ पेयजल उपलब्धता
- ✓ बिजली आपूर्ति
- ✓ संचार नेटवर्क

.मूल्यांकन की प्रक्रिया

चरण 1: टीम गठन

राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, PWD, SDRF आदि विभागों की संयुक्त टीम

चरण 2: फील्ड सर्वे

- ✓ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा
- ✓ ग्रामध्वार्ड स्तर पर जानकारी एकत्र करना

चरण 3: डेटा संकलन

- ✓ मोबाइल ऐप / गूगल शीट / फॉर्मेट के माध्यम से
- ✓ फोटो एवं GPS tagging

चरण 4: रिपोर्टिंग

- ✓ Incident Command Post (ICP) / EOC को रिपोर्ट
- ✓ 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट

निष्कर्ष

- ✓ त्वरित मूल्यांकन से प्रशासन को सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी एवं समन्वित तरीके से संचालित किए जा सकते हैं।

7.2.2 प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट

प्रतिक्रिया प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट पूर्व निर्धारित SOP के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें चेतावनी प्राप्ति से लेकर राहत वितरण तक की समस्त क्रियाओं की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से अंकित रहती हैं।

प्रतिक्रिया प्रवाह चार्ट (Response Flow Chart):

आपदा घटित होना (Disaster Occurrence)

↓

सूचना प्राप्ति (Information Received)
ग्राम स्तर / वार्ड स्तर / संस्थान / नागरिक द्वारा

↓

त्वरित सूचना संप्रेषण (Immediate Information Transmission)
तहसील स्तर पर राजस्व उपनिरीक्षक / पटवारी / थाना / बीट अधिकारी द्वारा

↓

तहसील आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (TDMA)
घटना की पुष्टि एवं प्राथमिक आंकलन
प्रारंभिक राहत टीम की तैनाती

↓

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)
जिलाधिकारी को रिपोर्ट
संबंधित विभागों को सतर्क किया जाता है

↓

आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) सक्रिय
Incident Commander नियुक्त
नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र सक्रिय

↓

विभागीय प्रतिक्रिया (Departmental Response)
स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, PWD, Jal Sansthan, विद्युत विभाग आदि

↓

राहत, बचाव एवं चिकित्सा कार्य प्रारंभ
NDRF / SDRF / QRT टीमों की तैनाती

↓

त्वरित मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग
क्षति आंकलन, राहत आवश्यकताएँ

↓

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) को सूचना
यदि स्थिति जिला सीमा से अधिक हो

7.2.3 चेतावनी और सतर्कता

आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। जनपद में संभावित आपदाओं के तत्पर प्रतिक्रिया तथा राहत एवं बचाव कार्यों को योजना अनुसार सुनिश्चित करने हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा ढॉचागत व्यवस्था सुदृढ किया जाएगा। जिसके तहत आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 37 (A) में दिये गये प्राविधान के अनुसार आपदा न्यूनीकरण, तैयारी एवं प्रतिक्रिया के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन की योजना बनायी गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 22 (2), 30 एवं 34 में आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न कर्तव्यों को विभागों/संस्थाओं द्वारा निष्पादित करने के प्रविधान है। संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा के अनुसार

जनपद में आपताकालीन परिचालन केन्द्र भारतीय मौसम विभाग, उत्तराखण्ड जल विधुत निगम, एवं सी0डब्लू0सी0 से जानकारी प्राप्त कर चेतावनी प्रसार करेगा।

मौसम विभाग द्वारा मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान प्रातः 10:00 बजे दिन में 1:00 बजे सांय 5:00 बजे ईमेल के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जिसे जिला स्तर पर बल्क एस0एम0एस0, पुलिस वायरलेस सेट, फोन, ई–मेल, तथा अधिकारियों एवं मीडिया के वट्सएप के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

जिला स्तरीय सूचना तंत्र

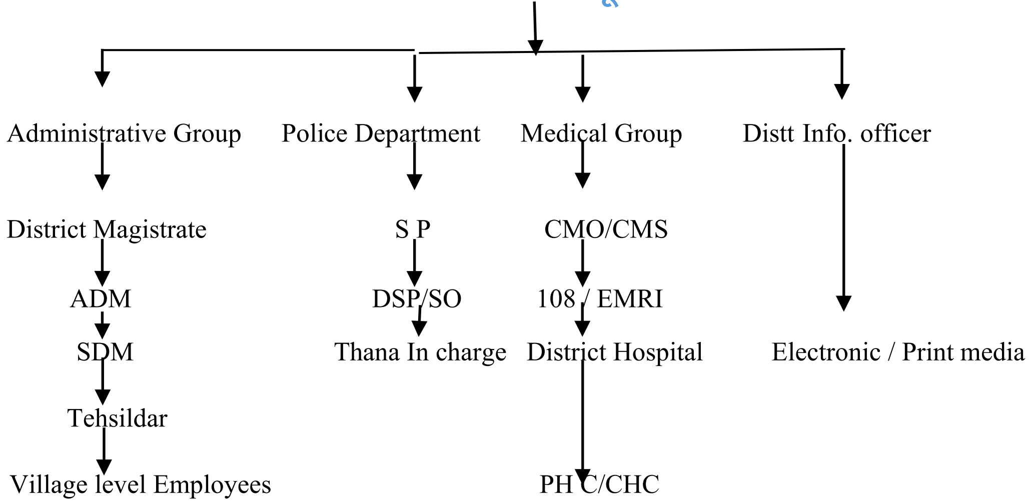

7.2.4 जिला संकट प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक– आपदा या चेतावनी की स्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह (DCMG) की आपात बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। इस समूह का दायित्व राहत, बचाव एवं संसाधन वितरण की समन्वित रणनीति बनाना होता है। सभी प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी इस बैठक में भाग लेते हैं, तथा निर्णयों का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

7.2.5 आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC) का सक्रियकरण– आपदा की स्थिति में जिला आपात संचालन केंद्र (EOC) को 24×7 संचालन हेतु सक्रिय किया जाता है। EOC सूचना के आदान–प्रदान, स्थिति मूल्यांकन, विभागीय समन्वय, मीडिया प्रबंधन एवं राहत कार्यों की प्रगति की निगरानी का केंद्रीय बिंदु होता है। यह केंद्र जिला नियंत्रण कक्षों, तहसीलों, ब्लॉकों एवं राज्य EOC के साथ समन्वय बनाए रखता है।

7.2.6 संसाधनों का संचालन– आपदा की स्थिति में सभी विभागों के उपलब्ध संसाधनों (वाहन, मानव संसाधन, उपकरण, राहत सामग्री, चिकित्सा दल आदि) को शीघ्र संचालित किया जाता है।

- ✓ जिला प्रशासन प्रत्येक विभाग से अद्यतन संसाधन सूची प्राप्त करता है।
- ✓ SDRF, NDRF एवं अन्य एजेंसियों की सहायता आवश्यकतानुसार प्राप्त की जाती है।
- ✓ सभी राहत सामग्री का भंडारण एवं वितरण पूर्व निर्धारित लॉजिस्टिक प्लान के अनुसार किया जाता है।

7.2.7 बाहरी सहायता प्राप्त करना– भारी आपदाओं की स्थिति में राज्य मुख्यालय, सेना, अर्धसैनिक बल, NDRF, NGOs एवं अन्य सहायता एजेंसियों से सहयोग प्राप्त किया जाता है। बाहरी सहायता के समन्वय हेतु एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

7.2.8 प्रभावित जनसंख्या की मानसिक और सामाजिक देखभाल - आपदा से प्रभावित लोगों को मानसिक, सामाजिक एवं सामुदायिक सहयोग प्रदान करना राहत प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

- ✓ प्रशिक्षित काउंसलर, समाजसेवी संस्थाएँ एवं स्वयंसेवी संगठन इस कार्य में सम्मिलित किए जाते हैं।
- ✓ महिलाओं, बच्चों एवं वृद्धजनों के लिए विशेष परामर्श एवं पुनर्वास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

7.2.9 प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट – आपदा की घटना के 24 से 48 घंटों के भीतर प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर DDMA को प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट में जनहानि, क्षति, राहत आवश्यकताएँ, तथा प्रारंभिक अनुशंसाएँ सम्मिलित होती हैं।

7.2.10 मीडिया प्रबंधन/समन्वय/सूचना प्रसार

- ✓ मीडिया के माध्यम से केवल सत्यापित और प्रमाणित सूचनाएँ प्रसारित की जाती हैं।
- ✓ जिला सूचना अधिकारी मीडिया समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
- ✓ गलत सूचनाओं एवं अफवाहों को रोकने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली अपनाई जाती है।
- ✓ सोशल मीडिया पर DDMA के अधिकृत हैंडल से नियमित अपडेट जारी किए जाते हैं।

7.2.11 एसओपी (SOPs) का विकास

प्रत्येक विभाग अपनी कार्य–भूमिका के अनुरूप SOP तैयार करता है, जिसमें आपदादृपूर्व, दौरान एवं पश्चात की कार्यवाहियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं। इन SOPs का वार्षिक अद्यतन अनिवार्य है।

7.2.12 रपोर्टिंग

- ✓ राहत एवं प्रतिक्रिया कार्यों की दैनिक स्थिति रिपोर्ट (SITREP) संबंधित प्राधिकरण को भेजी जाती है।
- ✓ सभी विभाग अपने–अपने नियंत्रण कक्षों से DDMA को नियमित अपडेट प्रदान करते हैं।

7.3 आपदाओं के स्तर– आपदाओं को उनकी गंभीरता, प्रभावित क्षेत्र एवं संसाधनों की आवश्यकता के अनुसार तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है –

स्तर–I (स्थानीय स्तर की आपदा): स्थानीय संसाधनों से नियंत्रित।
स्तर–II (जिला स्तर की आपदा): जिला स्तर पर बहु–विभागीय प्रतिक्रिया आवश्यक।
स्तर–III (राज्य / राष्ट्रीय स्तर की आपदा): राज्य अथवा राष्ट्रीय संसाधनों की आवश्यकता।

7.4 जिम्मेदारी मैट्रिक्स का विकास

7.4.1 **खतरों के अनुसार आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स–** भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, अग्निकांड, सड़क दुर्घटना आदि प्रमुख खतरों के लिए विभागवार जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जाती हैं।

7.4.2 **त्वरित आने वाली आपदाओं के लिए जिम्मेदारी मैट्रिक्स जहां पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती** –ऐसी आपदाएँ जिनकी पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती (जैसे भूकंप), उनके लिए विभागों को तत्काल प्रतिक्रिया हेतु सशक्त किया गया है।

7.5 आपदा के विभिन्न स्तरों में राहत एवं बचाव तथा प्रतिक्रिया कार्यों के दायित्व

तालिका–7.1

क्र.स.	कार्य	प्रमुख उत्तरदायी विभाग / एजेंसी
1	पूर्व चेतावनी मिलने पर कार्यवाही	DDMA, पुलिस, राजस्व, SDRF
2	आपदा प्रतिवादन का सक्रियकरण	जिलाधिकारी, EOC
3	राहत शिविर स्थापना एवं प्रबंधन	राजस्व, आपदा प्रबंधन, पंचायत विभाग
4	खोज एवं बचाव कार्य	पुलिस, SDRF, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग
5	चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार	CMO, स्वास्थ्य विभाग
6	राहत सामग्री वितरण	जिला आपूर्ति अधिकारी, BDO
7	क्षति आंकलन	राजस्व, PWD, विद्युत, जल संस्थान
8	अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग	DDMA, सूचना विभाग
9	पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास	CDO, PWD, ग्रामीण विकास विभाग

7.6 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System में नामित अधिकारियों का विवरण

तालिका–7.2

क्र.स.	अधिकारी का नाम	पदनाम	भूमिका / जिम्मेदारी
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष, DDMA	समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	कानून एवं व्यवस्था, यातायात नियंत्रण
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ
5	अधिशासी अभियंता (जल संस्थान)	सदस्य	पेयजल आपूर्ति बहाली
6	अधिशासी अभियंता (विद्युत)	सदस्य	विद्युत आपूर्ति बहाली
7	जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी	सदस्य सचिव	समन्वय, रिपोर्टिंग एवं संसाधन प्रबंधन

7.7 तहसील आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत Incident Response System में नामित अधिकारियों का विवरण

तालिका–7.3

क्र.स.	अधिकारी का नाम	पदनाम	भूमिका / जिम्मेदारी
1	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष, TDMA	तहसील स्तर पर नियंत्रण एवं समन्वय
2	तहसीलदार	सदस्य	राहत वितरण एवं राजस्व आकलन
3	खंड विकास अधिकारी	सदस्य	ग्राम पंचायतों के साथ समन्वय
4	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	सदस्य	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
5	थाना प्रभारी	सदस्य	सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था
6	आपदा प्रबंधन सहायक	सदस्य सचिव	दैनिक रिपोर्टिंग एवं फील्ड समन्वय

जनपद एवं तहसील स्तर में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)– (Annexure–9) पर उपलब्ध है।

Incidence Responce System (IRS) - District Uttarkashi								
S.N.	**Position of IRS**	**Nomination officer in IRS**	**Name of Nodal Officer**	**Residential Address**	**Official**	**Residential**	**Mobile**	**Alternate**
1	**Responsible Officer (RO)**	**District Magistrate/ Chairman DDMA, Uttarkashi**	Sh. Prashant Arya	DM Awas, Court Road-Uttarkashi	222280	01374-222101	9412077500	
Command Staff								
2	**Incident Commander (IC)**	**Chief Development Officer**	Sh. Jai Bharat Singh	Officers Colony, Ladari			9456334433	9639998494
3	**Deputy Incident Commander (DIC)**	**Superintendent of Police Uttarkashi**	Smt. Sarita Dobhal				9411112733	
4	**Information & Media officer(IMO)**	**District Information Officer, Uttarkashi (DIO)**	Sh. Karamveer Sharma	Officers Colony, Ladari	222213	-	7060151003	-
5	**Liaison Officer (LO)**	**District Development Officer (DDO)**	Sh. Ajay singh		222213	-	9568451558	
		District disaster management Officer (DDMO)	Sh. Shardul gusain	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	9997871927	-
6	**Safety Officer (SO)**	**Sub-Divisional Magistrate**	Miss. Salini Negi		222444	-	7906575356	
		Fire Officer, (Supp. Off.)	Sh. Khajan Singh	Fire station Kotiyalgawn	222201	-	9410991635	9634706010
		Executive Officer, NPP	Smt. Shalini				8273836077	
		Dy. CMO (Supp. Off.)	Dr. B.S. Pangtey	Bhatwari Road, Near BSNL Office	222106	-	9760704228	-
7	**Nodal Officer (Air Operation)**	**ADM, Uttarkashi**	Miss. Mukta Mishra	Officers Colony Collectorate,uki	222109	226055	75709474740	
		Superintendent Engineer PWD Uttarkashi	Sh. Vijay Kumar	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	8171619004	
		District disaster management Officer (DDMO)	Sh. Shardul gusain	Officers Colony Collectorate, Uki			9997871927	
Operation Section								

Incidence Responce System (IRS) - District Uttarkashi								
S.N.	**Position of IRS**	**Nomination officer in IRS**	**Name of Nodal Officer**	**Residential Address**	**Official**	**Residential**	**Mobile**	**Alternate**
8	**Operation Section Chief (OSC)**	**SP, Uttarkashi**	Smt. Kamlesh Upadhyay	SP Awas, Police Line Gyansu	222116	222102	9411112733	
8.1	**Staging Area Manager (SAM)**	**SDM Sadar**	Miss. Salini Negi	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	7906575356	-
		CO, Police, Uttarkashi	Sh. Janak Panwar	Police Line Gyansu	222140	-	9411112779	8433257557
		Dy. CMO (Supp. Off.)	Dr. B.S. Pangtey	Bhatwari Road, Near BSNL Office	222106	-	9760704228	
		Dy. Chief Veterinary Officer	Dr.Hari singh Bisht	Vikas Bhawan, Ladari			9411568515	-
		DSO Uttarkashi (Supp. Off.)	Sh. Ashish Kumar	Tiloth uki	223839	-	8445910614	
8.2	**Rescue & Response Branch Director (RRBD)**	**SDM Sadar**	Miss. Salini Negi	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	7906575356	
		Inspector Radio Communication Uttarkashi	Sh. Sachin Kumar				8958035920	9456311248
		Fire Officer, (Supp. Off.)	Sh. Khajan Singh	Fire station Kotiyalgawn	222201	-	9410991635	9634706010
		Medical Officer (Supp. Off.)	Dr. B.S. Rawat	Bhatwari Road, Near BSNL Office	222106	-	9557900198	
		In-charge-SDRF	Sh. Jagdamba Prasad Bijlwan	Inspector SDRF, Ujeli Uttarkashi	-	-	7983047848	9457637332
		Divisional Forest Officer Uttarkashi	Sh. D.P Baluni				9412997776	
		APDA MITRA/NCC/NSS						
8.3	**Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD)**	**ARTO (A), Uttarkashi.**	Sh. Suvarna Noutiyal	Barethi uttarkashi	-	-	7895540738	
		ARTO (B), Uttarkashi.	Mr. Ratnakar Singh	Barethi Uttarkashi	-	-	8630204914	
Planning Section								

Incidence Responce System (IRS) - District Uttarkashi								
S.N.	Position of IRS	Nomination officer in IRS	Name of Nodal Officer	Residential Address	Official	Residential	Mobile	Alternate
9	Planning Section Chief (PSC)	CDO, Uttarkashi	Sh. Jay Bharat	Officers Colony, Ladari			9456334433	9639998494
		DDO, Uttarkashi.	Sh. Ajay singh	Vikas Bhawan, Ladari	222190	-	8393808093	
9.1	Situation Unit Leader (SUL)	DDO, Uttarkashi.	Sh. Ajay singh	Vikas Bhawan, Ladari	222190	-	9568451558	
		BDO Bhatwari	Dr. Amit Mamgain	Bhatwari	244333		9105887050	9897344094
		DPRO, Uttarkashi.	K.C Bahuguna	Vikas Bhawan, Ladari	222327	-	9119797171	
9.2	Resource Unit Leader (RUL)	DO PRD Uttarkashi	Sh. Vijay Pratap Bhandari	vikash bhawan ladari		-	7251088813	9412991255
		Distric Commandent Homegaurd	Sh. Vijaypal	Tekhla Uttarkashi			9997240574	
		District disaster management Officer (DDMO)	Sh. Shardul gusain	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	9997871927	-
9.3	Documentation Unit Leader (DUL)	District Statics Officer	Sh. Atul Anand	Word no 9 Uttarkashi	222292	-	9456183638	
		District disaster management Officer (DDMO)	Sh. Shardul gusain	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	9997871927	-
		GIS Cell						
9.4	Demobilization Unit Leader (Demob.UL)	DPRO, Uttarkashi.	K.C Bahuguna	Vikas Bhawan, Ladari	222327	-	9119797171	
Logistics & Finance Section								
10	Logistics & Finance Section Chief (L&FSC)	ADM, Uttarkashi	Miss. Mukta Mishra	Officers Colony Collectorate,uki	222109	226055	7579494940	
		SE, PWD , Uttarkashi	Sh. Vijay Kumar	PD PWD Complex Near SP Office uki	222127	222665	8171619004	
10.1	Services Branch Director (SBD)	DSO	Sh. Ashish Kumar	Collectorate colony Uttarkashi			8445910614	

Incidence Responce System (IRS) - District Uttarkashi

S.N.	Position of IRS	Nomination officer in IRS	Name of Nodal Officer	Residential Address	Official	Residential	Mobile	Alternate
		EE. PWD UTTARKASHI	Er. Rajnesh Kumar	Near PG Collage Uttarkashi			7830291398	
10.2	Communication Unit Leader (Con.UL)	District Informatic & Science Officer	Sh. Yogendra Seni				8954850448	
		SDO, BSNL, Uttarkashi (Supp. Off.)	Sh. Anil Kumar	Bsnl Calony Ladari	223434	-	9418047444	
		CO, Police, Uttarkashi	Sh. Janak Panwar	Police Line Gyansu	222140	-	9411112779	8433257557
		Police Radio Officer. (Supp. Off.)	Sh. Sachin Kumar	Lambgawn road Joshiyara	222667	-	8958035920	9456311248
		Fire Officer, (Supp. Off.)	Sh. Khajan Singh	Fire station Kotiyalgawn	222201	-	9410991635	9634706010
10.3	Medical Unit Leader (MUL)	Medical Officer (Supp. Off.)	Dr. B.S. Rawat	Bhatwari Road, Near BSNL Office	222106	-	9557900198	-
		CVO, Uttarkashi. (Supp. Off.)	Dr. Hari singh	Officers Colony, Near bonga road Ladari	222320	-	9411568515	-
10.4	Food Unit Leader (FUL)	DSO & Food Safety Officer, Uttarkashi	Sh. Ashish Kumar	Collectorate colony Uttarkashi			8445910614	
10.5	Support Branch Director (Sub.BD)	CEO, Uttarkashi.	Sh. Amit Kotiyal	main market Uttarkashi	222122		8954524104	-
		DPO ICDS	Smt. Yasoda Bisht				9627594371	
10.6	Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)	EE, PWD Uttarkashi	Sh. Rajnish Saini	PD PWD Complex Near viswanath chok	222108	-	7830291398	
		GIS CELL UTTARKASHI						
10.7	Facilities Unit Leader (Fac.UL) Tahsildar	EE, PWD Uttarkashi	Sh. Rajnish Saini	PD PWD Complex Near viswanath chok	222108	-	7830291398	
		GIS CELL UTTARKASHI						
10.8	Ground Support Unit Leader(GSUL)	ARTO, Uttarkashi.	Sh. Ratnagar Singh	Barethi uttarkashi	-	-	9675807880	
		DSO, Uttarkashi	Sh. Ashish Kumar	Collectorate colony Uttarkashi			8445910614	

Incidence Responce System (IRS) - District Uttarkashi								
S.N.	**Position of IRS**	**Nomination officer in IRS**	**Name of Nodal Officer**	**Residential Address**	**Official**	**Residential**	**Mobile**	**Alternate**
10.9	**Finance Branch Director (FBD)**	**Chief Treasury Officer (Supp. Off.)**	Sh. Ashish kudlani	Officers Colony Collectorate, uki	222306	-	9711541414	-
10.10	**Time, Procurement & Cost Unit Leader (TPCUL**	**Chief Treasury Officer (Supp. Off.)**	Sh. Ashish kudlani	Officers Colony Collectorate, uki	222306	-	9711541414	-
10.11	**ompensation/ Claims Unit Leader (Com.CUL)**	**ADM, Uttarkashi**	Miss. Mukta Mishra	Officers Colony Collectorate,uki	222109	226055	7579494940	
		SDM Sadar	Miss. Salini Negi	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	7906575356	
		District disaster management Officer (DDMO)	Sh. Shardul gusain	Officers Colony Collectorate, Uki	222121	-	9997871927	-

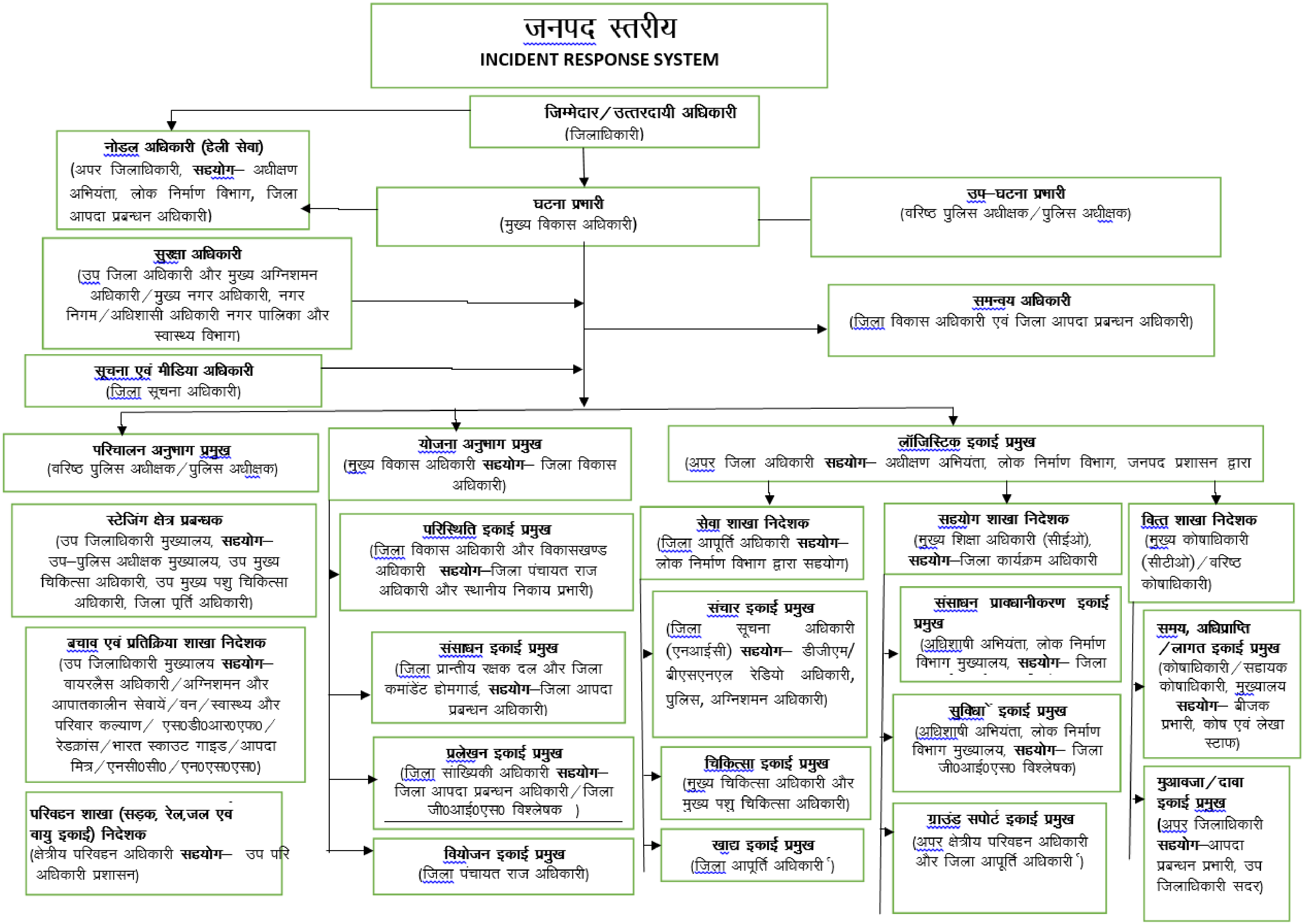
जनपद स्तरीय
INCIDENT RESPONSE SYSTEM
जिम्मेदार/उत्तरदायी अधिकारी (जिलाधिकारी)
नोडल अधिकारी (हेली सेवा) (अपर जिलाधिकारी, सहयोग– अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)
घटना प्रभारी (मुख्य विकास अधिकारी)
उप–घटना प्रभारी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)
सुरक्षा अधिकारी (उप जिला अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग)
समन्वय अधिकारी (जिला विकास अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)
सूचना एवं मीडिया अधिकारी (जिला सूचना अधिकारी)
परिचालन अनुभाग प्रमुख (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)
योजना अनुभाग प्रमुख (मुख्य विकास अधिकारी सहयोग– जिला विकास अधिकारी)
लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख (अपर जिला अधिकारी सहयोग– अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जनपद प्रशासन द्वारा
स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक (उप जिलाधिकारी मुख्यालय, सहयोग– उप–पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी)
बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक (उप जिलाधिकारी मुख्यालय सहयोग– वायरलैस अधिकारी/अग्निशमन और आपातकालीन सेवायें/वन/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण/ एस0डी0आर0एफ0/ रेडक्रांस/भारत स्काउट गाइड/आपदा मित्र/एनसी0सी0/एन0एस0एस0)
परिवहन शाखा (सड़क, रेल,जल एवं वायु इकाई) निदेशक (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहयोग– उप परि अधिकारी प्रशासन)
परिस्थिति इकाई प्रमुख (जिला विकास अधिकारी और विकासखण्ड अधिकारी सहयोग–जिला पंचायत राज अधिकारी और स्थानीय निकाय प्रभारी)
संसाधन इकाई प्रमुख (जिला प्रान्तीय रक्षक दल और जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहयोग–जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी)
प्रलेखन इकाई प्रमुख (जिला सांख्यिकी अधिकारी सहयोग– जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक)
वियोजन इकाई प्रमुख (जिला पंचायत राज अधिकारी)
सेवा शाखा निदेशक (जिला आपूर्ति अधिकारी सहयोग– लोक निर्माण विभाग द्वारा सहयोग)
संचार इकाई प्रमुख (जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) सहयोग– डीजीएम/ बीएसएनएल रेडियो अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन अधिकारी)
चिकित्सा इकाई प्रमुख (मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी)
खाद्य इकाई प्रमुख (जिला आपूर्ति अधिकारी)
सहयोग शाखा निदेशक (मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ), सहयोग–जिला कार्यक्रम अधिकारी
संसाधन प्रावधानीकरण इकाई प्रमुख (अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, सहयोग– जिला
सुविधा इकाई प्रमुख (अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, सहयोग– जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक)
ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख (अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी)
वित्त शाखा निदेशक (मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ)/वरिष्ठ कोषाधिकारी)
समय, अधिप्राप्ति/लागत इकाई प्रमुख (कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय सहयोग– बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टाफ)
मुआवजा/दावा इकाई प्रमुख (अपर जिलाधिकारी सहयोग–आपदा प्रबन्धन प्रभारी, उप जिलाधिकारी सदर)

तहसील स्तरीय
Incident Response System

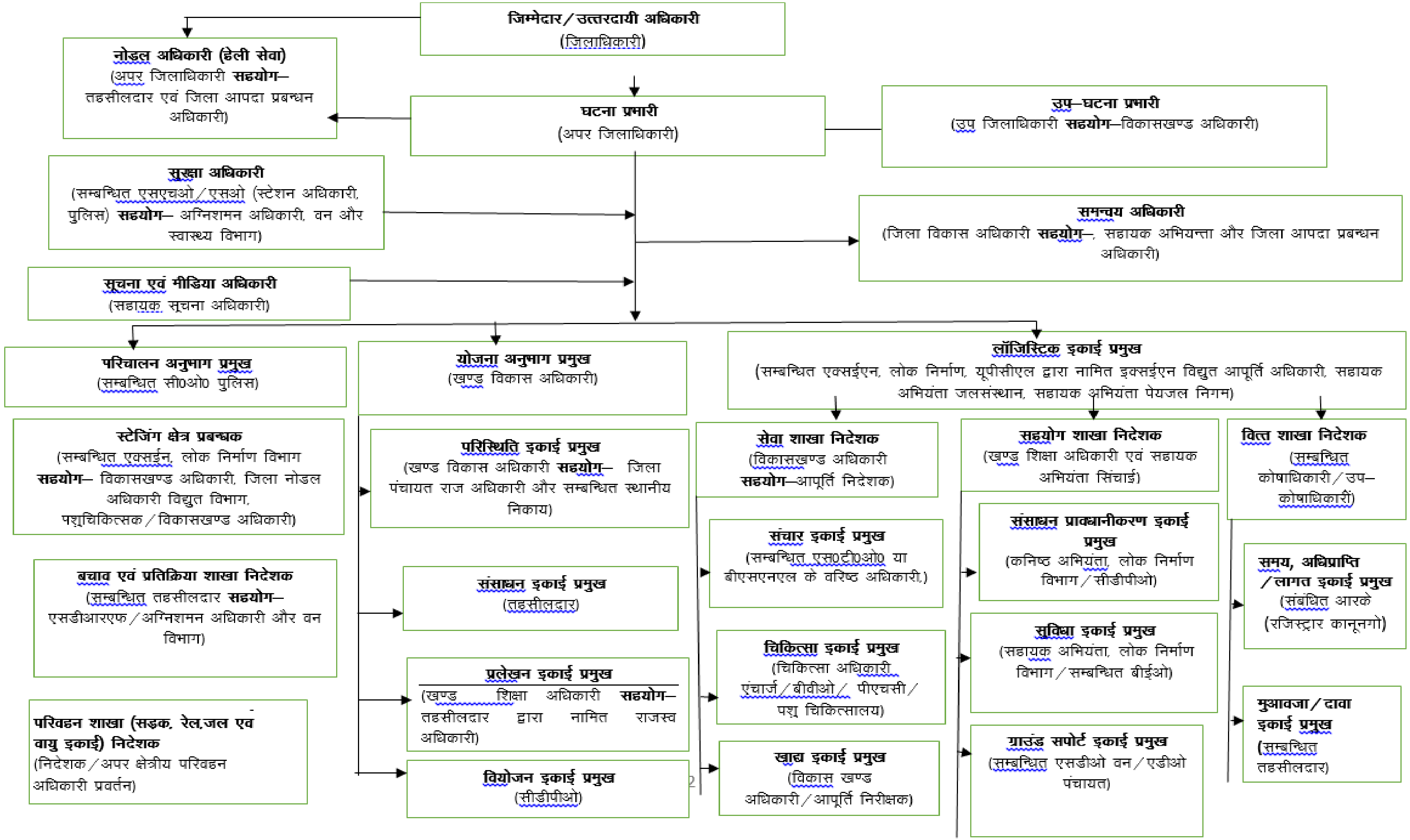

अध्याय 8

आपदा पुर्ननिर्माण एंव पुर्नस्थापना उपाय

8.1. परिचय

आपदा प्रबंधन चक्र का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं पुनर्प्राप्ति (Reconstruction, Rehabilitation and Recovery) है। यह चरण न केवल भौतिक अवसंरचनाओं के पुनर्निर्माण पर केंद्रित होता है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य प्रभावित समुदायों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से पुनः सशक्त बनाना भी होता है, ताकि वे भविष्य की आपदाओं के प्रति अधिक लचीले (Resilient) बन सकें।

आपदा के उपरांत पुनर्प्राप्ति कार्यों का लक्ष्य "सिर्फ पुनः निर्माण नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से पुनर्निर्माण" (Build Back Better) करना होता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पुनर्वास और विकास की सभी गतिविधियों में जोखिम न्यूनीकरण (Risk Reduction), सुरक्षित निर्माण तकनीक, और सामुदायिक भागीदारी (Community Participation) को प्रमुखता दी जाती है।

इस चरण के अंतर्गत निम्न प्रमुख घटक सम्मिलित हैं

- ✓ क्षतिग्रस्त अवसंरचना, भवनों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण।
- ✓ विस्थापित परिवारों एवं प्रभावित जनसंख्या का पुनर्वास।
- ✓ आजीविका (Livelihood) का पुनर्स्थापन एवं रोजगार सृजन।
- ✓ मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता एवं सामुदायिक पुनर्प्राप्ति।
- ✓ आपदा–रोधी निर्माण तकनीकों का अनुपालन और पर्यावरणीय संतुलन।

पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को सामान्यतः तीन चरणों में क्रियान्वित किया जाता है

- **अल्पकालिक पुनर्प्राप्ति**
  - ✓ त्वरित राहत कार्य,
  - ✓ अस्थायी आवास की व्यवस्था,
  - ✓ पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य एवं संचार सेवाओं की पुनर्बहाली।
- **मध्यम अवधि की पुनर्प्राप्ति**
  - ✓ स्थायी आवास निर्माण
  - ✓ विद्यालय, अस्पताल एवं सामुदायिक केंद्रों की मरम्मत,
  - ✓ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों का पुनः आरंभ।
- **दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति**
  - ✓ आपदा–रोधी योजनाओं का संस्थागत समावेश
  - ✓ सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्संरचना,
  - ✓ सामुदायिक लचीलापन (Community Resilience) का सुदृढ़ीकरण।

पुनर्निर्माण और पुनर्वास की यह प्रक्रिया विकास की निरंतरता से जुड़ी हुई है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रभावित क्षेत्र न केवल पहले जैसी स्थिति में लौटें, बल्कि अधिक सुरक्षित, टिकाऊ और आपदा–प्रतिरोधी स्वरूप में विकसित हों। इस प्रकार, पुनर्प्राप्ति चरण आपदा से अवसर

की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है– "आपदा से विकास तक" (From Disaster to Development) की दिशा में एक सशक्त कदम।

8.2. पुनःनिर्माण एवं पुर्नस्थापन के चरण

आपदा के उपरान्त समितियों/विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनःस्थापन एवं पुनर्निर्माण के निम्नांकित कार्यो को सम्बंधित विभागों द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

- ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रो का विभाग द्वारा निर्धारित प्रारुप अनुसार क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ जनहानि क्षति आंकलन
- ✓ पशुधन क्षति आंकलन
- ✓ सामुदायिक अधोसंरचना क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ आधारभूत आवश्यक सेवाओं की क्षति एवं प्रभाव आंकलन
- ✓ मकान एवं अन्य संपत्तियो का क्षति आंकलन
- ✓ स्वास्थ्य सेवाओं एवं संक्रामक बीमारियों का आंकलन
- ✓ पर्यावरणीय क्षति आंकलन
- ✓ आपदा प्रभावितो की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन
- ✓ संवेदनशील वर्गों (दिव्यांग, बीमार, वृद्ध, नवजात शिशु, महिलाओं आदि) पर सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव का आंकलन
- ✓ क्षति आंकलन के आधार पर लघु अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्य
- ✓ दीर्घ अवधि संरचनात्मक पुनर्निर्माण कार्य

8.3. **पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु विभागीय दायित्व–** आपदा घटित होने के पश्चात पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन के कार्यो हेतु विभागीय जिम्मेदारी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है – लघु अवधि पुनर्निर्माण कार्य योजना (Annexure-10) संलग्न है।

8.4. क्षति आंकलन प्रक्रिया– आपदा के उपरान्त संभावित क्षति के आंकलन हेतु सम्बंधित विभागों द्वारा अनुमोदित प्रारूप का उपयोग किया जायेगा। यदि विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिंदु सम्मिलित नहीं हैं, तो इन्हें सम्मिलित करते हुए क्षति आंकलन का कार्य किया जायेगा।

8.5. लघु अवधि पुनःस्थापन के महत्वपूर्ण कार्य– आपदा के पश्चात प्रभावितों के तत्काल पुनःस्थापन एवं राहत तथा क्षति ग्रस्त एवं आपदा प्रभावित अधोसंरचनाओ एवं आवश्यक सेवाओ के बहाली हेतु तालिका–8.1 में उल्लेखित विभागों द्वारा निम्नाकित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

- **मुफ्त खाद्यान्न का वितरण :** प्रभावितों को निर्धारित मान दर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जायेगा।
- **राहत वितरण :** क्षति आकलन करने के बाद प्रभावितो को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण प्रारंभ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड / ग्राम स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण एवं परामर्श से किया जाएगा। यदि राहत वितरण में भेद–भाव अथवा किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच एवं निष्पादन संबन्धित पदाधिकारियों की टीम से अविलम्ब कराया जाएगा ताकि राहत वितरण में अनावश्यक कठिनाइयाँ एवं विवाद पैदा न हो सके।

- **क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण :** संबंधित विभाग अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचना की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनस्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर, सर्वप्रथम आधारभूत संरचनाओं का त्वरित पुनर्स्थापन करेंगे, तत्पश्चात् पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।
- **महामारी की रोकथाम :** आपदा के पश्चात् प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की संभावना रहती है। अतएव महामारीकी रोकथाम हेतु तुरंत स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभागों द्वारा निरोधात्मक कदम उठाए जाऐंगे।
- **जल जमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था :** जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत जल निकासी की व्यवस्थासंबंधित विभाग द्वारा की जावेगी।
- **दीर्घ अवधि की पुनर्निर्माण गतिविधियां–** दीर्घ अवधि पुनर्निर्माण एवं पुनःस्थापन कार्यो हेतु आपदा प्रभावित क्षेत्रो में आवश्यकताओ एवं सेवाओं का आंकलन कर, उनकी बहाली हेतु योजनाओं का चयन कर अथवा नवींन योजनाए बनाकर, केंद्र शासन, राज्य शासन और जिला स्थित विभागों के समर्थन से संपन्न किया जायेगा। जनपद के जोखिम विश्लेषण के आधार पर दीर्घ–अवधी संरचनात्मक कार्ययोजना समय सीमा के साथ प्रस्तावित की जायेंगी।

<u>अध्याय 9</u>

<u>आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना को लागू किये जाने हेतु बजट व्यवस्था</u>

9.1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत उत्तराखंड में वित्तीय व्यवस्थाएँ

अधिनियम 2005 के अन्तर्गत राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गयी है। यह अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर निम्नलिखित शुल्क बनाए जाएँ–

- ✓ राज्य आपदा उत्तरण शुल्क (State Disaster Response Fund - SDRF)
- ✓ राज्य आपदा घटना शुल्क (State Disaster Mitigation Fund)
- ✓ जिला आपदा उत्तरण शुल्क (District Disaster Response Fund - DDRF)
- ✓ जिला आपदा घटना शुल्क (District Disaster Mitigation Fund)

इन निधियों का उपयोग आपातकालीन राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों में किया जाता है। जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के अध्यक्ष के रूप में, इन निधियों के समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होते हैं।

9.2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बनाए जाने वाले कोष

अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों—

आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों हेतु वित्तीय सहायता

तालिका–7.3

क्र. स.	आपदा प्रबंधन का चरण	उद्देश्य / विवरण	वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था
1	रोकथाम	आपदा की संभावनाओं को कम करने एवं जोखिम घटाने के लिए दीर्घकालिक उपाय	गृह मंत्रालय, भारत सरकार / राज्य सरकार
2	तैयारी	संस्थागत एवं सामुदायिक तैयारियों को सशक्त बनाना, प्रशिक्षण एवं संसाधन जुटाना	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) / जिला प्राधिकरण (DDMA)
3	प्रतिक्रिया	आपदा के समय त्वरित बचाव, राहत एवं समन्वय कार्य	राष्ट्रीय / राज्य आपदा मोचन कोष (NDRF / SDRF)
4	पुनर्प्राप्ति	आपदा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करना एवं प्रभावित क्षेत्रों में सहायता	राज्य सरकार / संबंधित विभाग
5	शमन	दीर्घकालिक संरचनात्मक एवं गैर–संरचनात्मक उपायों के माध्यम से भविष्य की आपदाओं का जोखिम घटाना	SDMA / NDMA / विभिन्न मंत्रालय एवं योजनाएँ

इन निधियों का प्रबंधन भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) द्वारा किया जाता है।

9.3. राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ–

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे —

- ✓ लोक निर्माण विभाग (PWD)
- ✓ जल संस्थान एवं जल निगम

- ✓ ऊर्जा विभाग
- ✓ स्वास्थ्य विभाग
- ✓ कृषि एवं पशुपालन विभाग
- ✓ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- ✓ शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण विभाग

इन सभी विभागों को अपने–अपने वार्षिक बजट (Annual Budget) में आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रावधान (Dedicated Budgetary Provision) रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विभाग को Departmental Disaster Management Plan (DDMP) तैयार कर उसे क्रियान्वित करने हेतु निधि का उपयोग करना होता है।

9.4. तकनीकी–वित्तीय व्यवस्था

राज्य स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन हेतु निम्न व्यवस्था लागू है —

- ✓ आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए राज्य योजना आयोग (State Planning Commission) एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन।
- ✓ प्रमुख पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) की स्वीकृति।
- ✓ जिला स्तर की योजनाओं के लिए DDMA को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रत्येक योजना के लिए तकनीकी परीक्षण (Technical Vetting) एवं वित्तीय मूल्यांकन (Financial Appraisal) किया जाता है, जिससे पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

9.5. अन्य वित्तीय विकल्प

आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए निम्न अतिरिक्त वित्तीय स्रोतों का भी उपयोग किया जा सकता है —

- ✓ राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS / State Schemes) जैसे — SDRF, NDRF, MGNREGA, PMGSY, PMAY, NRHM आदि।
- ✓ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड्स कृ निजी एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा।
- ✓ अंतरराष्ट्रीय सहायता (International Aid) — विश्व बैंक, ADB, UNDP, NDMA या अन्य एजेंसियों से।
- ✓ 4सामुदायिक भागीदारी एवं NGO योगदान कृ स्थानीय संस्थाओं द्वारा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों में सहभागिता।
- ✓ पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के अंतर्गत अवसंरचना एवं क्षमता निर्माण परियोजनाएँ।

प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) अन्तर्गत राहत सहायता की पुनरीक्षित दरों का विवरण– (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 25–26 तक)

अनुलग्नक-II

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड

सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
आवास (खड संख्या)	मैदानी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	1.80	0.90
	पहाड़ी क्षेत्र - पक्का मकान/कच्चा मकान	2.00	1.00
शिक्षा (खड संख्या)	प्राथमिक स्कूल	15.00	7.50
	माध्यमिक / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	25.00	12.50
स्वास्थ्य (खड संख्या)	उपकेंद्र (मैदानी क्षेत्र)	18.40	9.20
	उपकेंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	15.81	7.91
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	41.97	20.99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पहाड़ी क्षेत्र)	49.45	24.72
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (मैदानी क्षेत्र)	158.12	79.06
	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	185.72	92.86

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	(पहाड़ी क्षेत्र)		
सामुदायिक भवन (इकाई संख्या)	आंगनवाड़ी	6.00	3.00
	ग्राम पंचायत/पटवारखाना	10.00	5.00
सड़क एवं परिवहन (इकाई प्रति कि.मी.)	i) प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) (दरार/ गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	64.00	32.00
	(पहाड़ी क्षेत्र)	187.75	93.75
	ii) अन्य जिला सड़कें (ओडीआर) (दरार/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	(मैदानी क्षेत्र)	54.5	26.75
	(पहाड़ी क्षेत्र)	159.88	80.00
	iii) गाँव की सड़कें (टूट/गंभीर क्षति सहित कुल क्षति)		
	मैदानी क्षेत्र	36.75	18.25
	पहाड़ी क्षेत्र	133.75	67.00

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो के तहत सहायता के लिए मदों और मानदंड			
सेक्टर और इकाई	आइटम	कुल क्षति (70% से अधिक)	गंभीर क्षति (30 - 70% क्षति)
		(लाख में)	(लाख में)
	सामुदायिक शौचालय	3	1.5
अंतर्देशीय मत्स्य पालन इकाइयाँ- प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 1 हेक्टेयर)	मछली का तालाब (मैदानी क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
	(मैदानी क्षेत्र/ पहाड़ी क्षेत्र)	1.75	0.875
रेशम उत्पादन (इकाइयाँ- संख्या)	भौतिक अवसंरचना - किसान - रेशम उत्पादन	2.5	1.25
कारीगर इकाइयाँ- संख्या	उपकरणऔर मशीनें	0.25	--

1) उपरोक्त मानदंड/सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i) सड़क और परिवहन क्षेत्र के तहत एसडीआरएफ/एनडीआरएफ की आरएंडआर विंडो से सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि व्यय, किसी भी स्थिति में, वर्ष के लिए इस विंडो (रिकवरी और पुनर्निर्माण) के तहत एसडीआरएफ आवंटन के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ii) रिकवरी और पुनर्निर्माण के दिशानिर्देशों के तहत ग्राह्य मदों के लिए स्वीकार्य सहायता, मदों और मानदंडों के तहत निर्धारित उपरोक्त राशि या राज्य की दरों की अनुसूची के अनुसार अनुमानित राशि, जो भी कम हो, होगी।

2) कुल क्षति की स्थिति मे सहायता भारत सरकार की संबंधित योजना में प्रदान की गई सहायता या विशेषज्ञो के परामर्श या संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इनपुट द्वारा निर्धारित राशि के 50% के बराबर होगी।

3) गंभीर क्षति के लिए सहायता कुल क्षति के लिए गणना की गई सहायता के 50% के बराबर होगी।

4) एनआईडीएम दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा के बाद के आकलन के दौरान अवसंरचना ढांचे की क्षति (कुल और गंभीर) का वर्गीकरण निर्धारित किया जाना चाहिए।

5) रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि राहत के समय विशेष समय के लिए दी गई सहायता के समायोजन के अधीन भी होगी।

*****

योजनाओं से सम्बन्धी विवरण **(Annexure-11)** में उपलब्ध है।

अध्याय 10

डीडीएमपी की निगरानी, मूल्यांकन, अद्यतन और रखरखाव के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली

10.1. परिचय–

जिला आपदा प्रबंधन योजना एक जीवंत, गतिशील और उत्तरदायी दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य आपदाओं के दौरान प्रभावी, संगठित और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। समय के साथ जनसंख्या, अवसंरचना, भौगोलिक परिस्थिति, तकनीकी संसाधन और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए DDMP को नियमित रूप से अद्यतन मूल्यांकन तथा रखरखाव की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है, ताकि यह दस्तावेज सदैव प्रासंगिक एवं प्रभावी बना रहे।

10.2. डीडीएमपी को रखरखाव और समीक्षा की जिम्मेदारी–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) DDMP के रखरखाव और समय–समय पर समीक्षा का प्रमुख दायित्व वहन करता है। इस हेतु निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किए जाते हैं

- ✓ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में DDMP की वार्षिक समीक्षा एवं संशोधन।
- ✓ विभागीय योजनाओं, जोखिम आंकलन, संसाधनों एवं अवसंरचना में हुए परिवर्तनों का समावेश।
- ✓ DDMA द्वारा संशोधित योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के अनुमोदन हेतु प्रेषित करना।
- ✓ समीक्षा प्रक्रिया में सभी विभागों, अर्ध–सरकारी संस्थानों एवं समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

10.3. डीडीएमपी की उचित निगरानी और मूल्यांकन

DDMP के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियमित मूल्यांकन की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रमुख पहलू सम्मिलित हैं

- ✓ **प्रतिक्रिया क्षमता का मूल्यांकन:** आपातकालीन स्थिति में योजना की व्यवहारिक उपयोगिता का परीक्षण।
- ✓ **संस्थागत समन्वय का विश्लेषण:** विभागों, एजेंसियों एवं हितधारकों के बीच समन्वय स्तर की समीक्षा।
- ✓ **संसाधन तत्परता का परीक्षण:** उपकरणों, मानव संसाधनों एवं संचार प्रणाली की स्थिति का आकलन।
- ✓ **सामुदायिक सहभागिता:** प्रशिक्षण, जन–जागरूकता कार्यक्रम एवं मॉक ड्रिल के प्रभाव का विश्लेषण।

10.4. डीडीएमपी के लिए आपदा के बाद मूल्यांकन तंत्र

आपदा के बाद वास्तविक परिस्थितियों में योजना की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाता है।

- ✓ प्रत्येक बड़ी आपदा के उपरांत DDMA द्वारा एक Post–Disaster Evaluation Report (PDER) तैयार की जाती है।
- ✓ इस रिपोर्ट में राहत, बचाव, पुनर्प्राप्ति एवं समन्वय प्रयासों की समीक्षा की जाती है।
- ✓ रिपोर्ट के निष्कर्षों को योजना के आगामी संस्करण में समाहित किया जाता है, जिससे सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- ✓ मूल्यांकन के परिणामों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के साथ साझा किया जाता है।

10.5. डीडीएमपी के अद्यतनीकरण की अनुसूची– DDMP को वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन किया जाना अनिवार्य है।

अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत —

✓ विभागों से नवीनतम संसाधन विवरण (Resource Inventory) प्राप्त किया जाता है।
✓ आपदा प्रवृत्तियों, जनसंख्या आंकड़ों एवं जोखिम क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को समाहित किया जाता है।
✓ संशोधित DDMP को डिजिटल एवं मुद्रित रूप में वितरित किया जाता है।

10.6. डीडीएमए,/एसडीएमए, वेबसाइट पर अद्यतन योजनाओं को अपलोड करना

DDMP का नवीनतम संस्करण DDMA एवं SDMA की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

- ✓ योजना का डिजिटल संस्करण जनसुलभ बनाया जाता है, जिससे नागरिक, विभाग एवं संस्थान इसे देख सकें।
- ✓ प्रत्येक संस्करण पर संशोधन तिथि, संस्करण संख्या एवं अनुमोदन विवरण अंकित किया जाता है।

10.7. मॉक ड्रिल का आयोजन

- ✓ विभिन्न प्रकार की आपदाओं (भूकंप, बाढ़, आग, भूस्खलन आदि) हेतु वार्षिक मॉक ड्रिल कैलेंडर तैयार किया जाता है।
- ✓ प्रत्येक मॉक ड्रिल के उपरांत After Action Report (AAR)" तैयार की जाती है, जिसमें सीखे गए सबक, कमियाँ और सुधारात्मक सुझाव दर्ज होते हैं।
- ✓ इन रिपोर्टों के आधार पर DDMP में संशोधन किया जाता है ताकि व्यवहारिकता और दक्षता में सुधार हो।

10.7.1. जिला अभ्यास आयोजित करने के लिए जिम्मेदार पक्ष

- ✓ जिला प्रशासन एवं DDMA
- ✓ पुलिस विभाग
- ✓ अग्निशमन सेवा
- ✓ स्वास्थ्य विभाग
- ✓ लोक निर्माण विभाग
- ✓ शिक्षा विभाग
- ✓ एस.डी.आर.एफ / एन.डी.आर.एफ / रेडक्रॉस

✓ स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं समुदाय प्रतिनिधि

10.7.2. ड्रिल के आयोजन का कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन योजना की वास्तविक प्रभावशीलता का परीक्षण केवल सैद्धांतिक अभ्यास से नहीं, बल्कि मैदान–स्तरीय मॉक ड्रिलों के माध्यम से किया जा सकता है। मॉक ड्रिल से विभागों, एजेंसियों तथा समुदायों की तत्परता, समन्वय एवं त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन किया जाता है।

मॉक ड्रिल आयोजित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है

योजना निर्माण (Planning Phase):

- प्रत्येक मॉक ड्रिल से पूर्व एक विस्तृत ड्रिल प्लान तैयार किया जाता है।
- इसमें आपदा परिदृश्य (Scenario), संभावित प्रभावित क्षेत्र, भाग लेने वाले विभाग, समय, दायित्व एवं समन्वय बिंदु स्पष्ट रूप से अंकित किए जाते हैं।

पूर्व तैयारी (Pre-Drill Preparation):

- संबंधित विभागों, संस्थानों, विद्यालयों, अस्पतालों एवं अन्य हितधारकों को सूचित किया जाता है।
- आवश्यक उपकरण, संचार माध्यम, प्राथमिक उपचार सामग्री एवं निकासी मार्गों की जांच की जाती है।

ड्रिल का आयोजन (Execution Phase):

- निर्धारित समय एवं परिदृश्य के अनुसार मॉक ड्रिल प्रारंभ की जाती है।
- चेतावनी प्रणाली सक्रिय कर निकासी, बचाव, प्राथमिक उपचार एवं राहत कार्यों का अनुकरण किया जाता है।
- सभी विभाग अपने–अपने कार्यों को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप निभाते हैं।

समीक्षा एवं विश्लेषण (Post-Drill Evaluation):

- ड्रिल समाप्त होने के पश्चात एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है।
- प्रत्येक विभाग से उनकी भूमिका, समन्वय, कठिनाइयों एवं सुझावों पर प्रतिवेदन लिया जाता है।
- एक ड्रिल मूल्यांकन रिपोर्ट (Drill Evaluation Report) तैयार कर DDMA को प्रस्तुत की जाती है।

सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective Measures):

✓ मॉक ड्रिल से प्राप्त अनुभवों के आधार पर योजना में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।
✓ प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले कार्मिकों की पहचान कर उन्हें पुनः प्रशिक्षित किया जाता है।
✓ उपकरण, संचार या समन्वय में पाई गई कमियों को दूर किया जाता है।

10.8. निगरानी और अंतराल मूल्यांकन

✓ योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु DDMA त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।
✓ विभागों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा कर, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है।
✓ आवश्यकता पड़ने पर, स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा बाह्य मूल्यांकन कराया जाता है।
✓ मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर योजना में आवश्यक नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधार सम्मिलित किए जाते हैं।

अध्याय– 11

डीडीएमपी के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

11.1. अंतर–विभागीय समन्वय

- ✓ DDMA के अध्यक्ष (जिलाधिकारी) के अधीन एक जिला आपदा प्रबंधन समन्वय समिति (District Disaster Coordination Committee) कार्य करती है।
- ✓ इस समिति में सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी जैसे स्वास्थ्य, लोक निर्माण, पुलिस, जल संस्थान, विद्युत, शिक्षा, वन, परिवहन आदि सम्मिलित होते हैं।
- ✓ आपदा पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा उपरांत चरणों में इन विभागों के बीच सूचना साझा करना, संसाधनों का उपयोग तथा संयुक्त निर्णय लेना सुनिश्चित किया जाता है।

11.2. विकासख.ड स्तरीय समन्वय तंत्र–

11.2.1. तहसील स्तरीय समन्वय तंत्र

- ✓ तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक तहसील आपदा प्रबंधन समिति गठित की जाती है।
- ✓ यह समिति स्थानीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता, राहत एवं बचाव दलों के समन्वय, तथा ग्राम पंचायतों से सूचना प्राप्त करने का दायित्व निभाती है।

11.2.2. स्थानीय स्तर पर व्यवस्था

- ✓ प्रत्येक ग्राम पंचायतध्नगर क्षेत्र में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (VDMC) कार्यरत होती है।
- ✓ यह समिति ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, युवाओं तथा स्वयंसेवकों के सहयोग से स्थानीय प्रतिक्रिया एवं प्रारंभिक राहत व्यवस्था संचालित करती है।

11.3. जिला विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय प्रणाली

- ✓ जनपद के विभिन्न विभागों तथा संस्थानों जैसे NIM, ITBP, SDRF, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि के बीच निरंतर समन्वय रखा जाता है।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा नियमित रूप से संयुक्त प्रशिक्षण, अभ्यास एवं समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

11.4. समुदाय के साथ समन्वय तंत्र

- ✓ आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।
- ✓ आपदा मित्र (Apda Mitra), स्वयंसेवी संस्थाएं (NGOs), युवक मंगल दल, महिला मंगल दल तथा स्थानीय नागरिकों को विभिन्न ड्रिलों, प्रशिक्षणों और जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है।

11.5. एनजीओ, सीबीओ, स्वयं सहायता समूहों (सएचजी) के साथ समन्वय तंत्र

- ✓ जनपद स्तर पर कार्यरत गैर–सरकारी संस्थाओं (NGOs), सामुदायिक आधारित संगठनों (CBOs) एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की सूची DDMA द्वारा संधारित की जाती है।
- ✓ आपदा की स्थिति में इन्हें राहत, पुनर्वास एवं जनजागरूकता गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है।
- ✓ इनके साथ एक साझा कार्ययोजना एवं संचार तंत्र विकसित किया जाता है।

11.6. अन्य जिलों और राज्य के साथ समन्वय

- ✓ जिला स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA), राजस्व विभाग, तथा पड़ोसी जनपदों के साथ समन्वय के लिए एक सुदृढ़ संचार चौनल स्थापित किया गया है।
- ✓ आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार अंतर–जिला सहायता (Inter&District Support) एवं संसाधन साझा व्यवस्था सक्रिय की जाती है।
- ✓ राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष के साथ सतत संपर्क बनाए रखने हेतु 24×7 नियंत्रण कक्ष (District Control Room) कार्यरत रहता है।

अध्याय 12

मानक प्रचालन विधि एवं चैक लिस्ट

आपदा प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक चरण में मानक संचालन प्रक्रियाएँ का पालन आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग, एजेंसियाँ एवं अधिकारी अपनी भूमिकाओं को पूर्वनिर्धारित एवं समन्वित तरीके से निभाएँ। साथ ही, एक जाँच सूची के माध्यम से क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन भी किया जा सकता है।

12.1. पूर्व चेतावनी प्रबंधन

- ✓ सभी विभागों को पूर्व चेतावनी प्राप्त होते ही सतर्क किया जाए।
- ✓ जिला आपात संचालन केंद्र (EOC) को तुरंत सक्रिय किया जाए।
- ✓ संबंधित विभागों और ग्राम पंचायतों को सूचना SMS, वॉयरलेस, ई–मेल अथवा अन्य माध्यमों से भेजी जाए।
- ✓ मीडिया को सत्यापित सूचना जारी की जाए।

12.2. पूर्व चेतावनी मिलने पर निकासी

जब किसी भी आपदा जैसे– भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन, वनाग्नि या महामारी आदि की पूर्व चेतावनी प्राप्त होती है, तो जिला प्रशासन द्वारा तत्काल समन्वित कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य है–जनहानि एवं संपत्ति हानि को न्यूनतम करना तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुचारू रूप से लागू करना।

जिला स्तर पर त्वरित कदम

- ✓ जिला आपात संचालन केंद्र **(EOC)** को तुरंत सक्रिय किया जाता है।
- ✓ जिलाधिकारी (अध्यक्ष, **DDMA**) द्वारा सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए जाते हैं।
- ✓ प्रत्येक विभाग अपने आपातकालीन संचालन कक्ष (Emergency Cell) को सक्रिय करता है।
- ✓ संचार व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है ताकि सूचना का प्रवाह अबाधित रहे।
- ✓ नियंत्रण कक्ष में लॉग बुक/इवेंट रजिस्टर में सभी प्राप्त सूचनाएँ दर्ज की जाती हैं।

विभागीय समन्वय एवं सूचना प्रसार

- ✓ सूचना प्राप्त होते ही जिला प्रशासन द्वारा संबंधित तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों को सतर्क किया जाता है।
- ✓ सभी विभाग अपने नोडल अधिकारियों के माध्यम से DDMA के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं।
- ✓ जनसामान्य तक सूचना पहुँचाने हेतु–
- ✓ मौखिक उद्घोषणा **(Public Announcement System)**
- ✓ **SMS**/व्हाट्सएप अलर्ट
- ✓ पुलिस वायरलेस
- ✓ मीडिया बुलेटिन
- ✓ ग्राम प्रधान/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिक्षक के माध्यम से चेतावनी दी जाती है।

संभावित खतरे वाले क्षेत्रों में कार्यवाही

- ✓ चेतावनी मिलने पर खतरे वाले इलाकों में स्थित लोगों की पूर्व निकासी शुरू की जाती है।
- ✓ राहत शिविरों की पहचान एवं तैयारी की जाती है।

- ✓ चिकित्सा, परिवहन, जल संस्थान, विद्युत और पुलिस विभाग को फील्ड मोड पर लाया जाता है।
- ✓ नदी तट, ढलानों, पुलों और संवेदनशील मार्गों की निगरानी के लिए विशेष दल तैनात किए जाते हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की भूमिका

- ✓ अस्पतालों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा जाता है।
- ✓ एम्बुलेंस सेवाओं की तैनाती की जाती है।
- ✓ आवश्यक दवाओं, प्राथमिक उपचार सामग्री और रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

जनसंचार और जन–जागरूकता गतिविधियॉ

- ✓ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस एवं स्थानीय नेतृत्व द्वारा जनसाधारण को शांत, सतर्क एवं सहयोगी बने रहने की अपील की जाती है।
- ✓ सोशल मीडिया, रेडियो एवं स्थानीय समाचार माध्यमों पर नियमित अपडेट प्रसारित किए जाते हैं।
- ✓ गलत या अपुष्ट सूचनाओं के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी

- ✓ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ब्लॉक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान अपने क्षेत्रों में तुरंत निरीक्षण करें।
- ✓ आवश्यकतानुसार राहत सामग्री का पूर्व भंडारण (**Pre&positioning**) किया जाए।
- ✓ स्कूल भवन, पंचायत घर या अन्य सुरक्षित स्थानों को अस्थायी आश्रय के रूप में तैयार किया जाए।

नियंत्रण कक्ष की गतिविधियॉ

- ✓ सभी प्राप्त सूचनाओं का दर्ज एवं सत्यापन किया जाता है।
- ✓ जिला स्तर पर संचालित वाहनों, संसाधनों एवं मानव बल की स्थिति का अद्यतन रखा जाता है।
- ✓ उच्चाधिकारियों को नियमित रूप से सिचुएशन रिपोर्ट (**SITREP**) भेजी जाती है।

चेतावनी के बाद समीक्षा एवं तैयारियों की रिपोर्टिंग

- ✓ प्रत्येक विभाग अपनी तैयारी की स्थिति की रिपोर्ट (**Preparedness Status**) जिला प्रशासन को भेजता है।
- ✓ DDMA द्वारा विभागवार समीक्षा बैठक (**Review Meeting**) आयोजित की जाती है।
- ✓ यदि आवश्यक हो तो **SDRF / NDRF** को पूर्व चेतावनी के आधार पर अलर्ट किया जाता है।

पूर्व चेतावनी प्राप्त होते ही प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य तत्काल प्रतिक्रिया, अधिकतम जनसुरक्षा, और न्यूनतम हानि सुनिश्चित करना होता है। यह प्रक्रिया तभी सफल होती है जब सभी विभाग समय पर सूचना प्राप्त करें, त्वरित कार्रवाई करें और जनसमुदाय को सहभागी बनाएं।

12.3. जब कोई पूर्व चेतावनी न हो तो निकासी

जब कोई आपदा अचानक घटित होती है कृ जैसे कि भूकंप, भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, आगजनी या सड़क दुर्घटना—और पूर्व चेतावनी प्राप्त नहीं होती, तब जिला प्रशासन द्वारा तत्काल स्थिति के अनुसार त्वरित प्रतिक्रिया (Immediate Response) प्रारंभ की जाती है। इस परिस्थिति में समन्वय, सूचना संप्रेषण, राहत एवं बचाव कार्यों की गति और सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

आपात स्थिति की प्रारंभिक सूचना एवं पुष्टि

- ✓ घटना की सूचना मिलते ही जिला आपात संचालन केंद्र (म्ब्) को सक्रिय किया जाता है।
- ✓ घटना की प्रकृति, स्थान, समय और प्रभावित क्षेत्र की तत्काल पुष्टि की जाती है।
- ✓ संबंधित तहसील, पुलिस थाने, ग्राम प्रधान या राजस्व उपनिरीक्षक से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है।
- ✓ आवश्यकतानुसार SDRF / NDRF / फायर सर्विस को तुरंत अलर्ट किया जाता है।

त्वरित प्रशासनिक प्रतिक्रिया

- ✓ जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित विभागों को ऑन—अलर्ट मोड पर रखा जाता है।
- ✓ जिला आपात संचालन केंद्र में कंट्रोल रूम सक्रिय कर ड्यूटी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं।
- ✓ प्रारंभिक नुकसान का आकलन **(Rapid Damage Assessment)** शुरू किया जाता है।
- ✓ प्राथमिक राहत, चिकित्सा एवं निकासी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

फिल्ड स्तर पर कार्यवाही

- ✓ तहसीलदार / नायब तहसीलदार / राजस्व उपनिरीक्षक घटनास्थल पर तुरंत पहुँचते हैं।
- ✓ पुलिस विभाग द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।
- ✓ ग्राम स्तर पर आपदा मित्र / स्वयंसेवक दल बचाव एवं सहायता में भाग लेते हैं।
- ✓ यदि आवश्यक हो, तो निकटवर्ती राहत शिविर / स्कूल भवन / पंचायत घर में प्रभावितों को अस्थायी आश्रय दिया जाता है।

राहत एवं बचाव कार्यों की तैनाती

- ✓ SDRF, NDRF, फायर सर्विस, होमगार्ड एवं पुलिस बल को तुरंत मौके पर भेजा जाता है।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस, प्राथमिक उपचार दल एवं चिकित्सकों की तैनाती की जाती है।
- ✓ विद्युत, जल संस्थान एवं लोक निर्माण विभाग अपने—अपने क्षेत्र में आपूर्ति बहाली कार्य प्रारंभ करते हैं।
- ✓ पशुपालन विभाग द्वारा पशुहानि का आकलन एवं पशुओं के उपचार की व्यवस्था की जाती है।

सूचना संप्रेषण एवं मीडिया प्रबंधन

- ✓ नियंत्रण कक्ष के माध्यम से सभी सूचनाएँ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **(SEOC)** एवं अन्य उच्च कार्यालयों को भेजी जाती हैं।
- ✓ मीडिया को नियमित रूप से सत्यापित जानकारी **(Verified Information)** प्रदान की जाती है ताकि अफवाहें न फैलें।
- ✓ जनसाधारण को प्रशासनिक दिशा—निर्देशों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाता है।

घटना के बाद समीक्षा और रिपोर्टिंग

- ✓ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी द्वारा आपात बैठक आयोजित की जाती है।
- ✓ सभी विभाग अपने–अपने क्षेत्र की घटना रिपोर्ट **(Incident Report) DDMA** को प्रस्तुत करते हैं।
- ✓ प्रारंभिक नुकसान का संक्षिप्त विवरण **(Preliminary Damage Report & PDR)** राज्य स्तर पर भेजा जाता है।
- ✓ आवश्यकतानुसार दीर्घकालिक पुनर्वास योजना **(Long&Term Rehabilitation Plan)** तैयार की जाती है।

समन्वय एवं जनसहभागिता

- ✓ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs), युवामंडलों, NSS／NCC दलों एवं आपदा मित्रों को राहत कार्यों में सम्मिलित किया जाता है।
- ✓ प्रभावित नागरिकों को शांत, सहयोगी एवं सतर्क बने रहने की अपील की जाती है।
- ✓ प्रत्येक कार्यवाही में "जीवन रक्षा प्राथमिकता **(Life First Priority)**" सिद्धांत अपनाया जाता है।
- ✓ जब कोई पूर्व चेतावनी उपलब्ध नहीं होती, तब प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय समन्वय, स्थानीय संसाधनों की तत्परता एवं समुदाय की भागीदारी से ही आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है।

12.4. खोज और बचाव

किसी भी आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव कार्य सबसे महत्वपूर्ण और समय–संवेदी प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाना, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना होता है। खोज एवं बचाव कार्यों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रशासन, आपात सेवाएँ, स्वयंसेवक दल और समुदाय कितनी शीघ्रता एवं समन्वय के साथ कार्य करते हैं।

खोज और बचाव की प्रारंभिक कार्यवाही

- ✓ घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) सक्रिय किया जाता है।
- ✓ SDRF, NDRF, फायर सर्विस, पुलिस, स्वास्थ्य एवं होमगार्ड को तत्काल घटनास्थल पर रवाना किया जाता है।
- ✓ स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पहुंच मार्ग और संभावित जोखिमों का आकलन किया जाता है।
- ✓ प्राथमिक उद्देश्य होता है–जीवित लोगों की खोज, फंसे हुए व्यक्तियों को निकालना और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।

जिम्मेदार एजेंसियॉ और उनका दायित्व–

तालिका–12.1

एजेंसी / विभाग	मुख्य जिम्मेदारी
SDRF／NDRF	खोज, बचाव और निकासी कार्यों का संचालन
फायर सर्विस	मलबा हटाना, आग बुझाना और फंसे लोगों को निकालना
पुलिस विभाग	भीड़ नियंत्रण, क्षेत्र की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन
स्वास्थ्य विभाग	घायलों का प्राथमिक उपचार एवं अस्पताल तक पहुंचाना
राजस्व विभाग / स्थानीय प्रशासन	राहत व्यवस्था, रिपोर्टिंग और समन्वय
ग्राम पंचायत / आपदा मित्र	स्थानीय सहयोग, जानकारी और प्राथमिक सहायता

खोज और बचाव की प्रक्रिया–

- ✓ **क्षेत्र का विभाजन :** प्रभावित क्षेत्र को सेक्टरों में बांटकर टीमें अलग–अलग भागों में कार्य करती हैं।
- ✓ **संभावित स्थलों की पहचान:** घरों, स्कूलों, इमारतों, ढलानों और नदियों के किनारे खोजबीन की जाती है।

प्राथमिकता:

- ✓ गंभीर रूप से प्रभावित स्थलों पर पहले कार्य।
- ✓ बच्चों, वृद्धों और घायलों को प्राथमिकता।

बचाव उपकरणों का प्रयोग– हाइड्रोलिक कटर, जैक, रस्सी, हेलमेट, सर्च लाइट, स्ट्रेचर आदि का उपयोग।

संचार प्रणाली–सभी टीमों के बीच वायरलेस या मोबाइल संपर्क बनाए रखना।

स्थानीय समुदाय की भूमिका–

- ✓ आपदा मित्र, स्वयंसेवी संगठन, NCC/NSS छात्र और स्थानीय नागरिक प्रारंभिक सहायता में भाग लेते हैं।
- ✓ ग्रामीण स्तर पर बनी **Village Disaster Management Committee (VDMC)** राहत और जानकारी साझा करने में सक्रिय रहती है।
- ✓ स्थानीय वाहन धारकों, चिकित्सकों, दुकानदारों आदि का सहयोग लिया जाता है।

प्राथमिक चिकित्सा और निकासी–

- ✓ बचाए गए लोगों को निकटतम सुरक्षित क्षेत्र या राहत शिविर में पहुंचाया जाता है।
- ✓ स्वास्थ्य दल द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जाता है।
- ✓ गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल/CHC/ PHC में स्थानांतरित किया जाता है।

विशेष पिरिस्थितियों में खोज एवं बचाव–

तालिका–12.2

आपदा का प्रकार	विशेष कार्यवाही
भूकंप	मलवा हटाने में सवधानी, इमारतों की स्थिरता जांचना
भूस्खलन	छोबारा फिसलन के खतरे से बचाव
बाढ़/बादल फटना	नौकाओं और रस्सी पुलों का उपयोग, ऊँचे स्थानों पर निकासी
आगजनी	गैस सिलिंडर, बिजली और रासायनिक पदार्थों से दूरी
सड़क दुर्घटना	यातायात नियंत्रण, घायलों की शीघ्र चिकित्सा सहायता

समन्वय एवं रिपोर्टिंग

- ✓ सभी बचाव दलों का समन्वय जिलाधिकारी / EOC के माध्यम से होता है।
- ✓ प्रत्येक दल अपनी गतिविधियों की रोज़ाना रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष को भेजता है।
- ✓ घटनास्थल पर कार्य समाप्ति के बाद क्षति का प्रारंभिक मूल्यांकन **(Preliminary Damage Assessment)** किया जाता है।

सुरक्षा उपाय

- ✓ सभी टीमों को उचित सुरक्षा उपकरण **(PPEs)** पहनना अनिवार्य है।
- ✓ विद्युत लाइनों, अस्थिर इमारतों और खतरनाक रासायनिक पदार्थों से दूरी बनाई जाती है।
- ✓ रात्रिकालीन बचाव के समय उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

उद्देश्य

- ✓ मानव जीवन की रक्षा करना।
- ✓ अधिकतम लोगों को समय पर सहायता और उपचार प्रदान करना।
- ✓ हानि को न्यूनतम करना और त्वरित राहत सुनिश्चित करना।
- ✓ खोज एवं बचाव कार्य आपदा प्रबंधन का सबसे संवेदनशील और मानवकेंद्रित चरण है। प्रशासनिक तैयारी, त्वरित समन्वय, प्रशिक्षित बलों की उपलब्धता और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से ही इन कार्यों की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

12.5. राहत कार्य

किसी भी आपदा की स्थिति में राहत कार्य सबसे महत्वपूर्ण, त्वरित और मानवीय जिम्मेदारी होती है। राहत कार्यों का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं कृ भोजन, पानी, आश्रय, चिकित्सा और सुरक्षा को शीघ्रता से उपलब्ध कराना है।

राहत कार्यो के मुख्य उद्देश्य–

- ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जीवित बचे लोगों की सुरक्षा और जीवनरक्षा सुनिश्चित करना।
- ✓ प्रभावित जनसंख्या को भोजन, पेयजल, कपड़े, तात्कालिक आश्रय और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना।
- ✓ अस्थायी राहत शिविरों की स्थापना तथा उनमें आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ✓ राहत कार्यों के दौरान न्यायसंगत वितरण, पारदर्शिता और प्राथमिकता आधारित व्यवस्था लागू करना।

राहत कार्यो की प्रक्रिया–

प्रारंभिक चरण

- ✓ आपदा के तुरंत बाद जिला आपदा नियंत्रण कक्ष **(EOC)** सक्रिय किया जाता है।
- ✓ प्रभावित क्षेत्रों की त्वरित क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- ✓ SDRF, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, जलसंस्थान, विद्युत, परिवहन आदि विभागों को तैनात किया जाता है।

राहत वितरण व्यवस्था

- ✓ राजस्व विभाग द्वारा शिविर स्थापना एवं सामग्री वितरण की व्यवस्था की जाती है।
- ✓ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा भोजन सामग्री (चावल, आटा, दाल, नमक, तेल आदि) उपलब्ध कराई जाती है।
- ✓ जल संस्थान द्वारा सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।
- ✓ स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविरों में चिकित्सा सुविधाएँ और टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है।

राहत शिविरों की स्थापना–

- ✓ सुरक्षित, ऊँचे एवं सुलभ स्थानों पर अस्थायी राहत शिविर **(Relief Camps)** स्थापित किए जाते हैं।
- ✓ शिविरों में निम्न सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं–
- ✓ स्वच्छ पेयजल और शौचालय व्यवस्था
- ✓ पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं दवाइयाँ
- ✓ बिजली, रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था
- ✓ बच्चों, महिलाओं और वृद्धजनों के लिए अलग सेक्शन
- ✓ मनोवैज्ञानिक परामर्श **(Counselling)**

राहत सामग्री का प्रबंधन

तालिका–12.3

समग्री का प्रकार	जिम्मेदार विभाग/एजेन्सी
खाद्य सामग्री (चावल, दाल, तेल आदि)	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
पानी और स्वच्छता	जल संस्थान/जल निगम
तंबू,कंबल, कपड़ें	जिला प्रशासन/रेडक्रॉस
दवाइयॉ और स्वास्थ्य सामग्री	स्वास्थ्य विभाग
संचार एवं समन्वय	जनपद आपदा नियत्रंण कक्ष (DEOC)

राहत वितरण की प्राथमिकताऍं–

- ✓ बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएँ और विकलांग व्यक्ति
- ✓ अत्यधिक प्रभावित और दूरस्थ गाँव
- ✓ ऐसे परिवार जिनका आवास पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ हो
- ✓ जिनके पास स्वयं का भोजन या आवास का साधन उपलब्ध न हो

राहत कार्यों में सम्बन्ध–

- ✓ राहत कार्यों का समन्वय जिलाधिकारी (Incident Commander) के नेतृत्व में किया जाता है।
- ✓ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करता है।
- ✓ राहत कार्यों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी (Nodal Officer) नामित किए जाते हैं।

राहत कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही–

- ✓ सभी राहत सामग्री का विवरण एवं वितरण सूची रजिस्टर में दर्ज की जाती है।
- ✓ राहत वितरण की दैनिक रिपोर्ट नियंत्रण कक्ष को भेजी जाती है।
- ✓ राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर/शिकायत केंद्र स्थापित किया जाता है।

राहत कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही–

- ✓ आपदा मित्र, स्वयंसेवी संस्थाएँ **(NGOs),** रेडक्रॉस, एनसीसी / एनएसएस / स्काउट्स एंड गाइड्स को राहत कार्यों में शामिल किया जाता है।
- ✓ स्थानीय व्यापारियों, धार्मिक संस्थाओं और नागरिक समितियों से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

राहत कार्यों के बाद पुनर्वास की तैयारी–

- ✓ प्रभावित परिवारों का डाटा संग्रह किया जाता है ताकि पुनर्वास और मुआवजा प्रक्रिया आरंभ की जा सके।
- ✓ राहत शिविरों से विस्थापित लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित वापसी (**Safe Return**) में सहायता दी जाती है।
- ✓ प्रभावित क्षेत्रों की सफाई, स्वास्थ्य निगरानी और संक्रमण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

उद्देश्य–

- ✓ संकटग्रस्त जनसंख्या को शीघ्र राहत पहुँचाना।
- ✓ मानवीय गरिमा बनाए रखना और पीड़ितों में विश्वास बहाल करना।
- ✓ राहत प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना।

राहत कार्य किसी भी आपदा प्रबंधन प्रणाली की रीढ़ होते हैं। इन कार्यों की सफलता त्वरित निर्णय, बहु–विभागीय समन्वय और सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है। प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत कार्य न केवल शीघ्र हों, बल्कि मानवीय गरिमा और पारदर्शिता के साथ संचालित हों।

12.6. आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता

आपदा की स्थिति में सामान्य जनजीवन को शीघ्र बहाल करने और राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतरता और उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है।

इन सेवाओं का उद्देश्य है:

जनता को जीवन रक्षक सुविधाएँ, संचार माध्यम, चिकित्सा सहायता, ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन सुविधा निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना।

आवश्यक सेवाओं की परिभाषा–

"आवश्यक सेवाएँ" वे सेवाएँ हैं जो आपदा के दौरान और उसके बाद भी नागरिकों की जीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अनिवार्य होती हैं। इनमें मुख्यतः निम्न सेवाएँ सम्मिलित हैंरू

- ✓ जलापूर्ति (Water Supply)
- ✓ विद्युत आपूर्ति (Power Supply)
- ✓ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा (Health & Medical Service)
- ✓ परिवहन एवं संचार (Transport & Communication)
- ✓ खाद्य एवं रसद (Food & Essential Commoditiè)
- ✓ स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन (Sanitation & Waste Disposal)

आवश्यक सेवाओं की परिभाषा–

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

- ✓ जल संस्थान/जल निगम द्वारा आपातकालीन जल टैंकर सेवा शुरू की जाएगी।
- ✓ राहत शिविरों एवं अस्पतालों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- ✓ हैंडपंप, ट्यूबवेल एवं पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत एवं क्लोरीनेशन की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ स्वच्छता कर्मियों की टीम राहत शिविरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन करेगी।

विद्युत आपूर्ति

- ✓ ऊर्जा निगम द्वारा आपातकालीन बिजली पुनर्स्थापन दल **(Emergency Power Restoration Team)** गठित किया जाएगा।
- ✓ आवश्यक संस्थानों — जैसे अस्पताल, EOC, राहत शिविर आदि — में डीजल जनरेटर सेट की व्यवस्था होगी।
- ✓ विद्युत लाइनों की सुरक्षा और त्वरित मरम्मत हेतु टीमों को तैयार रखा जाएगा।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ

- ✓ सभी CHC, PHC और जिला अस्पतालों में 24X7 सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी।
- ✓ मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs) प्रभावित क्षेत्रों में भेजी जाएंगी।
- ✓ प्राथमिक उपचार, दवाइयाँ, टीकाकरण और मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था की जाएगी।
- ✓ रक्तदान शिविर और एम्बुलेंस सेवाएँ तत्पर रहेंगी।

परिवहन एवं संचार

- ✓ सड़कों की स्थिति का त्वरित निरीक्षण कर वैकल्पिक मार्ग (Alternate Routes) निर्धारित किए जाएंगे।
- ✓ परिवहन विभाग आपातकाल में राहत सामग्री और कर्मियों के आवागमन हेतु वाहन उपलब्ध कराएगा।
- ✓ बीएसएनएल, JIO, एयरटेल जैसी कंपनियाँ मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए तत्पर रहेंगी।

✓ वायरलेस सेट और सैटेलाइट फोन का उपयोग वैकल्पिक संचार माध्यम के रूप में किया जाएगा।

खाद्य एवं आवश्यक वस्तुएँ

✓ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से आवश्यक वस्तुएँ वितरित की जाएंगी।

✓ राहत शिविरों में भोजन, शिशु आहार, दाल, तेल, नमक, दूध और शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति होगी।

✓ निजी दुकानदारों और थोक व्यापारियों से सहयोगात्मक व्यवस्था (**Coordination Mechanism**) बनाई जाएगी।

आवश्यक सेवाओं की प्राथमिकता सूची–

तालिका–12.4

क्र.सं.	**सेवा का नाम**	**उत्तरदायी विभाग/संस्था**	**वैकल्पिक व्यवस्था**
1	जलापूर्ति	जल संस्थान/जल निगम	टैंकर/हैण्डपंप/बॉटल्ड वाटर
2	विद्युत आपूर्ति	ऊर्जा निगम	जनरेटर/सोलर सिस्टम
3	स्वास्थ्य सेवा	स्वास्थ्य विभाग/CMO	मोबाईल हेल्थ यूनिट/108 एम्बुलेंस
4	परिवहन	परिवहन विभाग/PWD	वैकल्पिक मार्ग/निजी वाहन
5	संचार	बी0एस0एन0एल0/निजी ऑपरेटर	वायरलेस/सैटेलाईट फोन
6	खाद्य सामग्री	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	स्थानीय आपूर्ति/NGO सहयोग
7	स्वच्छता	नगर पालिका/पंचायत	अस्थायी शौचालय/अपशिष्ट निस्तारण

विभागीय समन्वय और निगरानी–

✓ प्रत्येक विभाग अपने नोडल अधिकारी को नामित करेगा जो आपातकालीन स्थिति में नियंत्रण कक्ष से जुड़ा रहेगा।

✓ जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (EOC) प्रत्येक आवश्यक सेवा की स्थिति की दैनिक रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग करेगा।

✓ सभी सेवाओं की बहाली की प्राथमिकता सूची जिलाधिकारी द्वारा तय की जाएगी।

सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी

✓ स्वयंसेवी संस्थाओं (NGOs), स्थानीय उद्योगों और CSR इकाइयों से आवश्यक सेवाओं में सहयोग लिया जाएगा।

✓ निजी अस्पताल, एम्बुलेंस ऑपरेटर, जल सप्लाई एजेंसियाँ और बिजली प्रदाता कंपनियाँ जिला प्रशासन के साथ साझेदारी में कार्य करेंगी।

उद्देश्य

✓ जनता को आपदा काल में आवश्यक सेवाएँ निर्बाध रूप से उपलब्ध कराना।

✓ सार्वजनिक जीवन में अवरोध को न्यूनतम रखना।

✓ राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करना।

✓ आपदा के दौरान आवश्यक सेवाओं की निरंतरता ही किसी जिले की आपदा सहनशीलता (**Disaster Resilience**) का प्रमुख मापदंड होती है। प्रभावी योजना, विभागीय तैयारी, वैकल्पिक व्यवस्थाएँ और सामुदायिक सहयोग के माध्यम से ही इन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

12.7. शव निपटान

आपदा के दौरान अनेक बार बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में मृतकों का वैज्ञानिक, सम्मानजनक और त्वरित निस्तारण करना प्रशासन की अत्यंत संवेदनशील और जिम्मेदार प्रक्रिया होती है।इसका उद्देश्य है — जन स्वास्थ्य की रक्षा, संक्रमण के प्रसार को रोकना, और मृत व्यक्तियों की पहचान एवं सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- ✓ मृत व्यक्तियों की पहचान (Identification) करना और उसका रिकॉर्ड रखना।
- ✓ संक्रमण, महामारी या प्रदूषण के खतरे को न्यूनतम करना।
- ✓ मृतकों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार या दफन सुनिश्चित करना।
- ✓ परिवारजनों को सूचित कर संभव हो तो उनकी उपस्थिति में अंतिम क्रिया कराना।

प्रक्रिया

स्थल का नियंत्रण

- ✓ जैसे ही मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व टीम स्थल पर पहुंचती है।
- ✓ क्षेत्र को सुरक्षित किया जाता है और साक्ष्य संरक्षण के लिए सीमा निर्धारित की जाती है।

पहचान और रिकॉर्डिंग

- ✓ प्रत्येक मृत व्यक्ति की फोटो, कपड़े, पहचान पत्र, शरीर पर पाए गए निशान आदि का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है।
- ✓ फिंगरप्रिंट / डीएनए सैंपल (यदि संभव हो) लिए जाते हैं।
- ✓ पूरी जानकारी Dead Body Identification Register में दर्ज की जाती है।
- ✓ यदि पहचान संभव नहीं है, तो मृतक को "अज्ञात" (Unidentified) के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

पोस्टमॉर्टम और प्रमाणन

- ✓ कानूनन आवश्यक होने पर मृत शरीर को पोस्टमॉर्टम हेतु भेजा जाता है।
- ✓ चिकित्सक द्वारा मृत्यु का कारण प्रमाणित (क्मंजी ब्मतजपपिबंजम) किया जाता है।

परिवारजनों को सूचना

- ✓ यदि मृतक की पहचान हो जाती है, तो उसके परिजनों को तुरंत सूचना दी जाती है।
- ✓ परिजनों की सहमति से अंतिम संस्कार या दफन कराया जाता है।

अंतिम संस्कार या दफन की व्यवस्था

- ✓ स्थानीय प्रशासन द्वारा नामित स्थानों पर ही अंतिम संस्कार या दफन किया जाएगा।
- ✓ सामूहिक मृत्यु की स्थिति में सामूहिक दाह / दफन स्थल **(Mass Cremation@Burial Site)** बनाया जाएगा।
- ✓ अंतिम संस्कार के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा किरू
- ✓ स्थल स्वास्थ्य विभाग की सलाह से चयनित हो।
- ✓ शवों का रासायनिक कीटाणुनाशक (Disinfectant) से उपचार किया जाए।
- ✓ स्थानीय धार्मिक रीति–रिवाजों का यथासंभव पालन किया जाए।

स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय

- ✓ सभी कर्मियों को PPE किट, दस्ताने, मास्क, सैनिटाइज़र, बूट आदि प्रदान किए जाएंगे।
- ✓ शवों के परिवहन हेतु कवर किए गए वाहन **(Covered Vehicles)** का प्रयोग किया जाएगा।
- ✓ शवों को बॉडी बैग या पॉलीथिन शीट में लपेटा जाएगा।
- ✓ स्थल की साफ–सफाई और संक्रमण नियंत्रण **(Disinfection)** प्रतिदिन किया जाएगा।

जिम्मेदार विभाग एवं भूमिका–

तालिका–12.5

विभाग / एजेन्सी	मुख्य दायित्व
राजस्व विभाग	मृतकों की सूची और रिकॉर्डिंग
स्वास्थ्य विभाग	पहचान, प्रमाणन और संक्रमण नियंत्रण
पुलिस विभाग	कानूनी प्रक्रिया, साक्ष्य संरक्षण और रिपोर्टिंग
नगर निकाय / पंचायत	अंतिम संस्कार स्थल की तैयारी और प्रबन्धन
NGOs / स्वयंसेवी संगठन	परिजनों की सहायता और मनोवैज्ञानिक समर्थन

विशेष परिस्थिति में व्यवस्था

तालिका–12.6

आपदा का प्रकार	विशेष सावधानी
भूकम्प / भूस्खलन	शवों को मलवे से निकालते समय PPE का प्रयोग
बाढ / बादल फटना	ज्लजनित संक्रमण से बचाव हेतु क्लोरीनेशन
महामारी / संक्रामक रोग	विशेष बायोमेडिकल वेस्ट प्रोटोकॉल अपनाना
आगजनी	जले हुऐ शवों की पहचान हेतु विशेषज्ञ जॉच

दस्तावेज़ीकरण एवं रिपोर्टिंग

- ✓ प्रत्येक शव का क्रम संख्या, स्थान, फोटो और विवरण रजिस्टर में अंकित किया जाएगा।
- ✓ अज्ञात शवों की रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष और पुलिस विभाग को भेजी जाएगी।
- ✓ मृत व्यक्तियों की अंतिम संख्या और पहचान की स्थिति की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहयोग

- ✓ मृत व्यक्तियों के परिजनों को काउंसलिंग और मानसिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ✓ स्थानीय NGOs, रेडक्रॉस, धर्मगुरु एवं समाजसेवक इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।

उद्देश्य

- ✓ मृत व्यक्तियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना।
- ✓ संक्रमण और जनस्वास्थ्य जोखिम को रोकना।
- ✓ प्रशासनिक पारदर्शिता और मानवीय संवेदना बनाए रखना।

शव निपटान आपदा प्रबंधन का सबसे संवेदनशील चरण है। इसमें मानवीय गरिमा, वैज्ञानिक प्रक्रिया और प्रशासनिक दक्षता का संतुलन आवश्यक है। मृतकों का सम्मानपूर्वक निस्तारण समाज में विश्वास बहाल करता है और आपदा प्रबंधन के मानवीय स्वरूप को दर्शाता है।

शवों को विमान से ले जाने हेतु उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी कि गयी एस0ओ0पी0 :–

1. SOP for Transportation of Dead Bodies by Air

उत्तराखण्ड शासन

Uttarakhand State Disaster Management AuthorityGovernment of Uttarakhand

Pilgrimage, tourism, and adventure sports destinations located in the state of Uttarakhand attract persons in large numbers from across the country and abroad. Unfortunate incidences (accidents / disasters / illness) sometimes result in death of these persons. Next of kin (NOK) of the deceased persons often want to transport the dead body to their native place. A number of formalities have however to be completed for the airline to accept the dead body for transportation.

The following checklist would facilitate smooth transport of dead bodies by air and avoid inconvenience to both NOK of the dead and the officials delivering thebody:

1. The person accompanying the dead body should have the following documents with regard to the dead person whose body is being transported:
   (a) Inquest Report (Panchnama)
   (b) Death Certificate / Post Mortem Report
   (c) Address of correspondence
   (d) Identity proof having photograph
2. To be transported by air the dead body has to be embalmed (medical procedure delaying decay and decomposition).
3. Embalming is carried out at 06 hospitals in Uttarakhand that include (i) All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh, (ii) Government Doon Medical Collage, Dehradun, (iii) Government Medical Collage, Haldwani, (iv) Veer Chandra Singh Garhwali Government Institute of Medical Science and Research, Srinagar, (v) Swami Rama Himalayan

   University, Doiwala, (vi) Shri Guru Ram Rai Institute of Medical and Health Sciences, Dehradun and (vii) Sridev Suman Subharati Medical Collage, Dehradun.
4. Nodal Officers have been nominated at these hospitals for facilitating embalming facility. Any change in the details of the Nodal Officers would be brought to the notice of Director General, Health and Family Welfare,Government of Uttarakhand. Details of the nominated Nodal Officers areas given below:

1.	All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh	Dr. Mukesh Singhala, Associate Professor	9837691777 mukeshaiimsrishikesh@gmail.com
		Dr. MS Ansari, Assistant Professor	7500277776 msalahuddin.ansari12@gmail.com
2.	Government Doon MedicalCollage, Dehradun,	Dr. MK Pant	9897470722 pant.mahendra@gmail.com
3.	Government Medical Collage, Haldwani	Dr. Richa Niranjan, Associate Professor	9758512594 niranjanricha@yahoo.co.in
4.	Veer Chandra Singh Garhwali Government Institute of Medical Science and Research, Srinagar	Dr. Anil Kumar Dwivedi, Assistant Professor	7536873898 Dranildwivedi2009@gmail.com
5.	Swami Rama Himalayan University, Doiwala	Patient Care Executive	8194009605 0135-2471202
6.	Shri Guru Ram Rai Institute of Medical and Health Sciences, Dehradun	Dr. Suchit Kumar, Assistant Professor	8791065465 Skumar1422@yahoo.com
7.	Sridev Suman Subharati Medical Collage, Dehradun	Dr. Khursheed Raza, Assistant Professor	9716147173 khursheedraza77@gmail.com

5. The concerned district administration would officially nominate Sub- Divisional Magistrate / Circle Officer of Police having jurisdiction over the Airport for coordinating with Airport authorities and making necessary arrangements for transportation of the dead body by air.

6. Sub-divisional Magistrate / Circle Officer of Police having jurisdiction over the Airport or the Next of Kin (NOK) of the deceased person shouldcontact the Nodal Officer of the identified hospital in advance for gettingthe bodies embalmed.

7. Terminal Manager of the Airport is the Nodal Officer of Airport Authority of India for facilitating transport of dead bodies by air. Terminal Managerat Jolly Grant airport can be contacted at 0135 – 2412052 while that at Pantanagar airport can be contacted at 05944 – 233685.

8. After embalming the Nodal Officer of the hospital is to hand over the body to the NOK of the dead person or to the officer / person designatedfor this purpose.

9. Concerned Nodal Officer of the hospital undertaking embalming should inform the Nodal Officer of Police so as to ensure presence of the concerned officials for fulfilling necessary formalities while handing overthe body after embalming.

10. The person arranging coffin for transporting the dead body should ensure that he/she obtains a certificate from the party supplying the coffin that the wood used in

the coffin is termite free and there is no leakage

11. The designated Circle Officer of Police should inspect the coffin at the time of sealing the same and issue a certificate declaring that the coffin contains dead body only and no hazardous material. This should also mention that the Police has no objection in transportation of the dead body.
12. Concerned Nodal Officer of the hospital undertaking embalming should ensure that the person being handed over the dead body has proper photo identification to establish his/her relationship with the deceased or has authority letter from the concerned district / state authority.
13. Details of the dead and the person carrying the dead body should be maintained by the concerned Sub-divisional Magistrate.
14. The person /NOK carrying the body should ensure that the documents mentioned below are ready and complete before boarding the dead body to the plane:
    - (a) Inquest Report (Panchnama)
    - (b) Death Certificate / Post Mortem Report
    - (c) No objection letter from the person who has made the coffin mentioning that the wood used in the coffin is termite free and there is no leakage
    - (d) Embalming Certificate
    - (e) Photo identity of dead person
    - (f) Letter / certificate from Police clearly mentioning that the coffin contains only the dead body and no explosives / hazardous material and the Police has no objection in transportation of the dead body.
15. Body is accepted for boarding only 2 hours before the scheduled departure of the flight as the airports at Jollygrant and Pantnagar do not have necessary refrigeration facilities in the baggage area.

-----****-----****-----****-----****-----****-----****-----****-----****----

वाहन दुर्घटना तथा समय–समय घटित होने वाली घटनाओं हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP)

उत्तरकाशी जनपद भौगोलिक बनावट के दृष्टिगत प्राकृतिक आपदा सहित समय–समय पर अन्य घटनाओं, वाहन दुर्घटनाओं सहित वनाग्नि, ऑधी–तूफान, लकड़ी के मकान होने के कारण गांव में अग्निकाण्ड की घटनायें, भूस्खलन पेड़ के गिरने से मार्ग अवरूद्ध होने पर चारधाम यात्रा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग में यात्रियों के जन–जीवन की क्षति के साथ ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जनपद में ट्रैकिंग की गतिविधियों में होने वाली र्दुघटनाओं एवं उपरोक्त अन्य स्थितियों में जन सामान्य की तात्कालिक सहायता, राहत–बचाव, प्राथमिक उपचार व आपातकाल स्थिति में उच्च चिकित्सीय उपचार हेतु रेफर किये जाने हेतु हैलीकाप्टर आदि की मदद ली जानी होती है। उक्त कार्यवाही तत्काल किये जाने हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में सम्बन्धित अधिकारियों का बिना सूचना के आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित होनो अपरिहार्य है। ऐसी स्थितियों में आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत निम्नानुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत कार्यवाही की जानी निर्धारित की जाती है।

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः—

- ✓ वाहन दुर्घटना, वनाग्नि, अग्निकाण्ड, ऑधी—तूफान, भूस्खलन व अन्य कारणों से अधिक समय तक मार्ग अवरूद्व होना व अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तसहील/ग्राम स्तरीय घटनओं की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल एन0डी0आर0एफ0/ एस0डी0आर0एफ0/पुलिस बल/क्यू0आर0टी0 एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी तथा पुलिस कन्ट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही सम्बन्धित घटना से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों यथा—उप जिलाधिकारी, सड़क से सम्बन्घित अधिशासी अभियन्ता/कमान अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी,आर0टी0ओ0, जिला सूचना अधिकारी को सूचित किया जाएगा।
- ✓ जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) द्वारा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित किया जाएगा।
- ✓ घटना के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर समय—समय पर ए0टी0आर0 तैयार कर राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून को प्रेषित किया जाएगा।

उप जिलाधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही—

- ✓ घटना की सूचना प्राप्त होते ही सर्वप्रथम तहसीलदार/नायब तहसीलदार को तत्काल दुर्घटना स्थल पर रवाना किया जाएगा। संचार विहीन क्षेत्र होने की स्थिति में सैटेलाईट फोन साथ ले जाया जाना सुनिश्चित की जाय, जिससे प्रत्येक आधे घण्टे की सूचना नोडल अधिकारी, कन्ट्रोल रूम/जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना जाना सुनिशिचित किया जाय।
- ✓ घटना की सम्बन्धित प्रारम्भिक सूचना न्यूनतम समय में व्हाट्सएप/दूरभाष/आर0जी0 के माध्यम से जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक का तत्काल घटना स्थल के नजदीकी चिकित्सालय में रवाना किया जाएगा तथा सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर उपचार हेतु समस्त सुविधाओं को दुरूस्त करवाते हुए घायलों को समुचित चिकित्सीय सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जाऐंगी।
- ✓ Higher Center रेफर किये जा रहे मरीजों का सम्पूर्ण विवरण तथा रेफर हॉस्पिटल को सूचना, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ मृतकों के पंचनामा आदि की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करवायी जाएगी।
- ✓ घटना स्थल पर खोज—बचाव कार्य में लगी हुई टीमों के भोजन, पानी आदि की व्यवस्था पूर्ति विभाग के सहयोग से जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी कन्ट्रोल रूम के निर्देशानुसार की जाएगी।
- ✓ घटना स्थल यदि अन्य जनपद की सीमा पर स्थित हो तो उस जनपद के सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से अनिवार्य रूप से सम्पर्क स्थापित किया जाए जिससे कि उस जनपद से भी आवश्यक सहयोग प्राप्त हो सकें।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः—

- ✓ घटना के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सकों की टीम, ऑक्सीजन सिलेण्डर, जीवन रक्षक दवाईयों के साथ 24x7 की तर्ज पर फत्ज मय विभागीय एम्बुलेंस तैयार रखी जाए। जिसकों दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही न्यूनतम समय पर घटना स्थल की ओर रवाना किया जा सके।
- ✓ अपने स्तर से 108 एम्बुलेन्स को सूचित किया जाएगा तथा उसके डवअमउमदज पर नजर रखी जाएगी।
- ✓ बड़ी घटना की स्थिति में मृतकों के Post Mortem की कार्यवाही हेतु डाक्टरों की टीम का गठन करते हुए घटना स्थल की ओर रवाना किया जाएगा।
- ✓ घायलों को हॉयर सेन्टर से की और रवाना किये जाने की दशा में उक्त सेन्टर से नियमित सम्पर्क करते हुए हॉयर सेन्टर पहुंचने पर इन्चार्ज हॉयर सेन्टर से घायलों को दिये जा रहे ईलाज तथा उनके उद्यतन स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करते हुए, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अवगत कराया जाएगा।
- ✓ गम्भीर घायल व्यक्तियों हेतु यदि हैलीकॉप्टर की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रारूप पर इसकी सूचना व्यक्तिगत रूप से DDMO/जिलाधिकारी महोदय, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DE0C) को उपलब्ध करायेंगे।

पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः—

- ✓ घटना की सूचना प्राप्त होने पर जो टीम सम्बन्धित थाने/पुलिस चौकी/पुलिस लाईन/अग्निशमन/एस0डी0आर0एफ0 मौके पर रवाना होती है उस टीम का विवरण मय उपकरण आदि, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भी उपलब्ध कराकर सूचना फोटो वीडियो सहित वाट्सएप ग्रुप पर अपडेट किया जायेगा।
- ✓ घटना स्थल में पहुँचकर राहत कार्य हेतु अतिरिक्त आवश्यक संसाधनों की मांग से पुलिस कन्ट्रोल रूम को अवगत करायेंगे।
- ✓ अतिरिक्त आवश्यक संसाधनों की मांग होने पर पुलिस कन्ट्रोल रूम द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अवगत कराया जाएगा।
- ✓ घटना स्थल पर ट्रैफिक के सुगम आवागमन हेतु तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था कर कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ घटना स्थल पर तत्काल Cordon Off किया जाएगा, जिससे कि राहत एवं बचाव कार्य निर्बाध रूप से संचालित किये जा सकें।
- ✓ कोतवाली/थाना/पुलिस चौकी/पुलिस लाईन/अग्निशमन/एस0डी0आर0एफ0 से जब भी राहत—बचाव दल रवाना किया जाए उनके पास पर्याप्त प्रकाश उपकरण व संचार उपकरण होना सुनिश्चित किया जाय।

अन्य विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- ✓ .घटना से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी तत्काल जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित होना

सुनिशिचित करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही से समन्वयक कर सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

- ✓ घटना स्थल की स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाएगी तदोपरान्त उस क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर सूचना समय–समय पर सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) को अवगत कराया जाएगा।
- ✓ बड़ी घटना के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई राहत बचाव टीमों हेतु पानी की व्यवस्था के लिए जल संस्थान द्वारा पानी का टैंकर घटना स्थल पर भेजा जाएगा।
- ✓ प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं/सेवाओं यथा–पेयजल, भोजन, विद्युत व यातायात मार्ग सुचारू किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी तत्काल मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ सहित वाट्सएप ग्रुप पर अपडेट करना सुनिशिचित करेंगे।

सम्बन्धित सड़क विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- ✓ जिला आपातकालीन केन्द्र से घटना की सूचना प्राप्त होते ही स्वयं अथवा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को अनिवार्य रूप से घटना स्थल की और रवाना किया जाएगा।
- ✓ सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा तत्काल मोटर मार्ग का निरीक्षण कर प्रथम दृष्टया मोटर मार्ग से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।
- ✓ घटना स्थल के नजदीक अस्थाई हैलीपेड हेतु सुरक्षित स्थल का चयन किया जाएगा तथा उक्त स्थान के कोर्डिनेट जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराये जाऐंगे।
- ✓ घटना स्थल के नजदीक विभाग द्वारा सूचना पट्ट लगाये गये थे अथवा नहीं तथा सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सुरक्षात्मक उपयों का अपने रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

परिवहन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः–

- ✓ जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के माध्यम से वाहन दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही एक नामित अधिकारी आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात करते हुये तकनीकि अधिकारी द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर प्रथम दृष्टया दुर्घटना के कारणों का पता लगाना व आख्या उपलब्ध कराना।
- ✓ वाहन में सवार व्यक्तियों का विवरण/संख्या/चालक आदि की सूचना तथा वाहन की फिटनेस आदि की सूचना एकत्रित करते हुए, सूचना से आपदा कन्ट्रोल रूम को अवगत कराना।
- ✓ दुर्घटना स्थल से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, पुलिस, सड़क सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ प्रथम दृष्टया संयुक्त निरीक्षण आख्या तत्काल जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना।

वन विभाग द्वारा की जानी वाली कार्यवाही–

वानग्नि, आंधी–तूफान व भूस्खलन से पेड़ उखडने तथा टूटने से हुयी मार्ग बन्द तथा जन–धन की हानि की स्थिति में नोडल सक्षम अधिकारी को आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात करते हुये क्षेत्रिय अधिकारी की उपस्थिति घटना क्षेत्र में कराते हुये पेड़ हटाने की कार्यवाही किया जाना। ऐसे पेड़ जो भविष्य में आंधी–तूफान, भूस्खलन व वानाग्नि के कारण जन जीवन के लिए सम्भावित खतरा पैदा

करते हो को तत्काल हटाये जाने की कार्यवाही किया जाना। घटना प्रभावित क्षेत्रों में यथा आवश्यक पैदल मार्गो को सुलभ बनाया जाना।

उपरोक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) में जिन अधिकारियों को जो दायित्व सौंपे गये हैं वो अपने से सम्बन्धित कार्यों का त्रुटि रहित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तथा उपरोक्त नामित समस्त विभागों में से प्रत्येक विभाग के 01–01 जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी को पूर्व से ही नामित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि नामित अधिकारी घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC) में उपलब्ध होंगे। उपरोक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) के संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही परिलक्षित होती है तो उस स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

किसी भी घटना की स्थिति में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र DEOC/अपर जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक संयुक्त कन्ट्रोल रूम के रूप में कार्य करेगा।

12.8. सूचना एवं मीडिया प्रबंधन

आपदा की स्थिति में सटीक, त्वरित एवं नियंत्रित सूचना का प्रवाह जनसुरक्षा, राहत कार्यों की दक्षता और अफवाहों पर नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूचना एवं मीडिया प्रबंधन का उद्देश्य है "सत्य, समय पर और समन्वित जानकारी देकर जनविश्वास बनाए रखना तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को प्रभावी बनाना।"

उद्देश्य

- ✓ आपदा से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार सुनिश्चित करना।
- ✓ अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर नियंत्रण रखना।
- ✓ मीडिया, सोशल मीडिया, और नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाना।
- ✓ विभिन्न विभागों, प्रशासनिक इकाइयों और नियंत्रण कक्षों के बीच सूचना समन्वय स्थापित करना।
- ✓ जनता में विश्वास, संयम और सहयोग की भावना बनाए रखना।

सूचना प्रवाह तंत्र

प्राथमिक सूचना संग्रहण

- ✓ **सूचना स्रोत:** राजस्व उप–निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, बीट पुलिस, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि आदि।
- ✓ प्रारंभिक सूचना फॉर्म 01 के माध्यम से जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी जाएगी।
- ✓ नियंत्रण कक्ष द्वारा सूचना की पुष्टि (Verification) संबंधित विभाग से की जाएगी।

सूचना का संकलन एवं विश्लेषण

- ✓ जिला आपदा नियंत्रण कक्ष सभी प्राप्त सूचनाओं को डिजिटल लॉग बुक में दर्ज करेगा।
- ✓ GIS मैपिंग एवं डेटा एनालिसिस के माध्यम से क्षति का त्वरित आकलन किया जाएगा।

सूचना का प्रसारण

- ✓ पुष्ट सूचना को DC/ADM/DDMA द्वारा अनुमोदित कर जनता तक पहुंचाया जाएगा।

सूचना प्रसारण के माध्यम

- ✓ स्थानीय रेडियो, टीवी चौनल

- ✓ जिला वेबसाइट एवं सोशल मीडिया अकाउंट (Twitter@X, Facebook, WhatsApp groups)
- ✓ जनघोषणाएं (Public Announcement System)
- ✓ SMS / IVRS अलर्ट सिस्टम
- ✓ स्थानीय प्रतिनिधि / आशा कार्यकर्ता / स्वयंसेवक नेटवर्क

मीडिया प्रबंधन

मीडिया समन्वय

- ✓ एक "मीडिया सेल" (Media Cell) का गठन किया जाएगा, जिसमें सूचना अधिकारी, NIC प्रतिनिधि, और प्रेस प्रतिनिधि शामिल होंगे।

मीडिया सेल का कार्य–

- ✓ आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करना।
- ✓ प्रेस ब्रीफिंग और मीडिया कवरेज का समन्वय।
- ✓ फेक न्यूज एवं अफवाहों का खंडन जारी करना।

प्रेस ब्रीफिंग

- ✓ जिला मजिस्ट्रेट नामित प्रवक्ता प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे।
- ✓ ब्रीफिंग में राहत कार्यों की स्थिति, क्षति का विवरण और अपीलें साझा की जाएंगी।

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग

- ✓ सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की जाएगी।
- ✓ जिला सूचना कार्यालय द्वारा Fact Check Desk संचालित किया जाएगा।

सूचना संचार व्यवस्था

तालिका–12.7

माध्यम	उपयोग उद्देश्य	उत्तरदायी एजेंसी
VHF / वायरलेस सिस्टम	संचार	पुलिस / SDRF / Fire
Satellite Phone	नेटवर्क विफलता की स्थिति में	DEOC / Tehsil Control Room
Mobile@Internet@NIC Portal	सूचना संप्रेषण एवं रिपोर्टिंग	DEOC / District Informatiocs Officer
लाउडस्पीकर / पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम	जनता तक चेतावनी व संदेश पहुंचाना	ULB / PRD / Police

मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

तालिका–12.8

विभाग / एजेन्सी	मुख्य दायित्व
जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC)	सभी सूचनाओं का केन्द्रीयकरण, सत्यापन और अनुमोदन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPRO)	मीडिया समन्वय, प्रेस विज्ञप्ति, जनसंपर्क गतिविधियॉ
NIC / IT Cell	त्कनीकी सहायता, वेबसाइट एवं डिजिटल प्रसाद
राजस्व / पुलिस विभाग	स्थल से प्रत्यक्ष सूचना एवं स्थिति रिपोर्टिंग
NGO / स्वयंसेवी संस्थाएँ	स्थानीय स्तर पर सूचना संचार एवं जागरूकता

चेतावनी एवं प्रारंभिक अलर्ट प्रणाली

- ✓ मौसम विभाग (IMD) एवं केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त चेतावनियों को SMS Gateway / Loudspeaker / Siren द्वारा प्रसारित किया जाएगा।
- ✓ Village Level Disaster Volunteers / Apda Mitr को त्वरित सूचना भेजी जाएगी।
- ✓ सभी अलर्ट संदेशों में तारीख, समय, और स्रोत का उल्लेख अनिवार्य होगा।

रिपोर्टिंग एवं दस्तावेज़ीकरण

- ✓ सभी घटनाओं, अलर्ट, प्रेस रिलीज़, और अफवाह नियंत्रण की रिपोर्ट "Information & Media Register" में दर्ज की जाएगी।
- ✓ मीडिया क्लिपिंग्स, फोटोग्राफ्स, और वीडियो रिकॉर्ड DEOC Digital Archive में संग्रहीत किए जाएंगे।
- ✓ घटना उपरांत (Post&Disaster) एक Media Impact Assessment Report तैयार की जाएगी।

सार्वजनिक अपील एवं व्यवहार संहिता

- ✓ प्रशासन केवल आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचनाओं पर विश्वास करने की अपील करेगा।
- ✓ मीडिया से अनुरोध किया जाएगा कि वे सत्यापित सूचना ही प्रसारित करें और अफवाहों से बचें।
- ✓ किसी भी संवेदनशील जानकारी के फोटो या वीडियो प्रसारण से पहले प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी।
- ✓ "सूचना और मीडिया प्रबंधन का सार है — समय पर सत्य सूचना, नियंत्रित संचार, और जनसहभागिता।"
- ✓ सही सूचना संकट में विश्वास पैदा करती है, और यह विश्वास ही आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी शक्ति है।

12.9. वीआईपी विजिट प्रबंधन (VVIP) आगमन प्रबंधन

आपदा की स्थिति में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी या अन्य VVIP व्यक्तियों का दौरा स्वाभाविक है। ऐसे दौरों का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण, राहत कार्यों का मूल्यांकन तथा जनता से संवाद स्थापित करना होता है। किन्तु यदि उचित समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था न हो तो यह दौरे राहत कार्यों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इसलिए संगठित, समयबद्ध और सुरक्षित प्रबंधन व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

उद्देश्य

- ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्र में VVIP के आगमन के दौरान सुरक्षा, समन्वय एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।
- ✓ राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों में बाधा न उत्पन्न हो, इसका ध्यान रखना।
- ✓ स्थानीय प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के बीच संपूर्ण तालमेल (Coordination) बनाए रखना।

पूर्व तैयारी

सूचना प्राप्त होते ही–

- ✓ VVIP आगमन की सूचना मिलते ही जिला आपदा नियंत्रण कक्ष (DEOC) सभी संबंधित विभागों को सूचित करेगा।
- ✓ नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो संपूर्ण दौरे का समन्वय करेगा।

मार्ग एवं कार्यक्रम योजना

- ✓ पुलिस विभाग एवं प्रशासन द्वारा रूट चार्ट, समय सारणी, एवं सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी।
- ✓ संभावित वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण किया जाएगा।

स्थल निरीक्षण की तैयारी–

- ✓ निरीक्षण स्थल पर सुरक्षा, मीडिया व्यवस्था, जनसम्पर्क एवं संचार सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
- ✓ स्थानीय विभागों से वास्तविक और अद्यतन स्थिति रिपोर्ट (Status Report) तैयार कराई जाएगी।

सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण–

- ✓ पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा घेरा, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाई जाएगी।
- ✓ आपात स्थिति में उपयोग हेतु Medical Unit एवं Rescue Team तैनात रहेगी।

दौरे के दौरान व्यवस्था

तालिका–12.9

कार्य	उत्तरदायी विभाग	मुख्य बिन्दु
VVIP सुरक्षा व्यवस्था	पुलिस/सुरक्षा बल	रूट चार्ट, सुरक्षा घेरा, VIP Movement Control
सूचना एवं मीडिया समन्वय	DIPRO/NIC	मीडिया कवरेज, प्रेस ब्रीफिंग, सूचना नियंत्रण
स्थल निरीक्षण सुविधा	DM/ADM/IT Cell	वयरलेस सैटेलाइट फोन, मोबाइल कवरेज
भीड़ नियंत्रण एवं व्यवस्था	Police/PRD/Home Guard	भीड़ प्रबन्धन, बैरिकेडिंग, प्रवेश नियंत्रण

दौरे के उपरांत

- ✓ VVIP दौरे के तुरंत बाद विस्तृत रिपोर्ट (Visit Report) तैयार की जाएगी जिसमें शामिल होंगे
- ✓ दौरे का समय, स्थान, उद्देश्य एवं निरीक्षण विवरण।
- ✓ VVIP द्वारा दिए गए निर्देशों की सूची।
- ✓ लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।
- ✓ संबंधित विभागों को अपने–अपने स्तर पर Action Taken Report (ATR) प्रस्तुत करनी होगी।

विशेष निर्देश

- ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्र में VVIP के आगमन के दौरान राहत कार्यों में बाधा न हो, इसका ध्यान रखा जाए।
- ✓ प्रभावित जनता से संवाद के लिए पर्याप्त समय निर्धारित किया जाए।
- ✓ मीडिया कवरेज नियंत्रित एवं तथ्यात्मक हो कृ किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी का प्रसार न हो।
- ✓ दौरे के दौरान उपयोग किए गए वाहन, हेलीकॉप्टर या संसाधन केवल आवश्यकता अनुसार ही लगाए जाएं।
- ✓ प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था और राहत कार्यों में संतुलन बना रहे।

समन्वय तंत्र

तालिका—12.10

ईकाई	**उत्तरदायी अधिकारी**	**दायित्व**
जिला प्रशासन (DDMA)	जिलाधिकारी	संपूर्ण दौरे की निगरानी एवं समन्वय
पुलिस विभाग	SSP/CO	सुरक्षा, यातायात एवंज न नियंत्रण
सूचना विभाग (DIPRO)	जिला सूचना अधिकारी	मीडिया कवरेज एवं प्रेस समन्वय
स्वास्थ्य विभाग	CMO	मेडिकल सुविधा एवं एम्बुलेंस
परिवहन विभाग	ARTO	वहन एवं पार्किंग व्यवस्था
लेक निर्माण विभाग (PWD)	EE/AE	मार्गों की मरम्मत एवं निरीक्षण तैयारी

"VVIP आगमन केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि राहत कार्यों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के विश्वास का प्रतीक है।" अतः प्रत्येक दौरा प्रशासनिक क्षमता, समन्वय और जनता के प्रति संवेदनशीलता का प्रतिबिंब होना चाहिए।

12.10. राहत शिविरों की स्थापना

आपदा की स्थिति में जब जनसंख्या अपने घरों से विस्थापित हो जाती है, तो राहत शिविर (Relief Camps) प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय के रूप में स्थापित किए जाते हैं। इन शिविरों का उद्देश्य प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित, स्वच्छ, और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करना होता है ताकि वे पुनःस्थापना की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रह सकें।

उद्देश्य

- ✓ प्रभावित लोगों को तात्कालिक आश्रय, भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएँ और सुरक्षा प्रदान करना।
- ✓ विस्थापित जनसंख्या की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना।
- ✓ शिविरों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक व्यवस्था को बनाए रखना।
- ✓ राहत शिविरों के माध्यम से सामुदायिक सहयोग और पुनर्वास की नींव तैयार करना।

राहत शिविर स्थापना की प्रक्रिया

तालिका—12.11

चरण	**प्रमुख गतिविधि**	**उत्तरदायी विभाग/अधिकारी**
1— स्थन चयन	सुरक्षित, ऊँचे और सुलभ स्थान का चयन	SDM/Revenue Department/PWD
2—स्थल तैयारी	भूमि समतलीकरण, सफाई, तंबू या भवन की व्यवस्था	PWD/PRD/SDRF
3— बुनियादी सुविधाएँ	पानी, शौचालय, रौशनी, चिकित्सा सुविधा	Jal Sansthan/Energy/Health Dept.
4— पंजीकरण व्यवस्था	प्रभावित परिवारों का नामांकन और रिकॉर्ड संधारण	Revenue/Police
5—राहत सामग्री वितरण	भोजन, कपड़े, कंबल, दवाईयॉ, स्वच्छता सामग्री	Supply Dept./Red Cross/NGOs

शिविरों में आवश्यक सुविधाएँ

राहत शिविरों में निम्नलिखित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए–

- ✓ स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था
- ✓ निःशुल्क भोजन वितरण केंद्र (Community Kitchen)
- ✓ प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और स्वास्थ्य सेवाएँ
- ✓ बिजली, प्रकाश और संचार सुविधा
- ✓ महिलाओं और बच्चों के लिए पृथक सेक्शन
- ✓ कचरा निस्तारण एवं स्वच्छता व्यवस्था
- ✓ सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण व्यवस्था

राहत शिविर प्रबंधन समिति

प्रत्येक राहत शिविर में एक शिविर प्रबंधन समिति (CMC) का गठन किया जाएगा जिसमें प्रशासनिक और सामुदायिक दोनों प्रतिनिधि शामिल होंगे।

तालिका–12.12

पद	नामित अधिकारी / संस्था	दायित्व
शिविर प्रभारी	तहसीलदार / नायब तहसीलदार	संपूर्ण शिविर संचालन
सहायक प्रभारी	राजस्व निरीक्षक / पंचायत सचिव	दैनिक गतिविधियाँ
स्वास्थ्य प्रभारी	स्वास्थ्य विभाग प्रतिनिधि स्वास्थ्य	निगरानी एवं दवा वितरण
सुरक्षा प्रभारी	पुलिस विभाग	सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था
स्वच्छता प्रभारी	नगर पालिका / ग्राम पंचायत	स्वच्छता और कचरा प्रबंधन
स्वयंसेवी समन्वयक	NGO / Red Cross	सहयोगी गतिविधियाँ

राहत शिविरों का संचालन

- ✓ प्रत्येक शिविर में सुरक्षा गार्ड, प्रकाश व्यवस्था और सूचना केंद्र होना आवश्यक है।
- ✓ भोजन वितरण तीन समय– प्रातः, दोपहर और रात्रि में किया जाएगा।
- ✓ स्वास्थ्य दल द्वारा रोजाना चिकित्सा जांच और टीकाकरण किया जाएगा।
- ✓ स्वच्छता निरीक्षण प्रतिदिन किया जाएगा ताकि संक्रमण से बचाव हो सके।
- ✓ प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श (Counselling) भी उपलब्ध कराया जाएगा।

राहत शिविरों का बंद करना

- ✓ जब प्रभावित क्षेत्र में पुनर्वास या घर वापसी संभव हो जाती है, तो शिविरों को क्रमबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा।
- ✓ बंद करने से पहले सभी सामग्री, अभिलेख और वितरण रजिस्टर को प्रशासनिक नियंत्रण में लिया जाएगा।
- ✓ स्थल की सफाई, सैनिटाइजेशन और कचरा निस्तारण किया जाएगा।
- ✓ प्रभावित परिवारों को पुनर्वास सहायता और परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेष दिशा–निर्देश

- ✓ राहत शिविरों में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात न हो।
- ✓ सभी राहत कार्यों में महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और विकलांगों की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए।
- ✓ शिविरों में मीडिया प्रवेश और रिपोर्टिंग नियंत्रित रूप से हो, ताकि गलत सूचना न फैले।
- ✓ राहत शिविरों का दैनिक निरीक्षण (Daily Monitoring) जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।
- ✓ शिविरों की स्थिति का विवरण प्रतिदिन EOC को रिपोर्ट किया जाएगा।

निष्कर्ष

राहत शिविर केवल अस्थायी आश्रय स्थल नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, प्रशासनिक दक्षता और सामुदायिक एकता का प्रतीक होते हैं। प्रभावी राहत शिविर प्रबंधन से आपदा के दौरान न केवल जनहानि को रोका जा सकता है, बल्कि जनता में विश्वास और सुरक्षा की भावना भी स्थापित की जा सकती है। राहत शिविरों का विवरण **(Annexure-12)** पर उपलब्ध है।

(Annexure–1)

मुख्य हितधारक (Key Stakeholders):

क्र.सं.	हितधारक/संस्था	प्रमुख भूमिका एवं जिम्मेदारी
1	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA)	– DDMP का अनुमोदन एवं समन्वय – सभी विभागों की तैयारी एवं प्रतिक्रिया की समीक्षा – वार्षिक समीक्षा और संशोधन प्रक्रिया का नेतृत्व
2	जिलाधिकारी (District Magistrate / Incident Commander)	– आपदा के दौरान समग्र नेतृत्व – संसाधनों का आवंटन एवं निर्णय लेना – राहत, बचाव और पुनर्वास की निगरानी
3	मुख्य विकास अधिकारी (CDO)	– विभागीय समन्वय और रिपोर्टिंग – विकास विभागों के माध्यम से पुनर्वास कार्यों का संचालन
4	तहसील प्रशासन / SDM	– स्थानीय स्तर पर राहत एवं पुनर्वास संचालन – ग्राम एवं वार्ड स्तर पर निगरानी
5	पुलिस विभाग	– कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना – खोज एवं बचाव दलों का संचालन – यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा घेरा
6	स्वास्थ्य विभाग	– प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस एवं आपात चिकित्सा व्यवस्था – अस्थायी चिकित्सा शिविरों की स्थापना – रोग नियंत्रण और स्वच्छता प्रबंधन
7	PWD (लोक निर्माण विभाग)	– सड़कों, पुलों एवं भवनों की मरम्मत – आपदा के बाद संपर्क मार्ग बहाल करना – राहत वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग तैयार करना
8	जल संस्थान/पेयजल निगम	– पेयजल व्यवस्था बनाए रखना – जल स्रोतों की स्वच्छता एवं टैंकर प्रबंधन
9	विद्युत विभाग (UPCL)	– विद्युत आपूर्ति की बहाली – संवेदनशील क्षेत्रों में विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करना
10	शिक्षा विभाग	– विद्यालयों को अस्थायी राहत शिविर के रूप में उपयोग हेतु तैयार रखना – विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आपदा शिक्षा प्रदान करना
11	ICDS / महिला एवं बाल विकास विभाग	– बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं वृद्धजनों के लिए राहत सहायता – आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण वितरण
12	कृषि / पशुपालन विभाग	– फसलों एवं पशुधन की क्षति का आकलन – कृषि एवं पशु पुनर्वास योजना लागू करना
13	नगर निकाय / ग्राम पंचायतें	– राहत वितरण, निकासी और सफाई व्यवस्था – गाँव स्तर पर चेतावनी प्रसारण एवं जनजागरूकता
14	SDRF / NDRF / Civil Defence	– त्वरित खोज एवं बचाव (Search & Rescue) कार्यवाही – विशेषज्ञ उपकरणों का उपयोग कर राहत संचालन
15	अग्निशमन विभाग (Fire Services)	– आग, विस्फोट या रासायनिक दुर्घटनाओं में त्वरित नियंत्रण – राहत दलों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना

क्र.सं.	हितधारक/संस्था	प्रमुख भूमिका एवं जिम्मेदारी
16	राजस्व विभाग	– क्षति आकलन रिपोर्ट (Damage Assessment) – अनुग्रह सहायता (Ex-gratia Relief) वितरण
17	सूचना विभाग / मीडिया इकाई	– आपदा की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रसारित करना – अफवाह नियंत्रण और जनसंपर्क
18	NGO / CBO / Red Cross / Apda Mitra Volunteers	– सामुदायिक सहायता, प्रशिक्षण एवं राहत सामग्री वितरण जनजागरूकता कार्यक्रमों का संचालन
19	वन विभाग	– जंगल की आग की रोकथाम एवं वन क्षेत्र में निगरानी – वन मार्गों से राहत दलों की आवाजाही सुनिश्चित करना
20	Transport / Traffic Department	– निकासी हेतु परिवहन व्यवस्था – सड़क मार्गों का प्रबंधन और नियंत्रण
21	Telecommunication / BSNL / NIC	– संचार नेटवर्क बनाए रखना – DEOC, SDM और नियंत्रण कक्षों के बीच संपर्क व्यवस्था
22	Community / PRI Members / Youth & Mahila Mangal Dals	– स्थानीय सूचना संप्रेषण, प्राथमिक सहायता – गाँव स्तर पर चेतावनी प्रणाली एवं संसाधन प्रबंधन

(Annexure–2)

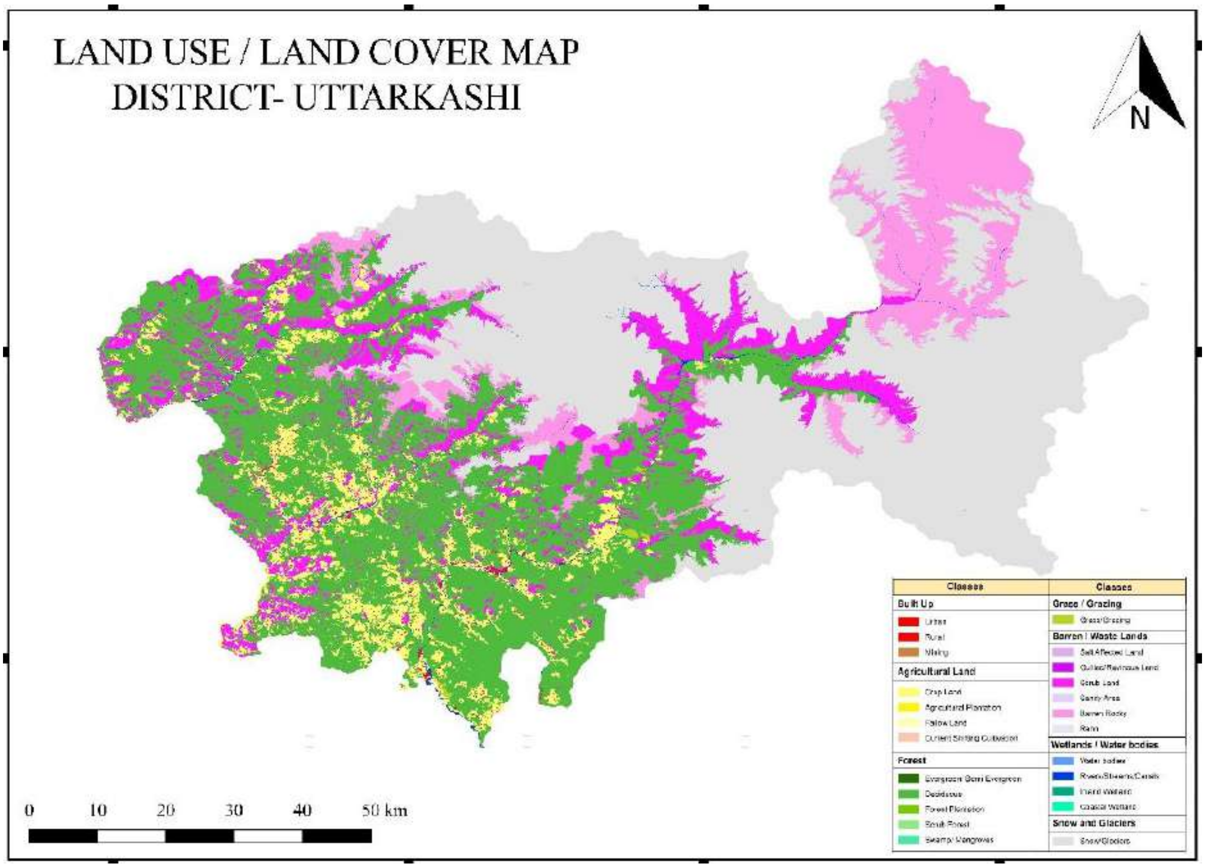

Land use and Land Cover (LULC) map of district Uttarkashi ; Source-bhuvan.nrsc.gov.in

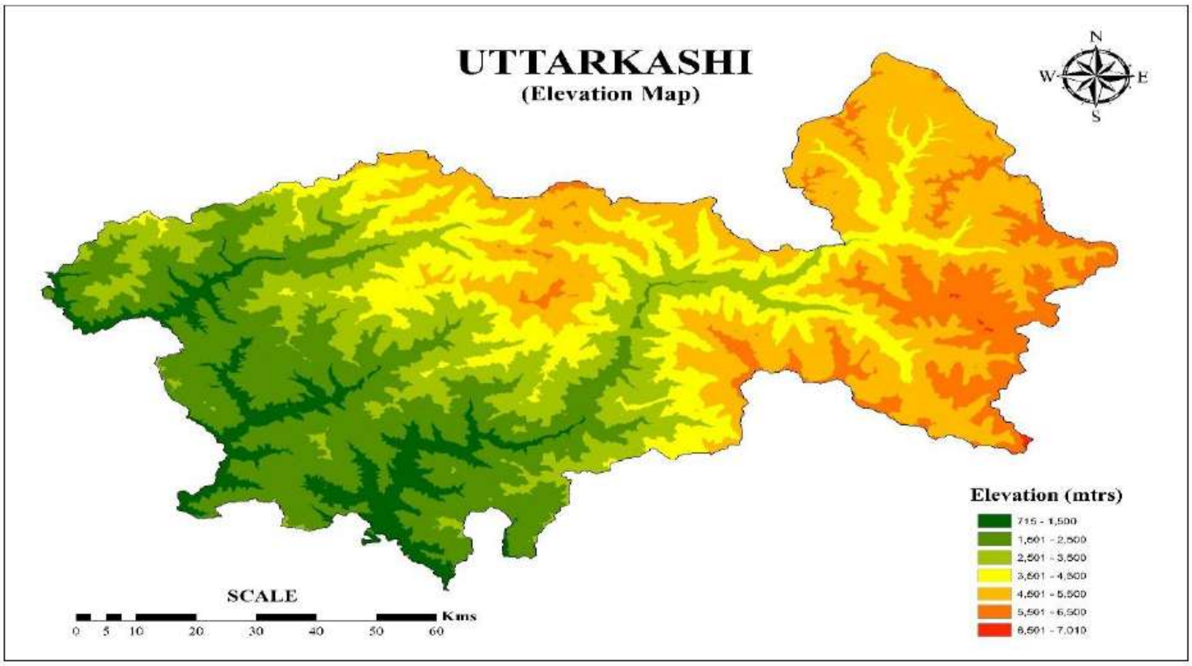

deM (Digital Elevation Model) of Uttarkashi, Source-bhuvan.nrsc.gov.in

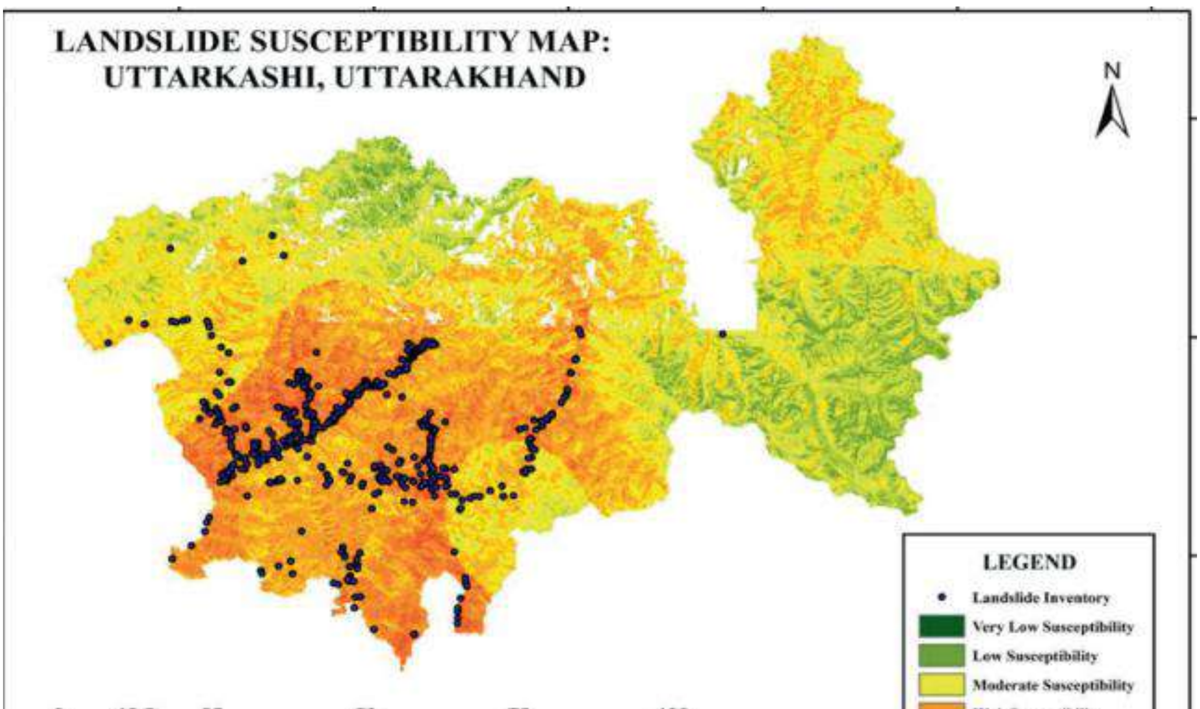

Landslide Susceptibility MAP: Uttarkashi, Source: (GIS Cell Uttarkashi)

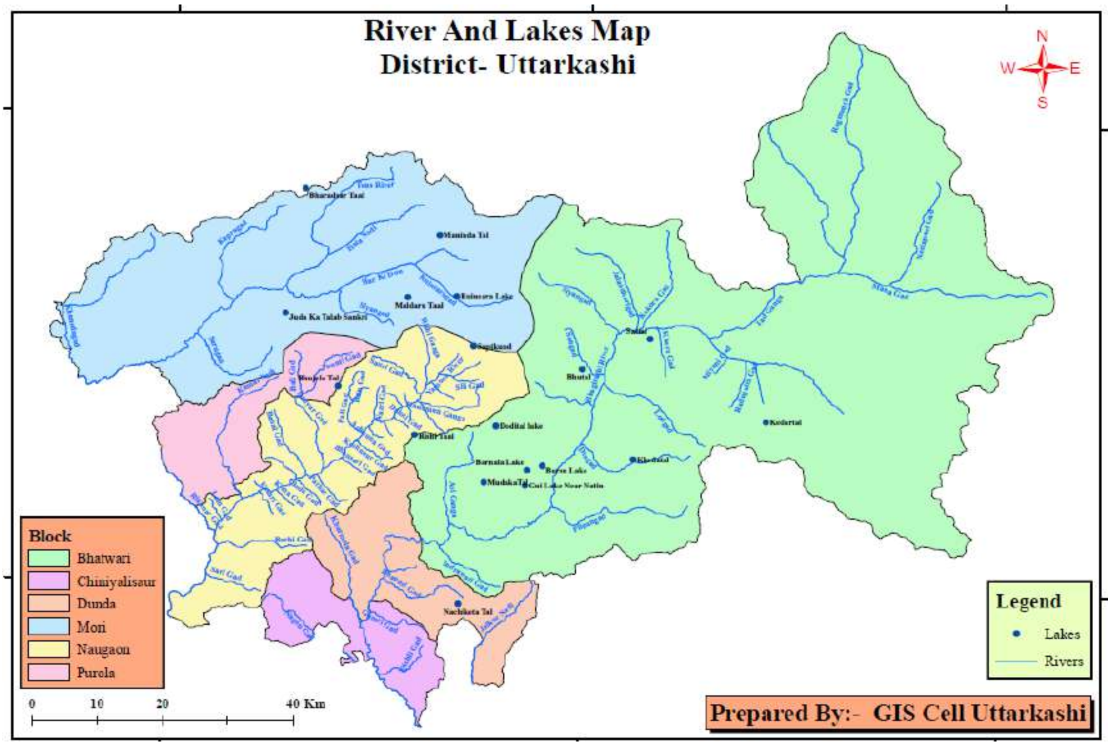

Rivers and Lakes MAP: Uttarkashi, Source: (GIS Cell Uttarkashi)

(Annexure–3)

जनपद में पिछली आपदाओं से सम्बन्धित विस्तृत विवरण–

वर्ष 2005 से 2025 तक घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण का विवरण–

क्र.सं.	वर्ष	कुल दुर्घटनाओं की संख्या	कुल मृतक	कुल घायल
1	2005	30	33	95
2	2006	19	39	75
3	2007	15	15	18
4	2008	12	27	43
5	2009	15	52	52
6	2010	16	46	27
7	2011	24	30	71
8	2012	11	12	27
9	2013	07	11	11
10	2014	19	24	77
11	2015	41	26	79
12	2016	42	22	112
13	2017	35	72	90
14	2018	20	37	65
15	2019	41	23	104
16	2020	99	41	58
17	2021	64	26	38
18	2022	123	67	03
19	2023	29	33	75
20	2024	34	25	106
21	2025	40	26	147
कुल योग		**736**	**687**	**1373**

वर्ष 2015 से जनपद में बहने/डूबने से हुई मृत्यु का विवरण–

क्र.स.	दिनांक	घटना का स्थल	तहसील	मृतक	नदी का नाम
1	31.08.2015	मनेरी झरने के पास	भटवाडी	1	भगीरथी
2	28.05.2016	जुणगा के मकौरा नामक तोक	डुण्डा	3	जुणगा के मकौरा गदेरे
3	19.04.2018	तिलोथ पावर हाउस के पास	भटवाडी	2	भगीरथी
4	21.05.2018	हिटाणु बी.एड. कालेज के नीचे	डुण्डा	1	भगीरथी
5	23.05.2018	डुण्डा के पास	डुण्डा	1	भगीरथी
6	01.06.2018	गगंटाडी	बडकोट	1	गंगटाडी के नदी में
7	30.07.2019	गंगा मन्दिर उत्तरकाशी	भटवाडी	1	भगीरथी
8	14.08.2019	ग्राम साल्ड के दूगडा नामें तोक	डुण्डा	1	भगीरथी
9	08.03.2020	गणेशपुर के नीचे	भटवाडी	1	भगीरथी
10	19.08.2020	जलकुर गाड	धौन्तरी	1	भगीरथी
11	17.09.2020	चिन्यालीसौड झील	चिन्यालीसौड	1	भगीरथी
12	05.03.2021	तिहार के संगलाई तोक के पास	भटवाडी	1	भगीरथी
14	18.03.2021	मनेरी झील के पास तालाब	भटवाडी	1	तालाब
15	29.09.2021	ग्राम उदाल्का धनपती नदी	डुण्डा	1	भगीरथी
16	18.03.2022	अठाली के नीचे	डुण्डा	1	भगीरथी
17	18.03.2022	मानपुर में इन्द्रावती नदी	भटवाडी	1	इन्द्रावती
18	10.08.2022	जोशियाडा झूला पुल के पास	भटवाडी	1	भगीरथी
19	23.08.2022	जोशियाडा बैराज के पास	भटवाडी	1	भगीरथी
20	18.05.2024	तिलोथ पुल	भटवाडी	1	भगीरथी
21	27.05.2024	स्यानाचट्टी यमुना नदी	बडकोट	1	यमुना नदी
22	21.09.2024	मोरी टौन्स नदी	मोरी	1	टौन्स नदी
23	12.08.2024	भागीरथी नदी नाकुरी के पास	डुण्डा	2	भागीरथी नदी
24	29.01.2025	संगमचट्टी के ढ़िगला नाम तोक	जोशियाडा	01	अस्सी गंगा नदी
25	14.01.2025	गंगा मन्दिर मणिकर्णिका घाट	जोशियाडा	01 (लापता)	भागीरथी नदी
26	01.05.2025	जोशियाडा	जोशियाडा	01	भागीरथी नदी
27	25.06.2025	उजेली दरगाह के पास	जोशियाडा	01	भागीरथी नदी
28	01.07.2025	फूलचट्टी के पास	बडकोट	01	यमुना नदी
29	05.07.2025	जलेन्द्रीगाड में	भटवाडी	02	जलेन्द्री गाड
30	12.08.2025	ग्राम लिवाडी सुपिन नदी	मोरी	01	सुपिन नदी
31	26.08.2025	गंगोरी गरमपानी के पास	जोशियाडा	01	भागीरथी नदी
32	16.09.2025	बिन्दी पुल के पास	मोरी	01	टौंस नदी
33	27.10.2025	मुंगरा पुल के पास	बडकोट	01	यमुना नदी
33	05.11.2025	तिलोथ पुल के पास	जोशियाडा	01 घायल	भागीरथी नदी

जनपद में पूर्व में घटित आपदाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र.स.	आपदा का प्रकार	दिनांक	विवरण	क्षति
1	बाढ़	06 एवं 10 अगस्त, 1978	भागीरथी नदी पर गंगनानी के पास कनोडियागाढ में कृत्रिम झील बनने के कारण भागीरथी नदी में बाढ़	06–यात्रियों की मृत्यु तथा व्यापक राजकीय/व्यक्तिगत क्षति।
2	भूकम्प	20 अक्टूबर, 1991	रात्रि को जनपद में 6.4 तीव्रता का भूकम्प, जिसका केन्द्र तहसील भटवाडी अन्तर्गत ग्राम अगोडा था। जिससे जनपद की तहसील भटवाडी/डुण्डा/बडकोट प्रभावित हुये	प्रभावित ग्राम– 11 प्रभावित जनसंख्या– 1,85.000 मृतक– 653, घायल–6000 भवन क्षति– 14,544,
3	भूस्खलन	20 सितम्बर, 2003	जनपद मुख्यालय पर स्थित वरूणावर्त पर्वत के ऊपरी भाग में भूस्खलन होने से भूस्खलन का मलवा बस स्टैड/इन्द्रा कॉलोनी आदि स्थानों पर मलवा आया	जिससे जनपद उत्तरकाशी बाजार में व्यवसायिक/आवासीय भवनों को नुकसान हुआ।

क्र.स.	आपदा का प्रकार	दिनांक	विवरण	क्षति
4		13 अगस्त, 2010	तहसील भटवाडी अन्तर्गत भटवाडी बाजार/गांव में भूमि 10–15 फीट भागीरथी नदी की ओर घंस गया	जिससे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 44 व्यवसायिक/निवासीय भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये।
5	अतिवृष्टि/ बाढ़	03 एवं 04 अगस्त, 2012	तहसील भटवाडी अन्तर्गत अस्सीगंगा तथा भगीरथी नदी में बाढ	मृतक– 35, घायल– 20, प्रभावित ग्राम– 192, प्रभावित परिवार– 2,383, प्रभावित जनसंख्या– 12115, प्रभावित कृषि भूमि–71.288 है0 सर्वाजनिक सम्पत्ति का नुकसान– 61244.12 लाख, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित आन्तरिक कुल 127 मार्ग अवरूद्व हुये तथा विघुत/पेयजल व्यवस्था बॅाधित रही। 162 यात्री प्रभावित हुये जिन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया।
6	अतिवृष्टि/ बाढ़	15 एंव 16 जून, 2013	अतिवृष्टि/बाढ से व्यापक हानि हुयी। अतिवृष्टि से भागीरथी नदी का जल स्तर बढने से हर्षिल से उत्तरकाशी तक व्यापक नुकसान हुआ	मृतक–11, लापता–13, घायल–25, ग्राम प्रभावित ग्राम– 483, प्रभावित परिवार– 18325, प्रभावित जनसंख्या– 75003, प्रभावित कृषि भूमि –683.528 है0, भवन हानि– 1178 निवासीय/93 व्यवसायिक, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित आन्तरिक कुल 128 मार्ग अवरूद्व हुये तथा विघुत/पेयजल व्यवस्था बॅाधित रही। कुल 21124 यात्री प्रभावित हुये 15716 को वाहनों से तथा 5408 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया।
7	अतिवृष्टि/ बाढ़	18 एंव 19 अगस्त, 2019	मोरी तहसील के आराकोट, माकुडी, टिकोची, मोण्डा, दुचाणु, झोटाडी, गोकुल, चिवां, डगोली, बरनाली, किराणु, सनैल, आदि ग्रामों में 8अतिवृष्टि/बाढ़ से व्यापक हानि हुयी	मृतक–19, घायल–13, लापता–01, प्रभावित परिवार–1870, प्रभावित कृषि भूमि–40.26 हेक्टेयर, भवन हानि–132 (कच्चे/पक्के), पशु हानि–10 (छोटे/बडे), पेयजल योजनायें प्रभावित–19, विद्युत बाधित ग्रामों की संख्या–34 इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ग्रामीण मोटर मार्ग अवरूद्ध रहें एवं 04 पुल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुये। प्रभावित ग्रामों में हवाई सेवा एवं पैदल मार्ग से राहत एवं बचाव/राहत सामग्री पहुँचायी गयी।
8	अतिवृष्टि/ बाढ़	18 जुलाई, 2021	भटवाडी तहसील के माण्डों, कंकराडी, निराकोट, थलन आदि ग्रामों में अतिवृष्टि/बाढ से व्यापक हानि हुयी	मृतक–03, घायल–03, प्रभावित परिवार–29, पुल क्षतिग्रस्त–03
9	हिमस्खलन	04 अक्टूबर, 2022	द्रोपती का डांण्डा शिखर पर हिमस्खलन होने के कारण भारी जनहानि हुयी	मृतक–29, घायल –5
10	सिलक्यार टनल (मानवकृत)	12 नवम्बर, 2023	सिलक्यार टनल के एक भाग धसने के कारण 41 मजदूर फंसे थे।	विभिन्न राज्यों के फंसे 41 श्रमिको को 17 दिनों के महा रेस्क्यू अभियान के बाद दिनांक 28 नवम्बर 2023 को सकुशल बाहर निकाला गया ।
11	घरेलू अग्निकाण्ड	27 मई, 2024	ग्राम सालरा तहसील मोरी में आवासीय भवनों में आग लगने से व्यापक क्षति हुयी है।	10 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त एवं 05 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त व 06 सामान्य घायल।
12	वनाग्नि/ चट्टान खिसकना	31 मई, 2024	चारधाम यात्रा मार्ग में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान डबरानी के पास रा0रा0 के उपर पहाड़ी पर वनाग्नि के कारण पत्थर एवं चट्टाने गिरने के कारण जान–माल का नुकसान हुआ है।	मृतक 01, गम्भीर घायल 03, घायल 10, लापता 01 इसके अतिरिक्त 03 चार पहिया वाहन, 01 दोपहिया वाहन, 01 जे0सी0बी0 क्षतिग्रस्त हुये।
13	ट्रैकिंग	04 जून,	तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत सिल्ला–कुशकल्याण –	कुल सदस्य 22, मृतक 09, रेस्क्यू 13

क्र.स.	आपदा का प्रकार	दिनांक	विवरण	क्षति
	दुर्घटना	2024	सहस्त्रताल पर गये 22 सदस्य ट्रैकिंग दल वर्फवारी एवं खराब मौसम के कारण फंसने से कुछ ट्रैकरों की मृत्यु हुयी है।	
14	ट्रैकिंग दुर्घटना	11 अगस्त, 2024	तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत अवाना बुग्याल ट्रैक में 1 महिला का गाड में पैर फिसलने के कारण	1 महिला मृतक
15	भूस्खलन	23 जून, 2025	तहसील बडकोट अन्तर्गत यमुनोत्री पैदल मार्ग नौ केंची के पास भूस्खलन होने के कारण ।	उक्त घटना में 04 यात्रियों की मृत्यु हुई एवं 01 यात्री घायल हुआ है।
16	बादल फटना	29 जून, 2025	तहसील बडकोट अन्तर्गत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान सिंलाई बैण्ड के पास बादल फटने के कारण	उक्त घटना में 09 लोगो की मृत्यु हुयी है। तथा यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ था।
17	भूस्खलन	29 जुलाई, 2025	तहसील बडकोट अन्तर्गत ग्राम तुनाल्का में भूस्खलन होने के कारण	उक्त घटना में 01 महिला की मृत्यु हुयी है।
18	बादल फटना	05 अगस्त, 2025	तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत के स्थान धराली/हर्षिल में बादल फटने के करण भारी नुकसान हुआ है।	उक्त घटना में 04 मृतक व 52 लोग लापता तथा 18 घायल हुये है। 115 आवासीय भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये है। 116 व्यावसायिक होटल/दुकान पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये है। उक्त घटना में 235 बडे एवं छोटे पशुओं की हानि हुई है।
19	जल भराव	21 अगस्त, 2025	तहसील बडकोट अन्तर्गत स्थान स्यानाचट्टी में जलभराव होने के कारण	उक्त जलभराव से स्यानाचट्टी में 18 होटल/दुकानों में जल भराव होने से कफी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकारी 07 भवनों में जल भराव के कारण नुकसान हुआ है।
20	अतिवृष्टि/अत्याधिक पानी आने से	23 अगस्त, 2025	तहसील बडकोट अन्तर्गत स्थान राना गांव में राना खड्ड में अत्यधिक पानी आने के कारण	उक्त अत्याधिक पानी के आने के कारण 01 भवन तीक्ष्ण एवं 01 भवन आंशिक क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 10 परिवारों के गृह सामगी/राशन नष्ट हुआ एवं 01 राजकीय एलोपेथिक चिकिसालय रान की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हुयी है।
21	भूस्खलन	26 अगस्त, 2025	तहसील बडकोट अन्तर्गत ग्राम पौंटी में भूस्खलन होने के कारण	उक्त घटना में 01 महिला की मृत्यु हुयी है।
22	भूस्खलन	04 सितम्बर, 2025	तहसील बडकोट अन्तर्गत खरसाली गांव में भूस्खलन होने के कारण	उक्त घटना में 01 महिला की मृत्यु हुयी है।

वर्ष 2015 से वर्तमान तक जनपद में महसूस किये गये भूकम्पों का विवरण–

दिनांक	समय	तीव्रता रिक्टर पैमाने पर	भूकम्प का केन्द्र	गहराई (कि0मी0)	अक्षान्तर	देशान्तर
25-04-2015	11:41 PM ,	7-5	नेपाल क्षेत्र मे पोखरा	10	28.01 °N	84.06 °E
26-10-2015	2:40 PM	7-5	हिन्दुकुश अफगनिस्तान	19	36.05 °N	70.8 °E
12-02-2016	1:21 PM	3-5	नौगांव उत्तरकाशी	5	30.09 °N	78.03 °E
05-05-2016	11:30 PM	4-1	पिथौरागढ	15	30.04 °N	80.01 °E
19-08-2016	1:35 PM	3-8	नौगांव उत्तरकाशी	5	30.08 °N	78.02 °E
01-12-2016	1:22 PM	5-02	नेपाल उत्तराखण्ड बोर्डर	5.2	29.08 °N	80.06 °E
12-12-2016	7:51 PM	2-08	कंसेरू नौगांव उत्तरकाशी	10	30.08 °N	78.02 °E
14-12-2016	04:11 PM	3-4	मालता रेंज पुरोला उत्तरकाशी	5	30.09 °N	78.0 °E
14-12-2016	12:44 PM	3-9	चकराता रेंज देहरादून	5	30.8 °N	78.0 °E
19-12-2016	10:1.AM	3-4	तहसील पुरोला–देहरादून बॉडर	10	30.9 °N	78.0 °E
26-12-2016	2:15.PM	3-5	रिखण्ड फोरेस्ट देहरादून	10	30.8 °N	77.9 °E
11-01-2017	3:27:41 PM	3-2	जनपद चमोली	5	30.3 N	79.4 E
23-01-2017	09:33:05 AM	3-5	ग्राम कन्सेरू बडकोट	10	30.8 N	78.2 E
03-02-2017	01:35:48 PM	3-6	जनपद चमोली	10	30.5 N	79.2 E
06-02-2017	8:21:45 PM	3-8	जनपद रूद्रप्रयाग	10	30.5 N	79.1 E
06-02-2017	5:03:08 PM	3-5	जनपद रूद्रप्रयाग	10	27.9 N	93.8 E
11-02-2017	5:21:13 PM	3-2	जनपद रूद्रप्रयाग	5	30.5 °N	79.1 °E
16-04-2017	11:09:53 PM	3.5	जनपद रूद्रप्रयाग	10	30.5 N	79.1 E
12-06-2017	09:11:21 AM	3.00	जनपद उत्तरकाशी	10	30.7 N	78.4 E
10-07-2017	9:38:59 PM	3.8	जनपद चमोली	70	0.4 N	79.2 E
22-08-2017	8:52:07 PM	4.2	जनपद चमोली	10	30.5 N	79.9 E
06-12-2017	8:49:54 PM	5.5	जनपद रूद्रप्रयाग	30	30.4 N	79.1 E
28-12-2017	4.47.28 PM	4.7	चमोली–रूद्रप्रयाग बॉडर	33	30.4 N	79.2 E
28-02-2018	11.17.43AM	2.9	गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी	15	30.9N	78.9E
06-06-2018	11:11:28 PM	4.4	जनपद टिहरी गढ़वाल	15	30.6N	78.8E
14-06-2018	6:12:08 AM	4.00	ग्राम कन्सेरू के जंगल में	10	30.8N	78.2E
31-01-2019	11:23:22 AM	2.8	डुण्डा, ग्राम रानाडी (वन रेंज)	5	30.8°N	78.4°E
13-04-2019	09:26 PM	2.9	तहसील बडकोट अन्तर्गत कोटला जंगल	10	30.9°N	78.2°E
06-07-2019	09:26 PM	3.1	तहसील डुण्डा अन्तर्गत रानाडी वन क्षेत्र	10	30.7°N	78.4°E
14-07-2019	3:42:43 PM	3.0	तहसील बडकोट अन्तर्गत कोटला/व्याली वन क्षेत्र	10	30.9°N	78.2°E
15-11-2020	11:31 AM	3.3	मातला रेज बडकोट	05	30.92°N	78.1°E
09-01-2021	11:27:30 AM	3.3	तहसील भटवाडी अन्तर्गत गोरसाली जंगल	10	30.79°N	78.58°E
24-05-2021	12:31:45 PM	4.3	जनपद चमोली के अर्न्तगत जोशिमठ	10	30.79°N	78.58°E
24-07-2021	01:28 PM	3.4	तहसील भटवाडी अन्तर्गत जामक के जंगल	10	30.74°N	78.68°E
05-12-2021	00:23 PM	3.2	जनपद टिहरी गढवाल के नेरवी गांव, गंगी तहसील घनसाली एवं धौन्तरी मध्य	10	30.65°N	78.78°E
09-04-2022	04:52 PM	4.1	रंवाई रेंज तहसील बडकोट के ग्राम ब्रसाली के जंगल	10	30.92°N	78.21°E
19-07-2022	11:55 PM	2.7	डुण्डु रेंज तहसील डुण्डा के ग्राम सिंगुणी के जंगल	10	30.67°N	78.36°E

24-07-2022	12:36 PM	3.6	तहसील भटवाडी के ग्राम जामक/मनेरी के जंगल	10	30.75°N	78.54°E
02-10-2022	10:43 AM	2.5	तहसील भटवाडी के ग्राम नाल्ड के जंगल	05	30.81°N	78.50°E
06-11-2022	10:43 AM	4.5	जनपद टिहरी गढवाल के तहसील बालगंगा के अन्तर्गत ग्राम बनाली/उरणी के जंगल	05	30.67°N	78.60°E
12-11-2022	07:57 PM	5.1	नेलांग सिलंगा के वन क्षेत्र	10	29.28°N	81.20°E
16-11-2022	02:54 AM	2.5	तहसील मोरी के वन क्षेत्र देवता रेंज के जंगलों में	05	30.97°N	78.00°E
17-12-2022	03:33 PM	2.9	तहसील मोरी के वन क्षेत्र देवता रेंज के जंगल	10	30.89°N	77.99°E
19-12-2022	01:50 PM	3.1	जनपद टिहरी के पिन्स्वर बालगंगा रेंज	05	30.68°N	78.68°E
28-12-2022	2:19 AM	3.1	तहसील बड़कोट अन्तर्गत स्यालना और सरनोल के जंगल	05	30.87°N	78.19°E
13-01-2023	02:12 AM	2.9	तहसील पुरोला अन्तर्गत ग्राम पाणी गांव (बोगरा फील्ड)	10	30.84°N	78.14°E
05-03-2023	12:45 AM	2.5	तहसील भटवाडी अन्तर्गत ग्राम सिरोर गांव के जंगल	05	30.75°N	78.49°E
05-03-2023	10:09 AM	1.8	तहसील भटवाडी अन्तर्गत ग्राम संग्राली गांव के जंगल	05	30.74°N	78.44°E
21-03-2023	10:17 PM	6.6	अफगानिस्तान (हिंदू कुश रिजन)	156	30.09°N	71.35°E
06-04-2023	05:40 AM	3.0	जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम माण्डो के जंगल	05	30.74°N	78.47°E
29-08-2023	04:56 PM	2.8	तहसील भटवाड़ी के ग्राम सिल्ला पिंलग के वन क्षेत्र में	05	30.79°N	78.65°E
11-09-2023	03:45 AM	2.9	जनपद के तहसील बडकोट के अन्तर्गत स्यालना के जंगलों में	05	30.84°N	78.19°E
25-09-2023	08:35 PM	3.0	जनपद के तहसील मोरी के कोठीगाड रेंज हिमाचल रेंज	05	31.07°N	77.98°E
03-10-2023	02:51 PM	6.2	भटकोला नेपाल	10	29.39°N	81.23°E
05-10-2023	03:49 AM	3.2	तहसील बडकोट के सरूताल के वन क्षेत्र में	05	31.00°N	78.29°E
16-11-2023	07:00 AM	3.1	जनपद के तहसील मोरी के अन्तर्गत सांकरी के सिंगतूर के जंगलों में	05	31.04N	78.23 E
18-01-2024	09:32 AM	3.1	जनपद के तहसील मोरी के अन्तर्गत सांकरी के सिंगतूर के जंगलों में	05	31.04 N	78.23 E
06-09-2024	11:52AM	3.0	जनपद के तहसील मोरी के अन्तर्गत टोन्स वनप्रभाग के जंगलों में	05	31.03 N	78.09 E
24-01-2025	07:41 AM	2.7	तहसील भटवाडी अन्तर्गत तिलोथ के जंगलों में	05	30.73°N	78.46°E
24-01-2025	08:19 AM	3.5	तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत दयारा बुग्याल के वन क्षेत्र में	05	30.85°N	78.60°E
25-01-2025	05:47 AM	2.4	तहसील डुण्डा के ग्राम खुरकोट और भराणगांव के वन क्षेत्र अन्तर्गत	05	30.81°N	78.39°E
29-01-2025	03:28 AM	2.7	तहसील भटवाडी के ग्राम साल्ड उपरीकोट निसमोर के वन क्षेत्र अन्तर्गत	05	30.82°N	78.43°E

30-01-2025	07:28 AM	2.7	तहसील बडकोट अन्तर्गत सरूताल झील, यमुनोत्री रेंज के वन क्षेत्र में।	05	30.96°N	78.32°E
31-01-2025	09:28 AM	2.7	तहसील भटवाडी अन्तर्गत बाडाहाट रेंज नाल्ड के जंगलो में	05	30.79°N	78.51°E
09-02-2025	01:40 AM	2.5	तहसील भटवाड़ी के बाडाहाट रेंज के मान्डों जसपुर के जंगलों में।	05	30.74°N	78.47°E
08-07-2025	01:07 PM	3.2	तहसील मोरी अन्तर्गत जखोल गांव के जंगलों में।	05	31.22°N	78.22°E
03-10-2025	01:42 AM	2.1	तहसील पुरोला अन्तर्गत ग्राम गुन्दियाट गांव एवं डोखरीयान के माध्यम स्यालुका में।	05	30.94°N	78.15°E
14-10-2025	07:30 PM	3.6	तहसील मोरी अन्तर्गत हिमांचल सीमा में।	05	30.94°N	78.15°E

वर्ष 2006 से वर्तमान तक जनपद में घरेलू अग्निकांड से हुयी क्षति का विवरण–

क्र.सं	घटना वर्ष	प्रभावित ग्राम	तहसील	क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	मानव हानि	बडे पशुहानि	छोटे पशुहानि
1	2006 (दिसम्बर)	ढाटमीर	मोरी	120	01	Nil	Nil
2	2007 (दिसम्बर)	ओसला	मोरी	53	Nil	Nil	Nil
3	2008 (मार्च)	कोटगांव	मोरी	8	Nil	Nil	Nil
4	2011 (नवम्बर)	धारा	मोरी	3	Nil	Nil	Nil
5	2011 (दिसम्बर)	पेंसर	मोरी	14	Nil	Nil	Nil
8	2013 (मार्च)	सटुडी	मोरी	3	Nil	Nil	Nil
9	2013 (नवम्बर)	सुनकुण्डी	मोरी	22	Nil	Nil	Nil
10	2018 (फरवरी)	सावणी	मोरी	39	Nil	Nil	Nil
13	2020 (अप्रैल)	मसरी	मोरी	28	NIL	06	08
14	2021 (मई)	माण्डों	भटवाड़ी	1 गौशाला	NIL	01	01
15	2021 (नवम्बर)	सिरगा	मोरी	3	Nil	Nil	Nil
16	2021 (दिसम्बर)	कृष्णा	बडकोट	1	Nil	Nil	Nil
17	2022 (मार्च)	कोटला	बडकोट	3	NIL	NIL	NIL
18	2022 (जून)	चुंगी बडेथी	डुण्डा	1	NIL	NIL	NIL
19	2022 (दिसम्बर)	गंगाड	मोरी	2	NIL	NIL	06
20	2023 (जनवरी)	राना	बडकोट	1	NIL	NIL	NIL
21	2023 (फरवरी)	हुर्री	भटवाड़ी	1	NIL	NIL	NIL
22	2023 (मई)	ब्रहमखाल	पनोथ डुण्डा	4	NIL	NIL	NIL
23	2024 मार्च	पटारा	डुण्डा	1 गौशाला	NIL	NIL	2
24	2024 मार्च	बदासी	चिन्यालीसौड़	1	NIL	NIL	NIL
25	2024 जनवरी	हुडोली	मोरी	1	NIL	NIL	NIL
26	2024 मार्च	खलाडी	पुरोला	1 गौशाला	NIL	NIL	NIL
27	2024 फरवरी	सिरगा	मोरी	2	NIL	NIL	NIL
28	2024 अप्रैल	नेटवाड बजार	मोरी	10	NIL	NIL	NIL
29	2024 मई	रमाल गांव	मोरी	1 गौशाला	NIL	1	NIL

क्र.सं	घटना वर्ष	प्रभावित ग्राम	तहसील	क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	मानव हानि	बडे पशुहानि	छोटे पशुहानि
30	2024 मई	सालरा	मोरी	14	NIL	NIL	NIL
31	2025 जनवरी	ग्राम जसपुर	जोशियाडा	1 गौशाला	NIL	NIL	NIL
32	2025 जनवरी	ग्राम सावणी	मोरी	9 आवासीय भवन	01		04
33	2025 जनवरी	ग्राम कुथनौर	बडकोट	1 आंशिक	NIL	NIL	NIL
34	2025 जनवरी	जोशियाडा	भटवाडी	1 दुकान मे रखा सामान नष्ट हुआ	NIL	NIL	NIL
35	2025 जनवरी	ग्राम ढ़ाटमीर	मोरी	1 आवासीय भवन	NIL	NIL	NIL
36	2025 फरवरी	जोशियाडा	भटवाडी	रसोई की खिडकी शीशे, कमरे का मेन दरवाजा क्षति।	01 घायल	NIL	NIL
37	2025 फरवरी	ग्राम मगंलपुर	जोशियाडा	1 आवासीय भवन	NIL	NIL	NIL
38	2025 मार्च	ग्राम भंकोली	जोशियाडा	1 गौशाला	NIL	NIL	NIL
39	2025 मार्च	ग्राम खुरमोला	डुण्डा	1 रसोईघर	NIL	NIL	NIL
40	2025 मार्च	ग्राम जखोल	मोरी	1 गौशाला	NIL	NIL	NIL
41	2025 अप्रैल	ग्राम खन्याणी	मोरी	1 किचन	NIL	NIL	NIL
42	2025 अप्रैल	ग्राम नेताला	जोशियाडा	1 गौशाला	NIL	NIL	NIL
43	2025 जून	ग्राम टिपरी	चिन्यालीसौड	1 गौशाला	NIL	NIL	NIL
44	2025अगस्त	ग्राम लुदराला	मोरी	2 आवासीय भवन	NIL	NIL	NIL
45	2025 अक्टूबर	बड़कोट वार्ड नं0 06	बडकोट	1 दुकान की सामग्री	NIL	NIL	NIL
46	2025 नवम्बर	ग्राम बैजकोट	डुण्डा	1 गौशाला	NIL	NIL	NIL
47	2025 दिसम्बर	ग्राम श्रीकोट	चिन्यालीसौड	मशरूम फार्म	NIL	NIL	NIL

जनपद अन्तर्गत वर्ष 2018 से आकाशीय बिजली की घटनाओं एवं क्षति का विवरण–

वर्ष	क्रसं	तहसील का नाम	बिजली गिरने वाले राजस्व ग्राम का नाम	घटना की तिथि	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र	घटना से क्षति		घटना स्थल/ग्राम के कॉडिनेट
						मृतक	घायल	
2018	1	बडकोट	गढ़ (गमुरा तोक)	03.04.2018	गढ़	01 व्यक्ति, 02 बैल	-	N 30°41’52” E 78°07’37”
	2	मोरी	पैंसर	17.04.2023	गुराडी		03 व्यक्ति	N 32°02’49” E 78°06’40”
	3	बडकोट	तियां (दोगडा तोक)	06.06.2018	नौगाव	02 भैंस, 19 बकरियां		N 30°44’49” E 78°07’53”
2019	4	मोरी	लिवाडी, मन्दिर परिसर	20.06.2019	फिताडी	01 व्यक्ति	04 व्यक्ति	N31.196391 E78.252635
	5	पुरोला	शिकारू (मौरात्रा तोक के जंगल)	09.08.2019	शिकारू	205 छोटे पशु		-
	6	जोशियाडा	निसमोर	30.08.2019	साल्ड	01 बडा पशु		

वर्ष	क्रसं	तहसील का नाम	बिजली गिरने वाले राजस्व ग्राम का नाम	घटना की तिथि	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र	घटना से क्षति		घटना स्थल/ग्राम के कॉडिनेट
						मृतक	घायल	
2020	Nil							
2021	7	बडकोट	कसलाना (गमरा तोक)	07.04.2021	गढ़	02 बडे पशु	02 व्यक्ति	N 30^{0}42’06” E 78^{0}07’43”
	8	डुण्डा	जिनेथ	02.05.2021	जिनेथ	03 छोटे		
	9	मोरी	फिताडी	03.05.2021	फिताडी	24 छोटे पशु	24 छोटे पशु	N31.147997 E78.259042
	10	मोरी	लिवाडी (लुसिका तोक)	12.05.2021	फिताडी	01 बडा पशु	02 व्यक्ति	N31.177872 E78.232520
	11	बडकोट	बनास (मोये तोक)	05.06.2021	राना	02 बडे पशु		N 30^{0}57’21” E 78^{0}24’51”
2022	12	बडकोट	बसराली (सुरका नामे तोक)	01.05.2022	चपटाडी		01 व्यक्ति	N 30^{0}53’’42” E 78^{0}10’54”
	13	मोरी	हडवाडी के चईषील (ठोकला सर बुक्याल)	02.07.2022	दोणी	49 छोटे पशु		N 30^{0}51’20” E 78^{0}18’40”
	14	मोरी	वन क्षेत्र	07.08.2022	दोणी	03 बडे पशु		N 31^{0}13’04” E 78^{0}97’02”
	15	पुरोला	ग्राम गौल	10.08.2022	गौल	01 बडा पशु		N 30^{0}15’07” E 78^{0}14’02”
	16	पुरोला	ग्राम किमडार	10.08.2022	किमडार	03 पडे पशु		N 30^{0}54’56” E 78^{0}07’11”
	17	पुरोला	ग्राम सरनोल	10.08.2023	सरनोल	01 बडा, 01 छोटा पशु		N 30^{0}54’56” E 78^{0}07’11”
	18	मोरी	वन क्षेत्र	10.08.2022	दोणी	36 छोटे पशु		N 31^{0}12’02” E 78^{0}97’02”
	19	बडकोट	सरनौल (सुतरूडी तोक)	28.08.2022	चपटाडी	01 बडा पशु		N 30^{0}55’43” E 78^{0}15’32”
	20	बडकोट	कोटला (डाण्डा डोखरी तोक)	29.08.2022	गैर बनाल	03 बडे पशु		N 30^{0}54’13” E 78^{0}10’54”
	21	बडकोट	नकोडा (कफोला डोखरी तोक)	29.08.2022	कुथनौर	01 बडा पशु		N 30^{0}51’40” E 78^{0}19’53”
	22	बडकोट	हलना (पोखरी तोक)	19.09.2022	कुथनोर	01 बडा पशु		N 30^{0}51’20” E 78^{0}18’40”
2023	23	डुण्डा	खट्टूखाल (माथानाउ तोक)	25.03.2023	खट्टूखाल	188 छोटे पशु		
	24	भटवाड़ी	कामर (मटियाली तोक)	23.05.2023	मनेरी	24 छोटे पशु		
	25	पुरोला	किमडार	31.05.2023	बडियार	04 भैंस, 01 बकरी		N 30^{0}54’56” E 78^{0}07’11”
	26	चिन्यालीसौड	सिंगांण	31.05.2023	चिन्यालीसौड	10 छोटे पशु		N30.650115 E78.210777
	27	भटवाड़ी	दयारा बुग्याल क्षेत्र	18.06.2023	बार्सू	04 भैंस		
	28	पुरोला	कडियाल गांव	25.06.2023	महरगांव	01 व्यक्ति	03 व्यक्ति	N 30^{0}57’15” E 78^{0}14’46”
2024	29	बडकोट	कुथनौर	07.05.2024	कुथनौर	04 गाय, 01 बैल		N 30^{0}50’27.0” E 78^{0}21’49.6”
	30	बडकोट	पालीगांव	19.05.2024	पालीगांव	03 भैंस		N 30^{0}55’42.9” E 78^{0}21’49.6”
	31	भटवाडी	भटवाडी	18.07.2024	भटवाडी	01 गाय		
	32	भटवाडी	जखोल	15.08.2024	जखौल	01 गाय, 9 बैल		

वर्ष	क्रसं	तहसील का नाम	बिजली गिरने वाले राजस्व ग्राम का नाम	घटना की तिथि	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र	घटना से क्षति		घटना स्थल/ग्राम के कॉडिनेट
						मृतक	घायल	
	33	मोरी	कलीच	31.07.2024	कलीच	32 छोटे पशु		
	34	मोरी	नुराणू स्थान पावा खाली तोक	01.09.2024	नुराणू	45 छोटे पशु		
	35	मोरी	बायलुडी नामे तोक के जंगल	09.10.2024	बायलुडी	43 छोटे पशु		
2025	36	भटवाडी	ग्राम सिरोर	21.05.2025	सिरोर	02 बडे पशु		
	37	चिन्यालीसौड़	ग्राम गडोली	01.09.2025	चिन्यालीसौड	37 छोटे पशु		
	38	मोरी	ग्राम मसरी	16.09.2025	मसरी	35 छोटे पशु		
	39	भटवाड़ी	ग्राम धराली	06.10.2025	टकनौर रेंज	02 बडे पशु		

वर्ष 2018 से वर्तमान तक मानव–वन्यजीव संघर्ष में मृत/घायल व्यक्तियों का विवरण–

क्र.स.	घटना तिथि	घटना स्थल/ग्राम	वन रजि0	वन प्रभाग	तहसील	वन्यजीव	मानव क्षति का प्रकार	
							घायल	मृत्यु
1	04.10.2018	देवजानी	सिंगतूर	टौन्स	पुरोला	भालू	घायल	–
2	29.10.2018	बजरी		अपर यमुना	बडकोट	भालू	घायल	–
3	11.01.2019	बीफ			बडकोट	भालू	घायल	–
4	28.01.2019	मसाल गांव			बडकोट	भालू	घायल	–
5	06.09.2019	मथाली	धरासू	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	साँप	–	मृत्यु
6	15.12.2019	नौरी बीट कक्ष सं0–5	पुरोला	टौन्स	पुरोला	भालू	घायल	–
7	17.12.2019	कुपडा		अपर यमुना	बडकोट	भालू	घायल	–
8	08.01.2020	न्यूडी			बडकोट	भालू	घायल	–
9	29.05.2020	रामा पंथाल	पुरोला	टौन्स	पुरोला	गुलदार	06 घायल	–
10	07.07.2020	मरगांव	डुण्डा	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	साँप	–	मृत्यु
11	09.04.2021	कोटि		अपर यमुना	बडकोट	गुलदार	घायल	–
12	01.08.2021	तेडा			बडकोट	सांप	–	मृत्यु
13	24.09.2021	नरयुका			बडकोट	सांप	–	मृत्यु
14	05.10.2021	गौल			बडकोट	सांप	घायल	–
15	24.11.2021	भंकोली			बडकोट	भालू	घायल	–
16	06.01.2022	बडकोट			बडकोट	भालू	घायल	–
17	17.10.2022	पालर			बडकोट	गुलदार	घायल	–
18	13.03.2022	कुमराड़ा क्षेत्र	धरासू	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	गुलदार	–	मृत्यु
19	01.05.2022	गणेशपुर	बाडाहाट		भटवाड़ी	भालू	–	मृत्यु
20	13.05.2023	बडीमणी	धरासू		चिन्यालीसौड़	गुलदार	–	मृत्यु
21	16.06.2023	भडकोट	धरासू		चिन्यालीसौड़	गुलदार	–	मृत्यु
22	25.07.2024	बनाड़ी	धरासू	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	गुलदार	घायल	–
23	02.08.2024	गड़थ	धरासू	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड़	गुलदार	घायल	–
24	25.10.2024	ग्राम सारी	बाडाहाट	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	–
25	23.01.2025	ग्राम कोटगांव	मोरी	उत्तरकाशी	मोरी	भालू	घायल	
26	20.07.2025	ग्राम पुजेली	पुरोला	उत्तरकाशी	पुरोला	तेदुए	घायल	
27	20.09.2025	ग्राम सालंग	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	
28	26.10.2025	ग्राम औंगी	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू		मृत्यु
29	31.10.2025	ग्राम थुनारा	मोरी	उत्तरकाशी	मोरी	भालू	घायल	
30	06.11.2025	ग्राम हिना	जोशियाड़ा	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू		मृत्यु
31	07.11.2025	ग्राम मस्ताडी	जोशियाड़ा	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	तेंदुए	घायल	
32	11.11.2025	ग्राम सेकू	जोशियाड़ा	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	
33	14.11.2025	ग्राम भंकोली	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू		
34	16.11.2025	ग्राम मंगलपुर	जोशियाड़ा	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	02 घायल	
35	17.11.2025	ग्राम गणेशपुर	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	

क्र.स.	घटना तिथि	घटना स्थल/ग्राम	वन रजि0	वन प्रभाग	तहसील	वन्यजीव	मानव क्षति का प्रकार	
							घायल	मृत्यु
36	22.11.2025	ग्राम झाला	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	
37	23.11.2025	ग्राम नटिण	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	
38	23.11.2025	ग्राम क्यार्क	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू		
39	27.11.2025	ग्राम रैथल	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	
40	01.12.2025	ग्राम पाही	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू	घायल	
41	02.12.2025	ग्राम सारी	भटवाडी	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	भालू		

Annexure–4

जनपद में भूस्खलन प्रभावित संवेदनशील ग्रामों का विवरण–

तहसील–भटवाड़ी			
क्र.सं.	ग्राम	मकान	परिवार
1	बार्सू	62	62
2	क्यार्क	40	40
3	पिलंग	79	79
4	कुज्जन	40	40
5	थलन	05	05
6	बग्यालगांव	01	01
7	कंकराडी	07	07
8	कुटेटी देवी	02	02
9	तिलोथ/माण्डों	14	14
10	औंगी	01	08
तहसील डुण्डा			
11	औल्या	02	06
12	बन्दरकोट गेंवला	05	05
13	नगल	01	01
14	गैंवला ब्रहमखाल	02	06
15	छमरौली	04	05
16	जुणगा	01	01
17	लौरी रियाणी नामे तोक	05	11
18	डांगडा नामे तोक	01	01
19	छिटक्याणा नामे तोक	01	01
20	वीरपुर	05	05

तहसील– चिन्यालीसौड़			
21	धारकोट	40	40
22	ज्येष्टवाड़ी	57	120
23	सूरीगांव	07	07
24	जोगत मल्ला	18	23
25	भुंयारा	01	03
26	कुमराड़ा	02	03
तहसील–बड़कोट			
27	गैर बनाल	01	01
तहसील – मोरी			
28	लुदराला	26	26
29	लिवाड़ी	120	240

(Annexure–5)

जनपद में ट्रैकिंग के दौरान हिमस्खलन व स्वास्थ्य से हुयी दुघर्टनाओं का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	ट्रैक का नाम	मृतक		कारण
			संख्या	पुरूष / महिला	
1	2009	गंगोत्री–गौमुख	1	पुरूष	एवलांच
2	2010	गंगोत्री–गौमुख	1	पुरूष	एवलांच
3		गंगोत्री–कालिन्दी पास	8	पुरूष	एवलांच
4	2011	गंगोत्री–गौमुख	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
5	2012	गंगोत्री–गौमुख	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
6		केदारडोम पीक एक्सपीडीसन	3	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
7	2016	गंगोत्री–गौमुख	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
8			1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
9			1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
10	2017	वन प्रभाग उत्तरकाशी	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
11		अपर वन प्रभाग बडकोट	1	पुरूष	दिल का दौरा
12		गंगोत्री–गौमुख	2	पुरूष	दिल का दौरा
13	2018	गंगोत्री–गौमुख	1	महिला	एवलांच
14		गोविन्द पशु विहार पुरोला	1	पुरूष	एवलांच
15		कोटी गाज रेंज वन रेंज पुरोला	2	पुरूष	एवलांच
16		गंगोत्री–केदारताल	1	पुरूष	दिल का दौरा
17	2019	गंगोत्री– रूद्रगैरा	1	पुरूष	एवलांच
18		खिडताला ट्रैक भैला टिपरी	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
19	2020	सांकरी में केदार कांठा, मोरी	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
20		राडी टॉप के पैदल क्षेत्र, बडकोट	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
21	2021	आई0टी0बी0पी0 के एल0आर0पी0	3	पुरूष	एवलांच
22		लमखागा–चितकुल ट्रैक, भटवाडी	7	पुरूष / महिला	एवलांच
23		संकरी–केदारकाण्ठा ट्रैक, मोरी	1	पुरूष	एवलांच
24	2022	बलावट–चिटकुल ट्रैक, मोरी	1	पुरूष	फिसलन से
25		डोकरानी बामक (द्रोपती डाण्डा), ग्लेशियर, भटवाडी। (एन0आई0एम0 के प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक)	29	27–पुरूष 02–महिला	एवलांच

क्र.सं.	वर्ष	ट्रैक का नाम	मृतक		कारण
			संख्या	पुरूष/महिला	
26	2023	रूनसारा ताल ट्रैक, मोरी	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
27		रूनसारा ताल ट्रैक, मोरी	1	महिला	स्वास्थ्य खराब
28		गंगोत्री–कालिन्दीखाल–बद्रीनाथ ट्रैक	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
29	2024	बिना अनुमति के 01 ट्रैकर गंगोत्री नेशनल पार्क में गया व लापता हो गया	1	पुरूष	मार्ग भटकने के कारण
30		गौमुख ट्रैक	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
31		क्यारकोटी ट्रैक	1	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
32		सिल्ला–कुशकल्याण–सहस्त्रताल ट्रैक	9	03 पुरूष/ 06 महिला	ठंड व मार्ग भटकने के कारण
33		डोडिताल ट्रैक	1	पुरूष	दिल का दौरा
34		अवाना बुग्याल ट्रैक	1	महिला	दागी गाड में पैर फिसलने के कारण
35		गौमुख ट्रैक	2	पुरूष	जलस्तर बढने के कारण 02 कावड यात्री की मृत्यु
36	2025	केदारताल रूद्रगैरा उड्यन कॉल ट्रेक पर	01	पुरूष	उक्त ट्रैकर का अचानक पेर फिसलने के कारण सिर पर चोट के कारण मृत्यु हुयी है
37		केदारताल रूद्रगैरा उड्यन कॉल ट्रेक पर	01	पुरूष	स्वास्थ्य खराब
38		नन्दन वन ट्रैक रूट पर दिनांक	01	पुरूष	अचानक स्वास्थ्य खराब होने के कारण

(Annexure–6)

जनपद एवं तहसील स्तर में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस)–

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
	कमांड स्टाफ (Command Staff)			
1	Incident Commander	जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित घटना से संबन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी	सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित घटना से संबन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी	अध्यक्ष (जिम्मेदार अधिकारी), जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में घटना प्रबंधन (कमांड, नियंत्रण एवं समन्वय) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी। उच्च प्राधिकारियों को वस्तु स्थिति का विवरण प्राथमिकताओ का आकलन तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रणनीति बनाना , सूचना संवर्धन एवं संसाधनों की पूर्ति। जिला स्तर पर IRS संबंधी सभी निर्णय, अधिकारियों की नियुक्ति। इंसिडेंट एक्शन प्लान तैयार कराना, प्लान की जानकारी सभी टीम सदस्यों को उपलब्ध कराना तथा प्लान अनुसार राहत एवं बचाव कार्यों को सम्पन्न कराना। एनडीआरएफ, सेना आदि राष्ट्रीय प्रतिक्रीया एजेंसियों की आवश्यकता का निर्धारण एवं समन्वय ।
2	II Incident Commander	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	उपजिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	इंसिडेंट कमांडर की अनुपस्थिति में इंसिडेंट कमांडर के कार्यों को संपादित करना ।
3	Information & Media Officer	जिला सूचना अधिकारी	रजिस्ट्रार कानूनगो	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार प्रेस ब्रीफिंग, नियमित प्रेस रिलीज तथा मीडिया से समन्वय । अस्थायी आपदा सूचना केन्द्रों की स्थापना मीडिया न्यूज से इंसिडेंट कमांडर को अवगत कराना।
4	Liaison Officer	आपदा प्रबन्धन अधिकारी	स्टेनो, उप जिलाधिकारी	सभी नोडल विभाग, NGO, सशस्त्र बल, NDRF/SDRF एवं अन्य एजेंसियो का सम्पूर्ण ब्योरा एवं समन्वय। संक्षिप्त बैठकों का संचालन एवं समन्वय करना

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
5	Safety Officer	पुलिस अपाधिक्षक, उत्तरकाषी	थानाध्यक्ष	सुरक्षा और कानून व्यवस्था का समन्वय। आपदा क्षेत्रों मे संभावित खतरों एवं जोखिम का आकलन एवं इससे इंसिडेंट कमांडर एवं आई.आर.टी को अवगत करना। जनपद IRS योजना के अंतर्गत साइट सुरक्षा योजना तैयार करना।
योजना अनुभाग (Planning Section)				
1	Planning Section Chief	मुख्य विकास अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी	उप जिलाधिकारी/ उप प्रभागीय वनाधिकारी	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन एवं ऑपरेशन सेक्शन प्रमुख के समन्वय एवं में इंसिडेंट एक्शन प्लान तैयार करना तथा सेक्शन के अंतर्गत कार्यरत यूनिट को दिशा निर्देशन देना।
2	Resource Unit Leader	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास	बालविकास के खण्ड स्तरीय अधिकारी	घटना प्रबंधन में संलग्न सभी संसाधनों की जानकारी एवं इनके प्रबंधन से संबन्धित सम्पूर्ण कार्य।
3	Situation Unit	जिला पंचायतराज अधिकारी	सहायक विकास अधिकारी, पंचायत	मौसम तथा आपदा कारक अन्य स्थितियों से संबन्धित जानकारी का आंकलन एवं आगामी संभावित स्थितियों के बारे में संबन्धित एजेंसियों एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त करना तथा ऑपरेशन चीफ व इंसिडेंट कमांडर को अवगत कराना ।
4	Documentation Unit	जिला संख्या अधिकारी	राजिस्ट्रार कानूनगो	घटना प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रकार का प्रलेखन एवं रिकार्ड रखना।
5	Demobilization Unit	जिला विकास अधिकारी	सहायक अभियंन्ता सिंचाई	आई.आर.एस. के अनुसार इन्सीडेन्ट डीमोबलाईजेशन प्लान बनाना। अधिशेष संसाधनों की पहचान कर प्लानिंग चीफ के साथ परामर्श करके एक अनंतिम इन्सीडेन्ट डीमोबलाईजेशन प्लान बनाना और अधिशेष संसाधनों को डिमोबलाईज करना
लॉजिस्टिक अनुभाग (Logistics Section)				
1	Logistics & Finance Section Chief	अपर जिला अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता व वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकशी	अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं कोषाधिकारी	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन एवं ऑपरेशन सेक्शन प्रमुख के समन्वय में घटना प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना, बचाव एवं राहत–कर्मियों भोजन एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इंसिडेंट कमांड पोस्ट, कैंप तथा अन्य सुविधा स्थलों का प्रबंधन। सेक्शन के अंतर्गत कार्यरत यूनिट को दिशा निर्देशन देना।
2	Services Branch Director (SBD)	परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास	खण्ड विकास आधिकारी	एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और घटना प्रबंध के लिए सभी अपेक्षित सेवा सहायता का प्रबंध करना। संचार ईकाई, चिकित्सा ईकाई, खाद्य ईकाई जैसी शाखा की विभिन्न इकाईयों और किसी अन्य सक्रिय इकाई का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना।
	Communication Unit	मुख्य शिक्षाधिकारी/ पुलिस संचार अधिकारी	बी0एस0एन0एल0 के खण्ड स्तरीय अधिकारी।	घटना प्रबंधन हेतु संचार योजना बनाना तथा संचार सुविधाओं को स्थापित करना एवं संचार साधनों का रख रखाव एवं संचार साधन प्रबंधन से संबन्धित सम्पूर्ण कार्य।
	Medical Unit	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	चिकित्सा राहत कैंप प्रबंधन तथा राहत कर्मियों एवं घटना प्रबंधन में लगे हुये अन्य कार्यदल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
	Food Unit	जिला पूर्ति अधिकारी	पूर्ति निरीक्षक	राहत कैंप तथा राहत कर्मियों एवं घटना प्रबंधन में लगे हुये अन्य कार्यदल हेतु सभोजन तथा पानी की व्यवस्था करना।
	Restoration Leader	अधीक्षण अभियंता सिंचाई	अधिशासी अभियंन्ता सिचांई	घटना से प्रभावित सभी सुविधाओं यथा सड़क, विद्युत, पेयजल, दूरसंचार आदि सुविधाओं के रिस्टोरेसन कार्य कराना।
7	Support Branch Director (Sub.BD)	मुख्य शिक्षाधिकारी	खण्ड शिक्षाधिकारी	एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और संसाधन व्यवस्था इकाई, सुविधा इकाई और स्थल सहायता इकाई के कार्य का पर्यवेक्षण करना। अनुभाग प्रमुख की सहमति से प्रचालनों के लिए अपेक्षित सामरिक सामग्री और संसाधन प्राप्त करना और प्रेषित करना।
8	Resource Provisioning Unit	डी0ओ0, पी0आर0डी0	बाल विकास के खण्ड स्तरीय अधिकारी	आपदा क्षेत्रों मे कार्यरत एजेंसी को आवश्यक संसाधनों की अबाधित पूर्ति हेतु योजना बनाना एवं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से लगातार समन्वय करना। संसाधनों का उचित स्थल पर भंडारण एवं वितरण से संबन्धित

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
				कार्यवाही।
9	Facility Unit	जिला शिक्षाधिकारी (माध्यमिक व बेसिक)	खण्ड षिक्षाधिकारी	घटना प्रबंधन हेतु इंसिडेंट कमांड पोस्ट, संसाधनों को रखने हेतु इंसिडेंट बेस, राहत एवं बचाव–कर्मी के रुकने हेतु कैंप, हेलीपैड तथा राहतकैंप को लॉजिस्टिक प्रमुख एवं इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार उपयुक्त स्थल पर स्थापित करना तथा इनकी व्यवस्था।
10	Ground Support Unit	जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	घटना प्रबंधन दल को परिवहन साधन उपलब्ध करना तथा घटना प्रबंधन में उपयोग में आने वाले सभी परिवहन साधनों का रखरखाव।
11	Finance Branch Director (FBD)	वरिष्ठ कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	आई.ए.पी. के अनुसार जुटाए गए, प्राप्त किए गए या किराए पर लिए गए संसाधनों की सूची तैयार करना। वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना और अविलंब उनके भुगतान की कार्यवाही करना। यह सुनिश्चित करना कि भुगतान के लिए किराए पर लिए गए उपकरण, कार्मिक और उनकी सेवाओं के समय संबंधी रिकॉर्ड (टाइम रिकॉर्ड) सरकारी मानकों के अनुसार ठीक–ठीक बनाए गए हैं।
12	Time Unit	प्रभारी अधिकारी (बिल) जिला कार्यालय	राजिस्ट्रार कानूनगो	घटना प्रबंधन में लगाये गए सभी संसाधनों के आने एंव जाने के समय को रिकॉर्ड करना।
13	Compensations/Claims Unit Leader	प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन	नायब तहसीलदार	सभी लागत संबंधित आंकडा संगृहित करना और लागत अनुमान उपलब्ध कराना। ऐसे अधिग्रहण की सही तारीख और समय के साथ अधिगृहीत परिसर, सेवा, संसाधन और वाहन, आदि की सूची तैयार करना और उसका अनुरक्षण करना। दावे तैयार करने और प्रतिपूर्ति के लिए समुचित प्रकियाओं का पालन करना।
14	Procurement Unit	वरिष्ठ कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	संसाधनों की पूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से समन्वय एवं आपदा के दौरान अबाधित आपूर्ति हेतु लॉजिस्टिक प्रमुख एवं इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन में आवश्यक कार्यवाही। आवश्यकता होने पर लोजिस्टिक सेक्शन प्रमुख/इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार आवश्यक संसाधनों का क्रय करना। टेंडर, बिलिंग एवं पेमेंट संबंधी समस्त कार्यवाही।
15	Cost Unit Leader (CUL)	कोषाधिकारी भटवाड़ी	कोषाधिकारी	लागत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर **Finance Branch Director** के परामर्श से घटना कार्रवाई संबंधी लागत का सार बनाना। एफ.बी.डी. को लागत–बचत सिफारिशें करना। अलामबंदी के पूर्व वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूरे करना।
		ऑपरेशन अनुभाग (Operation Section)		
1	Operation Section Chief	पुलिस अधीक्षक	पुलिस उपाधीक्षक	घटना प्रबंधन हेतु निर्धारित किए गए उद्देश्यों के निश्चित समयावधि में पूर्ति हेतु सभी रिसपोन्स एजेंसी के मध्य समन्वय करना, रणनीति बनाना एवं निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने हेतु दलों को निर्देशन देना। सभी सेक्सन प्रमुखों से समन्वयन एवं आगामी ओपेरशन हेतु संसाधनों की आवश्यकता से अवगत कराना । आगामी ऑपरेशन में अनुपयोगी संसाधनों को वापस भेजने हेतु निर्देश। इंसिडेंट कमांडर को घटना प्रबंधन की अध्यतन स्थिति से लगातार अवगत करना। आपदा के दौरान निरंतर रूप से प्रभावित क्षेत्रो मे हो रही घटनाओ एवं कार्यवाहियों का विवरण लेना एवं उसका लगातार विश्लेषण करना।
2	Staging Area Manager	प्रभारी अधिकारी जिला	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग	घटना स्थल के समीप स्थान पर संसाधनों को हमेशा तैयारी की स्थिति में रखना तथा ओ.एस.सी. के निर्देशानुसार संसाधनों को

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
		कार्यालय / पुलिस उपाधीक्षक		घटना प्रबंधन हेतु भेजने की व्यवस्था।
3	Response Branch Director	उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी	तहसीलदार	आई.सी तथा ओ.एस.सी. के समन्वय एवं निर्देशन में राहत एवं बचाव कार्यों को विभिन्न दलों के माध्यम से सम्पन्न करना।
4	Transportation Branch Director (TBD)	ARTO	ARTO प्रतिनिधि	विभिन्न प्रचालन समूहों, जैसे सड़क, रेल, जल और वायु का सक्रियण और प्रबंध करना। आवश्यक संसाधनों के लिए Logistic Section के साथ समन्वय करना और अपनी शाखा के समूह को सक्रिय करना।
5	Group In charge	अधि0अभि0 लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक	राहत एवं बचाव कार्यों में संलग्न कार्य दलों को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन ।
6	Task Force & Strick Leader			ग्रुप के अंतर्गत कार्यरत सभी टास्क फोर्स एवं स्ट्राइक टीमों को मार्गदर्शन एवं नेतृत्व।

तहसील में घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आई0आर0एस0)–

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
		कमांड स्टाफ (Command Staff)		
1	Incident Commander	जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित घटना से संबन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी	सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित घटना से संबन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी	अध्यक्ष (जिम्मेदार अधिकारी), जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में घटना प्रबंधन (कमांड, नियंत्रण एवं समन्वय) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी। उच्च प्राधिकारियों को वस्तु स्थिति का विवरण प्राथमिकताओ का आकलन तथा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रणनीति बनाना , सूचना संवर्धन एवं संसाधनों की पूर्ति। जिला स्तर पर IRS संबंधी सभी निर्णय, अधिकारियों की नियुक्ति। इंसिडेंट एक्शन प्लान तैयार कराना, प्लान की जानकारी सभी टीम सदस्यों को उपलब्ध कराना तथा प्लान अनुसार राहत एवं बचाव कार्यों को सम्पन्न कराना। एनडीआरएफ, सेना आदि राष्ट्रीय प्रतिक्रीया एजेंसियों की आवश्यकता का निर्धारण एवं समन्वय ।
2	II Incident Commander	जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	उपजिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी	इंसिडेंट कमांडर की अनुपस्थिति में इंसिडेंट कमांडर के कार्यों को संपादित करना ।
3	Information & Media Officer	जिला सूचना अधिकारी	रजिस्ट्रार कानूनगो	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार प्रेस ब्रीफिंग, नियमित प्रेस रिलीज तथा मीडिया से समन्वय । अस्थायी आपदा सूचना केन्द्रों की स्थापना मीडिया न्यूज से इंसिडेंट कमांडर को अवगत कराना।
4	Liaison Officer	आपदा प्रबन्धन अधिकारी	स्टेनो, उप जिलाधिकारी	सभी नोडल विभाग, NGO, सशस्त्र बल, NDRF/SDRF एवं अन्य एजेंसियो का सम्पूर्ण ब्योरा एवं समन्वय। संक्षिप्त बैठकों का संचालन एवं समन्वय करना
5	Safety Officer	पुलिस अपाधिक्षक, उत्तरकाषी	थानाध्यक्ष	सुरक्षा और कानून व्यवस्था का समन्वय। आपदा क्षेत्रों मे संभावित खतरों एवं जोखिम का आकलन एवं इससे इंसिडेंट कमांडर एवं आई.आर.टी को अवगत करना। जनपद IRS योजना के अंतर्गत साइट सुरक्षा योजना तैयार करना।
		योजना अनुभाग (Planning Section)		
1	Planning	मुख्य विकास	उप जिलाधिकारी /	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन एवं ऑपरेशन सेक्शन प्रमुख के समन्वय एवं में

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
	Section Chief	अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	इंसिडेंट एक्शन प्लान तैयार करना तथा सेक्शन के अंतर्गत कार्यरत यूनिट को दिशा निर्देशन देना।
2	Resource Unit Leader	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास	बालविकास के खण्ड स्तरीय अधिकारी	घटना प्रबंधन में संलग्न सभी संसाधनों की जानकारी एवं इनके प्रबंधन से संबन्धित सम्पूर्ण कार्य।
3	Situation Unit	जिला पंचायतराज अधिकारी	सहायक विकास अधिकारी, पंचायत	मौसम तथा आपदा कारक अन्य स्थितियों से संबन्धित जानकारी का आंकलन एवं आगामी संभावित स्थितियों के बारे में संबन्धित एजेंसियों एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त करना तथा ऑपरेशन चीफ व इंसिडेंट कमांडर को अवगत कराना ।
4	Documentation Unit	जिला संख्या अधिकारी	राजिस्ट्रार कानूनगो	घटना प्रबंधन से जुड़ी सभी प्रकार का प्रलेखन एवं रिकार्ड रखना।
5	Demobilization Unit	जिला विकास अधिकारी	सहायक अभियन्ता सिंचाई	आई.आर.एस. के अनुसार इन्सीडेन्ट डीमोबलाईजेशन प्लान बनाना। अधिशेष संसाधनों की पहचान कर प्लानिंग चीफ के साथ परामर्श करके एक अनंतिम इन्सीडेन्ट डीमोबलाईजेशन प्लान बनाना और अधिशेष संसाधनों को डिमोबलाईज करना
				लॉजिस्टिक अनुभाग (Logistics Section)
1	Logistics & Finance Section Chief	अपर जिला अधिकारी एवं अधीक्षण अभियंता व वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकशी	अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एवं कोषाधिकारी	इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन एवं ऑपरेशन सेक्शन प्रमुख के समन्वय में घटना प्रबंधन हेतु आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना, बचाव एवं राहत–कर्मियों भोजन एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, इंसिडेंट कमांड पोस्ट, कैंप तथा अन्य सुविधा स्थलों का प्रबंधन। सेक्शन के अंतर्गत कार्यरत यूनिट को दिशा निर्देशन देना।
2	Services Branch Director (SBD)	परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास	खण्ड विकास आधिकारी	एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और घटना प्रबंध के लिए सभी अपेक्षित सेवा सहायता का प्रबंध करना। संचार ईकाई, चिकित्सा ईकाई, खाद्य ईकाई जैसी शाखा की विभिन्न इकाईयों और किसी अन्य सक्रिय इकाई का प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना।
3	Communication Unit	मुख्य शिक्षाधिकारी / पुलिस संचार अधिकारी	बी0एस0एन0एल0 के खण्ड स्तरीय अधिकारी।	घटना प्रबंधन हेतु संचार योजना बनाना तथा संचार सुविधाओं को स्थापित करना एवं संचार साधनों का रख रखाव एवं संचार साधन प्रबंधन से संबन्धित सम्पूर्ण कार्य।
4	Medical Unit	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी	सम्बन्धित चिकित्साधिकारी	चिकित्सा राहत कैंप प्रबंधन तथा राहत कर्मियों एवं घटना प्रबंधन में लगे हुये अन्य कार्यदल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
5	Food Unit	जिला पूर्ति अधिकारी	पूर्ति निरीक्षक	राहत कैंप तथा राहत कर्मियों एवं घटना प्रबंधन में लगे हुये अन्य कार्यदल हेतु सभोजन तथा पानी की व्यवस्था करना।
6	Restoration Leader	अधीक्षण अभियंता सिंचाई	अधिशासी अभियन्ता सिचांई	घटना से प्रभावित सभी सुविधाओं यथा सड़क, विद्युत, पेयजल, दूरसंचार आदि सुविधाओं के रिस्टोरेसन कार्य कराना।
7	Support Branch Director (Sub.BD)	मुख्य शिक्षाधिकारी	खण्ड शिक्षाधिकारी	एल.एण्ड एफ.एस.सी. के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना और संसाधन व्यवस्था इकाई, सुविधा इकाई और स्थल सहायता इकाई के कार्य का पर्यवेक्षण करना। अनुभाग प्रमुख की सहमति से प्रचालनों के लिए अपेक्षित सामरिक सामग्री और संसाधन प्राप्त करना और प्रेषित करना।
8	Resource Provisioning Unit	डी0ओ0, पी0आर0डी0	बाल विकास के खण्ड स्तरीय अधिकारी	आपदा क्षेत्रों मे कार्यरत एजेंसी को आवश्यक संसाधनों की अबाधित पूर्ति हेतु योजना बनाना एवं आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से लगातार समन्वय करना। संसाधनों का उचित स्थल पर भंडारण एवं वितरण से संबन्धित कार्यवाही।
9	Facility Unit	जिला शिक्षाधिकारी (माध्यमिक व बेसिक)	खण्ड षिक्षाधिकारी	घटना प्रबंधन हेतु इंसिडेंट कमांड पोस्ट, संसाधनों को रखने हेतु इंसिडेंट बेस, राहत एवं बचाव–कर्मी के रुकने हेतु कैंप, हेलीपैड तथा राहतकैंप को लॉजिस्टिक प्रमुख एवं इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार उपयुक्त स्थल पर स्थापित करना तथा इनकी व्यवस्था।
10	Ground Support Unit	जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	घटना प्रबंधन दल को परिवहन साधन उपलब्ध करना तथा घटना प्रबंधन में उपयोग में आने वाले सभी परिवहन साधनों का रखरखाव।

क्र.सं.	नमित पद	जिला स्तर पर	तहसील स्तर पर	दायित्व
11	Finance Branch Director (FBD)	वरिष्ठ कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	आई.ए.पी. के अनुसार जुटाए गए, प्राप्त किए गए या किराए पर लिए गए संसाधनों की सूची तैयार करना। वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करना और अविलंब उनके भुगतान की कार्यवाही करना। यह सुनिश्चित करना कि भुगतान के लिए किराए पर लिए गए उपकरण, कार्मिक और उनकी सेवाओं के समय संबंधी रिकॉर्ड (टाइम रिकॉर्ड) सरकारी मानकों के अनुसार ठीक–ठीक बनाए गए हैं।
12	Time Unit	प्रभारी अधिकारी (बिल) जिला कार्यालय	राजिस्ट्रार कानूनगो	घटना प्रबंधन में लगाये गए सभी संसाधनों के आने एंव जाने के समय को रिकॉर्ड करना।
13	Compensations/Claims Unit Leader	प्रभारी अधिकारी आपदा प्रबन्धन	नायब तहसीलदार	सभी लागत संबंधित आंकडा संगृहित करना और लागत अनुमान उपलब्ध कराना। ऐसे अधिग्रहण की सही तारीख और समय के साथ अधिगृहीत परिसर, सेवा, संसाधन और वाहन, आदि की सूची तैयार करना और उसका अनुरक्षण करना। दावे तैयार करने और प्रतिपूर्ति के लिए समुचित प्रकियाओं का पालन करना।
14	Procurement Unit	वरिष्ठ कोषाधिकारी	कोषाधिकारी	संसाधनों की पूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता संस्थाओं से समन्वय एवं आपदा के दौरान अबाधित आपूर्ति हेतु लॉजिस्टिक प्रमुख एवं इंसिडेंट कमांडर के निर्देशन में आवश्यक कार्यवाही। आवश्यकता होने पर लोजिस्टिक सेक्शन प्रमुख/इंसिडेंट कमांडर के निर्देशानुसार आवश्यक संसाधनों का क्रय करना। टेंडर, बिलिंग एवं पेमेंट संबंधी समस्त कार्यवाही।
15	Cost Unit Leader (CUL)	कोषाधिकारी भटवाड़ी	कोषाधिकारी	लागत विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर **Finance Branch Director** के परामर्श से घटना कार्रवाई संबंधी लागत का सार बनाना। एफ.बी.डी. को लागत–बचत सिफारिशें करना। अलामबंदी के पूर्व वित्तीय मामलों से संबंधित सभी रिकॉर्ड पूरे करना।
				ऑपरेशन अनुभाग (Operation Section)
1	Operation Section Chief	पुलिस अधीक्षक	पुलिस उपाधीक्षक	घटना प्रबंधन हेतु निर्धारित किए गए उद्देश्यों के निश्चित समयावधि में पूर्ति हेतु सभी रिसपोन्स एजेंसी के मध्य समन्वय करना, रणनीति बनाना एवं निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने हेतु दलों को निर्देशन देना। सभी सेक्सन प्रमुखों से समन्वयन एवं आगामी ओपेरशन हेतु संसाधनों की आवश्यकता से अवगत कराना । आगामी ऑपरेशन में अनुपयोगी संसाधनों को वापस भेजने हेतु निर्देश। इंसिडेंट कमांडर को घटना प्रबंधन की अध्यतन स्थिति से लगातार अवगत करना। आपदा के दौरान निरंतर रूप से प्रभावित क्षेत्रो मे हो रही घटनाओ एवं कार्यवाहियों का विवरण लेना एवं उसका लगातार विश्लेषण करना।
2	Staging Area Manager	प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय/पुलिस उपाधीक्षक	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग	घटना स्थल के समीप स्थान पर संसाधनों को हमेशा तैयारी की स्थिति में रखना तथा ओ.एस.सी. के निर्देशानुसार संसाधनों को घटना प्रबंधन हेतु भेजने की व्यवस्था।
3	Response Branch Director	उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी	तहसीलदार	आई.सी तथा ओ.एस.सी. के समन्वय एवं निर्देशन में राहत एवं बचाव कार्यों को विभिन्न दलों के माध्यम से सम्पन्न करना।
4	Transportation Branch Director (TBD)	ARTO	ARTO प्रतिनिधि	विभिन्न प्रचालन समूहों, जैसे सड़क, रेल, जल और वायु का सक्रियण और प्रबंध करना। आवश्यक संसाधनों के लिए Logistic Section के साथ समन्वय करना और अपनी शाखा के समूह को सक्रिय करना।
5	Group In charge	अधि0अभि0 लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षक	राहत एवं बचाव कार्यों में संलग्न कार्य दलों को नेतृत्व एवं मार्गदर्शन ।
6	Task Force & Strick Leader			ग्रुप के अंतर्गत कार्यरत सभी टास्क फोर्स एवं स्ट्राइक टीमों को मार्गदर्शन एवं नेतृत्व।

(Annexure–7)

विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना– प्रारूप

योजना बनाने की तारीख –

विद्यालय का नाम – **पता –** **विकास खण्ड –** **तहसील –** **जनपद –**

नगर पालिका वार्ड संख्या-

1. **नक्शा स्कूल –**
   1.1 जोखिम एवं घातकता चित्रण
   1.2 संसाधन चित्रण एवं सुरक्षित मार्ग
   1.3 निष्कासन चित्रण

   विद्यार्थियो की संख्या कक्षावार –

क.सं.	कक्षा	बालक	बालिका	विकंलाग	संख्या
1	1-5				
2	6-12				
		कुल			

एन. सी. सी छात्रः **स्काउट एंव गाइडः** **एन.एस.एस. छात्रः**

2. **विद्यालय का विवरण –**

कक्षो की कुल संख्या	पक्के कक्षों की संख्या	टिन की छत वाले कक्षों की संख्या	खपरैल/छप्पर की छत वाले कक्षों की संख्या

   2.1 मुख्य सड़क से दूरी –
   2.2 अग्निशमन केन्द्र से दूरी –
   2.3 पुलिस चौकी/थाने से दूरी –
   2.4 जिला मुख्यालय से दूरी –
   2.5 निकटतम बाजार से दूरी –
   2.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी –
   2.7 सीढ़ीयो की संख्याः
   2.8 बाहर जाने के रास्तो की संख्याः

3. **संसाधन सूची –**

संख्या	मूलभूत संरचनाएँ	हॉ	नही	संख्या	दूरी
1	हैण्ड पम्प				
2	वाटर सप्लाई				
3	अग्नि शमन यन्त्र				
4	खेल का मैदान				
5	छत पर आने जाने के लिए पक्की सीढ़ीयॉ				
6	लकड़ी की सीढ़ीयॉ				
7	पानी के पाइप				
8	मोटी रस्सियॉ				
9	टेलीफोन				
10	फैक्स				
11	इन्टरनेट				
12	छायादार वृक्ष				
13	विद्यालय से बाहर निकलने हेतु गेट				
14	प्राथमिक चिकित्सा किट				
15	रेडियो सेट एंव टेलीविजन सैट				
16	जनरेटर				
17	पम्पसेट				
18	पैटोमैक्स				
19	गैस लाइट				
20	सौर उर्जा के उपकरण				
21	जीप/बस/अन्य वाहन				

4. **विद्यालय के आसपास सुरक्षित स्थान पर अस्थाई आश्रय के लिए स्थान –**
5. **विद्यालय के आसपास सामुदायिक संगठन –**
6. **वैकल्पिक सुरक्षित रास्ते –**

7. खतरे के स्थान से दूरी –

संख्या	खतरा	विद्यालय से दूरी	टिप्पणी
1	नदी		
2	तटबन्ध		
3	बॉध/पुल		
4	चट्टान		
5	बिजली के खम्बे / हाईटेंशन वायर		
6	पानी की टंकियो से		
7	बड़े पेड़ो से		
8	खड़ी चट्टानो से		
9	खतरनाक भवनों से		
10	राष्ट्रीय राजमार्गो से		

8 विद्यालय सुरक्षा योजना –

8.1 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति

8.2 विद्यालय की सीमा के अन्दर सुरक्षित स्थानो का चिन्हीकरण –

क.सं.	नाम	पता	दूरभाष संख्या
1			
2			

संख्या	स्थलों का नाम	कक्षा भवन से दूरी

8.3 विद्यालय आपदा प्रबन्धन समिति के परामर्श से विद्यालय का जोखिम एवं घातकता विश्लेषण

क्रमांक	विद्यालय में अवस्थित सेवायें/संरचनाएं	आपदा (जिनसे सेवाएं/संरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं)			
		भूकम्प (हां/नहीं)	भू–स्खलन (हां/नहीं)	बाढ़ (हां/नहीं)	अग्निकांड (हां/नहीं)
1	भवन अवसंरचना				
2	पेयजल				
3	विद्युत व्यवस्था				
4	दूरसंचार व्यवस्था				
5	सड़क/पहुँच मार्ग				
6	अन्य				

8.4 विभिन्न आपदा राहत दल

क– निष्कासन दल –

क0 सं0	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ख – प्राथमिक चिकित्सा दल –

1			
2			

ग – खोज व बचाव दल

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्र/छात्राओं के नाम
1			
2			

ध – जागरूकता (Awareness) दल

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद	छात्राओं के नाम
1			
2			

(Annexure–8)
मॉक अभ्यास

क्र.सं.	आयोजन स्थल	दिनांक	विवरण
1	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	11 फरवरी .2016,	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारत सरकार के तत्वाधान जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास
2	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	28 से 30 दिसम्बर, 2016	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
3	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	21 फरवरी, 2017	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारत सरकार एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास
4	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	20 अप्रैल, 2017	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण भारत सरकार एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के के तत्वाधान में जनपद में राज्य स्तरीय
5	तहसील बडकोट	14 जून, 2017	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
6	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	16/17 जून, 2017	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
7	तहसील भटवाडी	19 जून, 2017	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
8	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	09 अक्टुबर, 2017	जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार रात्रि में भूकम्प मॉक अभ्यास
9	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	13 अक्टुबर, 2017	अन्तराष्ट्रीय आपदा रोकथाम दिवस को जनपद में राज्य स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास
10	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	09/10/13 जुलाई, 2018	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण/ मॉक अभ्यास
11	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	02 मई, 2019	वनाग्नि रोकथाम प्रशिक्षण/मॉक अभ्यास
12	जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी	04 जून, 2019	आई0आर0एस0 प्रशिक्षण
13	जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर	05 जून, 2019	आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास भूस्खलन आधारित
14	जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर	07 जून, 2019	आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास त्वरित बाढ़
15	जिला मुख्यालय	11 जून, 2019	जनपद स्तरीय आई0आर0एस0 पशिक्षण
16	जिला मुख्यालय	12 जून, 2019	तहसील भटवाडी/डुण्डा के तहसील आई0आर0एस0 प्रशिक्षण
17	बडकोट	13 जून, 2019	तहसील पुरोला/बडकोट में आई0आर0एस0 अन्तर्गत नामित अधिकारियों का प्रशिक्षण
18	जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर	27 दिसम्बर, 2020	जनपद स्तरीय भूकम्प मॉक अभ्यास
19	जिला मुख्यालय	12 अप्रैल, 2021	वनाग्नी से सम्बन्धित मॉक अभ्यास
20	जिला मुख्यालय	30 अप्रैल, 2021	कोविड के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी मॉक अभ्यास।
21	जिला मुख्यालय	03 जून, 2021	आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास/ भूस्खलन आधारित
22	बडकोट	14 दिसम्बर, 2021	आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास/ भूकम्प आधारित
23	जिला मुख्यालय	22 अप्रैल, 2022	आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास भूस्खलन आधारित
24	जिला मुख्यालय/ तहसील बडकोट	30 जुलाई, 2022	आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास भूस्खलन आधारित
25	जिला मुख्यालय/ तहसील बडकोट	20 अप्रैल, 2023	राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुये प्रकृतिक आपदा से निपटने के लिए मॉक अभ्यास।

क्र.सं.	आयोजन स्थल	दिनांक	विवरण
26	जिला मुख्यालय	23 अगस्त, 2023	आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास भूस्खलन आधारित
27	जिला मुख्यालय/धरासू/खरादी	02 मई, 2024	सड़क दुर्घटना/भूस्खलन/घरेलू अग्निकाण्ड/बादल फाटना हेतु आई0आर0एस0 मॉक अभ्यास
28	जिला मुख्यालय	13. फरवरी, 2025	वनाग्नि से सम्बन्धी मॉक अभ्यास एन0डी0एम0ए0 एवं यू0एस0डी0एम0ए0 के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के 3 स्थानों पर उक्त मॉक अभ्यास
29	जिला मुख्यालय/पालीगाड/कैप्टन	24 अप्रैल, 2025	चारधाम यात्रा 2025 के दृष्टिगत गंगोत्री एवं यमुनौत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उक्त मॉक अभ्यास संचालित किया गया। जिसमें भूस्खलन/बादल

(Annexure–9)

जनपद स्तरीय

(INCIDENT RESPONSE SYSTEM)

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
1.	जिम्मेदार/उत्तरदायी अधिकारी (Responsible Officer, (RO)	जिलाधिकारी।	**1.** समग्र प्रभारी। **2.** आपातकालीन स्थिति में समयबद्ध रूप से संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न विभागों व एजेंसियों को ससमय स्थायी आदेश जारी करना। **3.** आवश्यकतानुसार मुख्यालय स्तर पर Incident Response System (IRS) को सक्रिय करना। **4.** आवश्यकतानुसार सशस्त्र बलों, वायु सेना आदि से सहायता तथा अन्य संसाधन जुटाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करना।
.	घटना प्रभारी {Incident Commander (IC)}	मुख्य विकास अधिकारी।	**1.** खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण की रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना। **2.** उच्चाधिकारियों के साथ जानकारी साझा करते हुए यथावश्यक अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना। **3.** घटना की नियंत्रण अवधि तथा व्यापकता को दृष्टिगत् रखते हुये समुचित Incident Response System (IRS) प्रणाली/संगठन स्थापित करना। **4.** उपयुक्त स्थान पर Incident Commander (IC) को स्थापित करना और सम्बन्धित अधिकारियों को नामित करना। **5.** यह सुनिश्चित करना कि Incident Action Plan (IAP) तैयार हो गया है। **6.** Incident Action Plan (IAP) को अनुमोदित करना तथा कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करना। **7.** सभी अनुभाग प्रमुखों के साथ नियमित अंतराल में योजना बनाने हेतु बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना। **8.** मीडिया को सूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत करना। **9.** यथोचित समय पर Incident Response Team (IRT) को विघटित करने की संस्तुति करना। **10.** Responsible Officer के मार्गदर्शन में घटना से सम्बन्धित सभी कार्यों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना।
3.	उप घटना प्रभारी {Deputy Incident Commander (DIC)}	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।	**1.** घटना प्रभारी Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य/दायित्वों का संपादन। **2.** स्थायी पदग्राही की अनुपस्थिति में घटना प्रभारी Incident Commander(IC)के रूप में कार्य करेंगे।
4.	सूचना एवं मीडिया अधिकारी {Information & Media officer(IMO)}	जिला सूचना अधिकारी।	**1.** घटना प्रभारी के अनुमोदन से घटना के संबंध मे सूचनाओं को तैयार करना एवं मीडिया एवं अन्य एजंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना। **2.** आकस्मिक आपदा की स्थिति में जब Incident Response Team (IRT) पूर्ण रूप से सक्रिय न हो, लिए गए निर्णयों एवं निर्गत दिशा–निर्देश को लिपिबद्ध करना एवं Incident Response Team (IRT) के सकिय होने पर Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित किए जाने हेतु प्लानिंग

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			सेक्शन को उपलब्ध कराना। **3.** घटना के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का अनुश्रवण और समीक्षा करना जो घटना के संबंध में योजना बनाने में लाभकारी हों। **4.** सभी सम्बन्धित पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रसारित करना।
5.	समन्वय अधिकारी {(Liaison Officer (LO)}	जिला विकास अधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**1.** विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित रेखीय विभागों, एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन) आदि के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना। **2.** राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के रेखीय विभाग सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना। **3.** सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनो के पहुँचने की सूचना घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के साथ साझा करना। **4.** घटना प्रभारी के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना। **5.** प्रत्येक प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना।
6.	सुरक्षा अधिकारी {(Safety Officer (SO)}	उप जिला अधिकारी और मुख्य अग्निशमन अधिकारी **सहयोग–** मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग।	**1.** प्रतिक्रिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित् करने और खतरनाक असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना। **2.** सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिकोण से Incident Action Plan (IAP) (IAP) की समीक्षा करना। **3.** यथा आवश्यकता साइट सुरक्षा योजना की समीक्षा और स्वीकृति देना। **4.** क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से आपदा विशिष्ट मॉक ड्रिल आयोजित करना।
7.	नोडल अधिकारी, हेली सेवा {(Nodal Officer ;N.O. (Air Operation)}	अपर जिलाधिकारी, **सहयोग–** अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी	**1.** एयर ऑपरेशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण से समन्वय करना। **2.** Incident Action Plan (IAP) के आधार पर आवश्यक एयर ऑपरेशन के प्रकार का अनुमान लगाना और कम से कम 24 घंटे पहले या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना। **3.** Incident Commander (IC) और Operation Section Chief (OSC) को अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई संचालन और लैंडिंग कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना। **4.** एयर ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंसियों के पास घटना स्थलों से सम्बन्धित मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित् करना, ताकि एयर ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थानों के सटीक निर्देशांक (अक्षाशं/ देशान्तर) आदि दिए जा सकें। **5.** वायु सेना और राज्य प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर हैलिपैड्स या हैलीबेस की उपयुक्ता का निर्धारण करना। **6.** हवाई यातायात नियंत्रण और ग्राउंड सपोर्ट स्टॉफ के साथ हवाई संचालन और अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में संवाद बनाए रखना। **7.** आवश्यक ATF (Aviation Turbine Fuel) आदि की प्राप्ति में Incident Commander (IC) और लॉजिस्टिक्स अनुभाग प्रमुख Logistic Section Chief (LSC) की सहायता करना। **8.** हवाई संचालन गतिविधियों पर Responsible Officer (RO) को रिपोर्ट करना। **9.** Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरा करना
8.	**परिचालन अनुभाग प्रमुख {**Operation Section Chief (OSC)**}**	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।	**1.** घटना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त फील्ड ऑपरेशन का प्रबन्धन करना। **2.** संगठनात्मक अवययों की तैनाती करना, सक्रिय करना, विस्तार व पर्यवेक्षण करना। **3.** ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची का रख–रखाव करना। **4.** प्रत्येक संचालन अवधि के प्रारम्भ में Operation Section

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			(OS) के कार्मिकों को जानकारी देना। **5.** यथावश्कता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अनुभाग परिचालन योजना तैयार करना। **6.** समय–समय पर Incident Commander (IC) से परामर्श करना तथा उन्हें सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना। **7.** Operation Section Chief (OSC) की सहमति से अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार मांग प्रस्तुत करना एवं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित् करना। **8.** सम्बन्धित प्राधिकारियों, इकाइयों और समूहों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड सुनिश्चित् करना तथा उसे बनाए रखना।
	क. स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक {Staging Area Manager (SAM)}	उप जिलाधिकारी मुख्यालय, **सहयोग**–उप–पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी।	**1.** यथोचित खाके के साथ Staging Area (SA) स्थापित करना। **2.** प्राप्त संसाधनों के भण्डारण एवं प्रेषण को व्यवस्थित करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार उनका प्रेषण करना। **3.** सभी प्राप्तियों और प्रेषण की रिपोर्ट संचालन अनुभाग प्रमुख को देना व उनके रिकार्ड को बनाए रखना। **4.** यथोचित (चेक–इन फंक्शन) स्थापित करना। **5.** सुनिश्चित करना कि Incident Command Post (ICP) और अन्य आवश्यक स्थानों जैसे– विभिन्न स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, कैम्प, राहत शिविर आदि के साथ संचार स्थापित हो गया है। **6.** संसाधनों के उपलब्धता बनाये रखना तथा Planning Section (PS) और Logistic Section (LS) को संसाधनों की स्थिति प्रदान करना। **7.** Incident Commander (IC) के साथ परामर्शानुसार स्टेजिंग (डिमोबिलाइज) क्षेत्र को निष्क्रिय करना ।
	ख. बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक {Rescue & Response Branch Director (RRBD)}	उप जिलाधिकारी (मुख्यालय) **सहयोग**– वायरलैस अधिकारी/ अग्निशमन और आपातकालीन सेवायें/ वन/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण/ एस0डी0आर0एफ0/रेडक्रांस/भारत स्काउट गाइड/आपदा मित्र/ एनसी0सी0/एन0एस0एस0।	**1.** Operation Section Chief (OSC) की पर्यवेक्षण में कार्य करना व सौंपी गई भूमिका के अनुसार Incident Action Plan (IAP) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। **2.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा अपेक्षित योजना बैठकों में प्रतिभाग करना। **3.** अपनी शाखा के अन्तर्गत प्रभागों या समूहों के लिए निर्धारित कार्य सूचियों की समीक्षा करना। **4.** प्रभाग और समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना। **5.** शाखा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। **6.** अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करना। **7.** Incident Action Plan (IAP) में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो, अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बन्ध में Operation Section Chief (OSC) को रिपोर्ट करना। **8.** विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में एकल संसाधन स्ट्राइक टीम और टॉस्क फोर्स सहायता उपलब्ध करना। **9.** सुनिश्चित् करना की सभी टीम लीडर अपने क्षेत्र संचालन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखें और Operation Section Chief (OSC) को प्रेषित करें। **10.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना।
	ग. परिवहन शाखा (सड़क, रेल, जल एवं वायु इकाई) निदेशक {Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD)}	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी **सहयोग**–उप परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	**1.** सड़क, रेल, जल और हवाई जैसे विभिन्न परिचालन समूहों को सक्रिय व प्रबन्धित करना। **2.** आवश्यक संसाधनों के लिए Logistics Section (LS) के साथ समन्वय करना व अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना। **3.** संसाधनों/आवश्यकताओं की की तैनाती/मांग के समय,

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			आवश्यकतानुसार सहायता के लिए रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्ग और हवाई अड्डा प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना। **4.** सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्य की सूची समूह–प्रभारियों और उनकी शाखा के अन्य उत्तरदाताओं के बीच परिचालित कर दी गई है। **5.** हवाई संचालन के लिए जमीनी सहायता व उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना। **6.** परिवहन शाखा की प्रगति के बारे में संचालन अनुभाग प्रमुख और घटना कमाण्डर को अवगत कराना। **7.** यथावश्यकता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार परिवहन योजना तैयार करना। **8.** किराए में लिए गये संसाधनों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका पूर्ण उपयोग व यथासमय उनको अवमुक्त करना। **9.** सुनिश्चित् करना कि विभिन्न परिचालन समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों के रिकार्ड को संकलित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
9.	**योजना अनुभाग प्रमुख {**Planning Section Chief (PSC)**}**	मुख्य विकास अधिकारी, **सहयोग–**जिला विकास अधिकारी।	**1.** घटना प्रभारी के परामर्श से Incident Action plan (IAP) की योजना बनाने व उसको तैयार करने के लिये सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना। **2.** यह सुनिश्चित करना कि जब Planning Section (PS) सक्रिय नहीं हुआ हो, तो अचानक आपदाओं के दौरान लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश सूचना और मीडिया अधिकारी (कमांड स्टाफ) से प्राप्त किए जाएं और आईएपी में शामिल किए जाएं। **3.** मौसम, पर्यावरणीय विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में सम्बन्धित विभागों व अन्य स्रोतों से सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और सम्प्रेषण। संयुक्त सचिव (गृह) के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके लोकेशन के साथ एक डाटा बैंक होना चाहिए, जहां से उन्हें गतिमान किया जा सके। **4.** सुनिश्चित करना कि घटना स्थिति सारांश भरा गया है और Incident Action plan (IAP) में सम्मिलित कर लिया गया है। **5.** सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (प्रभागीय/समूह) को इकाई के लीडर और उसके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के बीच प्रसारित की गयी है। **6.** घटना प्रभारी और संचालन अनुभाग प्रमुख के परामर्श से Incident Response System (IRS) संगठनात्मक पदों को उचित रूप से सकिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना। **7.** घटना प्रबन्धन के लिए किसी भी विशेष संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना। **8.** घटना की सम्भावना पर आवधिक पूर्वानुमान प्रदान करना। **9.** घटना की अवस्था में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में घटना कमाण्डर को सूचना देना। **10.** घटना प्रभारी पोस्ट पर घटना स्थिति सारांश संकलित और प्रदर्शित करना। **11.** घटना मोबिलाइजेशन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की देखरेख करना। **12.** दिवस डयूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। **13.** सुनिश्चित करना कि इकाइयों के सदस्यों द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड एकत्रित व यूनिट लॉग में अनुरक्षित कर लिया गया है।
	क. परिस्थिति इकाई प्रमुख {Situation Unit Leader (SUL)}	जिला विकास अधिकारी और विकासखण्ड अधिकारी **सहयोग–**जिला पंचायत राज अधिकारी और स्थानीय निकाय प्रभारी।	**1.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों को एकत्रित, संसाधित व व्यवस्थित करना। **2.** घटना के विकास के आवधिक भविष्य के अनुमान तैयार करना (यदि आवश्यक हो तो मानचित्रों के साथ) तथा Planning Section Chief (PSC) और घटना कमांडर को सूचित करना। **3.** स्थिति और संसाधन स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			आवश्यकतानुसार प्रसारित करना। **4.** यथावश्यकता प्रतिक्रियादाताओं को अधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफिक सेवाएं प्रदान करना। **5.** अपेक्षित जानकारी, डेटा, अभिलेख और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र आदि के साथ Incident Action Plan (IAP) की बैठक में प्रतिभाग करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभाग को भेजना।
	ख. संसाधन इकाई प्रमुख {Resource Unit Leader (RUL)}	जिला प्रान्तीय रक्षक दल और जिला कमांडेंट होमगार्ड, **सहयोग–** जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**1.** घटना के समय सभी निर्दिष्ट संसाधनों (प्राथमिक और सहायक) को बनाए रखना व प्रदर्शित करना। **2.** उपलब्ध सभी संसाधनों की एक पूर्ण सूची संकलित करना। **3.** विभिन्न घटना स्थलों पर चेक–इन फंक्शन सुनिश्चित् और स्थापित करना। **4.** योजना अनुभाग प्रमुख (पीएससी) और घटना कमांडर को समय–समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी देना। **5.** आवंटित संसाधनों की स्थिति और उपयोग की जांच के लिए Operation Section (OS) की विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और समूहों के साथ समन्वय करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को भेजना।
	ग. प्रलेखन इकाई प्रमुख {Documentation Unit Leader (DUL)}	जिला सांख्यिकी अधिकारी, **सहयोग–**जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी/जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक	**1.** सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक प्रपत्र और स्टेशनरी की खरीद कर ली गई है तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को प्रेषित कर दी गयी है। **2.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों व रिपोर्टो को संकलित करना। **3.** सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्ड और विभिन्न Incident Response System (IRS) फर्मों की समीक्षा एवं सन्निरीक्षा (Scrutinise) करना। **4.** उचित इकाइयों को उनके दस्तावेजीकरण में त्रुटियों या चूक यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना और सुनिष्चित करना कि त्रुटियों और चूक को संशोधित कर लिया गया है। **5.** घटना उपरांत विष्लेशण के लिए पत्रावलियों को सही ढंग से संग्रहित करना। **6.** सम्पादित की गयी विभिन्न गतिविधियों का रिकर्ष्ड बनाये रखना और संबंधित अनुभागों को भेजना।।
	घ. वियोजन इकाई प्रमुख {Demobilization Unit Leader(DeUL)}	जिला पंचायत राज अधिकारी	**1.** घटना वियोजन (निष्क्रिय) योजना (Incident Demobilisation Plan) तैयार करना। **2.** अधिशेष (Surplus) संसाधनों की पहचान करना और Planning Section Chief (PSC) के परामर्ष से एक अस्थाई Incident Demobilization Plan (IDP) तैयार करना और अधिशेष संसाधनों को वियोजित (निष्क्रिय) करने को प्राथमिकता देना। **3.** सभी अनुभागों के परामर्ष से अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना जांच कार्य विकसित करना और इसे Planning Section (PS) को भेजना। **4.** Logistic Section (LS) के परामर्श से Incident Demobilization (ID) के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता की योजना बनाना। **5.** Incident Demobilization Plan (IDP) को उचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों तक प्रसारित करना। **6.** Incident Demobilization (ID) की प्रगति के संबंध में Planning Section Chief (PSC) को अवगत कराना। **7.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
10.	**लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख {**Logistic Section Chief (LSC)**}**	अपर जिला अधिकारी, **सहयोग–**अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जनपद प्रशासन।	**1.** स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, शिविर, राहत शिविर, हेलीपैड आदि की स्थापना सहित सभी घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना।

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			2. Incident Action Plan (IAP) के विकास और क्रियान्वयन में प्रतिभाग करना। **3.** संबंधित वित्तीय मामलों के संबंध में Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) को सूचित करना। **4.** यह सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्यभार सूची (प्रभागीय/समूह) शाखा निदेशकों और उनके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के मध्य प्रसारित कर दी गई है। **5.** यथावश्यकता अग्रिम फण्ड के लिए अनुरोध किया जाना। **6.** शाखा निदेशक और यूनिट लीडर को ब्रीफ करना। **7.** स्थिति की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना। **8.** अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करना और Responsible Officer (RO) तथा Incident Commander (IC) के परामर्श से उनकी अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना। **9.** दिवस के लिए ऑन ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। **10.** शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा संपादित की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड एकत्र करना और इकाई लॉग में रखा जाना सुनिश्चित करना।
	क सेवा शाखा निदेशक {Service Branch Director (SBD)}	जिला आपूर्ति अधिकारी, **सहयोग**–लोक निर्माण विभाग।	**1.** Logistic Section Chief (LSC) की देखरेख में कार्य करना और घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा सहयोग का प्रबंध करना। **2.** शाखा की विभिन्न इकाइयों यथा–संचार, चिकित्सा, खाद्य और किसी अन्य सक्रिय इकाइयों का प्रबन्ध व पर्यवेक्षण करना। **3.** आवश्यक सामग्री और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडर के साथ चर्चा करना व Logistic Section (LS) के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाना। **4.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण (डिस्पैच) किया जाना। **5.** Logistic Section Chief (LSC) को समय–समय पर सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
	i. संचार इकाई प्रमुख {Communication Unit Leader(CUL)}	जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी) **सहयोग**– डीजीएम/बीएसएनएल रेडियो अधिकारी, पुलिस, अग्निशमन अधिकारी।	**1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना। **2.** यथावश्यकता संचार सुविधा प्रदान कराना। **3.** सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण व नेटवर्क क्रियाशील हैं। **4.** क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों का रिकॉर्ड रखना। **5.** विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, इकाइयों और उच्च अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए एक संदेश केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करना तथा उनका रिकार्ड बनाए रखना। **6.** सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित विफलता की स्थिति में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना। **7.** केंद्रीय टीमों के संचार ढांचे के एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करना। **8.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना।
	ii. चिकित्सा इकाई प्रमुख {Medical Unit Leader (MUL)}	मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी।	**1.** Service Branch Director (SBD) के निदेशन में कार्य करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार चिकित्सा योजना बनाना और आवश्यक संसाधनों की अधिप्राप्ति करना। **2.** Service Branch Director (SBD) और Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करते हुए चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि को लेकर Operation Section के अनुरोधों का प्रतिउत्तर देना। **3.** चिकित्सा कर्मियों की सूची बनाए रखना, जिन्हें जरूरत के समय

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			Mobilize किया जा सके। **4.** सभी चिकित्सा टीम लीडर्स को रेफरल सेवा केंद्रों की सूची तैयार कर वितरित करना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	iii. खाद्य इकाई प्रमुख {Food Unit Leader(FUL)}	जिला आपूर्ति अधिकारी।	**1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना। **2.** भोजन की आपूर्ति करनाः :– **(क)** Incident Command Post (ICP), शिविरों, घटना बेस, Stanging Area (SA) आदि में Incident Response Team (IRT) के कार्मिक और **(ख)** अस्थायी आश्रयों, राहत शिविरों आदि में पीड़ितों को। **3.** भोजन और पेयजल की आवश्यकताओं और उनके परिवहन का निर्धारण करना, तथा Service Branch Director (SBD) एवं LSC को सूचित करना। **4.** संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की एक सूची बनाना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	ख. सहयोग शाखा निदेशक {Support Branch Director(SuBD)**}**	मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ), **सहयोग**–जिला कार्यक्रम अधिकारी (आईसीडीएस)।	**1.** Logistic Section Chief (LSC) के पर्यवेक्षण में कार्य करना, और संसाधन प्रावधान इकाई, सुविधा इकाई और ग्राउंड सपोर्ट इकाई के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। **2.** अनुभाग प्रमुख की सहमति से परिचालन के लिए रणनीतिक उपकरणों व संसाधनों की अधिप्राप्ति (Procurement) व प्रेषण करना। **3.** Logistic Section (LS) की योजना बैठक में प्रतिभाग करना। **4.** सुनिश्चित् करना कि शाखा से संबंधित संगठनात्मक कार्यभार सूची उसके अधीन समस्त इकाइयों में प्रसारित कर दी गयी है। **5.** कार्य की प्रगति के संबंध में Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना। **6.** संपादित किए गए विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
	i. संसाधन प्रावधानीकरण इकाई प्रमुख {Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)}	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **सहयोग**–जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक।	**1.** सपोर्ट ब्रांच निदेशक के पर्यवेक्षण में कार्य करना। **2.** कर्मचारियों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को व्यवस्थित रखना। **3.** घटना की प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित सभी आपूर्तियों को प्राप्त करना व सुरक्षित रखना। **4.** आपूर्ति और उपकरणों की सूची बनाए रखना। **5.** उपकरण और कार्मिकों सहित आपूर्ति, की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड बनाना। **6.** गैर–विस्तारीय आपूर्ति और उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग की व्यवस्था करना। **7.** Logistic Section (LS) की योजना बैठक में भाग लेना। **8.** उपलब्ध और प्रेषित गई आपूर्ति के 'प्रकार', और 'मात्रा' की निगरानी करना। **9.** यथावश्यकता अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की मांग करना। **10.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखना तथा सर्विस ब्रांच निदेशक को भेजना।
	ii. सुविधा इकाई प्रमुख {Facilities Unit Leader (FaUL)}	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, **सहयोग**–जिला जी0आई0एस0 विश्लेषक।	**1.** घटना सुविधाओं जैसे, घटना शिविर, राहत शिविर, आईसीपी, आदि, का लेआउट और सक्रियण (Activation) तैयार करना और प्रतिक्रियादाताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। **2.** सहयोग शाखा निदेशक को रिपोर्ट करना। **3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को चिन्हित करना। **4.** अनुभाग की योजना बैठक में प्रतिभाग करना, Logistic Section Chief (LSC) के समन्वय से प्रत्येक सुविधा और उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार करना। **5.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	iii. ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख {Ground Support Unit Leader (GSUL)}	अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला आपूर्ति अधिकारी।	**1.** Support Branch Director (SuBD) के पर्यवेक्षण में कार्य करना। **2.** Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) को फील्ड संचालन के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करना। **3.** यदि हवाई परिचालन सक्रिय है, तो Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) के माध्यम से आवश्यक जमीनी समर्थन (ग्राउंड सपोर्ट) की व्यवस्था करना और मुहैया कराना। **4.** घटना प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों और संबन्धित उपकरणों के लिए रख–रखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करना। **5.** घटना यातायात योजना का विकास और कार्यान्वयन करना। **6.** सभी वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता और सेवाक्षमता (Service Ability) के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना। **7.** Support Branch Director (SuBD) के परामर्श से विमान सहित सभी अन्य परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की व्यवस्था करना तथा उनको सक्रिय करना। **8.** आवंटित, उपलब्ध, ऑफ रोड या सेवा से बाहर संसाधनों की सूची बनाना। **9.** अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित् करना। **10.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Support Branch Director (SuBD) को प्रेषित करना।
	ग. वित्त शाखा निदेशक {Finance Branch Director (FBD)**}**	मुख्य कोषाधिकारी (सीटीओ)/वरिष्ठ कोषाधिकारी।	**1.** Logistic Section Chief (LSC) के अधीन कार्य करना। **2.** योजना बैठकों में भाग लेना। **3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार Mobilize किये जाने, खरीदे जाने या किराये पर लिए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करना। **4.** वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना और बिना देरी किए उनकी अधिप्राप्ति (Procurement) के लिए आवश्यक कदम उठाना। **5.** किराये पर लिए गये उपकरणों, कर्मियों और उनकी सेवाओं का समयावधि के साथ सरकारी मानदण्ड के अनुसार भुगतान हेतु रिकार्ड रखना। **6.** Demobilization सहित सम्पूर्ण प्रतिक्रिया गतिविधियों की लागत की जांच एवं संवीक्षण करना, लागत प्रभावशीलता का विश्लेषण करना तथा Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना। **7.** सुनिश्चित करना कि घटना के समय शुरू किए गए सभी दायित्व दस्तावेज उचित रूप से तैयार, पूर्ण हैं तथा उपयुक्त Section Chief (SC) और Branch Director (BD) द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं। **8.** घटना से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दों पर Logistic Section Chief (LSC) या Incident Commander (IC) को ब्रीफ करना जिन पर ध्यान देने या अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता हो। **9.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और संम्बन्धित अनुभागों को भेजना।
	i. समय, अधिप्राप्ति, लागत इकाई प्रमुख {Time, Procurement & Cost Unit Leader	कोषाधिकारी/ सहायक कोषाधिकारी, मुख्यालय, **सहयोग–** बीजक प्रभारी, कोष एवं लेखा स्टाफ।	**1.** किराये पर लिए गए उपकरणों और कर्मियों की समय अवधि के साथ रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित् करना कि इसे दैनिक आधार पर सरकारी मानदंडों के अनुसार बनाया गया है। **2.** सभी किराये के उपकरणों और कर्मियों के सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में उनके लॉग की जांच करना।

क्र. सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
	(TPCUL)}		**3.** विक्रेताओं और अनुबंधों से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर ध्यान देना। **4.** Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से अधिप्राप्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना। **5.** उचित प्रक्रियाओं के पालन के साथ उन विक्रेताओं की सूची तैयार करना जिनसे खरीद की जा सकती है। **6.** प्रतिक्रिया प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों का अंतिम प्रसंस्करण करना और Finance Branch Director (FBD), Logistics Section Chief (LSC), Incident Commander (IC) के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना। **7.** बकाया मुद्दों और अनुवर्ती आवश्यताओं पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं पर Finance Branch Director (FBD) को ब्रीफ करना। **8.** लागत विश्लेषण रिपोर्ट (Cost Analysis Report) के आधार पर Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से घटना लागत सारांश विकसित करना। **9.** Finance Branch Director (FBD) को लागत बचत की सिफारिशें करना।
	ii. मुआवजा / दावा इकाई प्रमुख {Compensation/Claim Unit Leader(CCUL)}	अपर जिलाधिकारी **सहयोग**—आपदा प्रबन्धन प्रभारी, उप जिलाधिकारी सदर।	**1.** सभी लागत डेटा एकत्र करना और लागत अनुमान प्रदान करना। **2.** मांग की सही तिथि और समय के साथ अपेक्षित परिसर, सेवाओं, संसाधनों और वाहनों आदि की एक सूची तैयार करना और बनाए रखना। **3.** दावों और मुआवजे के भुगतान के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना। **4.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा उसे Finance Branch Director (FBD) को भेजना।

तहसील स्तरीय

INCDENT RESPONSE SYSTEM

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
1.	जिम्मेदार / उत्तरदायी अधिकारी (Responsible Officer, (RO)	जिलाधिकारी।	**1.** समग्र प्रभारी। **2.** आपातकालीन स्थिति में समयबद्ध रूप से संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न विभागों व एजेंसियों को ससमय स्थायी आदेश जारी करना। **3.** आवश्यकतानुसार मुख्यालय स्तर पर Incident Response System (IRS) को सक्रिय करना। **4.** आवश्यकतानुसार सशस्त्र बलों, वायु सेना आदि से सहायता तथा अन्य संसाधन जुटाये जाने हेतु केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करना।
2.	घटना प्रभारी {Incident Commander(IC)}	अपर जिलाधिकारी।	**1.** खोज एवं बचाव तथा राहत वितरण की रणनीतियों सहित तात्कालिक प्राथमिकताएं तय करना। **2.** उच्चाधिकारियों के साथ जानकारी साझा करते हुए यथावश्यक अतिरिक्त संसाधनों की मांग करना। **3.** घटना की नियंत्रण अवधि तथा व्यापकता को दृष्टिगत् रखते हुये समुचित Incident Response System (IRS) प्रणाली / संगठन स्थापित करना। **4.** उपयुक्त स्थान पर Incident Command Post (ICP) को स्थापित करना और सम्बन्धित अधिकारियों को नामित करना। **5.** यह सुनिश्चित करना कि Incident Action Plan (IAP) तैयार हो गया है। **6.** Incident Action Plan (IAP) को अनुमोदित करना तथा कार्यान्वयन हेतु अधिकृत करना। **7.** सभी अनुभाग प्रमुखों के साथ नियमित अंतराल में योजना बनाने हेतु बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना। **8.** मीडिया को सूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत करना।

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			9. यथोचित समय पर Incident Response Team (IRT) को विघटित करने की संस्तुति करना। **10.** Responsible Officer (RO) के मार्गदर्शन में घटना से सम्बन्धित सभी कार्यों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करना।
3.	उप घटना प्रभारी {Deputy Incident Commander(DIC)}	उप जिलाधिकारी, **सहयोग–** विकासखण्ड अधिकारी।	**1.** घटना कमाण्डर द्वारा सौंपे गए किसी भी प्रकार के कार्य/दायित्वों का संपादन। **2.** स्थायी पदग्राही की अनुपस्थिति में घटना कमाण्डर के रूप में कार्य करेंगे।
4.	सूचना एवं मीडिया अधिकारी {Information & Media officer(IMO)}	सहायक सूचना अधिकारी।	**1.** घटना प्रभारी के अनुमोदन से घटना के संबंध मे सूचनाओं को तैयार करना एवं मीडिया एवं अन्य एजंसियों को सूचना उपलब्ध करवाना। **2.** आकस्मिक आपदा की स्थिति में जब Incident Response Team (IRT) पूर्ण रूप से सक्रिय न हो, लिए गए निर्णयों एवं निर्गत दिशा–निर्देश को लिपिबद्ध करना एवं Incident Response Team (IRT) के सक्रिय होने पर Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित किए जाने हेतु प्लानिंग सेक्शन को उपलब्ध कराना। **3.** घटना के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया रिपोर्टों का अनुश्रवण और समीक्षा करना जो घटना के संबंध में योजना बनाने में लाभकारी हों। **4.** सभी सम्बन्धित पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रसारित करना।
5.	समन्वय अधिकारी {(Liaison Officer(LO)}	जिला विकास अधिकारी **सहयोग–**, सहायक अभियन्ता और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**1.** विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित रेखीय विभागों, एजेंसियों (गैर सरकारी संगठन) आदि के प्रतिनिधियों की सूची तैयार करना। **2.** एन0डी0आर0एफ0, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के रेखीय विभाग सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना। **3.** सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों एवं उनके संसाधनो के पहुँचने की सूचना घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के साथ साझा करना। **4.** घटना प्रभारी Incident Commander (IC) के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने में सहायता करना। **5.** प्रत्येक प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का रिकार्ड बनाये रखना।
6.	सुरक्षा अधिकारी {(Safety Officer (SO)}	सम्बन्धित एसएचओ/एसओ (स्टेशन अधिकारी, पुलिस) **सहयोग–**अग्निशमन अधिकारी, वन और स्वास्थ्य विभाग।	**1.** प्रतिक्रिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित् करने और खतरनाक असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए उपायों की सिफारिश करना तथा नियमित रूप से इसकी समीक्षा करना। **2.** सुरक्षा पहलुओं के दृष्टिकोण से घटना कार्य योजना Incident Action Plan (IAP) की समीक्षा करना। **3.** यथा आवश्यकता साइट सुरक्षा योजना की समीक्षा और स्वीकृति देना। **4.** क्षमता विकास के लिए नियमित रूप से आपदा विशिष्ट मॉक ड्रिल आयोजित करना।
7.	नोडल अधिकारी, हेली सेवा {(Nodal Officer : N.O.(Air Operation)}	अपर जिलाधिकारी, **सहयोग–**तहसीलदार और जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी।	**1.** एयर ऑपरेशन के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकरण से समन्वय करना। **2.** घटना कार्य योजना Incident Action Plan (IAP) के आधार पर आवश्यक एयर ऑपरेशन के प्रकार का अनुमान लगाना और कम से कम 24 घंटे पहले या यथाशीघ्र मांग प्रस्तुत करना। **3.** घटना कमाण्डर Incident Commander (IC) और Operation Section Chief (OSC) को अपने–अपने क्षेत्रों में हवाई संचालन और लैंडिंग कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना। **4.** एयर ऑपरेशन में शामिल सभी एजेंसियों के पास घटना स्थलों से सम्बन्धित मानचित्रों की उपलब्धता सुनिश्चित् करना, ताकि एयर ऑपरेशन के लिए आवश्यक स्थानों के सटीक निर्देशांक (अक्षाशं/ देशान्तर) आदि दिए जा सकें। **5.** वायु सेना और राज्य प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित कर हैलिपैड्स या हैलीबेस की उपयुक्त्ता का निर्धारण करना। **6.** हवाई यातायात नियंत्रण और ग्राउंड सपोर्ट स्टॉफ के साथ हवाई संचालन और अन्य सम्बन्धित कार्यों के बारे में संवाद बनाए रखना। **7.** आवश्यक ATF (Aviation Turbine Fuel) आदि की प्राप्ति में Incident Commander (IC) और Logistics Section Chief (LSC) की सहायता करना। **8.** हवाई संचालन गतिविधियों पर Responsible Officer (RO) को रिपोर्ट करना। **9.** Responsible Officer (RO) और घटना प्रभारी Incident Officer (IC) द्वारा सौंपे गए अन्य किसी भी प्रकार के कार्य को पूरा करना।
8.	**परिचालन अनुभाग प्रमुख {**Operation Section Chief (OSC)**}**	सम्बन्धित सी0ओ0 पुलिस।	**1.** घटना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्त फील्ड ऑपरेशन का प्रबन्धन करना। **2.** संगठनात्मक अवययों की तैनाती करना, सक्रिय करना, विस्तार व पर्यवेक्षण करना।

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			3. ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की सूची का रख–रखाव करना। **4.** प्रत्येक संचालन अवधि के प्रारम्भ में Operation Section (OS) के कार्मिकों को जानकारी देना। **5.** यथावश्कता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार अनुभाग परिचालन योजना तैयार करना। **6.** समय–समय पर Incident Officer (IC) से परामर्श करना तथा उन्हें सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराना। **7.** योजना अनुभाग प्रमुख की सहमति से अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना, तद्नुसार मांग प्रस्तुत करना एवं उनकी आपूर्ति सुनिश्चित् करना। **8.** सम्बन्धित प्राधिकारियों, इकाइयों और समूहों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड सुनिश्चित् करना तथा उसे बनाए रखना।
	क. स्टेजिंग क्षेत्र प्रबन्धक {Staging Area Manager (SAM)}	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, **सहयोग–** विकासखण्ड अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी विद्युत विभाग, पशुचिकित्सक / विकासखण्ड अधिकारी।	**1.** यथोचित खाके के साथ स्टेजिंग एरिया Staging Area (SA) स्थापित करना। **2.** प्राप्त संसाधनों के भण्डारण एवं प्रेषण को व्यवस्थित करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार उनका प्रेषण करना। **3.** सभी प्राप्तियों और प्रेषण की रिपोर्ट संचालन अनुभाग प्रमुख को देना व उनके रिकार्ड को बनाए रखना। **4.** यथोचित (चेक–इन फंक्शन) स्थापित करना। **5.** सुनिश्चित करना कि Incident Cammand Post (ICP) और अन्य आवश्यक स्थानों जैसे– विभिन्न स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, कैम्प, राहत शिविर आदि के साथ संचार स्थापित हो गया है। **6.** संसाधनों के उपलब्धता बनाये रखना तथा Planning Section (PS) और Logistics Section (LS) को संसाधनों की स्थिति प्रदान करना। **7.** Incident Commander (IC) के साथ परामर्शानुसार स्टेजिंग क्षेत्र को निष्क्रिय(डिमोबिलाइज) करना ।
	ख. बचाव एवं प्रतिक्रिया शाखा निदेशक {Rescue & Response Branch Director (RRBD)}	सम्बन्धित तहसीलदार, **सहयोग–** एसडीआरएफ / अग्निशमन अधिकारी और वन एंव आपातकालीन विभाग।	**1.** Operation Section Chief (OSC) की पर्यवेक्षण में कार्य करना व सौंपी गई भूमिका के अनुसार Incident Action Plan (IAP) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगे। **2.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा अपेक्षित योजना बैठकों में प्रतिभाग करना। **3.** अपनी शाखा के अन्तर्गत प्रभागों या समूहों के लिए निर्धारित कार्य सूचियों की समीक्षा करना। **4.** प्रभाग और समूह प्रभारियों को विशिष्ट कार्य सौंपना। **5.** शाखा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। **6.** अधीनस्थों द्वारा प्रस्तुत विवादों का समाधान करना। **7.** Incident Action Plan (IAP) में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो, अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता और खतरनाक स्थितियों या महत्वपूर्ण घटनाओं के घटित होने आदि के सम्बन्ध में Operation Section Chief (OSC) को रिपोर्ट करना। **8.** विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में एकल संसाधन स्ट्राइक टीम और टॉस्क फोर्स सहायता उपलब्ध करना। **9.** सुनिश्चित् करना की सभी टीम लीडर अपने क्षेत्र संचालन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखें और Operation Section Chief (OSC) को प्रेषित करें। **10.** Operation Section Chief (OSC) द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना।
	ग. परिवहन शाखा (सड़क, रेल, जल एवं वायु इकाई) निदेशक {Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD)}	निदेशक / अपर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन।	**1.** सड़क, रेल, जल और हवाई जैसे विभिन्न परिचालन समूहों को सक्रिय व प्रबन्धित करना। **2.** आवश्यक संसाधनों के लिए Logistic Section (LS) के साथ समन्वय करना व अपनी शाखा के समूहों को सक्रिय करना। **3.** संसाधनों / आवश्यकताओं की की तैनाती / मांग के समय, आवश्यकतानुसार सहायता के लिए रेलवे, सड़क परिवहन, जलमार्ग और हवाई अड्डा प्राधिकारियों के साथ समन्वय करना। **4.** सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्य की सूची समूह–प्रभारियों और उनकी शाखा के अन्य उत्तरदाताओं के बीच परिचालित कर दी गई है। **5.** हवाई संचालन के लिए जमीनी सहायता व उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित् करना। **6.** परिवहन शाखा की प्रगति के बारे में संचालन अनुभाग प्रमुख और घटना कमाण्डर को अवगत कराना। **7.** यथावश्यकता Incident Action Plan (IAP) के अनुसार परिवहन योजना तैयार करना। **8.** किराए में लिए गये संसाधनों के रख–रखाव की अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करना एवं उनका पूर्ण उपयोग व यथासमय उनको अवमुक्त करना।

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			9. सुनिश्चित् करना कि विभिन्न परिचालन समूहों (सड़क, रेल, जल और वायु) द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों के रिकार्ड को संकलित कर लिया गया है तथा सम्बन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
9.	**योजना अनुभाग प्रमुख {Planning Section Chief (PSC)}**	खण्ड विकास अधिकारी।	**1.** घटना कमाण्डर के परामर्श से Incident Action Plan (IAP) की योजना बनाने व उसको तैयार करने के लिये सक्रिय अनुभाग प्रमुखों के साथ समन्वय करना। **2.** यह सुनिश्चित करना कि जब Planning Section (PS) सक्रिय नहीं हुआ हो, तो अचानक आपदाओं के दौरान लिए गए निर्णय और जारी किए गए निर्देश सूचना और मीडिया अधिकारी (कमांड स्टाफ) से प्राप्त किए जाएं और आईएपी में शामिल किए जाएं। **3.** मौसम, पर्यावरणीय विषाक्तता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में सम्बन्धित विभागों व अन्य स्रोतों से सूचनाओं का संकलन, मूल्यांकन और सम्प्रेषण। संयुक्त सचिव (गृह) के पास उपलब्ध संसाधनों का उनके लोकेशन के साथ एक डाटा बैंक होना चाहिए, जहां से उन्हें गतिमान किया जा सके। **4.** सुनिश्चित करना कि घटना स्थिति सारांश भरा गया है और Incident Action Plan (IAP) में सम्मिलित कर लिया गया है। **5.** सुनिश्चित करना कि संगठनात्मक असाइनमेंट सूची (प्रभागीय/समूह) को इकाई के लीडर और उसके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के बीच प्रसारित की गयी है। **6.** घटना कमाण्डर और संचालन अनुभाग प्रमुख के परामर्श से Incident Response System (IRS) संगठनात्मक पदों को उचित रूप से सक्रिय और निष्क्रिय करने की योजना बनाना। **7.** घटना प्रबन्धन के लिए किसी भी विशेष संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण करना। **8.** घटना की सम्भावना पर आवधिक (Periodic) पूर्वानुमान प्रदान करना। **9.** घटना की अवस्था में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में घटना कमाण्डर को सूचना देना। **10.** घटना कमांड पोस्ट पर घटना स्थिति सारांश संकलित और प्रदर्शित करना। **11.** घटना मोबिलाइजेशन योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की देखरेख करना। **12.** दिवस ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। **13.** सुनिश्चित करना कि इकाइयों के सदस्यों द्वारा सम्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड एकत्रित व यूनिट लॉग में अनुरक्षित कर लिया गया है।
	क. परिस्थिति इकाई प्रमुख {Situation Unit Leader (SUL)}	खण्ड विकास अधिकारी, **सहयोग–** जिला पंचायत राज अधिकारी और सम्बन्धित स्थानीय निकाय।	**1.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों को एकत्रित, संसाधित व व्यवस्थित करना। **2.** घटना के विकास के आवधिक भविष्य के अनुमान तैयार करना (यदि आवश्यक हो तो मानचित्रों के साथ) तथा Planning Section Chief (PSC) और घटना प्रभारी Incident Commander (IC) को सूचित करना। **3.** स्थिति और संसाधन स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना और आवश्यकतानुसार प्रसारित करना। **4.** यथावश्यकता प्रतिक्रियादाताओं को अधिकृत मानचित्र, फोटोग्राफिक सेवाएं प्रदान करना। **5.** अपेक्षित जानकारी, डेटा, अभिलेख और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र आदि के साथ Incident Action Plan (IAP) की बैठक में प्रतिभाग करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभाग को भेजना।
	ख. संसाधन इकाई प्रमुख {Resource Unit Leader (RUL)}	तहसीलदार।	**1.** घटना के समय सभी निर्दिष्ट संसाधनों (प्राथमिक और सहायक) को बनाए रखना व प्रदर्शित करना। **2.** उपलब्ध सभी संसाधनों की एक पूर्ण सूची संकलित करना। **3.** विभिन्न घटना स्थलों पर चेक–इन फंक्शन सुनिश्चित् और स्थापित करना। **4.** योजना अनुभाग प्रमुख (पीएससी) और घटना कमांडर को समय–समय पर प्राप्त और प्रेषित संसाधनों की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी देना। **5.** आवंटित संसाधनों की स्थिति और उपयोग की जांच के लिए Operation Section (OS) की विभिन्न सक्रिय शाखाओं, प्रभागों और समूहों के साथ समन्वय करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को भेजना।
	ग. प्रलेखन इकाई प्रमुख {Documentation Unit Leader (DUL)}	खण्ड शिक्षा अधिकारी **सहयोग–**तहसीलदार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी।	**1.** सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक प्रपत्र और स्टेशनरी की खरीद कर ली गई है तथा सभी सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों, समूहों और इकाइयों को प्रेषित कर दी गयी है। **2.** घटना से संबंधित समस्त जानकारियों व रिपोर्टो को संकलित करना। **3.** सटीकता और पूर्णता के लिए रिकॉर्ड और विभिन्न Incident Response

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			System (IRS) फर्मों की समीक्षा एवं सन्निरीक्षा (Scrutinise) करना। **4.** उचित इकाइयों को उनके दस्तावेजीकरण में त्रुटियों या चूक यदि कोई हो, के बारे में सूचित करना और सुनिश्चित करना कि त्रुटियों और चूक को संशोधित कर लिया गया है। **5.** घटना उपरांत विश्लेषण के लिए पत्रावलियों को सही ढंग से संग्रहित करना। **6.** सम्पादित की गयी विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाये रखना और संबंधित अनुभागों को भेजना।
	घ. वियोजन इकाई प्रमुख {Demobilization Unit Leader(DeUL)}	सीडीपीओ।	1. घटना वियोजन (निष्क्रिय) योजना तैयार करना। 2. अधिशेष संसाधनों की पहचान करना और Planning Section Chief (PSC) के परामर्श से एक अस्थाई Incident Demobilization Plan (IDP) तैयार करना और अधिशेष संसाधनों को वियोजित (निष्क्रिय) करने को प्राथमिकता देना। 3. सभी अनुभागों के परामर्श से अनुभागों, शाखाओं, प्रभागों और इकाइयों के लिए घटना जांच कार्य विकसित करना और इसे Planning Section (PS) को भेजना। 4. Logistics Section (LS) के परामर्श से घटना वियोजन (निष्क्रिय) के लिए लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता की योजना बनाना। 5. Incident Demobilization Plan (IDP) को उचित समय पर शामिल विभिन्न हितधारकों तक प्रसारित करना। 6. Demobilization की प्रगति के संबंध में Planning Section Chief (PSC) को अवगत कराना। 7. निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
10.	**लॉजिस्टिक इकाई प्रमुख {**Logistic Section Chief (LSC)**}**	सम्बन्धित एक्सईएन, लोक निर्माण, यूपीसीएल द्वारा नामित इक्सईएन विद्युत आपूर्ति अधिकारी, सहायक अभियंता जलसंस्थान, सहायक अभियता पेयजल निगम।	**1.** स्टेजिंग एरिया, घटना बेस, शिविर, राहत शिविर, हेलीपैड आदि की स्थापना सहित सभी घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना। **2.** Incident Action Plan (IAP) के विकास और क्रियान्वयन में प्रतिभाग करना। **3.** संबंधित वित्तीय मामलों के संबंध में Responsible Officer (RO) और Incident Commander (IC) को सूचित करना। **4.** यह सुनिश्चित् करना कि संगठनात्मक कार्यभार सूची (प्रभागीय/समूह) शाखा निदेशकों और उनके अनुभाग के अन्य उत्तरदाताओं के मध्य प्रसारित कर दी गई है। **5.** यथावश्यकता अग्रिम फण्ड के लिए अनुरोध किया जाना। **6.** शाखा निदेशक और यूनिट लीडर को ब्रीफ करना। **7.** स्थिति की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचार योजना, चिकित्सा योजना और यातायात योजना की निरंतर समीक्षा करना। **8.** अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता का आकलन करना और Responsible Officer (RO) तथा Incident Commander (IC) के परामर्श से उनकी अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाना। **9.** दिवस के लिए ऑन ड्यूटी अधिकारियों की सूची तैयार करना। **10.** शाखाओं और इकाइयों के सदस्यों द्वारा संपादित की गई विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड एकत्र करना और इकाई लॉग में रखा जाना सुनिश्चित करना।
	क सेवा शाखा निदेशक {Service Branch Director (SBD)**}**	विकासखण्ड अधिकारी **सहयोग–** आपूर्ति निदेशक	**1.** Logistic Section Chief (LSC) की देखरेख में कार्य करना और घटना प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सेवा सहयोग का प्रबंध करना। **2.** शाखा की विभिन्न इकाइयों यथा–संचार, चिकित्सा, खाद्य और किसी अन्य सक्रिय इकाइयों का प्रबन्ध व पर्यवेक्षण करना। **3.** आवश्यक सामग्री और संसाधनों के लिए सक्रिय इकाई लीडर के साथ चर्चा करना व Logistic Section के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाना। **4.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार कार्मिकों, टीमों, संसाधनों आदि का उचित प्रेषण (डिस्पैच) किया जाना। **5.** Logistic Section Chief (LSC) को समय–समय पर सेवा शाखा की प्रगति के बारे में सूचित करना। **6.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व संबंधित अनुभागों को प्रेषित करना।
	i. संचार इकाई प्रमुख {Communication Unit Leader(CUL)}	सम्बन्धित एस0टी0ओ0 या बीएसएनएल के वरिष्ठ अधिकारी।	**1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना। **2.** यथावश्यकता संचार सुविधा प्रदान कराना। **3.** सुनिश्चित करना कि उपलब्ध सभी संचार उपकरण व नेटवर्क क्रियाशील हैं। **4.** क्षेत्र में तैनात सभी संचार उपकरणों का रिकॉर्ड रखना। **5.** विभिन्न सक्रिय अनुभागों, शाखाओं, इकाइयों और उच्च अधिकारियों से रेडियो, टेलीफोन और अन्य संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए एक

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			संदेश केंद्र की स्थापना सुनिश्चित करना तथा उनका रिकार्ड बनाए रखना। **6.** सामान्य संचार नेटवर्क की संभावित विफलता की स्थिति में निष्पादन के लिए एक वैकल्पिक संचार योजना तैयार करना। **7.** केंद्रीय टीमों के संचार ढांचे के एकीकरण के लिए एक योजना तैयार करना। **8.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना।
	ii. चिकित्सा इकाई प्रमुख {Medical Unit Leader (MUL)}	चिकित्सा अधिकारी एंचार्ज/ बीवीओ/ पीएचसी/ पशु चिकित्सालय ।	**1.** Service Branch Director (SBD) के निदेशन में कार्य करना तथा Incident Action Plan (IAP) के अनुसार चिकित्सा योजना बनाना और आवश्यक संसाधनों की अधिप्राप्ति करना। **2.** Service Branch Director (SBD) और Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करते हुए चिकित्सा सहायता, परिवहन और चिकित्सा आपूर्ति आदि को लेकर Operation Section (OS) के अनुरोधों का प्रतिउत्तर (Respond) देना। **3.** चिकित्सा कर्मियों की सूची बनाए रखना, जिन्हें जरूरत के समय Mobilize किया जा सके। **4.** सभी चिकित्सा टीम लीडर्स को रेफरल सेवा केंद्रों की सूची तैयार कर वितरित करना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	iii. खाद्य इकाई प्रमुख {Food Unit Leader(FUL)}	विकास खण्ड अधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक।	**1.** Service Branch Director (SBD) के निर्देशन में कार्य करना। **2.** भोजन की आपूर्ति करनाः :– **(क)** Incident Cammand Post (ICP), शिविरों, घटना बेस, Stanging Area(SA) आदि में Incident Response Team (IRT) के कार्मिक और **(ख)** अस्थायी आश्रयों, राहत शिविरों आदि में पीड़ितों को। **3.** भोजन और पेयजल की आवश्यकताओं और उनके परिवहन का निर्धारण करना, तथा Service Branch Director (SBD) एवं Logistic Section Chief (LSC) को सूचित करना। **4.** संसाधनों की प्राप्ति और प्रेषण की एक सूची बनाना। **5.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा Service Branch Director (SBD) को भेजना।
	ख. सहयोग शाखा निदेशक {Support Branch Director(SuBD)**}**	खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक अभियंता सिंचाई ।	**1.** Logistic Section Chief (LSC) के पर्यवेक्षण में कार्य करना, और संसाधन प्रावधान इकाई, सुविधा इकाई और ग्राउंड सपोर्ट इकाई के कार्यों का पर्यवेक्षण करना। **2.** अनुभाग प्रमुख की सहमति से परिचालन के लिए रणनीतिक उपकरणों व संसाधनों की अधिप्राप्ति व प्रेषण करना। **3.** Logistics Section(LS) की योजना बैठक में प्रतिभाग करना। **4.** सुनिश्चित् करना कि शाखा से संबंधित संगठनात्मक कार्यभार सूची उसके अधीन समस्त इकाइयों में प्रसारित कर दी गयी है। **5.** कार्य की प्रगति के संबंध में Logistics Section Chief (LSC) को सूचित करना। **6.** संपादित किए गए विभिन्न कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखना और संबन्धित अनुभाग को प्रेषित करना।
	i. संसाधन प्रावधानीकरण इकाई प्रमुख {Resource Provisioning Unit Leader (RPUL)}	कनिष्ठ अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सीडीपीओ।	**1.** Support Branch Director (SuBD) के पर्यवेक्षण में कार्य करना। **2.** कर्मचारियों, उपकरणों और आपूर्ति की आवाजाही को व्यवस्थित रखना। **3.** घटना की प्रतिक्रिया के लिए अपेक्षित सभी आपूर्तियों को प्राप्त करना व सुरक्षित रखना। **4.** आपूर्ति और उपकरणों की सूची बनाए रखना। **5.** उपकरण और कार्मिकों सहित आपूर्ति, की प्राप्ति और प्रेषण का रिकॉर्ड बनाना। **6.** गैर–विस्तारीय आपूर्ति और उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग की व्यवस्था करना। **7.** Logistics Section की योजना बैठक में भाग लेना। **8.** उपलब्ध और प्रेषित गई आपूर्ति के 'प्रकार', और 'मात्रा' की निगरानी करना। **9.** यथावश्यकता अतिरिक्त मानव संसाधन सहायता की मांग करना। **10.** निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकार्ड रखना तथा सर्विस ब्रांच निदेशक को भेजना।
	ii. सुविधा इकाई प्रमुख {Facilities Unit Leader (FaUL)}	सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग/सम्बन्धित बीईओ।	**1.** घटना सुविधाओं जैसे, घटना शिविर, राहत शिविर, आईसीपी, आदि, का लेआउट और सक्रियण तैयार करना और प्रतिक्रियादाताओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। **2.** सहयोग शाखा निदेशक को रिपोर्ट करना। **3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार विभिन्न सुविधाओं को चिन्हित करना।

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			4. अनुभाग की योजना बैठक में प्रतिभाग करना, Logistics Section Chief (LSC) के समन्वय से प्रत्येक सुविधा और उसकी आवश्यकताओं की सूची तैयार करना। **5.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना व सहयोग BD को भेजना।
	iii. ग्राउंड सपोर्ट इकाई प्रमुख {Ground Support Unit Leader (GSUL)}	सम्बन्धित एसडीओ वन/ एडीओ पंचायत ।	**1.** Support Branch Director (SuBD) के पर्यवेक्षण में कार्य करना। **2.** Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) को फील्ड संचालन के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करना। **3.** यदि हवाई परिचालन सक्रिय है, तो Transport Branch (Road, Rail. Water & Air Unit) Director (TBD) के माध्यम से आवश्यक जमीनी समर्थन (ग्राउंड सपोर्ट) की व्यवस्था करना और मुहैया कराना। **4.** घटना प्रबंधन के लिए उपयोग किए गए सभी वाहनों और संबन्धित उपकरणों के लिए रख–रखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करना। **5.** घटना यातायात योजना का विकास और कार्यान्वयन करना। **6.** सभी वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता और सेवाक्षमता (Service Ability) के बारे में संसाधन इकाई को सूचित करना। **7.** Service Branch Director (SBD) के परामर्श से विमान सहित सभी अन्य परिवहन के लिए ईंधन आवश्यकताओं की व्यवस्था करना तथा उनको सक्रिय करना। **8.** आवंटित, उपलब्ध, ऑफ रोड या सेवा से बाहर संसाधनों की सूची बनाना। **9.** अपने अधिकार क्षेत्र में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित् करना। **10.** Incident Response System के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाए रखना और Service Branch Director (SBD) को प्रेषित करना।
	ग. वित्त शाखा निदेशक {Finance Branch Director (FBD)**}**	सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप–कोषाधिकारी।	**1.** Logistics Section Chief (LSC) के अधीन कार्य करना। **2.** योजना बैठकों में भाग लेना। **3.** Incident Action Plan (IAP) के अनुसार Mobilize किये जाने, खरीदे जाने या किराये पर लिए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करना। **4.** वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त करना और बिना देरी किए उनकी अधिप्राप्ति (Procurement) के लिए आवश्यक कदम उठाना। **5.** किराये पर लिए गये उपकरणों, कर्मियों और उनकी सेवाओं का समयावधि के साथ सरकारी मानदण्ड के अनुसार भुगतान हेतु रिकार्ड रखना। **6.** डेमोबिलाइजेशन सहित सम्पूर्ण प्रतिक्रिया गतिविधियों की लागत की जांच एवं संवीक्षण करना, लागत प्रभावशीलता का विश्लेषण करना तथा Logistics Section Chief (LSC) को सूचित करना। **7.** सुनिश्चित करना कि घटना के समय शुरू किए गए सभी दायित्व दस्तावेज उचित रूप से तैयार, पूर्ण हैं तथा उपयुक्त Section Chief (SC) और Branch Director (BD) द्वारा सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं। **8.** घटना से संबंधित सभी वित्तीय मुद्दों पर Logistics Section Chief (LSC) या Incident Commander (IC) को ब्रीफ करना जिन पर ध्यान देने या अनुवर्ती कार्यवाही की आवश्यकता हो। **9.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना और सम्बन्धित अनुभागों को भेजना।
	i. समय, अधिप्राप्ति, लागत इकाई प्रमुख {Time, Procurement & Cost Unit Leader(TPCUL)}	संबंधित आरके (रजिस्ट्रार कानूनगो)	**1.** किराये पर लिए गए उपकरणों और कर्मियों की समय अवधि के साथ रिकॉर्ड रखना और सुनिश्चित् करना कि इसे दैनिक आधार पर सरकारी मानदंडों के अनुसार बनाया गया है। **2.** सभी किराये के उपकरणों और कर्मियों के सर्वोत्तम उपयोग के सम्बन्ध में उनके लॉग की जांच करना। **3.** विक्रेताओं और अनुबंधों से सम्बन्धित सभी वित्तीय मामलों पर ध्यान देना। **4.** Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से अधिप्राप्ति आवश्यकताओं की समीक्षा करना। **5.** उचित प्रक्रियाओं के पालन के साथ उन विक्रेताओं की सूची तैयार करना जिनसे खरीद की जा सकती है। **6.** प्रतिक्रिया प्रबंधन से संबंधित सभी बिलों का अंतिम प्रसंस्करण करना और Finance Branch Director (FBD), Logistics Section Chief (LSC), Incident Commander (IC) के अनुमोदन से भुगतान के लिए दस्तावेज भेजना। **7.** बकाया मुद्दों और अनुवर्ती आवश्यताओं पर सिफारिशों के साथ वर्तमान समस्याओं पर Finance Branch Director (FBD) को ब्रीफ करना। **8.** लागत विश्लेषण रिपोर्ट (Cost Analysis Report) के आधार पर Finance Branch Director (FBD) के परामर्श से घटना लागत सारांश विकसित करना।

क्र.सं.	आई0आर0एस0 प्रास्थिति	नामित अधिकारी	भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां
			9. Finance Branch Director (FBD) को लागत बचत की सिफारिशें करना।
	ii. मुआवजा/दावा इकाई प्रमुख {Compensation/Claim Unit Leader(CCUL)}	सम्बन्धित तहसीलदार।	**1.** सभी लागत डेटा एकत्र करना और लागत अनुमान प्रदान करना। **2.** मांग की सही तिथि और समय के साथ अपेक्षित परिसर, सेवाओं, संसाधनों और वाहनों आदि की एक सूची तैयार करना और बनाए रखना। **3.** दावों और मुआवजे के भुगतान के लिए उचित प्रक्रियाओं का पालन करना। **4.** Incident Response System (IRS) के अनुसार निष्पादित विभिन्न गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाना तथा उसे Finance Branch Director (FBD) को भेजना।

(Annexure–10)

लघु अवधि पुनर्निर्माण कार्य योजना

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
1	पंचायतराज एवं विकास विभाग	● ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रभावित अधोसंरचना (पंचायत भवन, विद्यालय आदि) का क्षति सर्वेक्षण करना। ● जनहानी, आजीविका हानी का निर्धारित प्रारूप में सर्वेक्षण। ● राजस्व इभाग के समन्वय में प्रभावितों को शासन के नियमानुसार मुआवजा एवं अनुग्रह अनुदान वितरण। ● क्षति आंकलन के आधारपर पुनर्निर्माण की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।। ● कार्य योजना अनुसार आगामी कार्यवाही। ● दीर्घ अवधि पुनः स्थापन हेतु स्थायी एवं अस्थायी राहत केन्द्रों का संबन्धित विभागों के समन्वय में निर्माण। ● मनरेगा एवं रोजगार से संबन्धित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करना।
2	राजस्व विभाग	● क्षति आंकलन कार्य में सभी संबन्धित विभागो के साथ समनवय तथा कुल क्षति का क्षेत्रवार आंकलन। ● शासन के नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि एवं मुआवजा वितरण। ● क्षति आंकलन हेतु कुल वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन एवं जिला प्राधिकरण को रिपोर्टिंग। ● संबन्धित विभागों द्वारा प्रस्तावित लघु एवं दीर्घ अवधि पुनः स्थापन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन। ● आपदा प्रभावितों की पुनः स्थापन में सहायता हेतु जिला प्रशासन के समाबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर।
3	कृषि विकास विभाग	● फसलो की क्षति का आकलन करना। ● क्षतिग्रस्त फसलों के सेंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला भेजना एवं उनका उन्मूलन करना। ● फसल बीमा एवं मुआवजे के वितरण की व्यवस्था। ● कृषकों को बीमा एवं मुआवजा संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु सहायता केन्द्रों की स्थापना करना। ● बीज और अन्य कृषि इनपुट की सुविधा प्रदान करना। ● सूखा एवं बाढ़ अनुकूलित बीजो का प्रचार। ● क्षतिग्रस्त खेत के औजारो के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करना।
4	पुलिस विभाग	● कानून व्यवस्था बनाए रखना। ● अफवाहों के नियंत्रण हेतु सभी संबन्धित विभागों से समन्वय।
5	वन विभाग	● वन एवं वन्य जीवों की आपदा के कारण हुई क्षति तथा विपरीत प्रभाव का आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के समन्वय में लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार कर वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।
6	मत्स्य विभाग	● आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मत्स्य उद्योग पर हुये क्षति का अंकलन। ● स्थानीय मछुवारों की नावों की क्षति का आंकलन करना एवं राजस्व विभाग के समन्वय में मुआवजा एवं राहत राशि प्रदान करने की व्यवस्था करना। ● मत्स्य विभाग की लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।
7	सहकारिता विभाग	● कृषि विभाग के समन्वय से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आपदा प्रभावितों को बीज खाद एवं अन्य आवश्यक सामग्री का आंकलन एवं प्रदाय।
8	शिक्षा विभाग	● विद्यालय की संरचना पर आपदा के प्रभावों का आंकलन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय में मररामत का कार्य। ● विद्यालयों के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था। ● विद्यालय में स्वस्थ्य सफाई को सुनिश्चित करना।
9	सांख्यकी विभाग	● आपदा से हुई क्षति का सम्पूर्ण डेटा का विभ्हिन्न विभागों द्वारा आंकलन क्षति के आधार पर जिला विकास योजना में आपदा प्रभावित क्षेत्र की योजनाओं को शामिल करना।

क्र.स.	प्रमुख विभाग	मुख्य भूमिका
10	स्वास्थ्य विभाग	● महामारी फैलने वाली बीमारियों/संक्रमक बीमारियों वाले संवेदनशील क्षेत्रों का चिंहांकन एवं सर्वेक्षण। ●स्वच्छता हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना। ● संक्रांमक बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण करवाना। ● संक्रामक रोगों से बचाव हेतु जन समुदाय को आवश्यक निर्देश प्रदान करना। ● स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम नगर पालिका लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं अन्य विभागों के समन्वय। ● आपदा से आघात लोगो की काउन्सलिंग करना। ● चिकित्सा एवं घायलों/विकलांगों के समाजिक चिकित्सकीय पुर्नवास हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
11	नगरीय निकाय	● आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मलबा निपादन ● शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ● आवश्यकतानुसार शौचालयों का निर्माण।
12	जनसम्पर्क कार्यालय	● आपदा से संबन्धित समस्त जानकारियों को उचित मीडिया द्वारा जन समुदाय को जानकारी प्रदान करना। ● आपदा उपरान्त प्रदत्त किये जाने वाले विभिन्न सहायता, धनराशि इत्यादि के विषय में स्थानीय जन समुदाय को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
13	पूर्ति विभाग	● मुफ्त खाद्यान वितरण का आवश्यकता आंकलन तथा अन्य संबन्धित विभागों के माध्यम से वितरण। ● खाद्यान्न गोदामों का संरक्षण ● दान दाता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का रखरखाव एवं वितरण।
14	लोक निर्माण विभाग	● अवरूद्ध सड़कों की साफ–सफाई। ● गड्ढ़ों का भराव करना, मलवा सफाई तथा सड़क अवरूद्ध करने वाले पेड़ो को हटाना। ● क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलो की मरम्मत करना तथा अतिशीघ्र यातायात व्यवस्था को बहाल करना। ● संवेदनशील/आपदा स्थलों पर वैकल्पिक रास्तों का चिन्हीकरण करना। ● क्षतिग्रस्त सड़क / डाइवरसन, राहत शिविर, चिकित्सा पोस्ट, पुल/पुलियों, सड़कों अस्थायी संरचनाओं का क्षति आकलन . ● संरचनाओं का मजबूतीकरण तथा पुनः बहाली तथा जिन कारणों से संरचनाओ में नुकसान पहुँचा है, उनको यथा संभव दूर करना।
15	सिंचाई विभाग	● सिंचाई संरचनाओं का संरक्षण एवं निगरानी। ● जिले के प्रमुख बांधों, पुलो, तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण एवं क्षति आंकलन। ● संरचनाओं स्टेशन, उपकरण, पम्प, जनरेटर, मोटर इत्यादि का मरम्मत एवं निरीक्षण। ● बांध टूट स्थल पर रोक हेतु आवश्यक कार्य।
16	यू.पी.सी.एल.	● क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर आदि का सर्वेक्षण तथा तत्काल बहाली का कार्य। ● उच्च विद्युत क्षमता के तारो, विघुत उपकेन्द्रों ट्रांसफारर्मर/पोल इत्यादि महत्वपूर्ण घटकों का निरीक्षण एवं संबन्धित विभाग को सूचना प्रदान करना। ● आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली यथाशीघ्र सुनिश्चित करना। ● क्षतिग्रस्त पोल, ट्रांसफारर्मर, कनडकर्टस इत्यादि उपकरणों की मरम्मत एवं बदलाव शीघ्रातिशीघ्र करना।
17	पशुपालन विभाग	● पशुधन क्षति आंकलन ● आपदा उपरांत पशुजनित रोग नियंत्रण ● सामान्य स्थिति होने तक पशु चारे व घास की व्यवस्था। ● मवेशियो के शवों को हटाने तथा महामारी से बचने के लिए सफाई की उपयुक्त व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं स्थानीय निकाय से समन्वय सुनिश्चित करना।
18	भारत संचार निगम लिमिटेड	● संचार व्यवस्था क्षति आंकलन. ● संचार नेटवर्क को त्वरित रूप से बहाल करने हेतु समस्त सर्विस प्रोवाईडर से संचार व्यवस्था से समन्वय।
19	जल संस्थान	● नगर निगम/नगरपालिका के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पेय जल स्त्रोतों तथा जल प्रदाय व्यवस्था का क्षति आंकलन ● प्रभावित पेय जल स्रोतों के शुद्धीकरण की व्यवस्था। ● राहत केन्द्रों, अस्पतालों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
20	समाज कल्याण विभाग	● आपदा निःशक्तजनों एवं अन्य संवेदनशीलता कमजोर वर्ग को सर्वेक्षण उपरांत ट्राई साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियाँ, तथा उचित सहायता उपलब्ध करना। ● आपदा उपरांत निः शक्तजनों के देखभाल तथा पुनःस्थापन हेतु सम्बंधित विभागों से समन्वय।
21	महिला एंव बाल विकास विभाग	● स्वास्थ्य सर्वेक्षण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार आल्याण के साथ समन्वय ● महिलाओं की आजीविका पर प्रभाव का आंकलन तथा पुनः स्थापन हेतु लघु एवं दीर्घ अवधि योजना तैयार करना।

(Annexure-11)

प्रारूप — 1

राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) के **राहत एवं बचाव मद (Response and Relief)** में वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक शासन स्तर से प्राप्त धनराशि तथा जनपद स्तर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण — **(रू0 लाख में)**

जनपद– उत्तरकाशी।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि		जनपद द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण			वित्तीय वर्ष में कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कुल धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण प्रारूप–2 पर संलग्न है अथवा नहीं	वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में उपलब्ध अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
		शासनादेश संख्या व स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत योजनाओं/कार्यो की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2021–22	484/18 –बी0–1 दिनांक 07.04.2021,	500.00	प्रारूप– 2 पर संलग्न	1050.30	1050.30	1050.30	449.97	संलग्न	1050.30	0	–
		1264/18 –बी0–1 दिनांक 16.09.2021	1000.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**1500.00**		**1050.30**	**1050.30**	**1050.30**	**449.97**		**1050.30**	**0**	
1	2022–23	**1–** 319/18 –बी0–1 दिनांक 19.04.2022	300.00	प्रारूप– 2 पर संलग्न						293.32	0	–
		2– 1486/18 –बी0–1 दिनांक 28.12.2022	10.00									
		3– 21/18 –बी0–1 दिनांक 05.01.2023	200.00		293.32	293.32	293.32	216.68	संलग्न			
वित्तीय वर्ष का योग			**510.00**		**293.32**	**293.32**	**293.32**	**216.68**		**293.32**	0	
1	2023–24	**1–** 585/18 –बी0–1 दिनांक 24.04.2023	500.00	प्रारूप– 2 पर संलग्न	294.26	294.26	294.26	405.74	संलग्न	294.26	0	–
2	2023–24	**2–** 963/18 –बी0–1 दिनांक 13.07.2023	200.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**700.00**		**294.26**	**294.26**	**294.26**	**405.74**		**294.26**	**0**	–
1	2024–25	1– 371/18–बी0–1 दिनांक 23.04.2024	400.00	प्रारूप– 2 पर संलग्न	274.91	274.91	274.91	585.09	संलग्न	274.91	0	–
2	2024–25	2–829/18–बी–1 दिनांक 21.08.2024	450.00									
3	2024–25	3– 1194/18–बी0– 1 दिनांक 29.11.2024	10.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**860.00**		**274.91**	**274.91**	**274.91**	**585.09**		**274.91**		
1	2025–26	**1–** 454/18 –बी0–1 दिनांक 23.04.2025	500.00									
2		**2–** 792/18 –बी0–1 दिनांक 05.08.2025	1000.00									
3		**3–** 107/18 –बी0–1 दिनांक 01.12.2025	800.00									
4		4–975/18–बी–1 दिनांक 10.10.2025	200.00	प्रारूप– 2 पर संलग्न	1619.18	1538.78	1538.78	0	संलग्न	1538.78		
वित्तीय वर्ष का योग			**2500.00**		**1619.18**	**1538.78**	**1538.78**	–	–	**1538.78**	–	–
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, 2026 तक)			**6070.00**		**3531.97**	**3451.57**	**3451.57**	**1657.48**	**0**	**3451.57**	–	–

1– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) शासन से प्राप्त कुल धनराशि – रू0 6070.00 लाख

2– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत धनराशि – रू0 3531.97 लाख

3– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल अवमुक्त धनराशि – रू0 3451.57 लाख

4– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल व्यय की गयी धनराशि – रू0 3451.57 लाख

5– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि – 3451.57 लाख

6– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) शासन को कुल समर्पित धनराशि – रू0 1657.48 लाख

7– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक उपरोक्तानुसार प्राप्त धनराशि में से जनपद स्तर पर दिनांक 10 फरवरी, 2026 को व्यय हेतु उपलब्ध कुल धनराशि रू0 961.22 लाख

जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रारूप – 2

राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) के **राहत एवं बचाव मद (Response and Relief)** में वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक जनपद स्तर पर व्यय की गयी धनराशि का विस्तृत विवरण – **(रू0 लाख में)**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृत का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2021–22	अहेतुक सहायता	–	9.05	9.05	0	0	9.05	-
2	2021–22	गृह अनुदान	–	96.88	96.88	0	0	96.88	
3	2021–22	अनुग्रह अनुदान	–	56.17	56.17	0	0	56.17	
4	2021–22	कृषि इनपुट सब्सिडी	–	9.00	9.00	0	0	9.00	
5	2021–22	अलाव/कम्बल		3.00	3.00	0	0	3.00	
6	2021–22	कोविड–19		876.20	876.20	0	0	876.20	
वित्तीय वर्ष का योग			**–**	**1050.30**	**1050.30**	**0**	**0**	**1050.30**	
1	2022–23	अहेतुक सहायता	–	3.95	3.95	0	0	3.95	
2	2022–23	गृह अनुदान	–	84.31	84.31	0	0	84.31	
3	2022–23	अनुग्रह अनुदान	–	176.36	176.36	0	0	176.36	
4	2022–23	कृषि इनपुट सब्सिडी	–	5.70	5.70	0	0	5.70	
5	2022–23	अलाव/कम्बल		13.00	13.00	0	0	13.00	
6	2022–23	कोविड–19		10.00	10.00	0	0	10.00	
वित्तीय वर्ष का योग			**–**	**293.32**	**293.32**	**0**	**0**	**293.32**	
1	2023–24	अहेतुक सहायता	–	31.69	31.69	0	0	31.69	
2	2023–24	गृह अनुदान	–	92.37	92.37	0	0	92.37	
3	2023–24	अनुग्रह अनुदान	–	86.44	86.44	0	0	86.44	

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
4	2023—24	कृषि इनपुट सब्सिडी	—	75.18	75.18	0	0	75.18	
5	2023—24	अलाव/कम्बल	—	8.58	8.58	0	0	8.58	
वित्तीय वर्ष का योग			**—**	**294.26**	**294.26**	**0**	**0**	**294.26**	
1	2024—25	अहेतुक सहायता	—	14.80	14.80	0	0	14.80	
2	2024—25	गृह अनुदान	—	99.57	99.57	0	0	99.57	
3	2024—25	अनुग्रह अनुदान	—	96.05	96.05	0	0	96.05	
4	2024—25	कृषि इनपुट सब्सिडी	—	54.48	54.48	0	0	54.35	
5	2024—25	अलाव/कम्बल		10.00	10.00	0	0	10.00	
वित्तीय वर्ष का योग		**—**	**—**	**274.91**	**274.91**	**0**	**0**	**274.91**	
1	2025—26	अहेतुक सहायता	**—**	10.18	10.18	0	0	10.18	
2		गृह अनुदान	**—**	765.92	7.66	0	0	7.66	
3		अनुग्रह अनुदान	**—**	205.21	205.21	0	0	205.21	
4		कृषि इनपुट सब्सिडी	**—**	98.49	98.49	0	0	98.49	
5		अलाव/कम्बल	**—**	4.33	4.33	0	0	4.33	
6		आपदा में राहत कार्यों में व्यय	**—**	535.05	454.65	0	0	454.65	
वित्तीय वर्ष का योग				**1619.18**	**1538.78**	**0**	**0**	**1538.78**	
महायोग (2021—22 से 2025—26) (10 फरवरी, 2026 तक)				**3531.97**	**3451.57**	**0**	**0**	**3451.57**	

1— वित्तीय वर्ष 2021—22 से वित्तीय वर्ष 2025—26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत योजनाओं/प्रस्तावों की संख्या —

2— वित्तीय वर्ष 2021—22 से वित्तीय वर्ष 2025—26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत धनराशि — रू0 3531.97

3— वित्तीय वर्ष 2021—22 से वित्तीय वर्ष 2025—26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल अवमुक्त धनराशि — रू0 3451.57

4— व्यक्तिगत लाभार्थियों को स्वीकृत धनराशि की दशा में केवल व्यक्तियों/लाभार्थियों की संख्या तथा स्वीकृत धनराशि अंकित की जाय।

5— यदि स्वीकृत धनराशि अत्यधिक कम है तो पृथक—पृथक योजनाओं के स्थान पर स्वीकृति का प्रकार तथा स्वीकृत धनराशि का विवरण अंकित किया जाय।

प्रारूप – 3

राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) के **पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction)** में वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक शासन स्तर से प्राप्त धनराशि तथा जनपद स्तर द्वारा व्यय धनराशि का विवरण – **(रू0 लाख में)**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि		जनपद द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण			स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कुल धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण प्रारूप–4 पर संलग्न है अथवा नहीं	वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में जनपद में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
		शासनादेश संख्या व स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत योजनाओं / कार्यो की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2021–22	579 / 18 –बी0–1 दिनांक 07.05. 2021	500.00	103	139.86	96.24	109.13	1060.14	संलग्न	109.13	30.73	–
		1769 / 18 –बी0–1 दिनांक 21.12. 2021	700.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**1200.00**	**103**	**139.86**	**96.24**	**109.13**	**1060.14**		**109.13**	**30.73**	–
1	2022–23	**1–** 319 / 18 –बी0–1 दिनांक 19.04. 2022,	100.00	1199	1733.38	1211.38	1553.26	66.62	संलग्न	1553.26	180.12	
		2–1324 / 18 –बी0–1 दिनांक 02.11. 2022	200.00									
		3– 1477 / 18 –बी0–1 दिनांक 27.12. 2022,	1500.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**1800.00**	**1199**	**1733.38**	**1211.38**	**1553.26**	**66.62**		**1553.26**	**180.12**	–
1	2023–24	**1–** 585 / 18 –बी0–1 दिनांक 24.04. 2023	400.00	538	990.93	680.57	859.88	190.12	संलग्न	859.88	131.05	
2		**2–** 963 / 18 –बी0–1 दिनांक 13.07. 2023	150.00									
3		**2–** 1467 / 18 –बी0–1 दिनांक 14.12. 2023	500.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**1050.00**	**538**	**990.93**	**680.57**	**859.88**	**190.12**	**gS**	**859.88**	**131.05**	–

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	शासन स्तर से अवमुक्त धनराशि		जनपद द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण			स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कुल धनराशि	व्यय का विस्तृत विवरण प्रारूप–4 पर संलग्न है अथवा नहीं	वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि	वित्तीय वर्ष के अन्त में जनपद में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
		शासनादेश संख्या व स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत योजनाओं / कार्यो की संख्या	कुल स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि						
1	2024–25	**1–** 371 / 18 –बी0–1 दिनांक 23.04. 2024	100.00	424	1100.00	870.33	897.81	0.00	संलग्न	897.81	202.19	
2		**2–** 992 / 18 –बी0–1 दिनांक 18.07. 2024	1000.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**1100.00**	**424**	**1100.00**	**870.33**	**897.81**	**0**		**897.81**	**202.19**	–
1		**1–** 454 / 18 –बी0–1 दिनांक 23. 04.2025	400.00	60	1194.7 2	986.30	986.30	-	संलग्न	–	–	–
2	2025 –26	**2–** 792 / 18 –बी0–1 दिनांक 05. 08.2025	800.00									
3		**3–** 107 / 18 –बी0–1 दिनांक 01.12. 2025	3000.00									
वित्तीय वर्ष का योग			**4200.00**	**60**	**1194.72**	**986.30**	**986.30**	**-**	संलग्न	–	–	–
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, 2026 तक)			**9350.00**	**2324**	**5158.89**	**3844.82**	**4406.38**	**1316.88**	संलग्न	**3420.08**	**544.09**	**9350**

1– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) शासन से प्राप्त कुल धनराशि – रू0 9350.00
2– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत धनराशि – रू0 5158.89
3– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल अवमुक्त धनराशि – रू0 4406.38
4– वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26(10 फरवरी 2026 तक) कुल व्यय के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने की धनराशि रू0 4406.38
5– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) शासन को कुल समर्पित धनराशि –रू0 1316.88
6– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक उपरोक्तानुसार प्राप्त धनराशि में से जनपद स्तर पर दिनांक 10 फरवरी, 2026 को व्यय हेतु उपलब्ध कुल धनराशि रू0 3757.79

प्रारूप – 4

राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) के **पुनर्प्राप्ति एवं पुनर्निर्माण (Recovery and Reconstruction)** में वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक जनपद स्तर पर व्यय की गयी धनराशि का विस्तृत विवरण –

जनपद–उत्तरकाशी।

(रू0 लाख में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2021–22	खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी	28.07.2021 28.10.2021 07.01.2022 31.03.2022	0.60 1.49 1.57 1.20	0.42 1.04 1.10 0.84	0.81	0	4.21	–
2	2021–22	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	16.08.2021	8.19	4.10	0	0	4.10	
3	2021–22	अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी	28.10.2021 01.12.2021	20.59 2.55	14.41 1.78	2.25	0	18.44	
4	2021–22	खण्ड विकास अधिकारी मोरी	28.10.2021 01.12.2021 20.12.2021	1.20 0.60 1.80	0.84 0.42 1.26	0.36	0	2.88	
5	2021–22	खण्ड विकास अधिकारी डुण्डा	28.10.2021 01.12.2021 20.12.2021 31.03.2022	1.38 1.50 0.60 1.40	0.97 1.05 0.42 0.98	0	0	3.42	
6	2021–22	अधिशासी अभियन्ता पेयजल निर्माण निगम	28.10.2021	5.00	3.50	1.05	0	4.55	
7	2021–22	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	28.10.2021	9.97	6.98	0.90	0	7.88	
8	2021–22	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़	28.10.2021	10.53	7.37	0	0	7.37	
9	2021–22	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरकाशी	01.12.2021 20.12.2021 23.12.2021 31.03.2022	6.50 14.30 4.40 21.19	4.55 10.01 3.08 14.83	0	0	32.47	
10	2021–22	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	01.12.2021 20.12.2021 31.03.2022	2.70 3.80 3.00	1.89 2.66 2.10	1.74	0	8.39	
11	2021–22	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री	20.12.2021	1.20	0.84	0	0	0.84	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
12	2021—22	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला	20.12.2021	4.75	3.33	1.89	0		
13	2021—22	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग उत्तरकाशी।	31.03.2022	1.50	1.05	0	0	1.05	
14	2021—22	खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव	31.12.2022	6.35	4.45	0.89	0	5.34	
		वित्तीय वर्ष का योग		**139.86**	**96.24**	**12.89**	0	**109.13**	
1	2022—23	अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान पुरोला	14.10.2022 07.01.2023 31.03.2023 31.03.2023	18.62 79.39 196.64 11.74	13.03 55.57 137.65 8.22	81.00	0	295.47	
2	2022—23	अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उत्तरकाशी	14.10.2022 07.01.2023 31.03.2023 31.03.2023	19.44 32.93 164.44 7.09	13.61 23.05 115.11 4.96	26.22	0	182.95	
3	2022—23	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	14.10.2022 24.12.2022 07.01.2023 17.02.2023 31.03.2023 31.03.2023	3.00 2.00 3.00 3.00 7.20 11.25	2.10 1.40 2.10 2.10 5.04 7.88	6.71	0	27.33	
4	2022—23	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पुरोला	14.10.2022 24.12.2022 07.0.2023 21.03.2023	9.98 22.20 2.95 40.22	6.99 15.54 2.06 28.15	16.02	0	68.76	
5	2022—23	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	14.10.2022 24.12.2022 21.03.2023 27.03.2023 31.03.2023	8.78 27.35 42.18 2.90 4.39	6.15 19.15 29.53 2.03 3.07	13.92	0	73.85	
6	2022—23	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरकाशी	14.10.2022 07.01.2023 17.02.2023 24.03.2023 27.03.2023 31.03.2023	28.61 101.68 54.99 258.95 47.88 29.87	20.00 71.18 34.49 181.27 33.51 20.91	124.25	0	502.27	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
			31.03.2023	23.80	16.66				
7	2022–23	खण्ड विकास अधिकारी, मोरी	14.10.2022 07.01.2023 21.03.2023 31.03.2023 27.03.2023 31.03.2023	5.15 6.81 70.49 49.01 28.42 18.84	3.61 4.77 49.34 34.30 19.89 13.19	29.52	0	154.62	
8	2022–23	खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड़	14.10.2022 07.01.2023 17.02.2023 27.03.2023	1.25 1.20 1.22 1.45	0.88 0.84 0.85 1.02	0.76	0	4.35	
9	2022–23	खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी	17.02.2023 21.03.2023	1.50 5.55	1.05 3.89	1.25	0	6.19	
10	2022–23	खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव	24.12.2022 07.01.2023 21.03.2023 27.03.2023	2.00 2.75 0.60 4.30	1.40 1.93 0.42 3.01	2.45	0	9.21	
11	2022–23	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा	07.01.2023 17.02.2023 21.03.2023 31.03.2023	4.13 6.71 15.09 4.33	2.89 4.70 10.56 3.03	3.64	0	24.84	
12	2022–23	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी	07.01.2023 31.03.2023 31.03.2023	0.60 2.40 0.60	0.42 1.68 0.42	0	0	2.52	
13	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी	24.12.2022 27.03.2023 31.03.2023	20.40 0.60 7.91	14.28 0.42 5.54	0.93	0	21.14	
14	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निर्माण निगम, उत्तरकाशी	17.02.2023 27.03.2023 31.03.2023	32.07 62.42 1.40	22.45 43.69 0.98	8.03	0	75.15	
15	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई डाल खण्ड, उत्तरकाशी	24.03.2023	1.49	1.04	0.45	0	1.49	
16	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	27.03.2023	1.45	1.02	0.43	0	1.45	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
17	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि, चिन्यालीसौड़	27.03.2023 31.03.2023 31.03.2023	19.70 9.70 35.22	13.79 6.79 24.65	17.29	0	62.52	
18	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, पुरोला	27.03.2023 31.03.2023 31.03.2023	28.70 8.20 0.60	20.09 5.74 0.42	8.22	0	34.47	
19	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बड़कोट	31.03.2023	1.65	1.16	0.49	0	1.65	
20	2022–23	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला	27.03.2023	1.00	0.70	0.30	0	1.00	
वित्तीय वर्ष का योग				**1733.38**	**1211.38**	**341.88**	0	**1553.26**	
1	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पुरोला	08.08.2023 21.08.2023 21.08.2023 15.12.2023 11.03.2024	51.73 1.99 39.40 66.45 41.30	36.21 1.39 27.58 46.52 28.91	38.87	0	179.48	
2	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	15.12.2023 11.03.2024	48.95 45.20	34.26 31.64	15.95	0	81.85	
3	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तरकाशी	21.08.2023 11.03.2024	13.46 154.60	9.42 95.13	23.68	0	128.23	
4	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला	08.08.2023 30.10.2023 11.03.2024	10.16 0.75 5.95	7.11 0.52 4.17	1.78	0	13.58	
5	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी	04.10.2023 30.10.2023 24.01.2024 11.03.2024	16.42 8.05 6.75 31.22	11.49 5.64 4.72 21.85	13.27	0	56.97	
6	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, चिन्यालीसौड़	11.03.2024	9.00	6.30	2.70	0	9.00	
7	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, पुरोला	21.08.2023 04.10.2023 30.10.2023 11.03.2024	27.65 32.75 20.55 6.00	19.36 22.93 14.39 4.20	20.17	0	81.05	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
8	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि, चिन्यालीसौड़	04.10.2023 30.10.2023 11.03.2024	9.50 10.00 4.00	6.65 7.00 2.80	5.85	0	22.30	
9	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	24.01.2024 11.03.2024	1.25 11.25	0.88 7.88	1.57	0	10.33	
10	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	11.03.2024	3.75	2.62	0.22	0	2.84	
11	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	04.10.2023 30.10.2023 11.03.2024	35.03 16.05 15.47	24.52 11.24 10.83	10.47	0	57.06	
12	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उत्तरकाशी	15.12.2023 11.03.2024	5.70 8.90	3.99 6.23	1.46	0	11.68	
13	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान पुरोला	15.12.2023 11.03.2024	39.62 15.20	27.73 10.64	13.42	0	51.79	
14	2023–24	अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निर्माण निगम, उत्तरकाशी	11.03.2024	38.85	27.20	6.57	0	33.77	
15	2023–24	अधिशासी अभियनता, जिला पंचायत, उत्तरकाशी	04.10.2023 30.10.2023 11.03.2024	0.75 3.00 0.75	0.52 2.10 0.53	0	0	3.15	
16	2023–24	खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव	04.10.2023 30.10.2023 11.03.2024	5.50 8.75 12.30	3.85 6.12 8.61	3.15	0	21.73	
17	2023–24	खण्ड विकास अधिकारी, मोरी	04.10.2023 30.10.2023 11.03.2024	1.48 6.00 43.50	1.04 4.20 30.45	5.16	0	40.85	
18	2023–24	खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला	04.10.2023 11.03.2024	3.70 1.50	2.59 1.05	1.56	0	5.20	
19	2023–24	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा	04.10.2023 30.10.2023 11.03.2024	1.50 0.75 32.10	1.05 0.53 22.47	9.19	0	33.24	
20	2023–24	खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी	30.10.2023 11.03.2024	2.50 1.30	1.75 0.91	1.14	0	3.80	
21	2023–24	खण्ड विकस अधिकारी, चिन्यालीसौड़	11.03.2024	12.65	8.85	3.13	0	11.98	
वित्तीय वर्ष का				**990.93**	**680.57**	**179.31**	**0**	**859.88**	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
	योग								
1	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	07.05.2024	9.30	6.51	8.57	0	115.60	
			13.06.2024	4.95	2.73				
			30.10.2024	139.70	97.79				
2	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पुरोला	05.12.2024	18.60	13.02	0	0	65.63	
			30.10.2024	13.65	9.56				
			29.03.2025	61.50	43.05				
3	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तरकाशी	02.07.2024	5.50	3.85	0	0	84.89	
			26.09.2024	7.05	3.74				
			26.09.2024	31.45	19.51				
			05.12.2024	14.40	10.08				
			30.10.2024	41.50	30.48				
			29.03.2025	24.62	17.23				
4	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि, चिन्यालीसौड़	02.07.2024	40.20	28.14	9.90	0	52.93	
			13.09.2024	14.89	14.89				
5	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	13.09.2024	74.99	74.99	0	0	91.21	
			25.03.2025	23.17	16.22				
6	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बड़कोट	29.07.2024	10.00	10.00	0	0	128.16	
			13.09.2024	118.16	118.16				
7	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, पुरोला	13.09.2024	52.68	52.68	0	0	52.68	
8	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	25.03.2025	19.55	13.68	0	0	13.68	
9	2024–25	खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी	26.09.2024	4.25	4.25	0	0	21.05	
			22.11.2024	24.00	16.80				
10	2024–25	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा	22.11.2024	93.86	65.70	5.85	0	71.55	
11	2024–25	खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड़	26.09.2024	13.15	13.15	0	0	17.88	
			22.11.2024	6.75	4.73				
12	2024–25	खण्ड विकस अधिकारी, पुरोला	22.11.2024	9.00	6.30	1.62	0	7.92	
13	2024–25	खण्ड विकस अधिकारी, मोरी	22.11.2024	54.50	38.15	1.54	0	39.69	
14	2024–25	खण्ड विकस अधिकारी, नौगांव	22.11.2024	14.80	10.36	0	0	10.36	
15	2024–25	वाप्कोष मोरी	30.10.2024	9.00	6.30	0	0	6.30	
16	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0,	30.10.2024	19.40	13.58	0	0	37.08	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
		उत्तरकाशी	29.03.2025	23.50	23.50				
17	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला	07.08.2024 29.03.2025	8.00 27.68	8.00 27.68	0	0	35.68	
18	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, चिन्यालीसौड़	29.03.2025	10.00	10.00	0	0	10.00	
19	2024–25	गोविन्द वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय पार्क पुरोला	29.03.2025	25.75	18.02	0	0	18.02	
20	2024–25	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बड़कोट	13.09.2024	2.00	2.00	0	0	2.00	
21	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट	29.07.2024	10.50	10.50	0	0	10.50	
22	2024–25	अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निर्माण निगम, उत्तरकाशी	07.08.2024	2.00	2.00	0	0	2.00	
23	2024–25	ब्रिडकुल बड़कोट	01.10.2025	3.00	3.00	0	0	3.00	
वित्तीय वर्ष का योग				**1100.00**	**870.33**	**27.48**	**0**	**897.81**	0
1	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी	31.05.2025 23.08.2025 31.10.2025	10.00 20.00 8.36	10.00 20.00 5.85	0	0	35.85	
2	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी	31.05.2025 23.08.2025 31.10.2025 15.11.2025	10.00 50.00 6.50 5.00	10.00 50.00 4.55 5.00	0	0	69.55	
3	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़	31.05.2025 23.08.2025 04.09.2025	10.00 15.00 105.59	10.00 15.00 73.91	0	0	98.91	
4	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बड़कोट	31.05.2025 23.08.2025 04.09.2025 31.10.2025	10.00 50.00 295.49 15.00	10.00 50.00 206.84 10.50	0	0	277.34	
5	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, पुरोला	31.05.2025 23.08.2025	10.00 20.00	10.00 20.00	0	0	30.00	
6	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी	31.05.2025 23.08.2025	10.00 80.00	10.00 80.00	0	0	90.00	
7	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, चिन्यालीसौड़	31.05.2025	10.00	10.00	0	0	10.00	

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/ अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
8	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला	31.05.2025 23.08.2025 04.09.2025 31.10.2025	10.00 85.00 121.78 114.00	10.00 85.00 85.25 79.80	0	0	260.05	
9	2025–26	स्थानिक अभि0, पी0आई0यू0 मोरी	13.06.2025 20.08.2025	5.00 28.00	5.00 19.60	0	0	24.60	
10	2025–26	ब्रिडकुल बड़कोट	13.06.2025	5.00	5.00	0	0	5.00	
11	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी	13.06.2025	5.00	5.00	0	0	5.00	
12	2025–26	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला	23.08.2025	80.00	80.00	0	0	80.00	
वित्तीय वर्ष का योग				**1194.72**	**986.30**	0	0	**986.30**	
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, 2026 तक)				**5158.89**	**3844.82**	**561.56**	**0**	**4406.38**	

1– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत योजनाओं/प्रस्तावों की संख्या – 2324

2– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत धनराशि – रू0 5158.89

3– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल अवमुक्त धनराशि – रू0 4406.38

4– व्यक्तिगत लाभार्थियों को स्वीकृत धनराशि की दशा में केवल व्यक्तियों/लाभार्थियों की संख्या तथा स्वीकृत धनराशि अंकित की जाय।

5– यदि स्वीकृत धनराशि अत्यधिक कम है तो पृथक–पृथक योजनाओं के स्थान पर स्वीकृति का प्रकार तथा स्वीकृत धनराशि का विवरण अंकित किया जाय।

प्रारूप 2

राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) के **तैयारी एवं क्षमता विकास (Preparedness and Capacity Building)** में वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक जनपद स्तर पर व्यय की गयी धनराशि का विस्तृत विवरण **(रू0 लाख में)**

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				टिप्पणी / अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम/क्रय किये गये उपकरणों का नाम/प्रकार	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2021–22	स्नो चैन 14 चैन	02/01/2022	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	–
2	2021–22	सेटेलाईट फोन रिचार्ज का भुगतान	02/01/2022	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	–
3	2021–22	विभिन्न तहसीलों को उपकरण/जनजागरूकता हेतु	2021-22	11.90	11.90	0.00	0.00	11.90	–
4	2021–22	विभिन्न प्रशिक्षण/जनजागरूकता	2021-22	15.29	15.29	0.00	0.00	15.29	–
5	2021–22	खोज–बचाव उपकरण	2021-22	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	–
		वित्तीय वर्ष का योग	–	**30.48**	**30.48**	**0.00**	**0.00**	**30.48**	
1	2022–23	डेडबॉडी बैग क्रय	29-09-2022	0.24	0.24	0.00	0.00	0.24	–
2	2022–23	प्लास्टिक तिरपाल क्रय	10/11/2022	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	–
3	2022–23	खोज बचाव उपकरण के क्रय गेंती आदि	10/11/2022	0.19	0.19	0.00	0.00	0.19	–
4	2022–23	डेडबॉडी बैग क्रय	28.11.2022	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	–
5	2022–23	खोज बचाव उपकरण के क्रय एवं अमांत्रित विज्ञप्ति प्रकाशित समाचार पत्रों के देयकों का भुगतान	23-02-2023	22.44	22.44	0.00	0.00	22.44	–
6	2022–23	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों के तैनात/माानदये/उपकरण आदि (माह सितम्बर 2022से फरवरी, 2023)	24-09-2022	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	–
7	2022–23	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों के तैनात/माानदये/उपकरण आदि (माह मार्च 2023 से जून 2023)	25-03-2023	2.78	2.78	0.00	0.00	2.78	–
8	2022–23	SFO डाटा संग्रह करवे वाले कार्मिको का मानदेय	05/12/2022	0.36	0.36	0.00	0.00	0.36	–
9	2022–23	NDRF तैनाती पर व्यय	18-06-2022	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	–
10	2022–23	NDRF तैनाती पर व्यय	20-07-2022						–
11	2022–23	NDRF तैनाती पर व्यय	22-08-2022						–
12	2022–23	NDRF तैनाती पर व्यय	25-09-2022						–
13	2022–23	NDRF तैनाती पर व्यय	10/11/2022						–
14	2022–23	NDRF तैनाती पर व्यय	24-12-2022						–
15	2022–23	NDRF तैनाती पर व्यय	12/01/2022						–
16	2022–23	जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में आपदा सामग्री हेतु स्टोर रूम अवस्थापना	14.02.2023	24.50	24.50	0.00	0.00	24.50	–

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				टिप्पणी / अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम/क्रय किये गये उपकरणों का नाम/प्रकार	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
17	2022–23	सेटेलाईट फोन रिचार्ज का भुगतान	12/08/2022	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	–
18	2022–23	न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान/युवा मंगल दल आदि का प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम पर व्यय	27/01/23	4.06	4.06	0.00	0.00	4.06	–
19	2022–23	NIM से 100 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम पर व्यय	21/02/23	11.02	11.02	0.00	0.00	11.02	–
20	2022–23	वन विभाग को उपकरण हेतु भुगतान	23/04/2022	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	–
		वित्तीय वर्ष का योग	–	**99.77**	**99.77**	**3.83**	**3.83**	**99.77**	–
1	2023–24	मास्टर ट्रेनर मानदेय	माह अप्रैल, 2023 से माह मार्च , 2024	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	–
2	2023–24	उपकरण क्रय		1.04	1.04	0.00	0.00	1.04	–
3	2023–24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	–
4	2023–24	प्लास्टिक तिरपाल क्रय		4.04	4.04	0.00	0.00	4.04	–
5	2023–24	NDRF तैनाती पर व्यय		0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	–
6	2023–24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.76	0.76	0.00	0.00	0.76	–
7	2023–24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	–
8	2023–24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	–
9	2023–24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	–
10	2023–24	25 ताबूत आपूर्ति		1.19	1.19	0.00	0.00	1.19	–
11	2023–24	NDRF तैनाती पर व्यय		0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	–
12	2023–24	तहसील बडकोट में कन्ट्रोल रूम/बैठक कक्ष अवस्थापना कार्य		15.24	15.24	0.00	0.00	15.24	–
13	2023–24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	–
14	2023–24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	–
15	2023–24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	–
16	2023–24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	–
17	2023–24	NDRF तैनाती पर व्यय		0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	–
18	2023–24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	–
19	2023–24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	–
20	2023–24	संचार उपकरण क्रय 20 नग वॉकीटॉकी		1.85	1.85	0.00	0.00	1.85	–
21	2023–24	NDRF तैनाती पर व्यय		0.91	0.91	0.00	0.00	0.91	–
22	2023–24	सेटेलाईट फोन रिचार्ज का भुगतान		3.93	3.93	0.00	0.00	3.93	–
23	2023–24	प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम पर व्यय		0.53	0.53	0.00	0.00	0.53	–
24	2023–24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	–

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				टिप्पणी/ अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम/क्रय किये गये उपकरणों का नाम/प्रकार	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
25	2023—24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	—
26	2023—24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.35	0.35	0.00	0.00	0.35	—
27	2023—24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	—
28	2023—24	पुरोला में कन्ट्रोल रूम/आपदा सामग्री हेतु स्टोर रूम अवस्थापना कार्य		11.75	11.75	0.00	0.00	11.75	—
29	2023—24	स्मार्ट कन्ट्रोल/जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में संचार व्यवस्था कार्य		25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	—
30	2023—24	पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को खोज—बचाव उपकरणों के क्रय		10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	—
31	2023—24	मास्टर ट्रेनर मानदेय		0.29	0.29	0.00	0.00	0.29	—
32	2023—24	त्वरित कार्यवाही दल के सदस्यों का मानदेय भुगतान		0.71	0.71	0.00	0.00	0.71	—
33	2023—24	NDRF तैनाती पर व्यय		0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	—
34	2023—24	जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में विघुत मरम्मत कार्य		4.06	4.06	0.00	0.00	4.06	—
35	2023—24	सेटेलाईट फोन रिचार्ज का भुगतान		4.21	4.21	0.00	0.00	4.21	—
36	2023—24	प्रशिक्षण/जनजागरूकता कार्यक्रम पर व्यय		0.95	0.95	0.00	0.00	0.95	—
		वित्तीय वर्ष का योग	—	**97.70**	**97.70**	**0.00**	**0.00**	**97.70**	—
1	2024—25	Van Vibgah Uttarkashi (Payment for Forest fire control or equipments)	03/05/2024	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	—
2	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month April and May 2024)	10/06/2024	1.51	1.51	0.00	0.00	1.51	—
3	2024—25	NDRF (NDRF Fule and Other Expenses)	26/06/2024	0.98	0.98	0.00	0.00	0.98	—
4	2024—25	Prabhagiya Logging Prabandhak Van Nigam Uttarkashi (Cutting of road side Trees for Yatra)	29/06/2024	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	—
5	2024—25	Prabhagiya Logging Prabandhak Van Nigam Purola (Cutting of road side Trees for Yatra)	29/06/2024	5.60	5.60	0.00	0.00	5.60	—
6	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month June 2024)	04/07/2024	0.74	0.74	0.00	0.00	0.74	—
7	2024—25	NDRF (NDRF Fule and Other Expenses)	24/07/2024	1.47	1.47	0.00	0.00	1.47	—
8	2024—25	Vantage Point India Dehradun Uttarakhand (fire officer uki Purchase Fire Equipments)	26/07/2024	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	—
9	2024—25	Central Electronics Limited (Payment for Smart Control Room)	03/08/2024	26.62	26.62	0.00	0.00	26.62	—
10	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month July 2024)	06/08/2024	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				टिप्पणी / अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम/क्रय किये गये उपकरणों का नाम/प्रकार	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
11	2024—25	Incidents Expenses (Mori,Sahastratal Track incident search and rescue payment)	07/08/2024	1.69	1.69	0.00	0.00	1.69	—
12	2024—25	Optimized Online Solution (Payment for Web Cam for VC room DDMA)	16/08/2024	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	—
13	2024—25	Fire Incident (Mori, Purola fire incident search and rescue payment)	27/08/2024	0.82	0.82	0.00	0.00	0.82	—
14	2024—25	NDRF	27/08/2024	1.08	1.08	0.00	0.00	1.08	—
15	2024—25	Mock Drill Payments	27/08/2024	1.06	1.06	0.00	0.00	1.06	—
16	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month August 2024)	08/09/2024	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	—
17	2024—25	NDRF	13/09/2024	1.42	1.42	0.00	0.00	1.42	—
18	2024—25	Shaunak Vintage Dehradun (50 Search Light)	13/09/2024	2.25	2.25	0.00	0.00	2.25	—
19	2024—25	D.k Bags & Furniture Uttarkashi (250 Plastic Tripal)	13/09/2024	2.44	2.44	0.00	0.00	2.44	—
20	2024—25	Vantage Point india (Search Light from Gem)	20/09/2024	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	—
21	2024—25	Rohit Nautiyal (Payment for Drone Battery)	08/10/2024	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	—
22	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month Sep 2024)	08/10/2024	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	—
23	2024—25	NDRF	21/10/2024	1.19	1.19	0.00	0.00	1.19	—
24	2024—25	EE UPCL Barkot (LED Street Light)	24/10/2024	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	—
25	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month oct 2024)	30/10/2024	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	—
26	2024—25	DFO Barkot (Payment for Forest fire control or equipments)	16/11/2024	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	—
27	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month Nov 2024)	02/12/2024	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	—
28	2024—25	NDRF	07/12/2024	1.73	1.73	0.00	0.00	1.73	—
29	2024—25	Training	03/01/2025	0.28	0.28	0.00	0.00	0.28	—
30	2024—25	Panwar Enterprises (Payment for QRT Tracksuit and Shoe)	03/01/2025	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	—
31	2024—25	By, Remuneration (QRT Remuneration for the Month Dec 2024)	03/01/2025	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	—
32	2024—25	Shaunk Ventures (Payment for Projector purchased from GeM)	13/01/2025	1.22	1.22	0.00	0.00	1.22	—
33	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month Jan 2025)	01/02/2025	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	—
34	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month Feb 2025)	03/03/2025	0.78	0.78	0.00	0.00	0.78	—
35	2024—25	Fire Mock Drill	12/03/2025	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21	—

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				टिप्पणी / अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम/क्रय किये गये उपकरणों का नाम/प्रकार	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
36	2024—25	Tranning Program for 150 Rashtriya Swayamsewak Sangh	31/03/2025	4.60	4.60	0.00	0.00	4.60	–
37	2024—25	Remuneration (QRT Remuneration for the Month March 2025)	31/03/2025	0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	–
38	2024—25	Tehsil or Nyaya Panchayat Tranning Program	31/03/2025	3.93	3.93	0.00	0.00	3.93	–
39	2024—25	Smart Control Room	31/03/2025	44.23	44.23	0.00	0.00	44.23	–
वित्तीय वर्ष का योग			–	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	–
1	2025—26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month April 2025)	23-May-2025	₹ 0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	–
2	2025—26	Station Satcom Private Limited (Satellite Phone Recharge)	26-May-2025	₹ 3.93	3.93	0.00	0.00	3.93	–
3	2025—26	NDRF and Yatra Mock Drill	26-May-2025	₹ 0.61	0.61	0.00	0.00	0.61	–
4	2025—26	Vacuume and Gen Set Purchase from GeM Poral	27-May-2025	₹ 3.84	3.84	0.00	0.00	3.84	–
5	2025—26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month May 2025)	5-Jun-2025	₹ 0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	–
6	2025—26	Gaani Home Stay (Luch for Work Shop)	5-Jun-2025	₹ 0.17	0.17	0.00	0.00	0.17	–
7	2025—26	S.P Uttarkashi (Advance Payment for Disaster Training)	6-Jun-2025	₹ 3.95	3.95	0.00	0.00	3.95	–
8	2025—26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month June 2025)	7-Jul-2025	₹ 0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	–
9	2025—26	Regency Enterprises (Siren purchase from GeM portal)	17-Jul-2025	₹ 18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	–
10	2025—26	NDRF	17-Jul-2025	₹ 3.63	3.63	0.00	0.00	3.63	–
11	2025—26	Sahaj Associates (TV Stand purchase for DM office)	29-Jul-2025	₹ 0.16	0.16	0.00	0.00	0.16	–
12	2025—26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month July 2025)	19-Aug-2025	₹ 0.85	0.85	0.00	0.00	0.85	–
13	2025—26	Honour one Enterprices (VC setup purchase for DSCR)	10-Sep-2025	₹ 4.31	4.31	0.00	0.00	4.31	–
14	2025—26	Rawat and Sons (Construction of shelter at Dharali)	10-Sep-2025	₹ 4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	–
15	2025—26	NDRF	18-Sep-2025	₹ 2.64	2.64	0.00	0.00	2.64	–
16	2025—26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month Aug 2025)	19-Sep-2025	₹ 0.87	0.87	0.00	0.00	0.87	–
17	2025—26	Miscellaneous payments, search & rescue	8-Oct-2025	₹ 3.68	3.68	0.00	0.00	3.68	–
18	2025—26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month Sep 2025)	8-Oct-2025	₹ 0.92	0.92	0.00	0.00	0.92	–
19	2025—26	M/s Woods N Weaves, Uttarkashi (Furniture Purchase for DSCR)	8-Oct-2025	₹ 0.49	0.49	0.00	0.00	0.49	–
20	2025—26	Miscellaneous payments (Payment of Tripal and Track Suite)	25-Oct-2025	₹ 2.81	2.81	0.00	0.00	2.81	–
21	2025—26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month	7-Nov-2025	₹ 1.09	1.09	0.00	0.00	1.09	–

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	योजना/प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का विवरण			अवमुक्त धनराशि का विवरण				टिप्पणी / अन्य विवरण
		स्वीकृत योजना का नाम/क्रय किये गये उपकरणों का नाम/प्रकार	स्वीकृति का दिनांक	स्वीकृत धनराशि	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	तृतीय/अन्तिम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	कुल अवमुक्त धनराशि	
		Oct 2025)							
22	2025–26	M/s Woods B Weaves, Uttarkashi (Payment of Confrence table for DSCR)	17-Nov-2025	₹ 0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	–
23	2025–26	Dehradun Premier Motors Pvt Ltd (Payment of New Bolero Vehicle)	24-Nov-2025	₹ 9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	–
24	2025–26	Forest (Advance Payment to forest department)	24-Nov-2025	₹ 10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	–
25	2025–26	N.C Car Accessories (New Mahindra Bolero Modification)	3-Dec-2025	₹ 0.47	0.47	0.00	0.00	0.47	–
26	2025–26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month Nov 2025)	4-Dec-2025	₹ 1.05	1.05	0.00	0.00	1.05	–
27	2025–26	Hiwara Engineers & Consultancy Pvt Ltd, Dehradun (GIS Maps Purchase for Dharali)	10-Dec-2025	₹ 2.83	2.83	0.00	0.00	2.83	–
28	2025–26	NDRF	12-Dec-2025	₹ 7.27	7.27	0.00	0.00	7.27	–
29	2025–26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month Dec 2025)	21-Jan-2026	₹ 1.09	1.09	0.00	0.00	1.09	–
30	2025–26	QRT Remuneration (QRT Remuneration for the Month Jan 2025)	9-Feb-2026	₹ 1.09	1.09	0.00	0.00	1.09	–
वित्तीय वर्ष का योग			–	**92.46**	**92.46**	**0.00**	**0.00**	**92.46**	–
महायोग (2021–22 से 2025–26) (10 फरवरी, 2026 तक)			–	**470.41**	**470.41**	**3.83**	**3.83**	**470.41**	–
1– वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (10.02.2026 तक) कुल स्वीकृत योजनाओं/उपकरणों का क्रय प्रस्तावों की संख्या –				130					
2– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल स्वीकृत धनराशि –				950.00					
3– वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल अवमुक्त धनराशि –				470.40					
4– वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 (10 फरवरी, 2026 तक) कुल व्यय के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने की धनराशि				377.94					
4– बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का क्रय की दशा में उपकरणों का प्रकार तथा संख्या का उल्लेख किया जाय।				–					
5– यदि क्रय किये गये उपकरणों का प्रकार/नाम अत्यधिक है तो उपकरणों का नाम समूह में वर्णित किया जाय/दर्शाया जाय।				–					

(Annexure-12)

जनपद में आपदा के समय चिन्हित शिविर एवं नामित अधिकारियों का विवरण–

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली / पानी	भवन की स्थिति
भटवाड़ी	श्रीमती हर्षा रावत खण्ड शिक्षाधिकारी मो0न0– 9410378414	रा0इ0का हर्षिल	श्रीमती संगीता	7579123410	12	150	हां	सही
		रा0इ0का0 भटवाडी	श्री बलबीर शाह	9927102065	13	200	हां	हां
		रा0ईका0 मनेरी	श्री गुलाब सिंह महर	7579057781	15	200	हां	हां
		रा0बा0इ0का0 उत्तरकाशी।	श्रीमती रेनू शाह	9997155746	18	200	हां	हां
		गौ0गणेश दत्त उत्तरकाशी	नोटियाल जी–	7060475616	10	150	हां	हां
		आ0श0 शिक्षण संस्थान,जोशियाडा	श्री राके नोटियाल	9411145033	8	150	हां	हां
		एम0डी0एस0 तिलोथ	सिस्टर सौमनी	9897338216	15	200	हां	हां
		ऋषिराम शिक्षण संस्थान जोशियाडा	डॉ0 एस0के0 मिश्रा	9411143310	22	200	हां	हां
		रा0उ0मा0वि0 झाला	श्री महेश उनियाल	7818012898	04	40	हां	हां
		रा0इ0का0 नेताला	श्री रामलाल शाह	9456149214	12	50	हां	हां
		रा0जू0हा0 मल्ला	श्री सुषील नौटियाल	7579118382	06	60	हां	हां
		रा0स्ना0 महाविद्यालय उत्तरकाशी	डॉ0 सविता गैरोला	9761798004	15	200	हां	हां
डुण्डा	श्री ओम प्रसाद बघानी, खण्ड शिक्षाधिकारी मो0न0– 6396472299	रा0इ0का0 डुण्डा	श्री सुरेन्द्र उनियाल	9411370373	12	200	हां	हॉ
		रा0बा0इ0का0 डुण्डा	श्रीमती निर्मला नोटियाल	9458953948	09	150	हां	हां
		रा0इ0का0 मातली	श्री दिनेश प्रसाद गैरोला	8433257630	13	100	हां	हां
		प्रा0वि0 चौंदियाटगांव	श्रीमती पार्वती भट्ट	9627399461	02		हां	हां
		पंचायत भवन सौड़	श्री अतर सिंह चौहान	9756392188	02		हां	हां
		प्रा0वि0 सौड	श्रीमती सरिता	6398010536	02		हां	हां
		प्रा0वि0 दिखोली	श्रीमती सन्तोषी राणा	9411519905	03		हां	हां
		रा0क0जू0हा0 दिखोली	श्रीमती विमला जुयाल	9997163920	03		हां	हां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		प्रा0वि0 लोदाड़ा	श्री उदय सिंह राणा	8937841140	02		हां	हां
		प्रा0वि0 भेटियारा	श्री गणेश भट्ट	9012756506	02		हां	हां
		पंचायत भवन भेटियारा	श्री कुशल मणी	9410331471	01		हां	हां
		वन विभाग धौंतरी	श्रीमती पूजा बिष्ट	9284833110	02		हां	हां
		रा0इ0का0 धौंतरी	श्री प्रवीन शाह	9897856258 7895461317	08		हां	हां
		प्रा0वि0 सिरीगांव	श्री विनोद भट्ट	8126996275	03		हां	हां
		जू0हा0 स्कू0 सिरीगांव	श्री राम बिष्ट	8449320688	03		हां	हां
		प्रा0वि0 जालंग	श्री सोनू कुमार	8445900454	02		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 कुमारकोट	श्री मुकेश जुयाल	9897368460	02		हां	हां
		आंगनबाड़ी केन्द्र	श्रीमती उर्मिला देवी	7500563059 9410903069	02		हां	हां
		प्रा0वि0 ठाण्डी	श्री दिनेश पंवार	7500314036	02		हां	हां
		पंचायत भवन ठाण्डी	श्री मनोज लाल	9410511586	01		हां	हां
		बे0पा0 कमद	श्री सोमप्रकाश	8449395498	02		हां	हां
		रा0इ0का0 कमद	श्री धनपती नौटियाल	8449466487	08		हां	हां
		पंचायत भवन बागी	श्री विजय भट्ट	9410340277 9870810339	02		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 बागी	स्कूल बन्द		02			
		रा0प्रा0वि0 भडकोट	श्री दिनेश जोशी	7668957922	02		हां	हां
		जू0हा0स्कू0 भटकोट, (सटियालीधार)	श्री नागचन्द पोखरियाल	9756511585	02		हां	हां
		रा0प्रा0प0 पोखरियालगांव	स्कूल बन्द		02		हां	हां
		रा0प्रा0प0 हुल्डियाण	श्री नागेन्द्र रावत	8449087244	02		हां	हां
		जू0हा0स्कू0 हुल्डियाण	श्री वेद प्रकाश शर्मा	9456970195 8170093349	04		हां	हां
		बे0पा0 न्यूगांव (न्यूसारी)	स्कूल का संचालन नहीं है	आपद के समय प्रयोग में लाया जा सकता है	02		हां	हां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		रा0इ0का0 श्रीकालखाल	श्रीमती रामपती	9557287544	08		हां	हां
		प्रा0वि0 न्यूसारी	श्री विरेन्द्र प्रसाद श्री राजीव प्रसाद	9690818513 9456334651	02		हां	हां
		बे0पा0 नैपड़	श्री संजीव नौटियाल	8057773099	02		हां	हां
		पंचायत भवन नैपड़	श्री माता प्रसाद	9627302185	01		हां	हां
		जू0हा0स्कू0 भैंत	श्री सुन्दर लाल भट्ट	8126191497	06		हां	हां
		प्रा0वि0 भैंत	श्री बलवीर पंवार	8191984054	02		हां	हां
		रा0इ0का0 बड़ेथ	श्री नवीनचन्द्र राणा	9012618910 9411576426	10		हां	हां
		रा0उ0मा0वि0 गढ़थाती	श्री जगतम्बा प्रसाद	9639255186	04		हां	ळां
		पंचायत भवन गोरसाड़	श्रीमती पार्वती देवी	7895997043	02		हां	हां
		प्रा0वि0 गोरसाड़ा	श्रीमती वन्दना रावत	6395212765	02		हां	हां
		प्रा0वि0 धणेटी	श्री धामचन्द रमोला	9639249549	02		हां	हां
		प्रा0वि0 मट्टी	श्री जयप्रकाश भट्ट	9837463128	04		हां	हां
		जू0हा0स्कू0	श्री दीपक पंवार	9411750114	05		हां	हां
		पंचायत भवन खरवां			02		हां	हां
		प्रा0वि0 खरावां			03		हां	हां
		पंचायत भवन बडेथी			02		हां	हां
		प्रा0वि0 बडेथी			03		हां	हां
		पंचायत भवन कवां			02		हां	हां
		प्रा0वि0 कवां			03		हां	हां
		पंचायत भवन उपरीकोट			03		हां	हां
		प्रा0वि0 उपरीकोट			03		हां	हां
		पंचायत भवन भरावणगांव			02		हां	हां
		प्रा0वि0 भराणगांव			03		हां	हां
		प्रा0वि0 मातली			03		हां	हां
		आई0टी0बी0पी0 कैम्प मातली			पर्याप्त स्थान		हां	हां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		पंचायत भवन जुगुल्डी			03		हां	हां
		प्रा0वि0 जुगुल्डी			03		हां	हां
		पंचायत भवन पंजियाला			03		हां	हां
		प्रा0वि0 पंजियाला			03		हां	हां
		पंचायत भवन बौन			03		हां	हां
		प्रा0वि0 बौन			03		हां	हां
		पंचायत भवन चिणाखोली			02		हां	हां
		प्रा0वि0 चिणाखोली			03		हां	हां
		पंचायत भवन रतूडी सेरा (गढबरसाली)			03		हां	हां
		प्रा0वि0 रतूडी सेरा (गढबरसाली)			03		हां	हां
		पंचायत भवन गढ़ (गढबरसाली)			02		हां	हां
		प्रा0वि0 गढ़ (गढबरसाली)			02		हां	हां
		पटवारी चौकी गेंवला बरसाली			04		हां	हां
		पंचायत भवन गेंवला बरसाली			01		हां	हां
		प्रा0वि0 गेंवला बरसाली			03		हां	हां
		प्रा0वि0भवन खट्टूखाल			03		हां	हां
		जू0हा0स्कू0 खट्टूखाल			04		हां	हां
		प्रा0वि0 डुण्डा			02		हां	हां
		रा0बा0इ0का0 देवीधार			08		हां	हां
		रा0इ0का0 डुण्डा			24		हां	हां
		प्रा0वि0 मांगलीसेरा			02		हां	हां
		जू0हा0स्कू0 मांगलीसेरा			04		हां	हां
		पंचायत भवन पाव			02		हां	ळां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		प्रा0वि0 पाव			02		हां	हां
		पंचायत भवन सिंगोट			02		हां	हां
		प्रा0वि0 सिंगोट			02		हां	हां
		पंचायत भवन कुन्सी			02		हां	हां
		प्रा0वि0 कुन्सी			03		हां	हां
		वन विश्राम भवन नाकुरी			01		हां	हां
		प्रा0वि0 कुराह			02		हां	हां
		प्रा0वि0 सिंगोटी			02		हां	हां
		प्रा0वि0 भुटियारा			03		हां	हां
		प्रा0वि0 पंयासारी			03		हां	हां
		रा0आयु0चिकित्सालय			06		हां	हां
		पंचायत भवन नगल			01		हां	हां
		प्रा0वि0 नगल			03		हां	हां
		प्रा0वि0 नवागांव			03		हां	हां
		जू0हा0स्कूल0 नवागांव			04		हां	हां
		प्रा0वि0 ग्योंणोटी			04		हां	हां
		जू0हा0स्कूल0 ग्योंणोटी			06		हां	हां
		रा0इ0का0 मंजगांव (सौन्द)			10		हां	हां
		प्रा0वि0 मंजगांव (सौन्द)			03		हां	हां
		रा0इ0का0 मंजगांव			10		हां	हां
		प्रा0वि0 मंजगांव			03		हां	हां
		जू0हा0 स्कूल भवन खुरमोला (बग्यालखेत)			05		हां	हां
		प्र0वि0 बग्यालखेत			05		हां	हां
		वन विश्राम गृह वाण			06		हां	हां
		जू0हा0स्कूल0वाण			04		हां	हां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		पंचायत भवन जिनेथ			01		नहीं	नहीं
		प्रा0वि0 जिनेथ			01		नहीं	नहीं
		प्रा0वि0 हरेती			02		नहीं	नहीं
		पंचायत भवन पुजारगांव			02		हां	हां
		जू0हा0स्कूल0 पैंथर			03		नहीं	नहीं
		प्रा0वि0 पैंथर			03		नहीं	नहीं
		पंचायत भवन पैंथर			02		नहीं	नहीं
		रा0इ0का0 मालना			10		हां	हां
		प्रा0वि0 मालना			02		नहीं	नहीं
		जू0हा0स्कूल0 पनोथ			04		हां	हां
		प्रा0वि0 बान्दू			02		नहीं	नहीं
		रा0इ0का0 गेंवला			20		हां	हां
		प्रा0वि0 जसपुर			02		हां	हां
		प्रा0वि0 सरतली (जसपुर)			02		नहीं	नहीं
		प्रा0वि0 डांग			03		नहीं	नहीं
		पंचायत भवन डांग			02		नहीं	नहीं
		प्रा0वि0 मांण्डियासारी			02		हां	हां
		प्रा0वि0 मसोन (मांण्डियासारी)			02		हां	हां
		प्रा0वि0 ओल्या			03		हां	हां
		जू0हा0स्कूल0 मैनोल			02		हां	हां
		प्रा0वि0 मैनोल			02		हां	हां
		जू0हा0स्कूल0 जेमर			03		हां	हां
		प्रा0वि0 जेमर			02		हां	हां
चिन्यालीसौड	श्री गब्बर सिंह नेगी, प्र0 खण्ड शिक्षाधिकारी मो0–9411750525	पंचायत भवन अस्तल			02		हां	ळां
		रा0उ0मा0वि0 अस्तल			05		हां	हां
		पटवारी चौकी हिटाणू			02		हां	हां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		रा0प्रा0वि0 हिटाणू			02		हां	हां
		मंजिरा देवी प्रशि0 सं0			10		हां	हां
		रा0उ0मा0वि0 भालसी			05		हां	हां
		प्रा0वि0 उदाल्का			04		हां	हां
		रा0इ0का0 पुजारगावं			04		हां	हां
		बे0पा0 पुजारगांव			02		हां	हां
		बे0पा0 पुजारगांव			02		हां	हां
		बे0पा0 गवांणा			02		हां	हां
		रा0उ0मा0वि0 गवांणा			02		हां	हां
		रा0इ0का0 पिपली			10		हां	हां
		रा0इ0का0 चिन्यालीसौड़		8006827212	25		हां	हां
		वन विश्राम गृह धरासू		9410519368 8057023730	02		हां	हां
		अतिथिगृह जल विधुत निगम चिन्यालीसौड़		9456590175 9456590403	08		हां	हां
		रा0इ0का0 चिन्यालीसौड़		9412935927	04		हां	हां
		विद्या मन्दिर चिन्यालीसौड		9411188248	11		हां	हां
		मैरी माता स्कूल चिन्यालीसौड़		6397517762 01371—237802	20		हां	हां
		बिराजा इ0का0 चिन्यालीसौड़		9412323388	07		हां	हां
		रा0इ0का0 बनचौरा		9557115335	14		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 सूरी		9761721835	03		हां	हां
		रा0उ0मा0वि0 रमोली		8954716436	04		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 टिपरी दशगी		9410369895	04		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 बदाल्डा		9634793233	03		हां	हां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		रा0प्रा0वि0 तराकोट		7500937158	03		हां	हां
		रा0इ0का0 श्रीकोट		9761596940 9761141414	15		हां	हां
		रा0इ0का0 जिब्या (कोटधार टण्डोल)		8979495244	09		हां	हां
		रा0जू0हा0स्कूल0 मथाली		8979495244	04		हां	हां
		रा0उ0प्रा0वि0 गडोली		9396028557	06		हां	हां
		रा0इ0का0 जेष्टवाड़ी		7895101571	08		हां	हां
		राजीव गाँधी पंचायत भवन कान्दला		8449325568	03		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 कान्दला		9412140857	04		हां	हां
		पंचायत भवन कान्सी		7248290653	04		हां	हां
		पंचायत भवन चिलोट		7500375149	04		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 चिलोट		9690378053	03		हां	हां
		रा0प्रा0वि0 चमियारी		9410703466	05		हां	हां
		रा0इ0का0 कोटधार गमरी (पुजारगांव)		9627134418	08		हां	हां
		रा0इ0का0 जोगत		9412032598	10		हां	हां
		रा0इ0का0 बलडोगी		9412844053	10		हां	हां
		रा0इ0का0 चिन्यालीसौड,	श्री रमेश कोहली	8006827212	12	200	हां	ळां
		सरस्वती विद्या मन्दिर इन्टर कालेज चिन्यालीसौड	श्री नत्थी लाल बंगवाल	9411188248	10	140	हां	हां
		बिरजा स्कूल चिन्यालीसौड	श्री शंकर घिल्डियाल	9412323388	12	200	हां	हां
नौगांव	श्री बृजमोहन सिंह चौहान, खण्ड शिक्षाधिकारी मो0–955722 9262	रा0इ0का0 बडकोट	श्री मनोज राही	8126253864	15	250	हां	हां
		रा0बा0इ0का0 बडकोट			11	200	हां	हां
		सुमन ग्रामर स्कूल बडकोट	श्री देवेन्द्र राणा	9410520390	07	100	हां	हां

विकासखण्ड का नाम	नोडल अधिकारी	शिविर का नाम	प्रधानाचार्य का नाम	मो0नं0	उपलब्ध कक्षों की संख्या	ठहराव की व्यवस्था	बिजली/ पानी	भवन की स्थिति
		रा0इ0का0 खरादी	श्री बदन सिंह	9458326420	07	100	हां	हां
		रा0इ0का0 कुथनौर	श्री सुनिल सिंह	9761851957	08	100	हां	हां
		रा0इ0का0 रानागीठ	श्री जगपाल सिंह	9412150405	15	120	हां	हां
		रा0इ0का0 नौगांव	श्री जगदीश सिंह	9412915442	08	120	हां	हां
		रा0इ0का0 डामटा	श्री प्रवीन कुमार	9412648580	05	50	हां	हां
		रा0 महाविद्यालय बडकोट	डॉ विनोद कुमार	9412986331	05	50	हां	हां
पुरोला	श्रीमती पूजा नेगी, खण्ड शिक्षाधिकारी मो0–7351834661	रा0इ0का0 पुरोला	श्री चतर सिंह चौहान	8272002325	18	250	हां	हां
		स0वि0मं0 पुरोला		8449765384	12	100	हां	हां
मोरी	श्री, पंकज कुमार खण्ड शिक्षाधिकारी मो0–7830464282	रा0इ0का0 मोरी	श्री तिवारी	7879966562	11	150	हां	हां
		रा0इ0का0 नैटवाड	श्री राणा जी	9012669148	09	120	हां	हां
				कुल योग	**349**	**4500**		

!! सहायता हेतु संपर्क करें !!

जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र

टोल-फ्री हेल्पलाइन :

1077

☎️ दूरभाष :

01374-222722, 222126

📱 मोबाइल :

+91 7310913129 | 9456556431 |

✉️ ई-मेल :

ddmauttarkashi@gmail.com

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
जिलाधिकारी कार्यालय परिसर,
जनपद उत्तरकाशी, उत्तराखंड ।